

हिन्दी

व्याकरण-रचना-विहार

[माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा अनिवार्य हिन्दी
की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत]

लेखक

नरोत्तमदास स्वामी, एम. ए.

भूतपूर्व उप-प्रधानाचार्य एवं हिन्दी-विभागाध्यक्ष
महाराणा नृपाल कालेज, उदयपुर

एवं

भगवत्स्वरूप मिश्र, एम. ए., पी-एच. डी.

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग

आगरा कालेज, आगरा

1970

शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी

पुस्तक-प्रकाशक एवं विक्रेता : आगरा-३

प्रधान कार्यालय

अस्पताल रोड, आगरा-३

○

शाखाएँ

चौड़ा रास्ता, जयपुर ○ खजूरी बाजार, इन्दौर

प्रथम संशोधित संस्करण : जुलाई १९७०

○

मूल्य : तीन रुपये पचास पैसे

पोरवाल प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-३

भूमिका

भाषा-शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है शुद्ध भाषा का ज्ञान और भाषा का शुद्ध प्रयोग करने की क्षमता। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे छात्र शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा लिख सकें और उनका शब्द-भण्डार विस्तृत हो, जिससे वे भाव-प्रकाशन और विचार-प्रतिपादन की विविध शैलियों का विकास करने में सक्षम हों। प्रस्तुत पुस्तक की रचना हिन्दी के छात्रों का इसी दिशा में पथ-प्रदर्शन करने के उद्देश्य से की गयी है। इसमें माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए अपेक्षित भाषा-ज्ञान, व्याकरण और रचना सम्बन्धी सभी विषयों का सुबोध एवं प्रभावपूर्ण शैली में प्रतिपादन किया गया है। छात्रों में रचना-कला के प्रति अभिरुचि जागे और उनमें सृजन की मौलिक प्रतिभा का विकास हो सके, इस पुस्तक में इन दोनों लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है।

राजस्थान की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के अनिवार्य हिन्दी विषय के छात्रों के लिए इस पुस्तक की रचना मूलतः हुई है। इन कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही इस पुस्तक के विषय-प्रतिपादन का मुख्य आधार रहा है।

रूखा समझे जाने वाले व्याकरण एवं रचना जैसे विषय को भी रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है। अभ्यासमालाओं को तैयार करने एवं उनको वैज्ञानिक रूप देने में विशेष परिश्रम किया गया है। वे नवीन शैली की और बहुत विस्तृत हैं। उनके द्वारा विद्यार्थियों को व्याकरण और रचना का ज्ञान सहज ही हो सकेगा और उन्हें विषय भी सरस लगेगा। वस्तुतः ये अभ्यास-मालाएँ ही पुस्तक का मुख्यांश हैं। अभ्यासमालाओं के प्रारम्भ में दी गयी वर्णनात्मक सामग्री का उपयोग तो केवल विषय का प्रारम्भिक परिचय देने के लिए ही किया जाना चाहिए। अध्यापक बन्धुओं से निवेदन है कि वे इन अभ्यासमालाओं पर ही विशेष बल दें। इनके आरम्भ में दी गयी वर्णनात्मक सामग्री का उपयोग केवल विषय का प्रारम्भिक परिचय देने के लिए ही किया जाय; उसको रटाया तो किसी भी हालत में न जाय।

पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है—(१) प्रथम खण्ड में पाठ्यक्रम में नियत व्याकरण का विषय दिया गया है; इसमें पद-परिचय, वाक्य-विश्लेषण, संधि और समास शीर्षक चार अध्याय हैं। (२) दूसरे खण्ड का विषय भाषा-ज्ञान है जिसमें शब्द-ज्ञान (शब्द-रचना, पर्याय शब्द, विलोम शब्द, समान रूप और अर्थ वाले शब्दों में अन्तर), भाषा-शुद्धि (शब्द-शुद्धि, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप, वर्तनी-सम्बन्धी नियम, वाक्य-शुद्धि, विराम चिह्न) और मुहावरे और कहावतें शीर्षक तीन अध्याय हैं। (३) तीसरा खण्ड रचना का है जिसमें पत्र-लेखन और तार-लेखन, अपठित और निबन्ध-रचना शीर्षक तीन अध्याय हैं। इस खण्ड में विद्यार्थियों को मौलिक चिन्तन एवं सर्जन को प्रेरणा देने का प्रयास विशेष रूप से किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना में व्याकरण के विशेषज्ञों की कृतियों से सहायता ली गयी है। अपने उन मित्रों और सहयोगियों के हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं जिनका अमूल्य सहयोग पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने में सिद्ध हुआ है।

अध्यापक और अध्येता वर्गों के परितोष में ही हमारे परिश्रम की सफलता है।

—लेखकगण

सूचनिका

खण्ड १—व्याकरण.

अध्याय १. पद-परिचय (पद-ध्याह्या)

३-५५

१. शब्द और शब्द-भेद;
२. पद और पद-परिचय;
३. विभिन्न शब्द-भेदों का परिचय—पद-परिचय के उदाहरण;
४. संज्ञा
संज्ञा और उसके भेद—संज्ञा के रूपान्तर—जाति, वचन, विभक्ति, कारक—संज्ञा का पद-परिचय;
५. सर्वनाम और विशेषण
सर्वनाम और उसके प्रकार तथा रूपान्तर, विशेषण और उसके प्रकार तथा रूपान्तर, सर्वनाम और विशेषण का पद-परिचय;
६. क्रिया
क्रिया और उसके प्रकार, क्रिया के रूपान्तर (वाच्य, प्रयोग, अर्थ, काल, जाति, वचन, पुरुष), कृदन्त, क्रिया का पद-परिचय;
७. अव्यय
अव्यय और उसके भेद, क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध-सूचक, संयोजक, उद्गारक, अव्यय का पद-परिचय;

अध्याय २. वाक्य-विश्लेषण

५६-७४

वाक्य और उसके अंग, उद्देश्य और उद्देश्य-विस्तारक, विधेय और विधेय-विस्तारक, वाक्य के प्रकार और उपवाक्य, उपवाक्य के प्रकार, वाक्य-विश्लेषण (सरल वाक्य; मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य);

अध्याय ३. सन्धि

७५-८३

१. सन्धि और उसके प्रकार;
२. स्वर सन्धि;
३. व्यंजन सन्धि;
४. विसर्ग सन्धि;

अध्याय ४. समास

८४-९३

१. समास और उसके प्रकार;
२. द्वन्द्व और अव्ययीभाव;
३. तत्पुरुष;
४. कर्मधारय;
५. द्विगु;
६. बहुव्रीहि;
७. एक समास के अनेक विग्रह;

खण्ड २—भाषा-ज्ञान

अध्याय ५. शब्द-ज्ञान

९७-१४२

पर्याय शब्द, समान रूप वाले शब्दों में अर्थ का अन्तर; समान अर्थ वाले शब्दों में अन्तर, विलोम शब्द, संक्षिप्त रूप;

शब्द-रचना (उपसर्ग, प्रत्यय, कृत् प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय);

अध्याय ६. रचना-शुद्धि

१४३-१७०

शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप, वर्तनी के कुछ नियम, वाक्य-शुद्धि, अशुद्ध वाक्य और उनके सशोधन, विराम चिह्न;

अध्याय ७. मुहावरे और कहावतें
मुहावरे, कहावतें;

१७१-१९५

खण्ड ३—रचना

अध्याय ८. पत्र-लेखन और तार-लेखन

१९६-२३२

पत्र-लेखन;

तार-लेखन;

अध्याय ९. अपठित

२३३-२४६

अपठित, गद्य अवतरण, पद्य अवतरण

अध्याय १०. निबन्ध-लेखन

२५०-३४४

प्रस्तावना—रूपरेखा सहित निबन्ध

१. रेल-यात्रा २५२
२. मेरी चटशाला २५५
३. बाढ़ का काल्पनिक चित्र २६०
४. चौदनी रात में मरुस्थल की सैर २६५
५. अनुपम प्राकृतिक दृश्य २६८
६. 'जय जवान, जय किसान' २७१
७. खेलबूद से लाभ २७३
८. भीषण वर्षा २७७
९. मनोरंजन के आधुनिक साधन २७९
१०. सैनिक शिक्षा २८३
११. ग्राम्य-जीवन २८५
१२. प्रातःकाल की शोभा २८९
१३. मैंने जब साइकिल चलाना सीखा २९१
१४. स्वतन्त्रता-दिवस (पन्द्रह अगस्त) २९४
१५. ममूरी—पहाड़ों की रानी २९७
१६. समाचार-पत्र ३०१
१७. मेरी प्रिय पुस्तक (रामचरितमानस) ३०४

१८. मेरा प्रिय कवि (मैथिलीशरण गुप्त)	३०६
१९. मेले में अब मेरा छोटा भाई खो गया	३१३
२०. दैव-दैव आलसी पुकारा	३१६
२१. श्रमदान	३१९
२२. जब मेरी बहिन की सहेली के विवाह में विघ्न उपस्थित हुआ	३२२
२३. चंद्रलोक की यात्रा	३२६
२४. मेले का वर्णन (कैलादेवी का मेला)	३३२
२५. सहकारी खेती निबन्धों की विस्तृत रूपरेखाएँ	३३६

व्याकरण

अध्याय १

पद-परिचय (पद-व्याख्या)

परिच्छेद १—शब्द और शब्दभेद

१. शब्द—सार्थक ध्वनि या ध्वनि-समूह को शब्द कहते हैं। जैसे—पानी, चतुर, वह, ऊपर, आ। पानी में चार ध्वनियाँ हैं—प+आ+न्+ई और इस ध्वनि-समूह का अर्थ है जल। इस प्रकार 'पानी' एक सार्थक ध्वनि-समूह होने से शब्द हुआ।

२. शब्दभेद—शब्द के पाँच भेद होते हैं—(१) संज्ञा, (२) क्रिया, (३) सर्वनाम, (४) विशेषण, (५) अव्यय।

(१) संज्ञा—उस शब्द को कहते हैं जो किसी वस्तु के नाम का बोध कराता है (वस्तु से अभिप्राय पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, व्यापार, क्रिया आदि का है)। जैसे—पुस्तक, सोना, गेहूँ, नगर, सभा, मनुष्य, मोहन, जयपुर, ताजमहल, लोभ, मिठास, लम्बाई, चतुरता, आगमन, आदि।

(२) सर्वनाम—उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे—राम ने कहा कि मैं मोहन के घर गया था पर वह घर पर नहीं मिला। इस वाक्य में मैं शब्द राम संज्ञा के लिए और वह शब्द मोहन संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है।

(३) विशेषण—उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता (जैसे गुण, परिमाण, संख्या) बताता है या उसकी ओर संकेत करता है। जैसे—भला मनुष्य, थोड़ा पानी, पाँच हाथी, छठी कक्षा, वह घोड़ा, यह गाय, कोई आदमी।

(४) क्रिया—उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यापार का बोध कराता है अर्थात् जिससे किसी काम का होना या किया जाना सूचित होता है। जैसे—करना, देवना, उठना, जाना, होना आदि।

(५) अव्यय—उस शब्द को कहते हैं जिसमें रूपान्तर (जाति, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन) नहीं होता, जिसका रूप सदा एकसा रहता है। इसके चार उपभेद हैं :

(१) क्रियाविशेषण—वह शब्द जो किसी क्रिया की कोई विशेषता बताता है। जैसे—आज, यहाँ, इतना, ऐसा, बहुत, धीरे।

(२) सम्बन्ध-सूचक—वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिल कर क्रियाविशेषण वाक्यांश बनाता है। जैसे—राम के लिए, मेरे सामने, सूची के अनुसार।

(३) संयोजक—वह शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ता है। जैसे—और, या, परन्तु, यदि।

(४) उद्गारक (या, विस्मयादिबोधक)—वह शब्द जो शोक, हर्ष आदि किसी भाव को प्रकट करता है। जैसे—हाय ! ओहो ! अरे !

परिच्छेद २—पद और पद-परिचय

१. पद—शब्द का वह रूप जो वाक्य में प्रयुक्त होता है पद कहा जाता है। जैसे—सज्जनों का धन परोपकार के लिए होता है। इस वाक्य में सज्जनों का, धन, परोपकार के, लिए और होता है—ये पाँच पद हैं। सज्जनों का पद सज्जन शब्द का छठी विभक्ति के अनेकवचन का रूप है, धन पद धन शब्द का पहली विभक्ति के एकवचन का रूप है, परोपकार के पद परोपकार शब्द का छठी विभक्ति के एकवचन का रूप है, लिए पद सम्बन्धसूचक अव्यय है, और होता है पद हो धातु का वर्तमान काल के एकवचन का रूप है।

२. पद, रूप में, कभी शब्द से अभिन्न होता है (जैसे ऊपर के उदाहरण में धन और लिए), और कभी भिन्न (जैसे ऊपर के उदाहरण में सज्जनों का, परोपकार के, होता है)।

सज्जनों का = सज्जन + ओं + का।

परोपकार के = परोपकार + का।

होता है = हो + तो + है।

३. पद-परिचय—पद के व्याकरणिक परिचय को पद-परिचय कहते हैं। पद-परिचय को पद-व्याख्या, पदान्वय, शब्द निरुक्ति भी कहा जाता है।

४. पद-परिचय में ये बातें बतायी जाती हैं :

- (१) शब्दभेद का नाम ।
- (२) शब्दभेद के प्रकार का नाम ।
- (३) पद के विभिन्न रूपान्तरों के नाम ।
- (४) वाक्य के अन्य पदों के साथ पद का सम्बन्ध ।

परिच्छेद ३—विभिन्न शब्दभेदों का पद-परिचय

१. विभिन्न शब्दभेदों के पद-परिचय में जो बातें बतायी जाती हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता है :

१. संज्ञा

- | | |
|--------------------------|---|
| (१) प्रकार | १. जातिवाचक (मनुष्य, नदी, देश, सेना, समिति सोना, गेहूँ) |
| | २. व्यक्तिवाचक (मोहन, गंगा, भारत) |
| | ३. भाववाचक (भलाई, मनुष्यता, गरीबी, हँसी, चोरी, बचपन) |
| (२) जाति (लिंग) | १. नर जाति या पुलिंग (लड़का, बाघ, राजा, पुरुष) |
| | २. नारी जाति या स्त्रीलिंग (लड़की, बाघनी, रानी, स्त्री) |
| (३) वचन | १. एकवचन (लड़का, नदी, माली, रात, बालक) |
| | २. अनेकवचन या बहुवचन (लड़के, नदियाँ, माली, रातें, बालक) |
| (४) विभक्ति ^१ | १. पहली (मनुष्यों; लड़का, लड़के; नदी, नदियाँ) |
| | २. दूसरी (लड़के, लड़कों; नदी, नदियों) |
| | ३. तीसरी (मनुष्य ने, मनुष्यों ने; लड़के ने, लड़कों ने) |
| | ४. चौथी (मनुष्य को, मनुष्यों को; लड़के को, लड़कों को) |
| | ५. पाँचवी (मनुष्य से, मनुष्यों से; लड़के से, लड़कों से) |
| | ६. छठी (मनुष्य का, मनुष्यों का; लड़के का, लड़कों का) |
| | ७. सातवीं (मनुष्य में, मनुष्यों में; लड़के में, लड़कों में) |

^१ पद-परिचय में विभक्ति प्रायः नहीं बतायी जाती ।

- (५) कारक^१
१. कर्ता (राम गया, राम ने पढ़ा, राम से पढ़ा गया)
 २. कर्म (फल खाया, रोटी खायी गयी, लड़के को देखा)
 ३. करण (हथ से तोड़ा, कलम से लिखा)
 ४. सम्प्रदान (भिखारी को दिया, मुझे कलम ला दो)
 ५. अपादान (घर से निकला, सिंह से डरा)
 ६. अधिकरण (घर में गया, पेड़ पर बैठा)
 ७. सम्बन्ध (राम का भाई, मेरी माँ, लड़के के उत्तर)
 ८. सम्बोधन (हे भाई !)

- (६) सम्बन्ध^२
१. अमुक क्रिया का कर्ता (या कर्म या करण या अधिकरण या सम्प्रदान या अपादान) है ।
 २. अमुक संज्ञा का विशेषक या भेदक है (सम्बन्ध कारक हो तो) ।
 ३. अमुक संज्ञा का समानाधिकरण है ।

२. सर्वनाम

(१) प्रकार

१. पुरुषवाचक (मैं, हम; तू, तुम; वह, वे; आप)
२. निजवाचक (आप, अपना)
३. निश्चयवाचक (यह, ये; वह, वे)
४. अनिश्चयवाचक (कोई, कुछ, सब)
५. प्रश्नवाचक (कौन, क्या)
६. सम्बन्धवाचक (जो)

जब एक ही वस्तु के वाचक दो पदों का एक ही कारक होता है तो मुख्य पद का कारक बताया जाता है और गौण पद को उस मुख्य पद का समानाधिकरण बताया जाता है। जैसे—अयोध्यापति राम ने लंकेश्वर रावण को मारा। इस उदाहरण में राम कर्ता और रावण कर्म है तथा अयोध्यापति 'राम' का समानाधिकरण और लंकेश्वर 'रावण' का समानाधिकरण है।

कभी-कभी सम्बन्ध को संक्षेप में इस प्रकार बताया जाता है—इसका सम्बन्ध अमुक शब्द (अमुक क्रिया, अमुक संज्ञा आदि) से है।

- (२) पुरुष
१. उत्तम पुरुष (मैं, हम; मेरा, हमारा; मुझे, हमें)
 २. मध्यम पुरुष (तू, तुम, आप; तेरा, तुम्हारा; तुझे, तुम्हें)
 ३. अन्य पुरुष (शेष सब सर्वनाम)
- (३) वचन
१. एकवचन (मैं, तू, तुम, वह, यह)
 २. अनेकवचन (हम, तुम, वे, ये)
- (४) विभक्ति
- (५) कारक
- (६) सम्बन्ध
- संज्ञा की भाँति
संज्ञा की भाँति (सम्बोधन कारक नहीं होता)
संज्ञा की भाँति

३. विशेषण

- (१) प्रकार
१. गुणवाचक
 २. परिमाणवाचक
 ३. संख्यावाचक
 ४. संकेतवाचक
- (२) जाति (आकारान्त विशेषण हो तो)
- (३) वचन (आकारान्त विशेषण हो तो)
- (४) सम्बन्ध
१. अमुक संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण
 २. अमुक क्रिया का पूरक (विधेय विशेषण हो तो)

४. क्रिया

- (१) प्रकार
१. अकर्मक (आना, उठना)
 २. सकर्मक (पढ़ना, देखना, लेना)
- (२) वाच्य
१. कर्तृवाच्य (राम उठा, राम ने पढ़ा)
 २. कर्मवाच्य (राम में पढ़ा गया)
 ३. भाववाच्य (राम में उठा नहीं गया)
- (३) प्रयोग
१. कर्तरि (बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है, बालक उठा)
 २. कर्मणि (बालक ने ग्रन्थ पढ़ा, बालक ने पोछी पढ़ी)
(बालक में पढ़ा नहीं गया—कर्मवाच्य)
 ३. भावे (बालक में उठा नहीं गया)
(बालक ने छोड़े को देगा—भाववाच्य)

(४) अर्थ

१. निश्चयार्थ (राम जाता है, राम जावेगा, राम नहीं गया)
२. आज्ञार्थ (तू जा, आप जाइये, तुम कल पढ़ना)
३. सम्भावनार्थ (बालक पढ़े, बालक पढ़ता हो, बालक ने पढ़ा हो)
४. सन्देहार्थ (बालक पढ़ता होगा, बालक ने पढ़ा होगा)
५. संकेतार्थ (बालक जाता, बालक पढ़ता)

(५) काल

१. सामान्य भविष्य (आवेगा, पढ़ेगा)
२. सम्भाव्य भविष्य (आवे, जाय, पढ़े)
३. आज्ञा भविष्य (तू आना, तुम पढ़ना, आप जाइयेगा)
४. सामान्य वर्तमान (आता है, पढ़ता है)
५. तात्कालिक वर्तमान (आ रहा है, पढ़ रहा है)
६. सम्भाव्य वर्तमान (आता हो, पढ़ता हो)
७. संदिग्ध वर्तमान (आता होगा, पढ़ता होगा)
८. आज्ञा वर्तमान (आ, आओ; पढ़, पढ़ो; पढ़िये)
९. सामान्य भूत (आया, पढ़ा)
१०. आसन्न भूत (आया है, पढ़ा है)
११. पूर्णभूत (आया था, पढ़ा था)
१२. सम्भाव्य भूत (आया हो, पढ़ा हो)
१३. संदिग्ध भूत (आया होगा, पढ़ा होगा)
१४. संकेत भूत (आता, पढ़ता)
१५. अपूर्ण भूत (आता था, पढ़ता था)
१६. तात्कालिक भूत (आ रहा था, पढ़ रहा था)

(६) पुरुष

१. उत्तम (आऊँगा, आऊँ, आया होऊँगा, (हम) आवेंगे)
२. मध्यम (आओगे, आये होंगे, पढ़ो, पढ़िये, पढ़)
३. अन्य (आवेगा, आवे, आवेंगे, आता है)

(७) जाति

१. नरजाति (पढ़ता है, आया, पढ़ा, पढ़े)
२. नारीजाति (पढ़ती है, आयी, पढ़ी, पढ़ीं)

(८) वचन

१. एकवचन (पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ें)
२. अनेकवचन (पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, पढ़ेंगे, पढ़ें)

- (६) सम्बन्ध १. इसका कर्ता अमुक है
२. इसका कर्म अमुक है (कर्म हो तो)
५. क्रियाविशेषण
(१) प्रकार १. कालवाचक (अब, जब, तब, आज, सवेरे)
२. स्थानवाचक (यहाँ, जहाँ, वहाँ, इधर, ऊपर)
३. परिमाणवाचक (इतना, बहुत, अधिक, कम)
४. रीतिवाचक (ऐसे, जैसे, वैसे, यों, ज्यों, त्यों, भली-भाँति, स्वतः, स्वयं, पूर्णतया, अपनेआप, वीरता-पूर्वक)
- (२) सम्बन्ध अमुक क्रिया या विशेषण या क्रियाविशेषण की विशेषता बताता है ।
६. सम्बन्धसूचक
(१) सम्बन्ध अमुक संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर क्रिया-विशेषण वाक्यांश बनाता है ।
७. संयोजक
(१) सम्बन्ध अमुक (दो) शब्दों या (दो) उपवाक्यों को जोड़ता है ।
८. उद्गारक (विस्मयादिवोधक)
अमुक भाव आदि को प्रकाशित करता है (विस्मय, हर्ष, शोक, सम्बोधन आदि)
- टिप्पणी—कृदन्तों के पद-परिचय में शब्दभेद के नाम के स्थान पर कृदन्त का नाम बताया जाता है । (आगे उदाहरण ३ से ६ तक देखिए) ।
- पद-परिचय के उदाहरण
- वाक्य (१)—राम का छोटा भाई मोहन आज कलकत्ते से लौट आया है ।
(१) राम का—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नरजाति, एकवचन, पष्ठी विभक्ति, सम्बन्ध कारक, 'भाई' संज्ञा का भेदक ।
(२) छोटा—विशेषण, गुणवाचक, नरजाति, एकवचन, 'भाई' संज्ञा का विशेषण ।
(३) भाई—संज्ञा, जातिवाचक, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, कर्ता कारक, 'मोहन' कर्ता का समानाधिकरण ।

(४) मोहन—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, कर्ता कारक, 'लौट आया है' क्रिया का कर्ता ।

(५) आज—कालवाचक क्रियाविशेषण, 'लौट आया है' क्रिया का विशेषण ।

(६) कलकत्ते से—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नरजाति, एकवचन, पाँचवीं विभक्ति, अपादान कारक, 'लौट आया है' क्रिया का अपादान ।

(७) लौट आया है—संयुक्त क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, निश्चयार्थ, आसन्न भूत काल, नरजाति, एकवचन, अन्यपुरुष, 'मोहन' इसका कर्ता है ।

वाक्य (२)—मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूँगा क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ।

(१) मैं—सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, कर्ता कारक, 'चल सकूँगा', क्रिया का कर्ता ।

(२) तुम्हारे—सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, एकवचन, छठी विभक्ति, 'साथ' सम्बन्धसूचक अव्यय से अन्वित ।

(३) साथ—सम्बन्धसूचक अव्यय, तुम्हारे इस सर्वनाम के साथ मिलकर क्रियाविशेषण वाक्यांश बनाता है ।

(४) नहीं—निषेधवाचक क्रियाविशेषण, 'चल सकूँगा' क्रिया का विशेषण ।

(५) चल सकूँगा—संयुक्त क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भविष्य काल, अन्य पुरुष, नरजाति, एकवचन, 'मैं' इसका कर्ता है ।

(६) क्योंकि—संयोजक अव्यय, दो उपवाक्यों को जोड़ता है ।

(७) पिताजी का—संज्ञा, जातिवाचक, नरजाति, एकवचन, छठी विभक्ति, सम्बन्ध कारक, 'स्वास्थ्य' संज्ञा का भेदक ।

(८) स्वास्थ्य—संज्ञा, भाववाचक, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, कर्ता कारक, 'है' क्रिया का कर्ता ।

(९) अच्छा—विशेषण, गुणवाचक, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, 'स्वास्थ्य' संज्ञा का विशेषण, 'है' क्रिया का पूरक ।

(१०) नहीं—निषेधात्मक क्रिया विशेषण, 'है' क्रिया का विशेषण ।

(११) है—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता 'स्वास्थ्य' है ।

वाक्य (३)—बरसते (हुए) पानी में अधिक भीगना अच्छा नहीं (है) ।

(१) बरसते (हुए)—विशेषण-कृदन्त, गुणवाचक, नरजाति, एकवचन, दूसरी विभक्ति, अधिकरण कारक, 'पानी' संज्ञा का विशेषक ।

(२) अधिक—अव्यय, परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, 'भीगना' संज्ञाकृदन्त का विशेषण ।

(३) भीगना—संज्ञा-कृदन्त, भाववाचक, नरजाति, एकवचन, पहली विभक्ति, कर्ता कारक, 'है' इस छिपी हुई क्रिया का कर्ता ।

वाक्य (४)—बालक पढ़े (हुए) पाठों को दुहराकर भोजन करने को जावेगा ।

(१) पढ़े (हुए)—विशेषणकृदन्त, गुणवाचक, नरजाति अनेकवचन, दूसरी विभक्ति, कर्म कारक, 'पाठों' संज्ञा से सम्बद्ध ।

(२) दुहराकर—पूर्वकालिक कृदन्त, क्रियाविशेषण, 'जावेगा' क्रिया से सम्बद्ध ।

(३) करने (को)—संज्ञावाचक कृदन्त, भाववाचक, नरजाति, एकवचन, सम्प्रदान कारक, 'जावेगा' क्रिया से सम्बन्ध, भोजन इसका कर्म है ।

वाक्य (५)—चलते हुए सवेरा हो गया ।

वाक्य (६) देखते-देखते दिन निकल आया ।

(१) चलते हुए—क्रियाविशेषण कृदन्त, 'हो गये' क्रिया से सम्बन्ध ।

(२) देखते-देखते—क्रियाविशेषण कृदन्त, 'निकल आया' क्रिया से सम्बन्ध ।

वाक्य (७)—उसे गये हुए दस दिन हो गये ।

वाक्य (८)—मुझे पाठ समाप्त किये घंटा-भर हो गया ।

वाक्य (९)—वह कमर कसे बैठा है ।

(१) गये हुए—क्रियाविशेषण-कृदन्त, 'हो गये' क्रिया से सम्बन्ध ।

(२) किये (हुए)—क्रियाविशेषण-कृदन्त, 'हो गया' क्रिया से सम्बन्ध ।

(३) कसे (हुए)—क्रियाविशेषण-कृदन्त, 'बैठा है' क्रिया से सम्बन्ध ।

परिच्छेद ४—संज्ञा

संज्ञा और उसके भेद

१. संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी वस्तु के नाम का बोध कराता है ।

२. संज्ञा के प्रकार—संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं—(१) जातिवाचक, (२) व्यक्तिवाचक, और (३) भाववाचक ।

(१) जातिवाचक—उस संज्ञा को कहते हैं जो एक जाति की सब वस्तुओं का एक साथ बोध कराती है । जैसे—मनुष्य, नगर, भवन, गाँव, कवि, पुस्तक ।

(२) व्यक्तिवाचक—उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी एक जाति की एक ही विशेष वस्तु का बोध कराती है । जैसे—रामचन्द्र, आगरा, ताजमहल, हरिपुरा, सूरदास, रामायण ।

(३) भाववाचक—उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी गुण, विशेषता, अवस्था, व्यापार, मनोभाव आदि का बोध कराती है । जैसे—चतुराई, लम्बाई, मिठास, भलाई, मित्रता, गर्मी, निद्रा, वचन, पतन, चढ़ाई, हँसी, लोभ, आनन्द ।

३. कभी-कभी व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएँ जातिवाचक बन जाती हैं । जैसे—(१) यहाँ सैकड़ों भीम एकत्र हैं । इस उदाहरण में भीम शब्द भीम नाम के व्यक्ति का बोध नहीं कराता परन्तु पहलवान का बोध कराता है । यहाँ भीम शब्द जातिवाचक संज्ञा है ।

(२) अपने पहनावे को सँभालकर रखो । इस उदाहरण में पहनावा शब्द पहनने के व्यापार (कार्य) का बोध नहीं कराता परन्तु पहनने के वस्त्रों का बोध कराता है । अतः यहाँ पहनावा शब्द जातिवाचक है ।

४. भाववाचक संज्ञाएँ साधारणतया एकवचन में प्रयुक्त होती हैं पर कभी-कभी वे बहुवचन में भी प्रयुक्त की जाती हैं । जैसे—इस मनुष्य में अनेक अच्छाइयाँ हैं; उसके गुण असंख्य हैं; काव्य में नौ रस होते हैं ।

संज्ञा के रूपान्तर

५. संज्ञा शब्दों में जाति (लिंग), वचन और विभक्ति के कारण रूपान्तर अर्थात् रूप-परिवर्तन होता है ।

(क) जाति लिंग

६. हिन्दी शब्दों की दो जातियाँ होती हैं—(१) नरजाति, और (२) नारीजाति । नरजाति नर या पुरुष का बोध कराती है और नारीजाति नारी या स्त्री का । नरजाति को पुल्लिंग और नारीजाति को स्त्रीलिंग भी कहते हैं ।

उदाहरण—

नरजाति—लड़का, ब्राह्मण, बालक, बाघ, पिता, भाई, राम, पुरुष, नर, नगर, बाण, भागवत, प्रियप्रवास ।

नारीजाति—लड़की, ब्राह्मणी, बालिका, बाघनी, माता, बहन, सीता, स्त्री, नारी, नगरी, तलवार, मनुस्मृति, कामायनी ।

७. (क) नरजाति के आगे निम्नलिखित प्रत्यय जोड़ने से नारीजाति बनती है :

- (१) ई—लड़का-लड़की । दादा-दादी । हिरन-हिरनी ।
- (२) नी—मोर-मोरनी । शेर-शेरनी । बाघ-बाघनी । हाथी-हाथनी ।
- (३) आनी—सेठ-सेठानी । देवर-देवरानी ।
- (४) इन—मुनार-मुनारिन । माली-मालिन । सांप-सांपिन ।
- (५) आइन—पण्डित-पण्डिताइन । ठाकुर-ठाकुराइन ।

(ख) संस्कृत शब्दों में ये प्रत्यय जुड़ते हैं—

- (१) ई—सुन्दर-सुन्दरी । ब्राह्मण-ब्राह्मणी । दाता-दात्री ।
- (२) आ—वृद्ध-वृद्धा । सुत-सुता । प्रिय-प्रिया ।
- (३) इका—बालक-बालिका । लेखक-लेखिका ।

(ग) अनेक नरजातीय शब्दों की नारीजाति बिलकुल भिन्न शब्दों से बनती है । जैसे—नर-नारी, पुरुष-स्त्री, सम्राट-सम्राज्ञी, विद्वान्-विद्वुषी, कवि-कवयित्री, श्रीमान्-श्रीमती, राजा-रानी, माता-पिता, भाई-बहन, भाई-भौजाई ।

(ख) वचन

८. वचन संख्या का बोध कराता है । हिन्दी में दो वचन होते हैं—

(१) एकवचन, और (२) अनेकवचन (या बहुवचन) । एकवचन एक ही संख्या का बोध कराता है और अनेकवचन एक से अधिक संख्या का ।

उदाहरण—

एकवचन—रात, माला, नदी, बहू, गौ, लड़का, माली, वन ।

अनेकवचन—रातें, मालाएँ, नदियाँ, बहूएँ, गौएँ, लड़के, माली, वन ।

९. एकवचन से अनेकवचन बनाने के नियम—

(क) नारीजातीय शब्दों के आगे 'एँ' प्रत्यय जुड़ता है । जैसे—रात-रातें, विद्या-विद्याएँ बहू-बहूएँ, धेनु-धेनुएँ, गौ-गौएँ ।

(ख) इकारान्त और ईकारान्त नारीजातीय शब्दों के आगे 'याँ' प्रत्यय जुड़ता है । जैसे—हानि-हानियाँ, नदी-नदियाँ ।

(ग) तद्भव आकारान्त नरजातीय शब्दों के आगे 'ए' प्रत्यय जुड़ता है । जैसे—लड़का-लड़के । वकरा-वकरे । पन्ना-पन्ने ।

(घ) शेष नरजातीय शब्दों के आगे कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता । उनके दोनों वचनों के रूप एक-से होते हैं । जैसे—देश-देश, राजा-राजा, कवि-कवि, माली-माली, साधु-साधु, भालू-भालू, जौ-जौ ।

१०. प्रत्यय जुड़ते समय अकारान्त शब्द के अन्त के अ का, तथा तद्भव आकारान्त नरजातीय शब्द के अन्त के आ का, लोप हो जाता है (रातें, लड़के); और ईकारान्त तथा ऊकारान्त नारीजातीय शब्दों के अन्त के ई तथा ऊ ह्रस्व हो जाते हैं (नदियाँ, बहुएँ) ।

(ग) विभक्ति

११. विभक्तियाँ संज्ञा या सर्वनाम के आगे विभक्ति-प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं और वे विभिन्न कारकों का निर्देश करती हैं ।

टिप्पणी—संस्कृत में विभक्तियाँ और कारक अलग-अलग होते हैं पर हिन्दी व्याकरणों में, अंग्रेजी की देखादेखी, दोनों को एक ही मान लिया जाता है । ऐसा करना ठीक नहीं जान पड़ता । वस्तुतः विभक्ति और कारक अलग-अलग वस्तुएँ हैं—एक विभक्ति अनेक कारकों में आ सकती है और एक कारक का बोध अनेक विभक्तियों द्वारा हो सकता है । जैसे—पहली विभक्ति कर्ता में भी आती है और कर्म में भी (लड़का), चौथी विभक्ति कर्म में भी आती है और सम्प्रदान में भी (लड़के को), पाँचवीं विभक्ति करण में भी आती है और अपादान में भी (लड़के से); इसी प्रकार कर्ता कारक पहली विभक्ति में भी आता है (लड़का), तीसरी में भी (लड़के ने), और पाँचवीं में भी (लड़के से खाया गया); कर्म कारक पहली विभक्ति में भी आता है (मैंने एक लड़का देखा) और चौथी विभक्ति में भी (मैंने लड़के को देखा) ।

१२. हिन्दी शब्दों की सात विभक्तियाँ होती हैं—पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं ।

१३. विभक्तियों के दो भेद हैं—(१) मूल-विभक्तियाँ, और (२) यौगिक विभक्तियाँ । पहली और दूसरी विभक्तियाँ मूल विभक्तियाँ हैं और शेष यौगिक विभक्तियाँ ।

१४. पहली विभक्ति में शब्द के आगे कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता; दोनों वचनों में शब्द अपने मूल रूप में रहता है। जैसे—

एकवचन—बालक, राजा, कवि, माली, साधु, भालू, दुवे, जी, लड़का; रात, माला, हानि, नदी, धेनु, बहू, गो, चिड़िया।

अनेकवचन—बालक, राजा, कवि, माली, साधु, भालू, दुवे, जी, लड़के; रातें, मालाएँ, हानियाँ, नदियाँ, धेनुएँ, बहूएँ, गौएँ।

१५. दूसरी विभक्ति बनाने के लिए एकवचन में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता—केवल 'लड़का'-वर्ग के तद्भव आकारान्त शब्दों के आगे ए प्रत्यय जुड़ता है; अनेकवचन में सभी शब्दों के आगे ओं प्रत्यय जुड़ता है। जैसे—

एकवचन—बालक, राजा, कवि, माली, साधु, भालू, जी, लड़के; रात, माला, हानि, नदी, धेनु, बहू, गौ।

अनेकवचन—बालकों, राजाओं, कवियों, मालियों, साधुओं, भालुओं, जीओं, लड़कों; रातों, मालाओं, हानियों, नदियों, धेनुओं, बहूओं, गौओं।

१६. पहली विभक्ति को संज्ञा का मूल रूप और दूसरी विभक्ति को संज्ञा का विकारी रूप भी कहा जाता है।

१७. योगिक विभक्तियाँ—ये दूसरी विभक्ति के आगे परसर्ग जोड़ने से बनती हैं (परसर्ग भी एक प्रकार के प्रत्यय ही हैं)। परसर्ग इस प्रकार हैं—

विभक्ति	परसर्ग	उदाहरण
तीसरी	ने	देश ने, देशों ने, लड़के ने, लड़कों ने,
चौथी	को	देश को, देशों को.
पाँचवी	से	देश से, देशों से
छठी	का	देश का, देशों का
सातवी	में	देश में, देशों में

टिप्पणी—इन परसर्गों के अतिरिक्त पर, तक आदि और भी परसर्ग होते हैं। द्वारा आदि अनेक सम्बन्धमूचक अव्यय भी परसर्ग का काम करते हैं और विभक्तियाँ बनाते हैं।

१८. विभक्तियों के परसर्ग कुछ लोग शब्दों के साथ मिलाकर लिखते हैं और कुछ अलग से ।

(घ) कारक

१९. कारक—जो क्रिया को करता है या क्रिया के होने या करने में सहायक होता है, उसे कारक कहते हैं । कारक छह हैं—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण । हिन्दी व्याकरण में दो कारक और माने जाते हैं—सम्बन्ध और सम्बोधन । संस्कृत के वैयाकरण इन्हें कारक नहीं मानते क्योंकि इनका सम्बन्ध क्रिया से नहीं होता (सम्बन्ध का सम्बन्ध वाक्य की किसी संज्ञा से होता है और सम्बोधन का सम्बन्ध वाक्य के किसी भी शब्द से नहीं होता) ।

(१) कर्ता—क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं । जैसे—राम पेड़ को काटता है, राम ने पेड़ को काटा, राम से पेड़ नहीं काटा जाता—इन तीनों वाक्यों में राम कर्ता है क्योंकि पेड़ को काटने की क्रिया करने वाला राम है ।

(२) कर्म—कर्ता द्वारा की गयी क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहा जाता है । जैसे—राम ने पेड़ को काटा—इस उदाहरण में राम ने काटने की क्रिया की और उस क्रिया का प्रभाव पड़ा पेड़ पर—पेड़ कट गया—क्रिया का फल भुगतना पड़ा पेड़ को ।

(३) करण—जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसको (अर्थात् क्रिया करने के साधन को) करण कहते हैं । जैसे—राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा ।

(४) सम्प्रदान—जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह सम्प्रदान होता है । जैसे—अजय संजय को फूल देता है, भैया ने सुधा को किताब ला दी, मैं पूजा को जा रहा हूँ, जया पढ़ने को जा रही है, पुत्र को पिता ने एक बात कही ।

(५) अपादान—जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहते हैं । जैसे—पेड़ से फल गिरा, बालक घरों से निकले ।

(६) अधिकरण—क्रिया के होने के आधार (स्थान, काल आदि) को अधिकरण कहा जाता है। जैसे—उद्यान में गोर नाच रहे हैं, मन में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, नौकर बोज को सिर पर रख रहा है; तारे रात में निकलते हैं।

(७) सम्बन्ध—जिसका किसी दूसरी वस्तु के साथ स्वामित्व आदि कोई सम्बन्ध होता है उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। जैसे—राजा का घोड़ा, प्रजा का धन, मन की उमंग, जीवन का फल, कबीर के पद।

(८) सम्बोधन—जिसको सम्बोधन किया जाता है उसे सम्बोधन कहा जाता है—श्याम ! तुम कहाँ जाओगे, बच्चों ! इस काम को कर डालो।

२०. कारकों और विभक्तियों का सम्बन्ध—एक विभक्ति अनेक कारकों में आती है और उनी प्रकार एक कारक अनेक विभक्तियों में आता है। जैसे—

(क) कारक और विभक्ति

कारक	विभक्ति	उदाहरण
१. कर्ता	पहली तीसरी	लड़का पोयी पड़ता है। लड़के ने पोयी पड़ी।
२. कर्म	पाँचवीं पहली	लड़के ने पोयी पढ़ ली गयी। लड़का फल खा रहा है।
३. करण	चौथी	लड़का फलों को खा रहा है।
४. सम्प्रदान	पाँचवीं	लड़का कलम से लिखता है।
५. अपादान	चौथी	लड़के ने बहन को फूल दिया।
६. अधिकरण	पाँचवीं	लड़के ने पिता से यात कही।
७. सम्बन्ध	पाँचवीं	लड़का पेड़ से गिरा।
८. सम्बोधन	सातवीं	लड़का घर में मिला।
	छठी	लड़के का पिता।
	दूसरी	लड़के ! यहाँ जाओ। लड़कों ! इस पाठ को पढ़ डालो।

(ख) विभक्ति और कारक

विभक्ति	कारक	उदाहरण
१. पहली	कर्ता	लड़का फल खा रहा है ।
२. दूसरी	कर्म	लड़का फल खा रहा है ।
३. तीसरी	सम्बोधन	लड़के ! यहाँ बाओ ।
४. चौथी	कर्ता	लड़के ने फल खाये ।
५. पाँचवीं	सम्प्रदान	लड़के को फल दो ।
६. छठी	कर्म	लड़का फलों को खा रहा है ।
७. सातवीं	अपादान	लड़का घर से निकला ।
	करण	लड़के ने कलम से लिखा ।
	सम्बन्ध	लड़के की पुस्तक ।
	अधिकरण	लड़का घर में पढ़ रहा है ।

संज्ञा का पद-परिचय

- वाक्य—१. सेनापति चन्द्रगुप्त वाराणसी से प्रयाग पहुँचा ।
 २. पिताजी ने मुझे कहा—राजू को बीस रुपये भेज दो ।
 ३. भैया ने व्यापारी से फल खरीदे और उन्हें गाड़ी से पण्डितजी के पास भिजवा दिये ।
 ४. वहन के लिए कोई चिन्ता मत करो ।

(१) सेनापति—संज्ञा, जातिवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, चन्द्रगुप्त का समानाधिकरण ।

(२) चन्द्रगुप्त—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, पहुँचा क्रिया का कर्ता ।

(३) वाराणसी से—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नारी जाति, एकवचन, अपादान कारक, इसका सम्बन्ध पहुँचा क्रिया से है ।

(४) राजू को—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नर जाति, एकवचन, सम्प्रदान कारक, इसका सम्बन्ध भेज दो क्रिया से है ।

(५) रुपये—संज्ञा, जातिवाचक, नर जाति, अनेकवचन, कर्म कारक, भेज दो क्रिया का कर्म ।

(६) भैया —संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की भाँति प्रयुक्त, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, खरीदे और भिजवा दिये क्रियाओं का कर्ता ।

(७) व्यापारी से—संज्ञा, जातिवाचक, नर जाति, एकवचन, अपादान कारक, इसका सम्बन्ध खरीदे क्रिया से है ।

(८) गाड़ी से—संज्ञा, जातिवाचक, नारी जाति, एकवचन, करण कारक, इसका सम्बन्ध भिजवा दिये क्रिया के साथ है ।

(९) पण्डितजी के—संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की भाँति प्रयुक्त, नर जाति, एकवचन, सम्बन्ध कारक, इसका सम्बन्ध पास सम्बन्धमूचक अव्यय के साथ है ।

(१०) वहन के—संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक की भाँति प्रयुक्त, नारी जाति, एकवचन, सम्बन्ध कारक, इसका सम्बन्ध लिए सम्बन्धसूचक अव्यय से है ।

(११) चिन्ता—संज्ञा, भाववाचक, नारी जाति, एकवचन, कर्म कारक, करो क्रिया का कर्म ।

अभ्यासमाला ३

१. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे शब्दों के शब्द-भेद सामने कोष्ठकों में दिये गये हैं । उनमें जो शुद्ध नाम हैं उन पर ✓ का चिह्न लगाइए :

(१) तुलसीदास बड़े महात्मा थे । (संज्ञा)

(२) पढ़ना लाभदायक है । (क्रिया)

(३) घर के भीतरे अँधेरा है । (विशेषण)

(४) तुम परीक्षा कब दोगे । (अव्यय)

(५) सायन में पानी बरसता है । (क्रिया)

२. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञाएँ हैं । उनके सामने कोष्ठकों में सही संज्ञा-भेद का नाम लिखिए :

(१) तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा । ()

(२) इस गाँव में ब्राह्मणों की बस्ती है । ()

(३) विज्ञान ने मनुष्य को बड़ा लाभ पहुँचाया है । ()

- (४) परसों हमने हवाई जहाज से यात्रा की। ()
 (५) पानी से गाँव चारों ओर से घिर गया। ()
 (६) मैंने एक रुपये के गेहूँ खरीदे हैं। ()

३. नीचे लिखे कथनों में जो कथन शुद्ध हों उन पर ✓ का निशान लगाइए :
 (१) तीन सौ वर्ष बीत गये—इस वाक्य में वर्ष भाववाचक संज्ञा है।

(२) दिल्ली के सिंहासन पर अकबर था—इस वाक्य में सिंहासन भाववाचक संज्ञा है।

(३) आज प्रत्येक घर में लक्ष्मीबाई की आवश्यकता है—इस वाक्य में लक्ष्मीबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है।

(४) यहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं—इस वाक्य में सुविधाएँ जातिवाचक संज्ञा है।

४. नीचे शब्दों के सामने उनकी जातियाँ दी गयी हैं। जो उत्तर शुद्ध हों उन पर ✓ का चिह्न लगाइए और जो अशुद्ध हों उन पर × का चिह्न लगाइए :

सरोजिनी	नारी जाति
पुस्तक	नर जाति
बुढ़िया	नारी जाति
देवता	नर जाति
जनता	नर जाति
राष्ट्र	नारी जाति
आत्मा	नारी जाति

५. नीचे कई-एक नरजातीय शब्दों के नारीजातीय रूप दिये गये हैं। जो उत्तर अशुद्ध हों उन पर × का निशान लगाइए और कोष्ठक में शुद्ध उत्तर लिखिए :

मोर	मोरी	()
वालक	वालकी	()
राजा	रानी	()
पति	पत्नी	()
सेठ	सेठनी	()

६. निम्नलिखित शब्दों से नारीजाति बनाइए :
- सिंह, हाथी, जेठ, चौधरी, मानी, ठाकुर, राजा, दादा, कुत्ता ।
७. नीचे लिखे उत्तरों में जो शुद्ध हों उन पर ✓ का निशान लगाइए :
- कलमें—यह एकवचन है ।
 सड़कें—यह अनेकवचन है ।
 घड़ियाँ—यह एकवचन है ।
 रातें—यह अनेकवचन है ।
 बहुएँ—यह एकवचन है ।
८. नीचे दिये गये वाक्यों में जो शब्द काले टाइप में छपे हैं उनके एक-वचन उनके सामने कोष्ठकों में लिखिए :
- बालक खेल रहे हैं । ()
 बालिकाएँ पढ़ रही हैं । ()
 राष्ट्रपति कल आयेंगे । ()
 व्यापारियों ने दुकानें खोली हैं । ()
 राजस्थान में नदियों की कमी है । ()
९. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे शब्दों के कारक उनके सामने कोष्ठकों में लिखे हैं । जो उत्तर शुद्ध हों उस पर ✓ का निशान लगाइए :
- (१) पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी । (कर्ता, करण)
 (२) माता-पिता का आदर करो । (सम्बोधन, सम्बन्ध)
 (३) राम कल घर जायेगा । (कर्ता, कर्म)
 (४) बालिका खेल लिस रही है । (कर्म, कर्ता)
 (५) पेड़ पर एक कौवा बैठा है । (अधिकरण, अपादान)
 (६) छात्रों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए । (सम्प्रदान, कर्ता)
 (७) नित्तारी को भीस दो । (कर्म, सम्प्रदान)
 (८) यह कलम मैं बहन के निमित्त लाया हूँ । (सम्प्रदान, सम्बन्ध)
 (९) कल में बहन के साथ घर जाऊँगा । (सम्प्रदान, सम्बन्ध)
१०. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे संज्ञा-शब्दों के कारकों के नाम उनके सामने कोष्ठकों में लिखिए :
- (१) बन्दर फल खा रहा है । ()
 (२) अम्मा ने नित्तारी को सीधा दिया । ()

- (३) राजा ने चाणक्य को मन्त्री बनाया । ()
 (४) शिकारी शेर से नहीं डरा । ()
 (५) मोहन राजू के लिए कलम लाया है । ()
 (६) भैया राजू के घर पर हैं । ()
 (७) कल बालकों ने एक खेल किया । ()
 (८) ग्वाला लाठी से गाय को हार्क रहा है । ()

११. निम्नलिखित वाक्यों में आये हुए संज्ञा-शब्दों के कारक बताइए :

साधु ने कहा—माताजी ! इस भयंकर तूफान में कितने ही आवसी घरों से रहित हो गये हैं, उनको आश्रय देना है । उनके लिए यदि आप कुछ दे सकें तो भगवान आपका भला करेंगे । यह सुनकर बुद्धिमान ने अपना कम्बल साधु को दे दिया ।

१२. निम्नलिखित वाक्य के संज्ञा-शब्दों के पद-परिचय में जो कथन अशुद्ध हों उन पर X का चिह्न लगाइए :

वाक्य—गांधीजी ने देश में स्वराज्य की चेतना जगाने के लिए अपना जीवन लगा दिया :

- (१) गांधीजी ने जातिवाचक संज्ञा है ।
 (२) स्वराज्य भाववाचक संज्ञा है ।
 (३) चेतना व्यक्तिवाचक संज्ञा है ।
 (४) गांधीजी अनेकवचन है ।
 (५) जीवन एकवचन है ।
 (६) जगाना भाववाचक संज्ञा है ।
 (७) जगाने के सम्बन्ध कारक है ।
 (८) देश नारी जातीय है ।

१३. किस वाक्य में लड़का शब्द का कर्म कारक में प्रयोग हुआ है । (१९६६)

- (१) राम सीधा लड़का है ।
 (२) कल राम के लड़का हुआ ।
 (३) पिता ने लड़के को पीटा ।
 (४) वह लड़का कहाँ गया ?
 (५) पिता ने लड़के को गेंद ला दी । ()

परिच्छेद ५—सर्वनाम और विशेषण

सर्वनाम

१. सर्वनाम—उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे—शंकर ने गोविन्द से कहा—मोहन परीक्षा में प्रथम रहा है, वह कल मेरे घर आयेगा, मैं उसे भोज दूँगा, तुम भी अवश्य आना। गोविन्द ने उत्तर दिया—मैं अवश्य आऊँगा।

पहले वाक्य में यह शब्द मोहन संज्ञा के लिए, मैं शब्द शंकर संज्ञा के लिए, और तुम शब्द गोविन्द संज्ञा के लिए आया है। दूसरे वाक्य में मैं शब्द गोविन्द संज्ञा के लिए आया है। ये शब्द सर्वनाम हैं।

पहले वाक्य में मैं सर्वनाम शंकर का बोध कराता है और दूसरे वाक्य में गोविन्द का।

सर्वनाम का अर्थ है जो सबका नाम हो। सर्वनाम शब्द प्रसंग के अनुसार सभी वस्तुओं का नाम हो सकता है (जबकि संज्ञा केवल एक वस्तु का नाम हो सकती है)।

२. सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं :

(१) पुरुषवाचक सर्वनाम—जो सर्वनाम पुरुष का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

पुरुष तीन होते हैं—(क) उत्तमपुरुष, (ख) मध्यमपुरुष, (ग) अग्न्यपुरुष।

(क) वक्ता, अर्थात् बात कहने वाला, उत्तम पुरुष कहलाता है। वक्ता अपने निम्ने जिम सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तमपुरुष-वाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं उत्तमपुरुष-वाचक सर्वनाम है :

(१) राम ने कहा—मैं घर जाऊँगा। (२) शंकर ने कहा—हम मेले में जा रहे हैं।

(ख) श्रोता, अर्थात् जिससे बात कही जाती है वह व्यक्ति, मध्यमपुरुष कहा जाता है। वक्ता श्रोता के लिए जिम सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम-पुरुष-वाचक सर्वनाम कहते हैं। तू और आप मध्यमपुरुष-वाचक सर्वनाम हैं :

(१) राम ने मोहन से कहा—तू घर जा। (२) राम ने भाइयों से कहा—तुम घर जाओ। (३) राम ने पण्डितजी से कहा—आप घर जायें।

(ग) वक्ता श्रोता ने जिम व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात कहता है उसे अग्न्यपुरुष कहते हैं। अग्न्यपुरुष के लिए प्रयोग किये जाने वाले सर्वनाम

को अन्यपुरुष-वाचक सर्वनाम कहते हैं। वह और आप अन्यपुरुष-वाचक सर्वनाम हैं :

- (१) श्याम ने शंकर से कहा—सीता आ रही है, वह भी साथ चलेगी।
 (२) हरि ने वहन से कहा—तुम्हारी पुस्तकें कहाँ गयीं? वे दिखायी नहीं पड़तीं। (३) मोहन ने पण्डितजी की ओर संकेत करके रामू से पूछा—आप कहाँ से आ रहे हैं?

टिप्पणी—आप सर्वनाम मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होता है पर उसके साथ आने वाली क्रिया सदा अन्यपुरुष की रहती है—आप कब आयेंगे? (न कि आओगे)

(२) निजवाचक सर्वनाम—निज का (=अपने आप का) बोध कराता है। आप, अपने-आप, अपना निजवाचक सर्वनाम हैं—

- (१) मैं आप (या अपने-आप) चला जाऊँगा। (२) श्रीधर अपने को (या अपने-आप को) बड़ा समझता है। (३) यह उनका अपना दोष है।

टिप्पणी—प्रथम उदाहरण में आप या अपने-आप वास्तव में क्रियाविशेषण हैं, इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में अपना वास्तव में विशेषण है।

(३) निश्चयवाचक सर्वनाम—जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह किसी निकट की वस्तु की ओर संकेत करता है; वह किसी दूर की वस्तु या अनुपस्थित वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे—

- (१) यह कौन है? (२) ये कहाँ जायेंगे? (३) वह कौन है? (४) वे कहाँ जा रहे हैं?

(४) अनिश्चयवाचक सर्वनाम—जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे—

- (१) द्वार पर कोई खड़ा है। (२) गली में कोई बोल रहे हैं। (३) किसी ने मुझसे कहा था। (४) किन्हीं ने यहाँ आग जलायी थी। (५) पानी में कुछ है। (६) कुछ आ गये, कुछ आ रहे हैं।

(५) प्रश्नवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे—

(१) शहर से कौन आया है ? (२) किसको पूछ रहे हो ? (३) तुम्हारे ननिहाल से आज क्या आया है ?

(६) सम्बन्धवाचक सर्वनाम—जिस सर्वनाम का पहले की या पीछे की किसी संज्ञा से या दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध होता है उसे सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सम्बन्धवाचक सर्वनाम है। जैसे—

(१) यह वह आदमी है जो कल आया था। (आदमी से सम्बन्ध) (२) इस पेड़ को देखो जो मूख गया है। (पेड़ से सम्बन्ध) (३) जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। (वह से सम्बन्ध) (४) जो कल अपना था वह आज पराया हो चुका है। (वह से सम्बन्ध)

३. सर्वनाम शब्दों का रूपान्तर—सर्वनाम शब्दों में जाति (लिंग) के कारण रूपान्तर नहीं होता—सर्वनाम शब्द दोनों जातियों में समान होते हैं। वचन के अनुसार रूपान्तर भी केवल मैं, तू, वह, यह इन चार सर्वनामों में होता है। सर्वनामों में विभक्तियों के कारण रूपान्तर होता है।

सर्वनामों में सम्बोधन कारक नहीं होता, अतः सर्वनामों की दूसरी विभक्ति सम्बोधन कारक में नहीं प्रयुक्त होती। सर्वनामों की दूसरी विभक्ति इस प्रकार होता है—यह—इस, ये—इन; वह—उस, वे—उन; जो—जिस, जिन; कौन-क्या—किस, किन; कोई—किमी, किन्हीं।

शेष शब्दों की दूसरी विभक्ति के रूप पहली विभक्ति के समान ही होते हैं। यौगिक विभक्तियाँ दूसरी विभक्ति के साथ परसर्ग जोड़ने से बनती हैं।

विशेषण

४. विशेषण—जो शब्द संज्ञा (या सर्वनाम) की कोई विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे—बड़ा-घर, सफेद कागज, अधिक सोना, थपेष्ट पानी, दस पुरुष, बीसवाँ घर, कुछ कपड़े, सब धन, वह मनुष्य, यह घर।

५. विशेषण के मुख्य चार प्रकार होते हैं :

(१) गुणवाचक—जो संज्ञा के किसी गुण का बोध कराता है। जैसे—सुन्दर, चतुर, मीठा, कान्हा, नया, अच्छा, ऊँचा, मुसी, दरिद्री, विदेशी, पढ़ा हुआ, जाने वाला, भारतीय, राजस्थानी, कालिदासीय, स्वर्गीय।

(२) परिमाणवाचक—जो संज्ञा के परिमाण का बोध कराते हैं । जैसे—थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, ज्यादा, तनिक, सारा, काफी, पर्याप्त, यथेष्ट, सब (धन), कुछ (सोना) ।

(३) संख्यावाचक—जो संज्ञा की संख्या का बोध कराता है । जैसे—एक, दो, दस, हजार, पहला, तीसवाँ, सवा, डेढ़, साढ़े तीन, अनेक, प्रत्येक, थोड़े (मनुष्य), सारे, अधिक, कम, सब, कुछ (कपड़े) ।

टिप्पणी—कुछ, सब आदि कई विशेषण परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों होते हैं । जैसे—

परिमाणवाचक—कुछ सोना, सब कपड़ा, थोड़ा आटा, बहुत धन ।

संख्यावाचक—कुछ रुपये, सब मनुष्य, थोड़े कपड़े, बहुत आदमी ।

(४) संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण—जो विशेषण किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है । जैसे—वह पुस्तक, यह मेज, कौन पुरुष, क्या वस्तु, जो काम, कोई पत्र ।

टिप्पणी—संकेतवाचक विशेषण जब संज्ञा के बिना, अकेले, आते हैं तब सर्वनाम कहें जाते हैं ।

६. विशेषण का रूपान्तर—आकारान्त विशेषण को छोड़कर अन्य विशेषणों में जाति (लिंग), वचन या विभक्ति के कारण रूपान्तर नहीं होता । आकारान्त विशेषणों में इनके कारण रूपान्तर होता है । जैसे—

(क) नर जाति—बड़ा, छोटा, काला, पढ़ा हुआ ।

नारी जाति—बड़ी, छोटी, काली, पढ़ी हुई ।

(ख) एकवचन—बड़ा, छोटा, काला, पढ़ा हुआ ।

अनेकवचन—बड़े, छोटे, काले, पढ़े हुए ।

(ग) पहली विभक्ति—बड़ा (बेटा)—(एक वचन) । बड़े (बेटे)—(अनेकवचन) ।

अन्य विभक्तियाँ—बड़े बेटे, बड़े बेटे को, बड़े बेटे से (एकवचन) ।

बड़े बेटों, बड़े बेटों को, बड़े बेटों से (अनेकवचन) ।

टिप्पणी—नारी जाति में दोनों वचनों और सब विभक्तियों में 'बड़ा' विशेषण का रूप 'बड़ी' ही रहता है ।

७. विशेषण की अवस्थाएँ—विशेषण की तीन अवस्थाएँ होती हैं :

(१) मूलावस्था—इसमें विशेषण अपने मूल रूप में रहता है ।

(२) उत्तरावस्था—जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से किसी बात में अधिक बताया जाय। जैसे—गोपाल मोहन से अधिक चतुर है। सीता विद्या से सुन्दरतर है।

(३) उत्तमावस्था—जब किसी वस्तु को दूसरी सब वस्तुओं से किसी बात में अधिक बताया जाय। जैसे—राम सब बालकों से अधिक चतुर है। राम बालकों में सबसे अधिक चतुर है। बालकों में कृष्ण सुन्दरतम है।

भूलावस्था से उत्तरावस्था बनाने के लिए साधारणतया अधिक शब्द और उत्तमावस्था बनाने के लिए सबसे अधिक शब्द जोड़े जाते हैं। संस्कृत शब्दों के साथ क्रमशः तर और तम प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं।

८. संज्ञा की भाँति प्रयुक्त विशेषण—वाक्य में कर्मो-कर्मो विशेषण के माथ की संज्ञा लुप्त रहती है तब विशेषण ही संज्ञा की भाँति प्रयुक्त होता है। ऐसा होने पर उसमें संज्ञा की भाँति रूपान्तर होते हैं। जैसे—बड़ों का आदर करो (बड़े लोगों का आदर करो)। यहाँ विशेषण 'बड़ा' संज्ञा की भाँति प्रयुक्त हुआ है। उसका पद-परिचय इस प्रकार किया जायगा—

बड़ों का—संज्ञा की भाँति प्रयुक्त विशेषण, नर जाति, अनेकवचन, सम्बन्ध कारक, इसका सम्बन्ध 'आदर' संज्ञा से है।

सर्वनाम और विशेषण का पद-परिचय

वाक्य—१. तुमने राम के विषय में मुझसे कहा था कि वह गाँव गया है।

२. उस गाँव से कौन आया है? वह क्या लाया है?

३. जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा।

४. कोई कुछे भी कहे मैं उसकी परवाह नहीं करता।

५. भले आदमी ने सब लोगों को ठण्डा पानी पिलाया।

६. सब काम हो गया, कोई चिन्ता मत करो।

७. आटा बहुत अधिक है, कितने आदमी आयेंगे?

(१) तुमने—सर्वनाम, पुरुषवाचक, कर्ता कारक, कहा था क्रिया का कर्ता।

(२) मुझसे—सर्वनाम, पुरुषवाचक, एकवचन, सम्प्रदान कारक, इसका सम्बन्ध कहा था क्रिया से है। (जाति स्पष्ट नहीं)।

(३) यह—सर्वनाम, पुरुषवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, गया है क्रिया का कर्ता।

(४) उस—विशेषण, संकेतवाचक, नर जाति, एकवचन, गाँव संज्ञा की ओर संकेत करता है ।

(५) कौन—सर्वनाम, प्रश्नवाचक, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, आया है क्रिया का कर्ता ।

(६) क्या—सर्वनाम, प्रश्नवाचक, एकवचन, कर्मकारक, लाया है क्रिया का कर्म ।

(७) जो—सर्वनाम, सम्बन्धवाचक, कर्ता कारक, पढ़ेगा क्रिया का कर्ता, वह सर्वनाम इसका नित्य-सम्बन्धी है ।

(८) वह—निश्चयवाचक सर्वनाम, नर जाति, एकवचन, कर्ता कारक, पढ़ेगा क्रिया का कर्ता और जो सर्वनाम का नित्य सम्बन्धी ।

(९) कोई—सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, एकवचन, कर्ता कारक, कहे क्रिया का कर्ता ।

(१०) कुछ—सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, कर्मकारक, कहे क्रिया का कर्म ।

(११) सब—विशेषण, संख्यावाचक, नर जाति, अनेकवचन, लोगों संज्ञा की विशेषता बताता है ।

(१२) ठण्डा—विशेषण, गुणवाचक, नर जाति, एकवचन, पानी संज्ञा की विशेषता बताता है ।

(१३) सब—विशेषण, परिमाणवाचक, एकवचन, काम संज्ञा की विशेषता बताता है ।

(१४) कोई—विशेषण, संकेतवाचक, चिन्ता संज्ञा की विशेषता बताता है ।

(१५) अधिक—विशेषण, परिमाणवाचक, आटा संज्ञा की विशेषता बताता है ।

(१६) कितने—विशेषण, संख्यावाचक, नर जाति, अनेकवचन, आदमी संज्ञा की विशेषता बताता है ।

अभ्यासमाला ४

१. नीचे लिखे वाक्यों में काले टाइप में छपे शब्द सर्वनाम या विशेषण हैं ।

कोष्ठकों में उनके सही भेदों के नाम लिखिए :

(१) मैं घर जाऊँगा ।

(पुरुषवाचक)

(२) राम अभी आया था, वह कहीं चला गया ?

()

(३) वह पुस्तक किसकी है ?

()

- (४) वहाँ कल क्या हुआ ? ()
- (५) तुम्हारा नाम क्या है ? ()
- (६) यह वही कलम है जो खो गया था । ()
- (७) तुम्हारे हाथ में क्या है ? ()
- (८) तुम्हारे घर पर कौन आये हैं ? ()
- (९) उसने अपने-आप से कहा । ()
- (१०) आप कहीं रहते हैं ? ()
- (११) हम भारतीय विद्यार्थी हैं ? ()
- (१२) प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए । ()
- (१३) वहाँ कितने भारतीय थे ? ()
- (१४) इस पुस्तकालय में बीस हजार पुस्तकें हैं । ()
२. निम्नलिखित कथनों में जो शुद्ध हों उनके आगे (✓) चिह्न लगाइए :
- (१) 'वह' उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ।
- (२) 'वह' निश्चयवाचक सर्वनाम है ।
- (३) 'वह' संकेतवाचक विशेषण है ।
- (४) 'बहुत-से लोग' में 'बहुत-से' परिमाणवाचक विशेषण है ।
- (५) 'ऐसा', 'इतना' सार्वनामिक विशेषण हैं ।
३. निम्नलिखित सर्वनामों को उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष इन तीन विभागों में बाँटकर लिखिए :
- वह, मैं, तू, हम, तेरा, मुझे, उसको, हमारा, उनका, तुम, वे ।
४. नीचे काले टाइप में छपे विशेषणों एवं सर्वनामों के प्रकारों के नाम कोष्ठकों में दिये हैं । जो उत्तर ठीक हों उन पर (✓) यह चिह्न लगाइए :
- (१) यह बात स्वाम्याधिक है । (गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण)
- (२) सुहायनी धूप फँसी हुई थी । (परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण)
- (३) थोड़ा तेल लेकर गर्म करो । (परिमाणवाचक, संख्यावाचक)
- (४) यह कालम मैंने दस रूपयों में सरीदा है । (संख्यावाचक, संकेतवाचक)
- (५) प्रत्येक व्यक्ति पाँच रुपय देगा । (संकेतवाचक, गुणवाचक)
- (६) रमेश छोटी कक्षा में पढ़ता है । (संख्यावाचक, परिमाणवाचक)
- (७) आपका दिल्ली जाना आवश्यक है । (पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम)

(८) हम इतिहास पढ़ रहे हैं। (निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम)

(९) कुछ लोगों की ऐसी राय है। (संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम)

(१०) यह सूची बहुत लम्बी है। (संकेतवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम)

(११) जो वस्तुएँ मिलें उन्हें मोल ले लो। (सम्बन्धवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण)

५. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त विशेषण भरिए :

(१) गणेश पुस्तक लाया है।

(२) इस गाँव में ब्राह्मण रहते हैं।

(३) सोना धातु है।

(४) इस वर्ष बहुत वर्षा हुई।

(५) कक्षा में छात्र हैं।

६. निम्नलिखित अनुच्छेद के रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरिए :

किसान ने मोहनसिंह से कहा आप में और में यह अन्तर है कि मजदूरों से कहते हैं 'जाओ' और कहता है 'आओ'। बहुत सवेरे उठता हूँ और मजदूरों से कहता हूँ कि चलो, लोग खेत पर चलें; जब तक काम करता हूँ तब तक भी काम करते हैं। सब काम स्वयं देखता हूँ, कारण लाभ होता है; सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हैं, से हानि होती है।

७. निम्नलिखित वाक्य में मोहन के भाई आदि शब्द बार-बार आये हैं। उनके स्थान पर उपयुक्त सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य को दुबारा लिखिए :

मोहन के भाई ने मोहन के भाई के घर जाकर मोहन के भाई की पत्नी से कहा—मोहन के भाई की पत्नी को मोहन के भाई की पत्नी के पीहर से मोहन के भाई की पत्नी का छोटा भाई बुलाने आया है।

८. निम्नलिखित वाक्यों के सर्वनाम शब्दों के पद-परिचय में जो उत्तर अशुद्ध हों उनके आगे X का निशान और जो शुद्ध हों उनके आगे ✓ का निशान लगाइए :

वाक्य—(१) हम इतिहास को पढ़ते हैं पर उससे सीखते कुछ नहीं।

(२) कौन जानता है कि वह कितना लम्बा है ?

- (१) हम पुरुषवाचक सर्वनाम है । ()
 (२) हम एकवचन सर्वनाम है । ()
 (३) उससे अपादान कारक है । ()
 (४) उसमे निश्चयवाचक सर्वनाम है । ()
 (५) कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम है । ()
 (६) कुछ बहुवचन सर्वनाम है । ()
 (७) कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है । ()
 (८) कौन कर्ता कारक है । ()

६. निम्नलिखित वाक्य में मोटे टाइप में छपे विशेषण-शब्दों के पद-परिचय में जो उत्तर शुद्ध हों उन पर ✓ का चिह्न और जो अशुद्ध हों उन पर ✕ का चिह्न लगाइए :

वाक्य—(१) उस सभा में पाँच भारतीय विद्यार्थी भी थे ।

(२) कुछ छात्र सफल हुए और कुछ असफल ।

- (१) उस संकेतवाचक विशेषण है । ()
 (२) उस कर्म कारक है । ()
 (३) पाँच संख्यावाचक विशेषण है । ()
 (४) भारतीय संकेतवाचक विशेषण है । ()
 (५) कुछ संकेतवाचक विशेषण है । ()
 (६) कुछ एकवचन विशेषण है । ()
 (७) सफल गुणवाचक विशेषण है । ()

परिच्छेद ६—क्रिया

१. क्रिया—जो शब्द किसी व्यापार (=काम) के होने या किये जाने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे—फल गिरता है, अम्मा भोजन बनायेगी।

२. क्रिया के सामान्य रूप के आगे 'ना' होता है। जैसे—गिरना, पढ़ना, करना, बनाना, चल देना।

क्रिया का सामान्य रूप संज्ञा की भाँति प्रयुक्त होता है। जैसे—पढ़ना लाभदायक है।

३. धातु—क्रिया के सामान्य रूप के अन्त में स्थित 'ना' को हटा देने पर जो अंश शेष रहता है उसे धातु कहते हैं। जैसे—गिर, पढ़, कर, बना, चल दे।

धातु के आगे कालों के प्रत्यय जोड़कर क्रिया के रूप बनाये जाते हैं। वाक्य में क्रिया के रूप ही प्रयुक्त होते हैं।

४. क्रिया के प्रकार—क्रिया के दो प्रकार होते हैं—(१) सकर्मक, और (२) अकर्मक।

(१) सकर्मक—जिस क्रिया में कर्ता द्वारा किया गया व्यापार कर्ता तक सीमित नहीं रहता किन्तु किसी दूसरी वस्तु को भी प्रभावित करता है। (इस दूसरी वस्तु को कर्म कहते हैं)। जैसे—बढ़ई ने पेड़ काटा—इस उदाहरण में बढ़ई कर्ता काटने का व्यापार करता है। (कुल्हाड़ी हाथ में लेकर चलाता है), यह व्यापार कर्ता बढ़ई तक सीमित नहीं रह जाता किन्तु पेड़ को भी प्रभावित करता है और पेड़ कटकर गिर जाता है।

सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म होता है (जो कभी-कभी छिपा भी रहता है)।

(२) अकर्मक—जिस क्रिया में कर्ता का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहता है अर्थात् जिसके कर्म नहीं होता। जैसे—लड़की कूदती है। इस उदाहरण में कर्ता लड़की कूदने का व्यापार करती है (वह ऊपर उछलती है या छलांग लगाती है) पर उसका यह व्यापार उसी तक सीमित है किसी दूसरी वस्तु को प्रभावित नहीं करता।

५. कुछ क्रियाएँ सकर्मक भी होती हैं और अकर्मक भी । जैसे—
भरना—नड़की पानी भरती है (सकर्मक); कुण्ड में पानी भरता है
(अकर्मक) ।

६. लाना क्रिया सकर्मक होते हुए भी अकर्मक की तरह प्रयुक्त होती है ।
जैसे—नीकर पानी लाया (न कि नीकर ने पानी लाया) । लाना वास्तव में
ले-आना है ।

७. क्रिया के अन्य प्रकार—क्रिया के और भी अनेक प्रकार होते हैं :

(१) पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया—जो क्रिया पूरी बात कहती है उसे
पूर्ण क्रिया और जो पूरी बात नहीं कहती उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं । जैसे—

अकर्मक पूर्ण क्रिया—राम ने निबन्ध लिखा । ईश्वर है ।

अकर्मक अपूर्ण क्रिया—गोपाल बड़ई है । वह बीमार पड़ गया ।

सकर्मक पूर्ण क्रिया—ईश्वर ने संसार को बनाया । मैं बात कहता हूँ ।

सकर्मक अपूर्ण क्रिया—बादशाह ने मानसिंह को सेनापति बनाया । मैं राम
को भला कहता हूँ ।

अपूर्ण क्रिया का अर्थ पूरा करने वाले शब्द को पूरक कहते हैं । अपूर्ण
अकर्मक क्रिया के पूरक को कर्तृपूरक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया के पूरक को
कर्मपूरक कहा जाता है । ऊपर के उदाहरणों में बड़ई, चतुर, राम की बहन
और बीमार कर्तृपूरक हैं और सेनापति तथा भला कर्मपूरक हैं ।

कर्तृपूरक कर्ता में अभिन्न होता है और कर्मपूरक कर्म से ।

कर्म और कर्तृपूरक में अन्तर—कर्म सदा कर्ता में भिन्न होता है, पर
कर्तृपूरक सदा अभिन्न होता है ।

कर्म और कर्मपूरक में अन्तर—कर्म के साथ उसका पूरक होता है तब
कर्म के साथ को प्रत्यय होना है पर पूरक के साथ 'को' प्रत्यय नहीं होता ।

(२) प्रेरणायक क्रिया—जो प्रेरणा का बोध कराती है अर्थात् जिससे यह
नूचित होता है कि कर्ता क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाना है
या दूसरे को करने की प्रेरणा करता है । जैसे—बड़ई मजदूर में पेड़ को कटाता
(या, फटवाता) है । नड़की दर्जी में कुर्ता सिलाती (या, सिलवाती) है । नदमी
बहन ने आटा पिसवाती है । पुरोहित राजा से दान दिलवाता है ।

प्रेरणार्थक से कभी-कभी मदद करने का अर्थ भी निकलता है। जैसे—
लक्ष्मी वहन को आटा पिसवाती है।

(३) संयुक्त क्रिया—जो क्रिया (क) कृदन्त और क्रिया के मेल से, (ख) संज्ञा या विशेषण और क्रिया के मेल से, अथवा (ग) दो क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे—

(क) कृदन्त और क्रिया के मेल से बनी हुई—(१) कर लेना, कर देना, कर डालना, कर सकना, कर पाना, कर चुकना, कर बैठना, भूल जाना, जान पड़ना, (२) करने लगना, करने देना, करने पाना, (३) करना चाहना, करना पड़ना (करना पड़ता है), (४) करता जाना (करता जाता है), करता रहना, (करता रहता है), चलता बनना, (५) चला जाना, देखा करना, किया करना, किया चाहना, (६) किये जाना।

(ख) दो क्रियाओं के मेल से बनी हुई—देखना-सुनना, आना-जाना, करना-कराना, बोलना-चालना, पूछना-ताछना।

(ग) संज्ञा या विशेषण और क्रिया के मेल से बनी हुई—याद करना, स्वीकार करना, नाश करना, नाश होना, याद होना, विदा होना, मोल लेना, प्यार करना (अम्मा मुझे प्यार करती है)।

(४) पूर्वकालिक क्रिया—कभी-कभी कर्ता पहले एक क्रिया करके फिर दूसरी क्रिया करता है। पहले की जाने वाली इस क्रिया की धातु के साथ कर या के प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे—वह पानी पीकर बाहर गया है, राम काम पूरा करके सभा में आयेगा। पूर्वकालिक क्रिया वास्तव में पूर्वकालिक कृदन्त है।

(५) सहायक क्रिया—कालों के रूप बनाने में जो क्रिया सहायक होती है वह सहायक क्रिया कही जाती है। जैसे—(करता) है, (करता) हो, (करता) होगा, (करता) होता, (करता) था।

८. क्रिया के रूपान्तर

(क) वाच्य—

१. वाच्य यह बताता है कि वाक्य में क्रिया का उद्देश्य कौन है अर्थात् किसके विषय में बात कही गयी है।

२. वाच्य तीन होते हैं :

(१) कर्तृवाच्य—जब वाक्य में क्रिया का कर्ता उद्देश्य हो। जैसे बालक लिखता है। बालक पाठ पढ़ रहा है।

(२) कर्मवाच्य—जब वाक्य में क्रिया का कर्म उद्देश्य हो। जैसे—बालक चतुर बतिया जाता है, अन्त में रावण मारा गया, बालक से पाठ नहीं पढ़ा जा रहा है।

(३) भाववाच्य—जब वाक्य में क्रिया का उद्देश्य न कर्ता हो न कर्म किन्तु स्वयं क्रिया का अर्थ (=भाव) ही हो। जैसे—बालक से नहीं उठा जाता, मुझसे अब उठा जाता है।

३. कर्मवाच्य तब होता है जब क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य तब जब क्रिया अकर्मक होती है।

४. कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता आता है तो पाँचवीं विभक्ति में आता है। जैसे—मुझसे पत्र नहीं लिखा जायगा, बीमार से उठा नहीं जाता।

५. संस्कृत में कर्मवाच्य और भाववाच्य का बहुत प्रयोग होता है। अंग्रेजी में भाववाच्य नहीं होता पर कर्मवाच्य का काफी प्रयोग होता है। हिन्दी में इन दोनों वाच्यों का प्रयोग बहुत सीमित होता है। उक्त दोनों भाषाओं में साधारणतया कर्तृवाच्य के स्थान पर कर्मवाच्य (एवं भाववाच्य) का प्रयोग किया जा सकता है पर हिन्दी में साधारणतया ऐसा नहीं हो सकता।

६. हिन्दी में भाववाच्य और कर्मवाच्य का प्रयोग साधारणतया तब होता है जब शक्ति या सामर्थ्य का बोध कराना होता है। जैसे—

मुझसे अब चला जाता है। बीमार से नहीं चला जाता।

मुझसे अब यह कष्ट सहा जायगा। बालक से यह कष्ट नहीं सहा जायगा।

७. हिन्दी में कर्मवाच्य का प्रयोग उस अवस्था में भी किया जाता है जब क्रिया का कर्ता अज्ञात या अनिश्चित हो या जब वक्ता उसका उल्लेख करना अनावश्यक या अवांछित समझता हो। जैसे—

(१) कहा जाता है कि राष्ट्रपति अगले महीने आयेंगे। देखा गया है कि विद्वान निर्धन होते हैं। (२) सुना गया है कि चोरी दिन में हुई। (४) यह यन्त्र अमरीका में बनाया जायगा। (५) ये खेल यहाँ नहीं खेले जाते।

भूत इन पाँचों में से कोई एक भूतकाल हो) । जैसे—लड़के ने केले खाये, लड़कों ने रोटी खायी, लड़की ने रोटियाँ खायीं, लड़कियों ने रोटी खायी ।

(ख) जब कर्मवाच्य हो । जैसे—राक्षस मारा गया, राक्षसी मारी गयी, अनेक राक्षस मारे गये ।

(३) भावे प्रयोग कब होता है अर्थात् क्रिया अपरिवर्तित कब रहती है ?

(क) कर्तृवाच्य में जब सकर्मक क्रिया हो भूतकृदन्त से बना हुआ भूतकाल हो, और कर्म के साथ 'को' विभक्ति प्रत्यय हो । जैसे—लड़के ने केलों को खाया, लड़कों ने केलों को खाया, लड़की ने केले को खाया, लड़कियों ने रोटियों को खाया ।

(ख) कर्मवाच्य में जब कर्म के आगे को प्रत्यय हो । जैसे—लड़कों से रोटी को खाया जायगा ।

(ग) जब भाववाच्य हो । जैसे—मुझसे चला गया, उनसे चला गया, लड़कियों से चला गया ।

(ग) अर्थ

१. अर्थ यह बताता है कि क्रिया के द्वारा जो बात कही गयी है वह सामान्य अर्थ में कही गयी है या किसी विशेष अर्थ में ।

बात कभी सामान्य अर्थ में कही जाती है और कभी आज्ञा, सम्भावना, सन्देह या संकेत के अर्थ में ।

२. अर्थ पाँच होते हैं—(१) सामान्यार्थ या निश्चयार्थ, (२) आज्ञार्थ, (३) सम्भावनार्थ, (४) सन्देहार्थ, और (५) संकेतार्थ ।

(१) सामान्यार्थ या निश्चयार्थ में बात सामान्य अर्थ में कही जाती है । जैसे—बालक पढ़ता था, बालक नहीं पढ़ता था, क्या बालक पढ़ता था ?

(२) आज्ञार्थ—आज्ञा का अर्थ सूचित करता है । जैसे—तू जा, तू मत जा; तुम जाओ, तुम न जाओ, आप जाइये, तू मत आना, तुम कल विद्यालय जाना, आप यह पुस्तक पढ़ियेगा ।

(३) सम्भावनार्थ—सम्भावना, इच्छा, आशीर्वाद, अनुमति, कर्तव्य आदि का अर्थ देता है । जैसे—शायद पानी बरसे, कदाचित् पानी बरसता हो, कहीं पानी न बरसा हो, कदाचित् मैं जाऊँ, वह पानी पी ले, वह अब घर जावे, बच्ची सदा प्रसन्न रहे, सम्राट् चिरंजीवी हों, छात्र गुरु को नमस्कार करे ।

(४) सन्देहार्य—सन्देह को सूचित करता है। जैसे—शंकर भोजन करता होगा, वे घर गये होंगे।

(५) संकेतार्य—किसी शर्त को सूचित करता है। जैसे—पानी बरसता तो खेती होती; काम होता हो तो मैं प्रयत्न करूँ; उसने पढ़ा होता तो वह उत्तीर्ण हुआ होता।

(घ) काल—

१. काल क्रिया के होने का समय बताता है।

२. काल तीन होते हैं :

(१) वर्तमान काल—चालू काल को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—बालक पढ़ता है, बालिका आती है।

(२) भविष्य काल—आने वाले काल को भविष्य काल कहते हैं। जैसे—बालक अब पढ़ेगा, बालिका घर जावेगी।

(३) भूतकाल—बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। जैसे—बालक ने पढ़ा, बालिका घर चली गयी।

३. वर्तमान काल के पाँच, भविष्य काल के तीन और भूतकाल के आठ भेद होते हैं।

४. वर्तमान काल के पाँच भेद इस प्रकार हैं :

(१) सामान्य वर्तमान—यह वर्तमान काल का सामान्यतया बोध कराता है। जैसे—बालक पढ़ता है, बालिका उठती है।

(२) तात्कालिक वर्तमान—यह बताता है कि क्रिया इस समय (जब वक्ता बोल रहा है) हो रही है अर्थात् चालू है। जैसे—बालक पढ़ रहा है, बालिका उठ रही है।

(३) सम्भाव्य वर्तमान—यह बताता है कि इस समय क्रिया के चालू रहने की सम्भावना है। जैसे—बालक पढ़ता हो, बालिका उठती हो।

(४) संदिग्ध वर्तमान—यह बताता है कि क्रिया इस समय हो रही है पर निश्चय नहीं है। जैसे—बालक पढ़ना होगा, बालिका उठनी होगी।

(५) आज्ञा वर्तमान—जो वर्तमान काल में पालनीय आज्ञा का बोध कराता है। जैसे तू जा, तू पढ़ो, आप भोजन कीजिये।

५. भविष्य काल के तीन भेद इस प्रकार हैं :

(१) सामान्य भविष्य—यह बताता है कि क्रिया अभी आरम्भ नहीं हुई। अब आरम्भ होगी। जैसे—बालक पढ़ेगा, बालिका उठेगी।

(२) सम्भाव्य भविष्य—यह बताता है कि क्रिया अभी आरम्भ नहीं पर उसके आरम्भ होने की सम्भावना है। जैसे—मेह वरसे, बालिका उठे, हम घर जावें। यह सम्भावना अनुमान, आज्ञा, आशीर्वाद, कामना, कर्तव्य, अनुमान आदि भाव सूचित करता है। जैसे—बालक अब घर जावे, पुत्र चिरंजीवी हो, तुम्हें सुबुद्धि मिले, पुत्र माता-पिता की आज्ञा माने।

(३) आज्ञा भविष्य—यह भविष्य काल में पालनीय आज्ञा का बोध कराता है। जैसे—तू मेरे घर आना, तुम यह पुस्तक पढ़ना, आप हमारे लिए वह पुस्तक लाइयेगा।

६. भूतकाल के आठ भेद इस प्रकार हैं :

(१) सामान्य भूत—यह सामान्यतया क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध कराता है। जैसे—बालक उठा। बालिका ने पढ़ा।

(२) आसन्न भूत—यह बताता है कि क्रिया अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। जैसे—बालक उठा है। बालिका ने पढ़ा है।

(३) पूर्ण भूत—यह बताता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। जैसे—बालक उठा था। बालिका ने पढ़ा था।

(४) अपूर्ण भूत—यह बताता है कि क्रिया किसी विशेष भूतकाल के समय आरम्भ तो हो गयी थी पर समाप्त नहीं हुई थी। जैसे—बालक उठता था। बालिका पढ़ती थी।

(५) तात्कालिक भूत—यह बताता है कि किसी विशेष भूतकाल के समय क्रिया चालू थी। जैसे—बालक उठ रहा था। बालिका पढ़ रही थी।

(६) सम्भाव्य भूत—यह बताता है कि क्रिया के भूतकाल में समाप्त हो चुकने की सम्भावना है। जैसे—बालक उठा हो। बालिका ने पढ़ा हो।

(७) संदिग्ध भूत—यह बताता है कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी हो पर निश्चय नहीं। जैसे—बालक उठा होगा। बालिका ने पढ़ा होगा।

(८) संकेत भूत (हेतुहेतुमद्भूत, क्रियातिपत्ति)—भूतकाल में जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो तब संकेत भूत का प्रयोग होना है। जैसे—बालक पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। पानी चरसता तो तालाब भरता। काण ! वह पढ़ता (तो कितना अच्छा होता)।

७. कालों के रूप तीन प्रकार से बनाये जाते हैं :

(क) धातु के आगे प्रत्यय जोड़कर।

(ख) वर्तमान वृद्धन्त से, या उसके साथ सहायक क्रिया जोड़कर।

(ग) भूत-वृद्धन्त से, या उसके साथ सहायक क्रिया जोड़कर।

(क) धातु से बने हुए काल

(१) आज्ञा वर्तमान—उठ, उठी, उठिये

पढ़, पढ़ी, पढ़िये

(२) आज्ञा भविष्य—उठना, उठियेगा

पढ़ना, पढ़ियेगा

(३) सम्भाव्य भविष्य—उठे, उठें, उठी, उठें

पढ़े, पढ़ें, पढ़ी, पढ़ें

(४) सामान्य भविष्य—उठेगा, उठेगी

पढ़ेगा, पढ़ेगी

(ख) वर्तमान-वृद्धन्त से बने हुए काल

(५) संकेत भूत उठता, उठती

पढ़ता, पढ़ती

(६) सामान्य वर्तमान उठता है, उठती है

पढ़ता है, पढ़ती है

(७) सम्भाव्य वर्तमान उठता हो, उठती हो

पढ़ता हो, पढ़ती हो

(८) मदिग्ध वर्तमान उठता होगा, उठती होगी

पढ़ता होगा, पढ़ती होगी

(९) अपूर्ण भूत उठता था, उठती थी

पढ़ता था, पढ़ती थी

(ग) भूत-वृद्धन्त से बने हुए काल

(१०) सामान्य भूत उठा, उठी

पढ़ा, पढ़ी

(११) आगत्य भूत उठा है, उठी है

पढ़ा है, पढ़ी है

(१२) सम्भाव्य भूत उठा हो, उठी हो

पढ़ा हो, पढ़ी हो

(१३) मदिग्ध भूत उठा होगा, उठी होगी

पढ़ा होगा, पढ़ी होगी

(१४) अपूर्ण भूत उठा था, उठी थी

पढ़ा था, पढ़ी थी

(घ) अन्य काल (धातु के आगे रहा है और रहा था के योग से बने हुए)

(१५) कार्यात्मिक वर्तमान उठ रहा है, उठ रही है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है

(१६) कार्यात्मिक भूत उठ रहा था, उठ रही थी, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी

जाति, वचन और पुरुष

१. क्रिया के संज्ञा के समान दो जातियाँ और दो ही वचन होते हैं तथा सर्वनाम के समान तीन पुरुष होते हैं :

जाति—नरजाति (पुंलिंग) । जैसे—आता है, जावेगा, गया ।

नारीजाति (स्त्रीलिंग) । जैसे—जाती है, जावेगी, गयी ।

वचन—एकवचन । जैसे—जाता है, जाती है ।

अनेकवचन । जैसे—जाते हैं, जाती हैं ।

पुरुष—अन्यपुरुष । जैसे—जाता है, गया, गयी ।

मध्यमपुरुष । जैसे—जाते हो, जाती हो, जाओ, जा ।

उत्तमपुरुष । जैसे—जाता हूँ, जाऊँगा ।

२. (क) क्रिया के जाति, वचन, पुरुष, साधारणतया कर्ता के अनुसार होते हैं पर जब कर्ता के साथ 'ने' प्रत्यय हो तो कर्ता के अनुसार नहीं होते (ऐसा सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन्न, पूर्ण, सम्भाव्य और संदिग्ध इन पाँच भूतकालों में होता है) ।

(ख) सकर्मक क्रिया के उक्त पाँच भूतकालों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, पर यदि कर्म के साथ 'को' प्रत्यय हो तो कर्म के अनुसार नहीं होती ।

(ग) सकर्मक क्रिया के उक्त पाँच भूतकालों में कर्म के आगे 'को' प्रत्यय हो तो क्रिया में परिवर्तन नहीं होता, वह बराबर नरजाति, एकवचन, अन्यपुरुष में होती है ।

३. याद रखिए :

(क) कर्ता के आगे ने प्रत्यय हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होती ।

(ख) कर्म के आगे को प्रत्यय हो तो क्रिया कर्म के अनुसार नहीं होती ।

(ग) कर्ता के आगे ने और कर्म के आगे को प्रत्यय हों तो क्रिया सदा एकवचन नरजाति अन्यपुरुष की होती है ।

कृदन्त

१. कालों के रूप और संयुक्त क्रियाएँ बनाने के लिए कृदन्तों का उपयोग होता है ।

२. धातु के आगे प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाये जाते हैं वे कृदन्त कहे जाते हैं । जैसे—पढ़ + ना = पढ़ना; पढ़ + ता = पढ़ता, पढ़ता हुआ; पढ़ + आ = पढ़ा, पढ़ा हुआ; पढ़ + अ = पढ़, पढ़कर ।

(१) संज्ञा कृदन्त—यह धातु के आगे ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसका रूप क्रिया के सामान्य रूप जैसा होता है; जैसे—जाना, आना, लेना, देना, पढ़ना, देखना।

यह संज्ञा की भाँति प्रयुक्त होता है और संज्ञा की भाँति इसके रूप बनते हैं। जैसे—पढ़ना, पढ़ने को, पढ़ने से, पढ़ने में, पढ़ने का, पढ़ने ने।

(२) वर्तमान विशेषण-कृदन्त—यह धातु के आगे ता प्रत्यय जोड़ने से बनता है। जैसे—धाता, जाता, लेता, देता, पढ़ता, देखता।

यह विशेषण की भाँति प्रयुक्त होता है। इसके साथ प्रायः हुआ शब्द जोड़ देते हैं। जैसे—आता हुआ, देखता हुआ।

(३) भूत विशेषण-कृदन्त—यह धातु के आगे आ प्रत्यय जोड़ने से बनता है; धातु आकारान्त, ईकारान्त एकारान्त और ओकारान्त हो तो या प्रत्यय जुड़ता है। जैसे—पढ़ा, देखा, हुआ, आया, पिया, दिया, लिया, खेया, सोया, खोया, गया, किया।

इसके आगे भी प्रायः हुआ जोड़ दिया जाता है। जैसे—पढ़ा हुआ, सोया हुआ।

(४) वर्तमान क्रियाविशेषण-कृदन्त—यह धातु के आगे ते प्रत्यय जोड़ने से बनता है। जैसे—आते, जाते, देखते, करते, पढ़ते।

(५) भूत क्रियाविशेषण-कृदन्त—यह धातु के आगे ए प्रत्यय जोड़ने से बनता है, धातु आकारान्त, ईकारान्त, एकारान्त और ओकारान्त हो तो ये जुड़ता है। जैसे—पढ़े, लिखे, हुए, आये, दिये, सोये, गये, किये।

(६) वद्देश्य-कृदन्त (हेतु-कृदन्त)—यह धातु के आगे ने प्रत्यय जोड़ने से बनता है। जैसे—पढ़ने, देखने, जाने, पीने, सोने, करने, लेने, देने।

इसके साथ कभी-कभी को प्रत्यय और जोड़ दिया जाता है। जैसे—पढ़ने को, करने को, जाने को।

(७) पूर्वकालिक कृदन्त—यह रूप में धातु के समान होता है। जैसे—पढ़, देख, कर, आ, जा, पी, गो, ही।

इसके साथ प्रायः फर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है (फर धातु के साथ के जुड़ता है)। जैसे—पढ़कर, देखकर, आकर, होकर, सोकर, करके।

टिप्पणी—कुछ लोग पूर्वकालिक कृदन्त को पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं।

क्रिया का पद-परिचय

१. तुम कल इस पुस्तक को पढ़ना ।
२. बालक ने अपना पाठ नहीं पढ़ा ।
३. मुझसे उठा नहीं जायगा ।
४. महाराज चिरंजीवी हों ।
५. पानी बरसता तो फसल होती ।
६. भरा हुआ घड़ा लेकर जाते हुए मोहन से मैंने कहा ।

(१) पढ़ना—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, आज्ञार्थ, आज्ञा भविष्य काल, एकवचन, इसका कर्ता तुम है ।

(२) पढ़ा—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्मणिप्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता बालक और कर्म पाठ है ।

(३) उठा जायगा—क्रिया, अकर्मक, भाववाच्य, भावे प्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भविष्य काल, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता मुझसे है ।

(४) हों—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, सम्भावनार्थ, सम्भाव्य भविष्य काल, अन्यपुरुष, (आदरार्थ) अनेकवचन, नरजाति, इसका कर्ता महाराज है ।

(५) बरसता—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, संकेतार्थ, संकेत भूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता पानी है ।

(६) होती—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, संकेतार्थ, संकेत-भूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नारीजाति, इसका कर्ता फसल है ।

(७) भरा हुआ—भूत कृदन्त विशेषण, नरजाति, एकवचन, इसका विशेष्य घड़ा है ।

(८) जाते हुए—वर्तमान कृदन्त विशेषण, नरजाति, एकवचन, इसका विशेष्य मोहन है ।

(९) लेकर—पूर्वकालिक कृदन्त, जाते हुए विशेषण का क्रियाविशेषण ।

(१०) कहा—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, कर्मणिप्रयोग, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, अन्यपुरुष, एकवचन, नरजाति, इसका कर्ता मैंने है ।

अभ्यासमाला ५

१. नीचे लिखे कथनों में कौन-से कथन शुद्ध हैं और कौन-से अशुद्ध :

(१) बालक पोथी लाया में लाया क्रिया अकर्मक है ।

(२) तुम क्या समझे में समझे क्रिया सकर्मक है ।

(३) फिर उसने कहा मैं कहा क्रिया अकर्मक है ।

(४) राम शर्वत पीना चाहता है मैं पीता है क्रिया सकर्मक है ।

२. निम्नलिखित वाक्यों में आयी हुई क्रियाएँ सकर्मक हैं या अकर्मक ? सामने कोष्ठकों में ठीक नाम लिखिये :

(१) कपड़ा कीमती है । ()

(२) डाकिया चिट्ठियाँ बाँटता है । ()

(३) कल सवेरे आना । ()

(४) बालक अभी तक नहीं सोया । ()

(५) पढ़ने के बाद तुम क्या घन्घा करोगे ? ()

३. निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रियाएँ चुनिये और उनके कर्म बताइये—

(१) स्त्री ने ज्ञानेश्वर महाराज के चरण छुए ।

(२) फिर उसने कहा—यह मेरा छोटा पुत्र है ।

(३) यह मेरा कहना मानता ही नहीं ।

(४) व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है ।

४. निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप में छपे शब्द पूरक हैं या कर्म ? सामने कोष्ठकों में लिखिए :

(१) बुद्ध ने यहाँ विद्याम किया था । ()

(२) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है । ()

(३) मौता मेरी बहन है । ()

(४) बालिका शिक्षिता थी । ()

(५) मैं तुम्हें अपना सहायक बनाऊँगा । ()

(६) राजा ने चाणक्य को मन्त्री बनाया । ()

(७) सोना बहुमूल्य धातु है । ()

५. वाच्य और प्रयोग में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये ।

६. नीचे कुछ वाक्य दिये गये हैं और उनके सामने कोष्ठकों में उनकी क्रियाओं के वाच्यों के नाम दिये गये हैं । जो नाम ठीक हों उन पर, ✓ का चिह्न लगाइये :

(१) श्याम वह पुस्तक कल ले गया । (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य)

(२) पत्र अब निरता जायगा । (भाववाच्य, कर्मवाच्य)

(३) मुझने डटा नहीं जाता । (कर्मवाच्य, भाववाच्य)

- (४) सभा अगले रविवार को बुलायी गयी है । (कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य)
 (५) अपराधी कल छूट जायगा । (कर्तृवाच्य, भाववाच्य)

७. निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ का क्या अन्तर है :

- (क) (१) बालक नहीं उठता, (२) बालक से नहीं उठा जाता ।
 (ख) (१) हम अब चलते हैं, (२) हममे अब चला जाता है ।

८. निम्नलिखित अवस्थाओं में क्रिया किसका अनुसरण करती है ? कर्ता का या कर्म का या भाव का ? कोष्ठकों में उचित उत्तर लिखिये :

- (१) जब क्रिया अकर्मक हो । (जैसे उठेगा) ()
 (२) जब वर्तमान कृदन्त से बना भूतकाल हो । (जैसे गाता था) ()
 (३) जब सकर्मक क्रिया का भूत-कृदन्त से बना भूतकाल हो ।
 (जैसे पढ़ा) ()
 (४) जब भविष्यकाल की सकर्मक क्रिया हो । (जैसे पड़ेगा) ()

९. निम्नलिखित कालों में क्रिया किसका अनुसरण करती है ? कर्ता का, कर्म का या भाव का ? कोष्ठकों में उचित उत्तर लिखिये :

- (१) अकर्मक क्रिया का आसन्न भूत । ()
 (२) सकर्मक क्रिया का आसन्न भूत । ()
 (३) सम्भाव्य भविष्य काल । ()
 (४) वर्तमान आज्ञा और भविष्य आज्ञा । ()
 (जैसे—जा, जाओ, जाइये, जाना, जाइयेगा) ()

१०. हिन्दी में कर्ता के साथ 'ने' प्रत्यय कब लगता है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये ।

११. निम्नलिखित कथनों में से जो कथन अशुद्ध प्रतीत हों उनके आगे × का चिह्न लगाइये और जो शुद्ध प्रतीत हों उनके आगे ✓ का चिह्न लगाइये :

- (१) जो क्रिया बीते हुए काल में हुई हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं ।
 (२) जो क्रिया बीते हुए काल में हुई हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं ।
 (३) जो क्रिया आगे आने वाले काल में होने वाली हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं ।

- (४) जो क्रिया आगे आने वाले काल में होने वाली हो उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं ।
 (५) जो क्रिया चानू काल में हो रही हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं ।
 (६) जो क्रिया चानू काल में हो रही हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं ।

१२. निम्नलिखित क्रियाओं में से कुछ भूतकालिक हैं, और कुछ भविष्यकालिक हैं । कोष्ठक में उनका उचित निर्देश कीजिये :

- (१) मैं पत्र लिख रहा था । (भू.काल.)
 (२) वह आगरे जायेगा । (भवि.)
 (३) मोहन घर जाता है । (वर्त.)

१३. कोष्ठकों में निर्देशित जो नाम शुद्ध हों उनके ऊपर ✓ का चिह्न अंकित कीजिये :

- (१) मैं भाषण सुनने जाता हूँ । (वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक)
 (२) वह खाना खा चुका है । (वर्तमानकालिक, भूतकालिक)
 (३) वह खाना खाता होगा । (भविष्यकालिक, वर्तमानकालिक)
 (४) मुझको खाना खाना है । (वर्तमानकालिक, भूतकालिक)
 (५) वह पढ़ रहा होगा । (वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक)
 (६) महेश आता तो मैं चला जाता । (भूतकालिक, वर्तमानकालिक)

१४. वर्तमान काल की निम्नलिखित क्रियाओं में से कुछ सामान्य वर्तमान काल की हैं, कुछ तात्कालिक वर्तमान की, कुछ संदिग्ध वर्तमान की । कोष्ठक में उचित नामों का निर्देश कीजिये :

- (१) सीता शोक मना रही है । ()
 (२) सीता शोक मनाती होगी । ()
 (३) सीता शोक मनाती है । ()

१५. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित भूतकालों के नाम भरिये :

- (१) राम गया में 'गया' क्रिया की है ।
 (२) यदि राम पुस्तक पढ़ता तो मैं साता में 'साता' क्रिया की है ।

- (३) राम आया था में 'आया था' क्रिया की है ।
 (४) कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं में 'लिखे हैं' क्रिया की है ।
 (५) तुमने शोर मचाया में 'मचाया' क्रिया की है ।
 (६) हम हँस रहे थे में 'हँस रहे थे' क्रिया की है ।

१६. कोष्ठक में निर्देशित जो नाम अशुद्ध हों उन पर X का चिह्न अंकित कीजिये और जो नाम शुद्ध हों उन पर ✓ का चिह्न अंकित कीजिये :

(१) मोहन बाजार जायेगा तो मैं भी जाऊँगा । (सामान्य भविष्य, सम्भाव्य भविष्य)

(२) कदाचित् मैं बाजार जाऊँ । (सामान्य भविष्य, सम्भाव्य भविष्य)

(३) हम कल पढ़ने जायेंगे । (सामान्य भविष्य, सम्भाव्य भविष्य)

१७. रामकिशोर पुस्तक पढ़ता है—इस वाक्य की 'पढ़ता है' क्रिया का पदपरिचय नीचे दिया है । उसमें जो बातें अशुद्ध हों उन पर X का चिह्न लगाइये :

पढ़ता है—अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, कर्तरिप्रयोग, संदिग्ध वर्तमान, पुलिग, एकवचन, इसका कर्ता पुस्तक तथा कर्म रामकिशोर है ।

१८. निम्नलिखित वाक्यों के क्रिया-पदों के परिचय में जो बात अशुद्ध प्रतीत हो उसके आगे X का चिह्न अंकित कीजिये और जो बात शुद्ध प्रतीत हो उसके आगे ✓ का चिह्न लगाइये :

मैं मोहन से पत्र लिखवा रहा हूँ—इस वाक्य में 'लिखवा रहा हूँ' क्रिया

(१) सकर्मक है । (२) मध्यम पुरुष की है ।

(३) भाववाच्य की है । (४) एकवचन की है ।

(५) तात्कालिक भूत की है । (६) सामान्य वर्तमान की है ।

परिच्छेद ७—अव्यय

१. अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिसका रूप सदा एक-सा रहता है अर्थात् जिसमें (जाति, वचन, पुरुष, विभक्ति, काल आदि के कारण) विकार या परिवर्तन नहीं होता। जैसे—यदि, या, क्यों, कैसे, शायद, अवश्य, नहीं, यहाँ, कल आदि। लड़का संज्ञा के लड़के, लड़कों, लड़के को आदि अनेक रूप बनते हैं पर यदि के यदियाँ, यदियों, यदि को आदि रूप नहीं बनते। यदि शब्द वाक्य में सदा यदि ही रहता है।

२. अव्यय के चार मुख्य भेद होते हैं :

(१) क्रियाविशेषण, (२) सम्बन्धमूचक, (३) संयोजक, और (४) उद्गारक या विस्मयादिवोधक।

३. क्रियाविशेषण—वह शब्द होता है जो क्रिया की कोई विशेषता बताता है (अर्थात् जो क्रिया के होने के काल या स्थान या रीति का या उसके परिमाण आदि का बोध कराता है)।

टिप्पणी—क्रियाविशेषण कभी-कभी विशेषण और क्रियाविशेषण की विशेषता भी बताता है। जैसे—(१) यह पत्र बहुत लम्बा है; दूध कम मीठा है। (२) वेल बहुत धीरे चलता है; घोड़ा अधिक तेज दौड़ता है।

४. क्रियाविशेषण के मुख्य चार प्रकार होते हैं :

(१) स्थानवाचक—यह क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। जैसे—यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ; इधर, उधर, जिधर, किधर; भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे; आगे, पीछे, सामने, दाँये, बाँये, आसपास, चारों ओर, सर्वत्र, अन्यत्र; पास, निकट, नजदीक, समीप, दूर।

(२) कालवाचक—यह क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। जैसे—अब, तब, जब, कब; अभी, तभी, अभी, कभी; आज, कल, परसों, तरसों, सबेरे; सदा, सर्वदा, नित्य, रोज, बहुधा, वारम्बार, निरन्तर, लगातार, तुरन्त, झटपट, शीघ्र, जल्दी, पहले, पीछे, बाद में, फिर; कभी नहीं, आजकल, घड़ी-घड़ी; तब से, अभी से, निकट से; प्रतिदिन, रोजाना।

(३) परिमाणवाचक—यह क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। जैसे—इतना, उतना, जितना, कितना; थोड़ा, कम, अधिक, ज्यादा, बहुत, पर्याप्त, काफी; अति, अतीव, अत्यन्त; बड़ा, खूब, कुछ, बिलकुल, लगभग, अन्दाजन।

(४) रीतिवाचक—यह क्रिया के होने की रीति का बोध कराता है। जैसे—ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे; यों, ल्यों, ज्यों, क्योंकर; ज्यों-त्यों, जैसे-जैसे, धीरे, धीरे-धीरे, धीमे, तेज; अचानक, अकस्मात्, सहसा, एकाएक; क्रमशः, व्यर्थ, वृथा, बेकाम; परस्पर, आपस में; स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपने-आप; यथाशक्ति, यथासम्भव।

टिप्पणी—जो क्रियाविशेषण प्रथम तीन भेदों में नहीं आते उनको रीति-वाचक भेद में रखा जाता है। जैसे—

निषेधवाचक—न, नहीं, मत। सम्भावनावाचक—कदाचित्, शयात्, शायद, सम्भवतः। प्रश्नवाचक—क्यों। निश्चयवाचक—वस्तुतः, वास्तव में, नचमुच, अवश्य, जरूर, निस्संदेह।

५. सम्बन्ध-सूचक—वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा (या संज्ञा-स्थानी) के साथ आकर क्रियाविशेषण वाक्यांश बनाता है। जैसे—

- (१) पुस्तक मेज के ऊपर है।
- (२) मोहन मुझसे आगे है।
- (३) मैं यह फल राम के लिए लाया हूँ।
- (४) वड़ों के सामने नम्र रहो।
- (५) परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा।

६. अधिकांश सम्बन्ध-सूचक शब्द क्रियाविशेषण होते हैं। वे अकेले आते हैं तब क्रियाविशेषण होते हैं और किसी संज्ञा के साथ आते हैं तब सम्बन्ध-सूचक होते हैं। जैसे—भैया भीतर हैं (क्रियाविशेषण)। भैया घर के भीतर हैं (सम्बन्ध-सूचक)।

७. सम्बन्ध-सूचक के पूर्व संज्ञा के साथ प्रायः के, की या से परसर्ग आते हैं; कभी-कभी वे नहीं भी आते और कभी विकल्प से आते हैं। जैसे—

- (क) घर के ऊपर। घर के लिए। घर की ओर। घर की भाँति। घर से बाहर। घर से दूर। मुझसे पहले।
- (ख) समुद्र के पार, समुद्र पार। शस्त्र के द्वारा, शस्त्र द्वारा। चिराग के तले, चिराग तले। पुत्र के सहित, पुत्र सहित।
- (ग) नदी तक। वृक्ष पर। जीवन भर। जीवन पर्यन्त।

८. सम्बन्ध-मूचक अव्यय के अनेक प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकार ये हैं :
 स्थानवाचक—ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, आगे, पीछे, पहले, पास, दूर,
 दांये, बांये, यहाँ (जैसे राम के यहाँ चलो); और, तरफ, प्रति।

कालवाचक—पहले, पीछे, पश्चात्, बाद, पूर्व, अनन्तर, उपरान्त।

साम्यवाचक—समान, तुल्य, सदृश, भाँति, तरह।

साधनवाचक—द्वारा, जरिये, मार्फत, हस्ते, हाय, सहारे।

निमित्तवाचक—लिए, वास्ते, निमित्त, खातिर, कारण, मारे।

प्रकीर्णक—साथ, संग, मङ्गित, समेत, विना, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध,
 अनुकूल, अनुसार, वायत, वारे में, विषय में।

९. इसके अतिरिक्त पर, तक, भर, सा, ने, को, से, में, का आदि को भी
 सम्बन्ध-मूचक कहा गया है। इनमें ने, को, से, में तो विभक्ति-प्रत्यय हैं, सा,
 भी प्रत्यय है; पर और तक परमंग हैं; भर को भी प्रत्यय मानना ही अधिक
 उपयुक्त है।

१०. संयोजक—वह शब्द होता है जो दो उपवाक्यों या दो वाक्यांशों या
 दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे—

(१) वह गरीब है पर सुखी है।

(२) तुम घर हो आओ या यह पाठ लिख डालो।

(३) घर के भीतर और मन्दिर के ऊपर दीपक जल रहे हैं।

(४) राम और लक्ष्मण भाई हैं।

११. संयोजक अनेक प्रकार के होते हैं। उनके मुख्य दो भेद हैं :

(१) समानाधिकरण—जो दो समान वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे—

(१) योगवाचक—और, तथा, एवं।

(२) विकल्पवाचक—या, अथवा, वा, किंवा, अन्यथा, नहीं तो,
 न कि।

(३) विरोधवाचक—पर, परन्तु, किन्तु, बल्कि, मगर, लेकिन,
 तो भी, फिर भी।

(४) परिणामदर्शक—अतः, इसलिए, अतएव, इसीलिए।

(२) व्यधिकरण—जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ते
 हैं। जैसे—

(१) स्वरूपवाचक—कि, यानी, अर्थात्, मानो।

(२) कारणवाचक—क्योंकि, चूँकि ।

(३) उद्देश्यवाचक—ताकि, इसलिए, कि ।

(४) संकेतवाचक—यदि, यद्यपि ।

१२. कई-एक संयोजक जोड़े से आते हैं । इन्हें युगल संयोजक कहा जा सकता है । जैसे—

या तो.....या । न तो.....न (या, और न) । चाहे.....चाहे ।
क्या.....क्या (या, और क्या) । यदि.....तो । यद्यपि.....तथापि
(या, तो भी) ।

१३. सम्बन्धवाचक सर्वनाम (जो-सो), सम्बन्धवाचक विशेषण (जैसा-वैसा, जितना-उतना) और सम्बन्धवाचक क्रियाविशेषण (जहाँ-वहाँ, जब-तब, जैसे-वैसे, ज्यों-त्यों, जिधर-उधर) भी संयोजक का काम करते हैं । जैसे—

यह वही बालक है जो कल आया था ।

फिर ऐसा दृश्य देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था ।

ऐसे रहो जैसे कमल जल में रहता है ।

१४. उद्गारक या विस्मयादिवोधक—विस्मयादिवोधक अव्यय विस्मय (आश्चर्य), हर्ष, शोक, खेद, तिरस्कार, अनुमोदन आदि भावों को सूचित करते हैं । उसके कुछ प्रमुख प्रकार इस भाँति हैं :

विस्मय-बोधक—अरे ! ओहो ! अहो ! हैं ! क्या !

हर्ष-बोधक—ओहो ! अहो ! वाह !

शोक-बोधक—हा ! हाय ! आह ! ओः ! आः !

तिरस्कार-बोधक—छी ! छी-छी ! धिक्कार ।

अनुमोदन-बोधक—धन्य-धन्य ! वाह-वाह ! शाबाश ! खूब ! बहुत अच्छा !
विस्मयादिवोधक अव्यय स्वीकार, निषेध और सम्बोधन का बोध भी कराता है—

स्वीकार-बोधक—हाँ ! जी ! जी हाँ ! अच्छा ! ठीक ! हैं !

निषेध-बोधक—न ! नहीं ! वस ! ऊँहूँ ! ऊँहूँ !

सम्बोधन-वाचक—हे ! ए ! अयि ! रे ! अरे ! ओ ! अजी !

१५. सम्बोधनवाचक विस्मयादिवोधकों के साथ जब सम्बोधन शब्द आता है तो सम्बोधन-चिह्न उस सम्बोधन शब्द के बाद लिखा जाता है । जैसे—
हे राम ! अरे मोहन !

१६. विस्मयादिवोधक शब्दों का सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ नहीं होता ।

अव्यय का पद-परिचय

वाक्य—(१) अरे ! तुम यहाँ कब आये !

(२) मेज के ऊपर रखे हुए कपड़े कितने उजले हैं !

(३) मैं कल मवेरं तुम्हारे यहाँ आऊँगा पर अधिक ठहरूँगा नहीं ।

१. अरे—विस्मयादिवोधक अव्यय, आश्चर्य का भाव प्रकट करता है ।
२. यहाँ—स्थानवाचक क्रियाविशेषण, आये क्रिया की विशेषता बताता है ।
३. कब—कालवाचक क्रियाविशेषण, आये क्रिया की विशेषता बताता है ।
४. ऊपर—सम्बन्धमूचक अव्यय, मेज संज्ञा के साथ मिलकर क्रियाविशेषण बनाता है और रखे हुए कृदन्त की विशेषता बताता है ।
५. कितने—परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, उज्ज्वल विशेषण की विशेषता बताता है ।
६. यहाँ—सम्बन्धमूचक, तुम्हारे सर्वनाम के साथ मिलकर क्रियाविशेषण बनाता है और आऊँगा क्रिया की विशेषता बताता है ।
७. पर—संयोजक अव्यय, 'मैं कल.....आऊँगा' और 'अधिक.....नहीं' इन दो वाक्यों को जोड़ता है ।
८. नहीं—रोतिवाचक (या, निषेधवाचक) क्रियाविशेषण, ठहरूँगा क्रिया की विशेषता बताता है ।

अभ्यासमाला ६

१. निम्नलिखित वाक्यों में कई-एक अव्यय शब्द आये हैं । उनमें से कुछ क्रियाविशेषण हैं, कुछ सम्बन्धमूचक, कुछ संयोजक और कुछ विस्मयादिवोधक । प्रत्येक वाक्य के सामने के खाली कोष्ठक में उसमें आये हुए अव्यय का नाम लिखिये :

(१) शंकर कल सोहन के साथ कलकत्ते जायगा । ()

(२) सारा काम शीघ्र पूरा हो गया और हम लौट आये । ()

(३) वहन बहुत बीमार थी, पर अब अच्छी है । ()

(४) यदि तुम नहीं आये तो तुम्हें पुस्तक नहीं मिलेगी । ()

(५) माली अभी कुएं के भीतर उतरा है । ()

(६) भैया अवश्य आयेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना है। ()

(७) अरे ! तुम कब आ गये ! ()

२. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे हुए शब्द अव्यय हैं। प्रत्येक के सामने कोष्ठक में कई अव्ययों के नाम दिये गये हैं। जो उत्तर ठीक हो उस पर ✓ का चिह्न लगाइये :

(१) भीतर चलो। (क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक)

(२) घर के भीतर चलो। (क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक)

(३) वह स्वयं आयेगा। (विस्मयादिवोधक, क्रियाविशेषण)

(४) शीघ्र चलो अन्यथा गाड़ी नहीं मिलेगी। (क्रियाविशेषण, संयोजक)

(५) जीजी ने कहा कि मैं कल आऊँगी। (संयोजक, सम्बन्धसूचक)

(६) हाय ! अब क्या कहूँ ? (क्रियाविशेषण, विस्मयादिवोधक)

(७) यह शंकर के पहले ही आ गया। (क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक)

३. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे हुए शब्द अव्यय हैं। प्रत्येक के सामने कोष्ठक में उसका नाम दिया गया है। जो उत्तर ठीक हो उस पर ✓ का चिह्न लगाइये और जो अशुद्ध हो उस पर X का चिह्न लगाइये :

(१) घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। (क्रियाविशेषण)

(२) घोड़ा तेज दौड़ रहा है। (सम्बन्धसूचक)

(३) बाहर गये तो भीग जाओगे। (सम्बन्धसूचक)

(४) बालक मेज के पीछे जा छिपा। (संयोजक)

(५) पिताजी धीरे-धीरे आ रहे हैं। (क्रियाविशेषण)

४. निम्नलिखित क्रियाविशेषण अव्ययों को स्थानवाचक, कालवाचक परिमाणवाचक और रीतिवाचक इन चार विभागों में बाँटिये :

कल, यहाँ, ऐसे, इतना, बहुत, तब, अधिक, परसों, धीरे, व्यर्थ, उधर, ऊपर।

५. निम्नलिखित वाक्यों में काले टाइप में छपे हुए शब्द क्रियाविशेषण हैं या सम्बन्धसूचक ?

(१) भैया ऊपर है। ()

(२) वहन अभी घर से बाहर गयी है। ()

(३) मैं कल राम के यहाँ गया था। ()

- (४) तुम अभी से कहाँ चल दिये ? ()
 (५) उसके बिना काम नहीं होगा । ()

६. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त अव्यय शब्द भरिये :

- (१) मैं.....जयपुर जाऊँगा ।
 (२) वसन्त के.....ग्रीष्मऋतु आती है ।
 (३) बालक.....भूम्रा है ।
 (४) तुम यहाँ ठहरोगे.....चलोगे ?
 (५) तुम्हारी बहन.....कब आयेगी ?
 (६) केशव छोटा है.....होशियार है ।
 (७) हवा.....पानी के.....कोई जीवित नहीं रह सकता ।

७. निम्नलिखित वाक्यों में भोटे टाइप में छपे शब्द किस-किस शब्द-भेद में आते हैं ? प्रत्येक के सामने उसका शब्द-भेद लिखिए :

- (१) राम और श्याम घर गये । ()
 (२) तुम और क्या करोगे ? ()
 (३) और लोग अभी नहीं आये । ()
 (४) बड़ों का कहना मानना चाहिए । ()
 (५) वह बहुत सुन्दर लिखता है । ()

८. नीचे कुछ पदों के पद-परिचय दिये गये हैं । जो उत्तर शुद्ध हों उन पर ✓ का चिह्न लगाइये :

वाक्य—आज जब मैं गाँव के निकट पहुँचा, अचानक बादल घिर आये और वर्षा होने लगी पर मैं भीगा नहीं क्योंकि मेरे पास छाता था ।

निकट—स्थानवाचक क्रियाविशेषण है ।

आज—कालवाचक क्रियाविशेषण, इसका सम्बन्ध पहुँचा क्रिया से है ।

और—सम्बन्धमूचक अव्यय है ।

पर—स्थानवाचक क्रियाविशेषण है ।

क्योंकि—संयोजक अव्यय है ।

पास—सम्बन्धमूचक अव्यय है ।

नहीं—संयोजक अव्यय है ।

अध्याय २

वाक्य-विश्लेषण

परिच्छेद १—वाक्य और उसके अंग

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

(१) गणेश सो गया । (२) बादल गरज रहा है ।

२. प्रथम उदाहरण में एक वात कही गयी है कि 'सो गया' ; यह वात 'गणेश' नामक व्यक्ति के विषय में कही गयी है ।

दूसरे उदाहरण में एक वात कही गयी है कि 'गरज रहा है' ; यह वात 'बादल' नामक वस्तु के विषय में कही गयी है ।

ऊपर के प्रत्येक उदाहरण में एक वात कही गयी है और वह वात किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कही गयी है । ऊपर का प्रत्येक उदाहरण एक वाक्य है ।

३. वाक्य उस शब्द-समूह को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई वात कहता है ।

४. वाक्य के दो अंग होते हैं—(१) उद्देश्य और (२) विधेय । जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ वात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं और किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो वात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं ।

५. विधेय में कम-से-कम एक क्रिया शब्द होता है । उद्देश्य में कम-से-कम एक संज्ञा शब्द (या संज्ञा की जगह प्रयुक्त सर्वनाम, या संज्ञा की भाँति प्रयुक्त विशेषण आदि कोई शब्द) होता है ।

ऊपर के उदाहरणों में 'गणेश' और 'बादल' उद्देश्य हैं तथा 'सो गया' और 'गरज रहा है' विधेय हैं ।

६. वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों अवश्य होते हैं । कभी-कभी उनमें से एक छिपा रहता है अर्थात् होता है पर शब्द द्वारा नहीं कहा जाता । जैसे—

(१) जाओ—इस वाक्य में उद्देश्य 'तुम' छिपा हुआ है । पूरा वाक्य होगा—तुम जाओ ।

(२) कोई हर्ज नहीं—इस वाक्य में विधेय 'है' छिपा हुआ है । पूरा वाक्य होगा—कोई हर्ज नहीं है ।

परिच्छेद २—उद्देश्य और उद्देश्य-विस्तारक

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिए :

(१) दुर्गा पढ़ती है । (२) वह अच्छी लड़की है । (३) लोभी कभी सुखी नहीं रहता । (४) टहलना अच्छा व्यायाम है । (५) 'बढ़कर' पूर्वकालिक कृदन्त है । (६) मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं ।

२. प्रथम उदाहरण में 'दुर्गा' उद्देश्य है । 'दुर्गा' एक संज्ञा शब्द है ।

दूसरे उदाहरण में 'वह' उद्देश्य है । 'वह' एक सर्वनाम शब्द है ।

तीसरे उदाहरण में 'लोभी' उद्देश्य है । 'लोभी' एक विशेषण शब्द है जो संज्ञा की भाँति प्रयुक्त हुआ है ।

चौथे उदाहरण में 'टहलना' उद्देश्य है । 'टहलना' एक कृदन्त-संज्ञा शब्द है ।

पाँचवें उदाहरण में 'बढ़कर' उद्देश्य है । 'बढ़कर' एक पूर्वकालिक क्रिया-विशेषण कृदन्त शब्द है जो संज्ञा की भाँति प्रयुक्त हुआ है ।

छठे उदाहरण में 'मोहन और सोहन' उद्देश्य है । 'मोहन और सोहन' एक शब्द समूह है ।

३. उद्देश्य में निम्नलिखित शब्द हो सकते हैं :

(१) संज्ञा (उदाहरण १)

(२) संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द अर्थात् सर्वनाम (उदाहरण २)

(३) संज्ञा की भाँति प्रयुक्त होने वाला विशेषण आदि कोई भी शब्द (उदाहरण ३ और ५)

(४) शब्द-समूह या वाक्यांश (उदाहरण ६)

४. उद्देश्य में कभी-कभी संज्ञा शब्द के साथ उसकी विशेषता बताने वाले विशेषण आदि अन्यान्य शब्द भी आते हैं ।

उस अवस्था में संज्ञा शब्द को मुख्य उद्देश्य और उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य-विस्तारक कहते हैं ।

उद्देश्य-विस्तारक

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

(१) काला घोड़ा अच्छा दौड़ता है । (२) पढ़ा हुआ पाठ मुझे याद है ।

(३) माली का काम पूरा हो गया । (४) पुस्तकों को पढ़ना लाभकारी है ।

(५) अधिक खेलना अच्छा नहीं । (६) रमेश का भाई मोहन आज आवेगा ।

२. प्रथम उदाहरण में 'घोड़ा' मुख्य उद्देश्य है; 'काला' शब्द उसकी विशेषता बताता है। वह एक विशेषण शब्द है।

दूसरे उदाहरण में 'पाठ' मुख्य उद्देश्य है; 'पढ़ा हुआ' शब्द उसकी विशेषता बताता है। वह एक विशेषण-कृदन्त शब्द है।

तीसरे उदाहरण में 'काम' मुख्य उद्देश्य है; 'माली का' शब्द उसकी विशेषता बताता है। वह सम्बन्ध-कारक शब्द है।

चौथे उदाहरण में 'पढ़ना' मुख्य उद्देश्य है; 'पुस्तकों को' शब्द उसकी पूर्ति करता है। वह 'पढ़ना' कृदन्त का कर्म है।

पाँचवें उदाहरण में 'खिलना' मुख्य उद्देश्य है; 'अधिक' शब्द उसकी विशेषता बताता है। वह 'खिलना' कृदन्त का विशेषण है।

छठे उदाहरण में 'मोहन' मुख्य उद्देश्य है; 'रमेश का भाई' शब्द-समूह उसकी विशेषता बताता है। वह 'मोहन' शब्द का समानाधिकरण शब्द-समूह है।

३. जो शब्द या शब्द-समूह मुख्य उद्देश्य की विशेषता बताता है या उसकी पूर्ति करता है, उसे उद्देश्य-विस्तारक कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में 'काला', 'पढ़ा हुआ' आदि उद्देश्य-विस्तारक हैं।

४. उद्देश्य-विस्तारक में निम्नलिखित शब्द हो सकते हैं :

(१) विशेषण (उदाहरण १)

(२) कृदन्त-विशेषण (उदाहरण २)

(३) सम्बन्ध कारक (उदाहरण ३)

(४) कृदन्त-संज्ञा का कर्म (उदाहरण ४)

(५) कृदन्त-संज्ञा का विशेषण (उदाहरण ५)

(६) मुख्य उद्देश्य का समानाधिकरण शब्द या शब्द-समूह (उदाहरण ६)

परिच्छेद ३—विधेय और विधेय-विस्तारक

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

(१) मोहन परसों आया था । (२) प्रवाह उलटा बहने लगा । (३) पोथी मेज के ऊपर रखी है । (४) वहन घर में गयी है । (५) भारती कलम से लिखती है । (६) बन्दर पेड़ से कूदा । (७) यह फूल सुन्दर है । (८) कुमुद ने पुस्तक पढ़ डाली । (९) चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को मगध का राजा बनाया । (१०) पिताजी ने गोपाल को एक घड़ी दी । (११) पण्डितजी मुझे रामायण पढ़ाते हैं । (१२) गीता ने पुस्तक पढ़कर निबन्ध लिखा ।

२. विधेय के तीन अंग होते हैं—(१) मुख्य विधेय, (२) विधेय-विस्तारक, और (३) विधेय-पूरक ।

३. मुख्य विधेय में एक क्रिया शब्द होता है । ऊपर के उदाहरणों में 'आया था', 'बहने लगा', 'कूदा', 'बनाया', 'दी', 'पढ़ाते हैं' आदि मुख्य विधेय हैं ।

४. विधेय-विस्तारक में नीचे लिखे शब्द हो सकते हैं :

(१) क्रियाविशेषण (उदाहरण १ में 'परसों' शब्द) ।

(२) क्रियाविशेषण की भाँति प्रयुक्त विशेषण (उदाहरण २ में 'उलटा' शब्द) ।

(३) सम्बन्धित संज्ञा या सर्वनाम के सहित सम्बन्ध-सूचक अव्यय (उदाहरण ३ में 'मेज के ऊपर' शब्द-समूह) ।

(४) अधिकरण, करण और अपादान कारक (उदाहरण ४, ५ और ६ में 'घर में', 'कलम से', 'पेड़ से' शब्द) ।

(५) पूर्वकालिक आदि कृदन्त (उदाहरण १२ में 'पुस्तक पढ़कर' शब्द) ।

५. विधेय-पूरक में नीचे लिखे शब्द आ सकते हैं :

(१) अपूर्ण अकर्मक क्रिया का पूरक, कर्तृपूरक (उदाहरण ७ में 'सुन्दर' शब्द) ।

(२) मकर्मक क्रिया का कर्म (उदाहरण ८, ९, १० और ११ में 'पुस्तक', 'चन्द्रगुप्त को', 'एक घड़ी', और 'रामायण' शब्द) ।

(३) अपूर्ण मकर्मक क्रिया का पूरक, कर्मपूरक (उदाहरण ९ में 'मगध का राजा' शब्द-समूह) ।

(४) सम्प्रदान कारक अथवा गौण कर्म (उदाहरण १० में 'गोपाल को' और उदाहरण ११ में 'मुझे' शब्द) ।

परिच्छेद ४—वाक्य के प्रकार और उपवाक्य

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

- (१) रामेश्वर सो रहा है ।
- (२) रात बीत गयी और सवेरा हो गया ।
- (३) रात बीत गयी, सवेरा हो गया और चिड़ियाँ बोलने लगीं ।
- (४) केशव ने कहा कि मैं कल आऊँगा ।
- (५) केशव ने कहा कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा, पर मेरी जगह नरेन्द्र आ जायगा ।
- (६) केशव ने कहा है कि मैं कल आऊँगा, पर हरीश ने कहलाया है कि मैं नहीं आ सकूँगा ।
- (७) तिलक ने सोचा और वे इस निर्णय पर पहुँचे कि जीवन में कुछ करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक है ।

२. प्रथम उदाहरण में एक वाक्य है जिसमें एक ही मुख्य विधेय है ।

जिस वाक्य में एक ही मुख्य विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं ।

३. सरल वाक्य में विधेय एक ही होता है पर उद्देश्य कभी-कभी एक से अधिक भी होते हैं । जैसे—

कुमुद और निर्मला सो रही हैं ।

यहाँ 'कुमुद' तथा 'निर्मला' दोनों उद्देश्य हैं जो 'और' संयोजक से जुड़े हैं ।

४. दूसरे उदाहरण में दो विधेय हैं :

(१) बीत गयी, और (२) हो गया ।

इसलिए इसमें दो सरल वाक्य हैं जो 'और' संयोजक शब्द से जोड़ दिये गये हैं । दोनों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना लिया गया है ।

चौथे उदाहरण में भी दो विधेय हैं :

(१) कहा, और (२) जाऊँगा ।

इसमें भी दो सरल वाक्य हैं जो 'कि' संयोजक शब्द से जोड़े गये हैं । दोनों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना लिया गया है ।

५. एक बड़े वाक्य में इस प्रकार आये हुए सरल वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं ।

उपवाक्य उस शब्द-समूह को कहते हैं जिसमें अपना उद्देश्य और विधेय हो और जो किसी बड़े वाक्य का अंग हो ।

६. एक वाक्य के भीतर आये हुए उपवाक्य कभी परस्पर स्वतन्त्र होते हैं और कभी उनमें से एक प्रधान होता है और शेष उस प्रधान उपवाक्य के आश्रित होते हैं ।

७. जिस वाक्य में एक प्रधान और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं । (ऊपर उदाहरण ४ और ५)

८. जिस वाक्य में दो या अधिक स्वतन्त्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं । (ऊपर उदाहरण २, ३, ६ और ७)

९. स्वतन्त्र उपवाक्य सरल वाक्य के रूप में भी हो सकता है और मिश्र वाक्य के रूप में भी । इस प्रकार संयुक्त वाक्य कई प्रकार का हो सकता है :

(१) जब दो या अधिक सरल वाक्यों का संयोग हो । (उदाहरण २ और ३)

(२) जब दो या अधिक मिश्र वाक्यों का संयोग हो । (उदाहरण ६)

(३) जब सरल वाक्य और मिश्र वाक्य का संयोग हो । (उदाहरण ७)

१०. वाक्य के उपवाक्य प्रायः संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं । कभी-कभी जो और वह सर्वनाम और उनसे बने जब, जहाँ, ज्यों और तब, वहाँ, त्यों, वैसे आदि क्रियाविशेषण शब्द भी उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ।

११. संयुक्त वाक्य समानाधिकरण संयोजक शब्दों से तथा मिश्र वाक्य व्यधिकरण संयोजक शब्दों से (या जो, जब आदि सर्वनामों या क्रियाविशेषणों से) जुड़े रहते हैं ।

१२. प्रमुख समानाधिकरण संयोजक शब्द ये हैं—और, तथा, एवं, या, अथवा, परन्तु, लेकिन, किन्तु, वल्कि, अतः, अतएव, इसलिए ।

१३. प्रमुख व्यधिकरण संयोजक शब्द ये हैं—कि, क्योंकि, ताकि, यदि, यदि—तो, यद्यपि—तो भी (या तथापि) ।

परिच्छेद ५—उपवाक्य के प्रकार

(क) संज्ञा-उपवाक्य

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

(१) वहन ने कहा कि वह झूठा है। (२) मेरा विश्वास था कि वह सच्चा नहीं है। (३) वहन ने यह कहा कि वह झूठा है। (४) यह बताओ कि भैया तुम्हें कहाँ मिले ? (५) मेरा विश्वास यह था कि वह सच्चा नहीं है। (६) यह स्पष्ट है कि वह झूठा था। (७) वह झूठा था यह स्पष्ट है। (८) उसने जो कुछ बताया वह सब सत्य था। (९) मैं यहाँ कितने दिन रहूँगा यह निश्चित नहीं है। (१०) तुम्हारा यह कहना झूठ है कि रुपया तुम्हें पड़ा हुआ मिला था। (११) इस बात को सदा याद रखो कि परिश्रम सबसे बड़ा धन है।

२. प्रथम उदाहरण में 'वह झूठा है' यह उपवाक्य 'वहन ने कहा' इस उपवाक्य की 'कहा' क्रिया का कर्म है।

दूसरे उदाहरण में 'वह सच्चा नहीं है' यह उपवाक्य प्रथम उपवाक्य की 'था' क्रिया का पूरक है।

तीसरे उदाहरण में 'वह झूठा है' यह उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के 'यह' कर्म का समानाधिकरण (=वही कारक अर्थात् कर्म) है।

पाँचवें उदाहरण में 'वह सच्चा नहीं है' यह उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के 'यह' पूरक का समानाधिकरण (अर्थात् पूरक है)।

छठे उदाहरण में 'वह झूठा था' वह उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के 'यह' कर्ता का समानाधिकरण (अर्थात् उसी के समान कर्ता) है।

सातवें उदाहरण में भी 'वह झूठा था' यह उपवाक्य अगले उपवाक्य के 'यह' कर्ता का समानाधिकरण है।

आठवें उदाहरण में 'उसने जो कुछ बताया' यह उपवाक्य अगले उपवाक्य के 'वह सब' कर्ता का समानाधिकरण है।

दसवें उदाहरण में 'रुपया तुम्हें पड़ा हुआ मिला था' यह उपवाक्य प्रथम उपवाक्य के 'यह कहना' कर्ता का समानाधिकरण है।

ग्यारहवें उदाहरण में 'परिश्रम सबसे बड़ा धन है' यह उपवाक्य प्रथम वाक्य के 'इस बात को' कर्म का समानाधिकरण है।

३. ऊपर के सब आश्रित उपवाक्य संज्ञा का काम करते हैं। उनमें से कोई प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्म है, कोई पूरक है और कोई कर्ता, कर्म या पूरक का समानाधिकरण है।

४. संज्ञा-उपवाक्य उस उपवाक्य को कहते हैं जो अपने प्रधान उपवाक्य की क्रिया का (१) कर्म या (२) पूरक या (३) कर्ता, कर्म या पूरक का समानाधिकरण होता है।

५. संज्ञा उपवाक्य जब प्रधान उपवाक्य के बाद आता है तो उसके साथ प्रायः कि संयोजक द्वारा जुड़ा रहता है।

(ख) विशेषण-उपवाक्य

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

(१) मन्दिर के पास एक पेड़ है जो बहुत ऊँचा है। (२) जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष था जहाँ बहुत-से पक्षी रहते थे। (३) जो बोवेगा वह काटेगा। (४) जो बात मुनो उसको समझो। (५) यह वही घर है जिसमें विवाह हुआ था।

२. प्रथम उदाहरण में 'जो बहुत ऊँचा है' यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के 'पेड़' शब्द की विशेषता बताता है।

दूसरे उदाहरण में 'जहाँ बहुत-से पक्षी रहते थे' यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के 'वृक्ष' शब्द की विशेषता बताता है।

तीसरे उदाहरण में 'जो बोवेगा' यह उपवाक्य 'वह काटेगा' उपवाक्य के 'वह' शब्द की विशेषता बताता है।

चौथे उदाहरण में 'जो बात मुनो' यह उपवाक्य 'उसको समझो' उपवाक्य के 'उस (बात) को' शब्द की विशेषता बताता है।

पाँचवें उदाहरण में 'जिसमें विवाह हुआ था' यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के 'वही घर' शब्द की विशेषता बताता है।

३. ऊपर बताये सब आश्रित उपवाक्य विशेषण का काम करते हैं। उनमें से प्रत्येक अपने प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है।

४. विशेषण-उपवाक्य उस उपवाक्य को कहते हैं जो अपने प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है।

५. विशेषण उपवाक्य के साथ 'जो' सर्वनाम या उससे बने 'जहाँ' और 'जब' क्रियाविशेषण आते हैं। विशेषण उपवाक्य कभी प्रधान उपवाक्य के पहले आता है और कभी पीछे। जब पहले आता है तो प्रधान उपवाक्य के साथ प्रायः 'वह (या सो)' सर्वनाम या उससे बने 'वहाँ' और 'तब' क्रियाविशेषण आते हैं जो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।

(ग) क्रियाविशेषण-उपवाक्य

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

(१) रमेश चला गया क्योंकि उसे घर पहुँचना था। (२) सब बातें पूछ लो ताकि (या, जिससे) संदेह न रह जाय। (३) अब ऐसा उपाय करो कि सब की रक्षा हो। (४) यदि पुस्तक अच्छी लगी तो मैं उसे ले लूँगा। (५) यद्यपि वह थका हुआ था तो भी उसने काम कर डाला। (६) मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक मन्दिर है। (७) जब तुम आ जाओगे तब हम मन्दिर को चलेंगे।

२. प्रथम उदाहरण में 'उसे घर पहुँचना था' वह उपवाक्य 'रमेश चला गया' इस उपवाक्य की 'चला गया' क्रिया का कारण बताता है अतः क्रियाविशेषण का काम करता है। वह 'क्योंकि' संयोजक शब्द द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़ा है।

दूसरे उदाहरण में 'संदेह न रह जाय' यह उपवाक्य अपने पूर्व के उपवाक्य की क्रिया 'पूछ लो' का उद्देश्य बताता है।

चौथे उदाहरण में 'यदि पुस्तक अच्छी लगी' यह उपवाक्य 'मैं उसे ले लूँगा' इस उपवाक्य की क्रिया 'ले लूँगा' के लिए एक शर्त उपस्थित करता है।

छठे उदाहरण में 'मैं जहाँ रहता हूँ' यह उपवाक्य अगले उपवाक्य के 'वहाँ' इस स्थानवाचक क्रियाविशेषण का समानाधिकरण है।

सातवें उदाहरण में 'जब तुम आ जाओगे' यह उपवाक्य अगले उपवाक्य के 'तब' इस कालवाचक क्रियाविशेषण का समानाधिकरण है।

३. ऊपर बताये सब आश्रित उपवाक्य क्रिया-विशेषण उपवाक्य हैं।

४. क्रियाविशेषण-उपवाक्य उस उपवाक्य को कहते हैं जो अपने प्रधान उपवाक्य के क्रिया शब्द की विशेषता बताता है या उस क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले किसी क्रियाविशेषण शब्द का समानाधिकरण हो।

५. क्रियाविशेषण-उपवाक्य कभी प्रधान वाक्य के पूर्व आता है और कभी पीछे।

परिच्छेद ६—वाक्य-विश्लेषण

१. वाक्य-विश्लेषण

वाक्य के अंगों को अलग-अलग करके बताने को वाक्य-विश्लेषण करना कहते हैं। (अंग=मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य-विस्तारक, मुख्य विधेय, विधेय-विस्तारक और विधेय-पूरक।)

मिश्र और संयुक्त वाक्यों के विश्लेषण में पहले उनके उपवाक्यों को अलग-अलग करके बताया जाता है।

२. वाक्य-विश्लेषण के प्रकार

वाक्य-विश्लेषण के दो प्रकार होते हैं—(१) सारिणी-विश्लेषण, और (२) उपवाक्य-विश्लेषण। सारिणी-विश्लेषण में वाक्य के अंगों को सारिणी के रूप में अलग-अलग बताया जाता है।

सरल वाक्य का केवल सारिणी-विश्लेषण होता है।

मिश्र और संयुक्त वाक्यों का पहले उपवाक्य-विश्लेषण किया जाता है, और फिर प्रत्येक उपवाक्य का सारिणी-विश्लेषण किया जाता है। परीक्षाओं में इन वाक्यों का प्रायः उपवाक्य-विश्लेषण ही पूछा जाता है।

उपवाक्य-विश्लेषण में वाक्य के उपवाक्यों को अलग-अलग करके बताया जाता है और साथ ही उनके परस्पर-सम्बन्ध का भी निर्देश किया जाता है।

३. संक्षिप्त वाक्य

कभी-कभी वाक्य के कुछ शब्दों का लोप करके उसे संक्षिप्त कर दिया जाता है। वाक्य-विश्लेषण करने के पूर्व उन लुप्त शब्दों को पुनः लाकर वाक्य को पूरा बना लेना चाहिए। जैसे—

(१) घर जाओ=तुम घर जाओ।

(२) इसमें कोई सन्देह नहीं=इसमें कोई गन्देह नहीं है।

(३) शीला रामायण पढ़ेगी और मरना महाभारत=शीला रामायण पढ़ेगी और मरना महाभारत पढ़ेगी।

(४) स्पष्ट है कि वह नहीं आया=यह स्पष्ट है कि वह नहीं आया।

४. सरल वाक्य का विश्लेषण

१. वाक्य—(१) गलेन आज लौट आया। (२) पुस्तक को का पढ़ना साम-दायक है। (३) लोभी कभी गुपी नहीं रहता। (४) दुर्गा ने परीक्षा में फलम

से उत्तर लिखे । (५) वहन भारती ने सारी पुस्तक पढ़ डाली । (६) चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को मगध का राजा बनाया । (७) गुरुजी ने हमको सारा काव्य पढ़ा दिया । (८) अयोध्यापति राजा रघु ने यज्ञ के पश्चात् उपस्थित ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी ।

विश्लेषण

	उद्देश्य		विधेय				
	मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य-विस्तारक	मुख्य विधेय	विधेय-विस्तारक	विधेय-पूरक		
					पूरक	कर्म	कर्म-पूरक
१.	गणेश		लौट आया	आज			
२.	पढ़ना	पुस्तकों का	है		लाभ-दायक		
३.	लोभी		रहता (है)	कभी; नहीं	सुखी		
४.	दुर्गा ने		लिखे	परीक्षा में; कलम से		उत्तर	
५.	भारती ने	वहन	पढ़ डाली			सारी पुस्तक	
६.	चाणक्य ने		बनाया			चन्द्रगुप्त को	मगध का राजा
७.	गुरुजी ने		पढ़ा दिया			सारा काव्य; हमको	
८.	रघु ने	अयोध्यापति, राजा	दी	यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्		प्रचुर दक्षिणा, उपस्थित ब्राह्मणों को	

टिप्पणी—विश्लेषण करते समय विस्मयादिवोधक तथा सम्बोधन-वाचक शब्दों को छोड़ दिया जाता है ।

५. मिश्र वाक्य का विश्लेषण

१. वाक्य—मैं समझता हूँ कि तुमने मेरा पत्र नहीं पढ़ा जो मैंने आज भेजा था।

२. उपवाक्य-विश्लेषण—

(१) मैं समझता हूँ—प्रधान वाक्य।

(२) (कि) तुमने मेरा पत्र नहीं पढ़ा—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ की 'समझता हूँ' क्रिया का कर्म।

(३) जो मैंने आज भेजा था—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० २ की 'पत्र' संज्ञा की विशेषता बताता है (या, उपवाक्य नं० २ का आश्रित)।

सम्पूर्ण वाक्य मिश्र वाक्य है।

सारिणी-विश्लेषण

उपवाक्य-संख्या	संयोजक शब्द	उद्देश्य		विधेय				
		मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य-विस्तारक	मुख्य विधेय	विधेय-विस्तारक	विधेय-पूरक		
						पूरक	कर्म	कर्म पूरक
१.		मैं		समझता हूँ				
२.	कि	तुमने		पढ़ा	नहीं		मेरा पत्र	
३.	(जो)	मैंने		भेजा था	आज		जो	

उदाहरण

(क) संज्ञा-उपवाक्य वाले मिश्र वाक्य

वाक्य—१. शंकर ने कहा कि मेरी बात सच है। २. शंकर ने यह कहा कि मेरी बात सच है। ३. वह झूठा था यह स्पष्ट है। ४. यह स्पष्ट है कि वह झूठा था। ५. तुम्हारा यह कहना सत्य नहीं कि मैं नहीं आया था। ६. इस बात को सदा ध्यान में रखो कि परिश्रम सबसे बड़ा धन है।

वाक्य-विश्लेषण—

१. (१) शंकर ने कहा—प्रधान उपवाक्य ।
(२) (कि) मेरी बात सच है—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'कहा' क्रिया का कर्म ।
२. (१) शंकर ने यह कहा—प्रधान उपवाक्य ।
(२) (कि) मेरी बात सच है—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'यह' कर्म का समानाधिकरण ।
३. (१) यह स्पष्ट है—प्रधान उपवाक्य ।
(२) वह झूठा था—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में कर्ता 'यह' का समानाधिकरण ।
४. तीसरे वाक्य के समान ।
५. (१) तुम्हारा यह कहना सत्य नहीं (है)—प्रधान उपवाक्य ।
(२) (कि) मैं नहीं आया था—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में कर्ता 'कहना' का समानाधिकरण ।
६. (१) इस बात को सदा ध्यान में रखो—प्रधान उपवाक्य ।
(२) (कि) परिश्रम सबसे बड़ा धन है—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'बात को' कर्म का समानाधिकरण ।
७. (१) मेरा विश्वास है—प्रधान उपवाक्य ।
(२) (कि) हम लोग सफल होंगे—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'है' क्रिया का पूरक ।

(ख) विशेषण-उपवाक्य वाले वाक्य

वाक्य—(१) जो बोवेगा वह काटेगा । (२) यही घर है जहाँ हम गत वर्ष ठहरे थे । (३) यही कलम है जिससे मैंने उत्तर लिखे थे । (४) जिसके पास विद्या है उसका सब आदर करते हैं ।

वाक्य-विश्लेषण—

- (१) १. वह काटेगा—प्रधान उपवाक्य ।
२. जो बोवेगा—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'वह' सर्वनाम की विशेषता बताता है ।

- (२) १. यही घर है—प्रधान उपवाक्य ।
 २. जहाँ हम गंत वर्ष ठहरे थे—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'घर' संज्ञा की विशेषता बताता है ।
- (३) १. वही कलम है—प्रधान उपवाक्य ।
 २. जिससे मैंने उत्तर लिखे थे—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'कलम' संज्ञा की विशेषता बताता है ।
- (४) १. उसका सब आदर करते हैं—प्रधान उपवाक्य ।
 २. जिसके पास विद्या है—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ में 'उस' सर्वनाम की विशेषता बताता है ।

(ग) क्रियाविशेषण-उपवाक्य वाले वाक्य

वाक्य—(१) तुम जहाँ काम करते हो वहाँ एक मन्दिर है । (२) जब काम पूरा हो जाय तब चले जाना । (३) सुरेश असफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत नहीं की । (४) यदि ऐसा हो जाय तो बड़ा उत्तम हो ।

वाक्य-विश्लेषण—

- (१) १. वहाँ एक मन्दिर है—प्रधान उपवाक्य ।
 २. तुम जहाँ काम करते हो—क्रियाविशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का आश्रित ।
- (२) १. तब चले जाना—प्रधान उपवाक्य ।
 २. जब काम पूरा हो जाय—क्रियाविशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का आश्रित ।
- (३) १. सुरेश असफल हुआ—प्रधान उपवाक्य ।
 २. (क्योंकि) उसने मेहनत नहीं की—क्रियाविशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ पर आश्रित ।
- (४) १. (तो) बड़ा उत्तम हो—प्रधान उपवाक्य ।
 २. यदि ऐसा हो जाय—क्रियाविशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का आश्रित ।

(घ) प्रकीर्णक उपवाक्य

वाक्य—(१) मैंने देखा कि वह मेरा भाई था जो वरसों पहले खो गया था।

(२) अम्मा से कह दो कि रमेश आ गया है पर सुरेश अभी तक नहीं आया।

वाक्य-विश्लेषण—

(१) १. मैंने देखा—प्रधान उपवाक्य।

२. (कि) वह मेरा भाई था—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का आश्रित।

३. जो वरसों पहले खो गया था—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० २ का आश्रित।

(२) १. तुम अम्मा से कह दो—प्रधान उपवाक्य।

२. (कि) रमेश आ गया है—संज्ञा-उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का आश्रित।

३. (पर) सुरेश अभी तक नहीं आया—संज्ञा-उपवाक्य उपवाक्य नं० २ का समानाधिकरण।

६. संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

१. वाक्य—वर्षा बन्द हो गयी, आकाश साफ हो गया, और चाँद निकल आया जिसकी चाँदनी ने समस्त विश्व को अपने में समेट लिया।

२. उपवाक्य-विश्लेषण—

(१) वर्षा बन्द हो गयी—स्वतन्त्र उपवाक्य।

(२) आकाश साफ हो गया—स्वतन्त्र उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ का समानाधिकरण।

(३) (और) चाँद निकल आया—प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य नं० १ और २ का समानाधिकरण।

(४) जिसकी चाँदनी ने सारे विश्व को अपने में समेट लिया—विशेषण-उपवाक्य, उपवाक्य नं० ३ का आश्रित।

सम्पूर्ण वाक्य संयुक्त वाक्य है।

३. सारिणी विश्लेषण—

उपवाक्य संख्या	संयोजक शब्द	उद्देश्य		विधेय				
		मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य विस्तारक	मुख्य विधेय	विधेय विस्तारक	विधेय पूरक		
						पूरक	कर्म	कर्म पूरक
१.		वर्षा		हो गयी		बन्द		
२.		आकाश		हो गया		साफ		
३.	और	चाँद		निकल आया				
४.	(जिसकी)	चाँदनी ने	जिसकी	समेट लिया	अपने में		सारे विश्व को	

अभ्यासमाला ७

१. नीचे लिखे उदाहरणों में कुछ वाक्य हैं और कुछ वाक्य नहीं हैं, जो वाक्य हों उनके सामने ✓ का चिह्न लगाइए :

(१) हवा बड़ी तेज है । ()

(२) राम का भाई अशोक । ()

(३) बड़े तेजस्वी थे । ()

(४) पीला पत्ता तुरन्त नीचे गिर पड़ा । ()

(५) दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है । ()

२. निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अंगों को उद्देश्य और विधेय इन दो शीर्षकों में बाँटकर लिखिए :

(१) सज्जनों का जीवन परोपकार के लिए होता है ।

(२) इस पाठशाला में बहुत-से बालक पढ़ते हैं ।

(३) मैदान लम्बा-चीड़ा है ।

(४) तुमने यह पुस्तक कब पढ़ी ?

(५) इस समय घर जाओ, कल दस बजे फिर आना

उद्देश्य

विधेय

१.

.....

२.

.....

३. नीचे लिखे वाक्यों में कुछ सरल वाक्य हैं, कुछ मिश्र वाक्य और कुछ संयुक्त वाक्य । प्रत्येक के सामने उसका नाम कोष्ठक में लिखिए :

(१) छात्र लेख लिख रहा है । ()

(२) मैं नहीं जानता कि वह क्या करता है ? ()

(३) अम्मा ने मुझे गेहूँ लाने के लिए भेजा है । ()

(४) मोहन के आते ही सोहन चला गया । ()

(५) शक्तावत और चूड़ावत—दोनों ने दुर्ग में प्रवेश करने का दृढ़ निश्चय करके प्रस्थान किया । ()

(६) शक्तावत बड़े तड़के दुर्गद्वार पर पहुँच गये और युद्ध करने लगे । ()

(७) चूड़ावत सैनिकों ने देखा कि शक्तावतों ने बाजी मार ली । ()

(८) राणा ने मौका सँभाल लिया और बोले कि जो किले में पहले प्रवेश करे उसे सेना में अग्रस्थान दिया जाय । ()

४. निम्नलिखित वाक्यांशों के साथ उपयुक्त उद्देश्य अथवा विधेय जोड़कर वाक्य बनाइए :

(१)नवीं कक्षा में पढ़ता है ।

(२) हमारे पिताजी..... ।

(३) गंगा और यमुना दोनों..... ।

(४) व्यायाम करने से.....होता है ।

(५) हमारे गुरुजी ने..... ।

(६)सौ गुना बढ़ गयी ।

५. नीचे लिखे मिश्र वाक्यों में जो प्रधान उपवाक्य हैं, उन्हें बताइए :

(१) मोहन जानता है कि राम निर्धन है ।

(२) जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया तो आकाश में बादल घिरे हुए थे और भयंकर वर्षा हो रही थी ।

- (३) यही विद्यार्थी है जिसे मैंने कल देखा था ।
- (४) इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि जो शासक प्रजा-पीड़क थे उनका राज्य अधिक नहीं टिक सका ।
- (५) अवध के अन्तिम शासक नवाब वाजिदअली शाह विलासी और कायर नहीं थे, किन्तु एक वीर पुरुष थे ।

६. निम्नलिखित वाक्यों के आश्रित उपवाक्यों को संज्ञा-उपवाक्य, विशेषण-उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्यों में बाँटिए :

- (१) मैं नहीं जानता कि वह कौन है ?
- (२) मोहन ने श्याम से कहा कि यदि तुम पढ़ो तो मैं तुम्हें हिन्दी पढ़ाऊँ ।
- (३) उसकी पुस्तक वहीं है जहाँ तुमने बतौंथी थी ?
- (४) ज्योंही उसने यह समाचार सुना वह तुरन्त वहाँ गया ।
- (५) राम सफल होगा क्योंकि वह हर समय परिश्रम करता है ।

संज्ञा-उपवाक्य विशेषण-उपवाक्य क्रियाविशेषण-उपवाक्य
 १. ... १. ... १. ...

७. निम्नांकित उपवाक्यों में से कौन-सा उपवाक्य क्रियाविशेषण उपवाक्य है :

- (१) मन्त्री ने कहा कि अकाल-पीड़ितों की सहायता करो ।
- (२) जो अकाल-पीड़ित हैं उनकी सहायता करनी चाहिए ।
- (३) जहाँ अकाल पड़ता है वहाँ हजारों पशु मर जाते हैं ।
- (४) लोग कही अकाल से परेशान है तो कहीं बाढ़ से ।
- (५) सुना है कि इस वार का अकाल सबसे भीषण है ।

८. निम्नलिखित वाक्यों का सारिणी-विश्लेषण कीजिए :

- (१) बहुत दिन पहले रतन की माँ के बड़े भाई बंगाल में नौकरी करने के लिए चले गये थे ।
- (२) आज बहुत दिनों के बाद भैया के दर्शन हुए ।
- (३) कुछ दिन हँसी-खुशी में बीते ।
- (४) घर जाने के एक-दो दिन पहले मामा ने भानजों की लिखाई-पढ़ाई के विषय में पूछताछ की ।
- (५) माँ ने रतन को पढ़ने में मन न लगाने वाला और ढीठ बताकर शम्भू के स्वभाव और पढ़ने की बड़ी बड़ाई की ।

- (६) यह सुनकर भाई ने कहा कि रतन को मेरे साथ भेज दो ।
- (७) विधवा वहन इस प्रस्ताव पर चटपट राजी हो गयी ।
- (८) मैं छोटा था, मेरा बाबा बूढ़ा था और हमारे साथ कोई जवान आदमी न था ।
- (९) वहाँ देखा कि सैकड़ों आदमी तराजू लिये बैठे हैं और तोल-तोलकर बीस-बीस सेर अनाज सब को देते जाते हैं ।

६. निम्नलिखित वाक्यों का उपवाक्य-विश्लेषण कीजिए :

- (१) हम सब लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको बुरे काम करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमें झुकाती है ।
- (२) मध्य-काल में भारत में बहुत-से सन्त-महात्मा हुए जिन्होंने जातिभेद के खिलाफ प्रचार किया और एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया ।
- (३) मैं कल ही आने वाला था क्योंकि दफ्तर में कुछ काम था पर गाड़ी छूट गयी इसलिए नहीं आ सका ।
- (४) विश्व में सबको समृद्धि प्राप्त हो, सब कष्टों से मुक्ति पावे और सबका जीवन सुखी हो ।

अध्याय ३

सन्धि

परिच्छेद १—सन्धि और उसके प्रकार

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिए—

(१) सज्जन = सत् + जन = सज् + जन = सज्जन

(२) अतएव = अत + : + एव = अत + ० + एव = अतएव

(३) मनोऽभिलाषा = मन् + अः + अ + भिलाषा
= मन् + ओ + ० + भिलाषा = मनोभिलाषा

(४) ज्ञान + अर्जन = ज्ञान् + अ + अ + र्जन
= ज्ञान् + आ + र्जन = ज्ञानार्जन

पहले उदाहरण में त् के आगे ज् आया और त् का भी ज् हो गया ।

दूसरे उदाहरण में विसर्ग के आगे स्वर ए आया और विसर्ग का लोप हो गया ।

तीसरे उदाहरण में अ + : के आगे अ आया और अ + : का ओ हो गया और अगले अ का लोप हो गया ।

चौथे उदाहरण में अ के आगे अ आया और दोनों का आ हो गया ।

जब दो वर्ण बहुत पास-पास आते हैं तो मिल जाते हैं और मिलने समय उनमें से एक में या दोनों में कोई परिवर्तन हो जाता है । इस परिवर्तन-सहित मेल को सन्धि कहते हैं ।

२. सन्धि के प्रकार—सन्धि के तीन प्रकार होते हैं :

(१) स्वर-सन्धि—जब स्वर में परिवर्तन हो । (उदाहरण ४)

(२) व्यंजन-सन्धि—जब व्यंजन में परिवर्तन हो । (उदाहरण १)

(३) विसर्ग-सन्धि—जब विसर्ग में परिवर्तन हो । (उदाहरण २)

परिच्छेद २—स्वर-सन्धि

१. स्वर-सन्धि के मुख्य पांच भेद होते हैं—(२) दीर्घ, (२) गुण, (३) वृद्धि, (४) यण्, और (५) अयादि । प्रथम तीन में पूर्व और पर दोनों वर्णों

के स्थान पर एक वर्ण हो जाता है, पिछले दो में केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होता है।

(१) दीर्घ—अ या आ + अ या आ = आ ।

इ या ई = इ या ई = ई ।

उ या ऊ + उ या ऊ = ऊ ।

ऋ + ऋ = ऋ ।

उदाहरण—ज्ञान + अर्थी = ज्ञानार्थी; विद्या + अर्थी = विद्यार्थी; ज्ञान + आलय = ज्ञानालय; विद्या + आलय = विद्यालय; गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र; मही + इन्द्र = महीन्द्र; गिरि + ईश = गिरीश; मही + ईश = महीश; मधु + उत्सव = मधूत्सव; वधू + उत्सव = वधूत्सव; मधु + ऊर्मि = मधूर्मि; वधू + ऊर्मि = वधूर्मि; पितृ + ऋण = पितृ ण ।

(२) गुण—अ या आ + इ या ई = ए ।

अ या आ + उ या ऊ = ओ ।

अ या आ + ऋ या ॠ = अर् ।

उदाहरण—नर + इन्द्र = नरेन्द्र; महा + इन्द्र = महेन्द्र; नर + ईश = नरेश; महा + ईश = महेश; वन + उत्सव = वनोत्सव; महा + उत्सव = महोत्सव; नव + ऊढा = नवोढा; महा + ऊर्मि = महोर्मि; देव + ऋषि = देवर्षि; महा + ऋषि = महर्षि; अ + ऋ + षि = अर् + षि = महर्षि ।

(३) वृद्धि—अ या आ + ए या ऐ = ऐ ।

अ या आ + ओ या औ = औ ।

उदाहरण—धन + एपणा = धनैपणा; महा + एपणा = महैपणा; धन + ऐश्वर्य = धनैश्वर्य; महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य; जल + ओषध = जलोषध; महा + ओषध + महौषध, वन + औषध = वनौषध, महा + औषध = महौषध ।

(४) यण्—इ, उ, या ऋ के परे असवर्ण स्वर आता है तो इ का य्, उ का व् और ऋ का र् हो जाता है—यदि + अपि = यद्य् + अपि = यद्यपि, इति + आदि = इत्यादि; प्रति + एक = प्रत्येक; सु + आगत = स् + आगत = स्वागत; वधू + आगमन = वध्वागमन; पितृ + आलय = पित्रालय ।

(५) अयादि—ए, ऐ, ओ, औ के परे कोई असवर्ण स्वर आता है तो ए का अय्, ऐ का आय्, ओ का अव् और औ का आव् हो जाता है—ने + अन = नयन; नै + अक = नायक; भो + अन = भवन; भौ + उक = भावुक ।

स्वर-सन्धि की सारिणी
(क) दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर

पूर्व वर्ण	पर वर्ण					
	अ या आ	इ या ई	उ या ऊ	ऋ	ए या ऐ	ओ या औ
अ या आ	आ	ए	ओ	अर्	ऐ	औ
इ या ई	—	ई	—	—	—	—
उ या ऊ	—	—	ऊ	—	—	—
ऋ	—	—	—	ऋ	—	—

(ख) केवल पूर्व स्वर के स्थान पर

पूर्ववर्ण	परवर्ण असवर्ण स्वर	पूर्ववर्ण	परवर्ण कोई स्वर
इ	य्	ए	अय्
उ	व्	ऐ	आय्
ऋ	र्	ओ	अव्
लृ	ल्	औ	आव्

परिच्छेद ३—व्यंजन-सन्धि

१. वर्ण के^१ प्रथम वर्ण का, परे कोई घोष^२ वर्ण हो तो, तृतीय वर्ण हो जाता है—वाक् + ईश्वरी = वागीश्वरी; वाक् + देवी = वाग्देवी; सत् + भाव = सद्भाव; उत् + योग = उद्योग ।

२. वर्ण के नृतीय-चतुर्थ वर्ण का, परे कोई अधोष^३ वर्ण हो तो, प्रथम वर्ण हो जाता है—शरद् + काल = शरत्काल; वणिग् + पुत्र = वणिकपुत्र; क्षुध् + पीडा = क्षुधीडा ।

^१ वर्ण पाँच होते हैं—कवर्ण, चवर्ण, टवर्ण, तवर्ण और पवर्ण । वर्णों के प्रथम वर्ण = क् च् ट् त् प्, तृतीय वर्ण = ग् ज् झ् द् ब्, पंचम वर्ण = झ् ञ् ण् न् म् ।

^२ घोष वर्ण = वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य् र् लृ व् ह् और स्वर ।

^३ अधोष वर्ण = वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श् ष् म् और दिक्वर्ण ।

३. वर्ग के किसी वर्ण का, परे कोई नासिक्य व्यंजन^१ हो तो, पंचम वर्ण हो जाता है—वाक् + मय = वाङ्मय; जगत + नाथ = जगन्नाथ; उत् + नति = उन्नति; सत् + मान = सन्मान ।

४. च या ज् का, परे कोई अघोष वर्ण हो तो क्, और परे कोई घोष वर्ण हो तो ग् हो जाता है—वाच् + पति = वाक्पति; वाच् + देवी = वाग्देवी; वणिज् + पुत्र = वणिकपुत्र; वणिज् + धर्म = वणिग्धर्म ।

५. त् या द् का, परे च् या छ् हो तो च्, परे ट् या ठ् हो तो ट्; परे ज् या झ् हो तो ज्, परे ड् या ढ् हो तो ड्, और परे ल् हो तो ल् हो जाता है = उत् + चारण = उच्चारण, उत् + छिन्न = उच्छिन्न, सत् + जन = सज्जन, उत् + डयन = उडुयन, तत् + लीन = तल्लीन, उत् + लेख = उल्लेख ।

६. त् या द् के परे श् आता है तो त् या द् का च्, और श् का छ्, हो जाता है—उत् + शृंखल = उच्छृंखल ।

७. त् या द् के परे ह् आता है तो त् या द् का द् और ह् का घ् हो जाता है—उत् + हार = उद्धार, तत् + हित = तद्धित, पद् + हति = पद्धति ।

८. जव स्वर के परे छ् आता है तो छ् का च्छ् हो जाता है—छत्र + छाया = छत्रच्छाया, परि + छेद = परिच्छेद, आ + छादन = आच्छादन ।

९. जव र् के परे र् आता है तो पूर्व र् का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है—निर् + रस = नीरस, निर् + रोग = नीरोग, अन्तर् + राष्ट्रीय = अन्ताराष्ट्रीय ।

१०. म् का, परे य् र् ल् व् या श् प् स् ह् हो तो, अनुस्वार हो जाता है और परे किसी वर्ण का कोई व्यंजन हो तो विकल्प से पंचम वर्ण भी होता है—सम् + यम = संयम, सम् + हार = संहार, सम् + देश = संदेश या सन्देश, सम् + मान = संमान, सम्मान ।

११. एक ही शब्द के भीतर न् के पूर्व ऋ, र् या ष् आया हो तो न् का ण् हो जाता है; बीच में स्वर या कवर्ग या पवर्ग या ह् या अनुस्वार आया हो तो भी हो जाता है पर कोई दूसरा वर्ण बीच में हो तो नहीं होता—तृष् + ना = तृष्णा, कर् + अन = करण, अत्रिय + मान = अत्रियमाण (परन्तु दर्श + अन = दर्शन, वर्त + मान = वर्तमान) ।

^१ नासिक्य व्यंजन—पंचम वर्ण (ङ् ञ् ण् न् स्) ।

१२. उपसर्ग के अन्त में स्थित इ या उ के बाद अनेक शब्दों में स् का प् हो जाता है—अभि+सक=अभिपेक, वि+साद=विपाद, नि+सेध=निपेध, प्रति+स्या=प्रतिष्ठा, मु+सुप्ति=मुपुप्ति ।

१३. ध्यंजन-सन्धि की सारिणी

(क) सामान्य

पूर्व वर्ण	पर वर्ण		
	अघोष वर्ण	घोष वर्ण	घोष पंचम वर्ण
वर्ण का प्रथम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण	प्रथम वर्ण	तृतीय वर्ण	पंचम वर्ण
च्, ज्	क्	ज्	ङ्

(ख) त्-द् की सन्धि

पूर्व वर्ण	पर वर्ण					
	च छ श	ज झ	ट ठ	ड ढ	त्	ह्
त् या द्	च्	ज्	ट्	ड्	ल्	द (और ह् का घ)

परिच्छेद ४—विसर्ग-सन्धि

१. विसर्ग का, परे च या छ हो तो श् हो जाता है, ट ठ हो तो प् हो जाता है और त थ हो तो स् हो जाता है—तपः+चर्या=तपश्चर्या, निः+चल=निश्चल, निः+छल=निश्छल, धनुः+टंकार=धनुष्टंकार, मनः+ताप=मनस्ताप, अन्तः+तल=अन्तस्तल ।

२. विसर्ग का, परे ष ष स हो तो, विकल्प से श् प् स् हो जाता है—दुः+शासन=दुश्शासन, दुःशासन; निः+सन्देह=निस्तन्देह ।

३. विसर्ग के पूर्व अ-आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और परे कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का र् हो जाता है—निः + जल = निजल ।

४. विसर्ग के परे र् हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है—निः + रस = नीरस, निः + रोग = नीरोग ।

५. विसर्ग के पूर्व अ हो और परे अ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है—अतः + एव = अतएव ।

६. विसर्ग के पूर्व अ हो और परे कोई घोष व्यंजन हो तो अ सहित विसर्ग का ओ हो जाता है—मनः + रथ = मनोरथ, तपः + वन = तपोवन, पयः + निधि = पयोनिधि ।

७. विसर्ग के पूर्व अ हो और परे भी अ हो तो अ सहित विसर्ग का ओ हो जाता है और परे आने वाले अ का लोप हो जाता है—मनः + अभिलाप = मनोऽभिलाप ।

८. अपवाद—पर विसर्ग यदि र् का स्थानापन्न हो तो नियम ५, ६, ७ लागू नहीं होते और विसर्ग का र् हो जाता है—अन्तः + आत्मा = अन्तरात्मा, पुनः + उक्त = पुनरुक्त, अन्तः + गत = अन्तर्गत, पुनः + अपि = पुनरपि ।

९. विसर्ग-सन्धि के कुछ और अपवाद—वाचः + पति = वाचस्पति, श्रेयः + कर = श्रेयस्कर; पुरः + कार = पुरस्कार; बहिः + कार = बहिष्कार; निः + पाप = निष्पाप; निः + फल = निष्फल ।

१०. विसर्ग-सन्धि की सारिणी

(क) विसर्ग के परे घोष वर्ण

पूर्व वर्ण	पर वर्ण		
	अ	अन्य स्वर	घोष व्यंजन
अ + (ः)	तीनों का ओ विसर्ग का लोप विसर्ग का र्	विसर्ग का लोप	विसर्ग का लोप
आ + (ः)		”	”
अन्य स्वर + (ः)		विसर्ग का र्	विसर्ग का र्

(ख) विसर्ग के परे अघोष वर्ण

पूर्व वर्ण	पर वर्ण							
	च्-छ्	ट्-ठ्	त्-थ्	श्	प्	स्	क्-ख्	प्-फ्
विसर्ग (ः)	ञ्	प्	स्	श्, (ः)	प्, (ः)	स्, (ः)	(ः)	(ः)

अभ्यासमाला ६

१. नीचे कुछ शब्दों की सन्धियाँ दी गयी हैं। उनमें कौन-सी शुद्ध हैं और कौन-सी अशुद्ध ?

- (१) गिरि + ईश (गिरीश, गिरेश)
- (२) जगत् + ईश (जगतेश, जगतीश, जगदीश)
- (३) वसन्त + उत्सव (वसन्तोत्सव, वसन्नूत्सव)
- (४) सम् + मान (सन्मान, संमान, सम्मान)
- (५) सम् + गीत (संगीत, सङ्गीत)
- (६) महा + ऋषि (महाऋषि, मर्हऋषि)
- (७) लघु + ऊर्मि (लघूर्मि, लघोर्मि)
- (८) ने + अन (नेयन, नेअन, नयन)
- (९) नौ + इक (नाविक, नौविक, नैविक)
- (१०) वाक् + ईश (वाकीश, वागीश)
- (११) सु + आगत (सुआगत, सुवागत, स्वागत)
- (१२) परम + औपधि (परमोपधि, परमौपधि)
- (१३) देव + अर्पण (देवोर्पण, देवार्पण)
- (१४) सम् + कलित (सम्मकलित, संकलित, सङ्कलित)
- (१५) जगत् + आनन्द (जगतानन्द, जगतीनन्द, जगदानन्द)
- (१६) जगत् + नाथ (जगदनाथ, जगन्नाथ, जगत्नाथ)
- (१७) उत् + चारण (उच्चारण, उत्चारण)
- (१८) उत् + भव (उत्भव, उद्भव)
- (१९) किम् + चित् (किम्मचित्, किचित्, किञ्चित्)

- (२०) निर् + रस (निरस, नीरस, निरर्स)
 (२१) अतः + एव (अतैव, अतएव, अतेव)
 (२२) मनः + हर (मनहर, मनोहर)
 (२३) निः + संदेह (निसंदेह, निःसंदेह, निरसंदेह)
 (२४) निः + पाप (निःपाप, निष्पाप)
 (२५) मनः + कामना (मनःकामना, मनोकामना)
 (२६) मनः + अर्थ (मनोरथ, मनोर्थ)

२. निम्नलिखित शब्द जिन शब्दों के योग से बने हैं कोष्ठक में उनका निर्देश कीजिए :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| १. निष्फल (निः + फल) | २. मनोयोग () |
| ३. प्रातःकाल () | ४. जगदीश () |
| ५. निश्चल () | ६. निःसंदेह () |
| ७. उल्लेख () | ८. सद्धर्म () |
| ९. विपज्जाल () | १०. रवीन्द्र () |
| ११. यद्यपि () | १२. पवन () |
| १३. विद्यालय () | १४. देवेन्द्र () |
| १५. सुरेश () | १६. दिगम्बर () |
| १७. वयोवृद्ध () | १८. निराधार () |
| १९. प्रत्युपकार () | २०. सूर्योदय () |

३. नीचे सन्धियों के विच्छेद दिये गये हैं। उनमें जो अशुद्ध हों उन पर (X) का चिह्न लगाइए और जो शुद्ध हों उन पर (✓) का चिह्न लगाइए :

(१) मनोयोग = मन + योग, मनु + योग, मनः + योग, मनो + योग।

(२) नरेन्द्र = नर + इन्द्र, नर + एन्द्र।

(३) अभिषेक = अभि + पेक, अभि + सेक।

(४) निश्चल = निह + चल, निश् + चल, निः + चल, निस् + चल।

(५) परमार्थ = परम + अर्थ, परमा + र्थ, परमा + अर्थ।

(६) अन्विति = अनु + इति, अन्व + इति।

(७) गिरीन्द्र = गिर + इन्द्र, गिरि + इन्द्र।

(८) विद्यालय = विद्या + अलय, विद्या + आलय, विद्य + आलय।

(९) अन्नाहार = अन् + आहार, अन्न + आहार।

४. निम्नलिखित शब्दों में सन्धि-विच्छेद कितनी तरह से हो सकते हैं :

- (१) समाचार; (२) सदानन्द; (३) समाहार;
(४) सदाधार; (५) उद्धार; (६) सदाचार ।

५. सन्धि-विच्छेद कीजिए :

देशाभिमान, परमाणु, महत्वाकांक्षा, जलाशय, दोषाकर, महाशय, वसन्तोत्सव, महोदय, अन्योक्ति, स्वेच्छा, राजर्षि, वसन्तर्तु, तथैव, अत्याचार, अध्यवसाय, अभ्युत्थान, विक्रमादित्य, सन्मार्ग, मंचार, वाङ्मय, विद्यच्छटा, दिगम्बर, सरोवर, दुल्पयोग, निर्भय, निष्कंठ, नीरव, दुरात्मा ।

६. सन्धि कीजिए :

रवि + इन्द्र, राम + आनंद, सूर्य + उदय, ग्राम + उद्धार, उत्तम + ऋण, हित + एषण, सदा + एव, उपरि + उक्त, मनु + अन्तर; सत् + गुरु, जगत् + जीवन, जगत् + माता, उद् + चारण, उद् + नायक, तद् + हित, तद् + काल; तपः + भूमि, निः + आधार, मनः + हर, निः + तार ।

७. सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए :

(क) दिगम्बर शब्द का सन्धि-विच्छेद क्या है— (१६६८)

- (१) दिग् + अम्बर (२) दिक् + अम्बर
(३) दिक् + अम्बर (४) दिग् + अम्बर
(५) दिगम् + बर ()

(ख). अभिपेक की सही सन्धि होगी—

- (१) अभि + पेक (२) अ + भिपेक
(३) अभिष + एक (४) अभि + सेक ()

(ग) अन्तरराष्ट्रीय शब्द का सन्धि-विच्छेद है— (१६६९)

- (१) अन्तर + राष्ट्रीय (२) अन्तः + राष्ट्रीय
(३) अन्त + राष्ट्रीय (४) अन्त + अराष्ट्रीय
(५) अन्तर + आष्ट्रीय ()

(घ) कौन-सा सन्धि-विच्छेद सही है—

- (१) सज्जन = सद् + जन (२) स्वागत = स्व + आगत
(३) महोत्सव = महा + उत्सव (४) नदीश = नद + ईश
(५) निर्मल = निर् + मल ()

अध्याय ४ समास

परिच्छेद १—समास और उसके प्रकार

१. निम्नलिखित उदाहरण देखिये :

(१) माता-पिता का आदर करो ।

(२) राष्ट्रपति विदेश गये हैं ।

(३) दशानन सीता को हर ले गया ।

पहले वाक्य में माता और पिता इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द माता-पिता बना लिया गया है जिसका अर्थ है माता और पिता ।

दूसरे वाक्य में राष्ट्र और पति इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द राष्ट्रपति बना लिया गया है जिसका अर्थ है राष्ट्र का पति ।

तीसरे वाक्य में दश और आनन इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द दशानन बना लिया गया है जिसका अर्थ है दश हैं आनन जिसके या दश आनन वाला अर्थात् रावण ।

२. कभी-कभी दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है । इसको समास कहते हैं ।

३. समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है ।

४. इस प्रकार बने हुए शब्द को समास कहते हैं और जिन शब्दों के मिलने से समास बनता है उन्हें समास के अंग कहा जाता है ।

५. समास के प्रकार—समास के मुख्य चार प्रकार हैं :

(१) द्वन्द्व—जो उभयपद-प्रधान होता है अर्थात् जिसमें समस्त हुए दोनों शब्द समान रूप से प्रधान होते हैं ।

(२) अव्ययीभाव—जो पूर्वपद-प्रधान होता है अर्थात् जिसमें पूर्व शब्द प्रधान होता है ।

(३) तत्पुरुष—जो उत्तरपद-प्रधान होता है अर्थात् जिसमें पिछला शब्द प्रधान होता है ।

(४) बहुव्रीहि—जो अन्वयपुरुष-प्रधान होता है अर्थात् जिसमें समस्त हुए दोनों शब्दों में से कोई प्रधान नहीं होता, उन दोनों से भिन्न एक तीसरा शब्द ही प्रधान होता है ।

कभी-कभी समास के दो प्रकार और माने जाते हैं—(१) कर्मधारय और (२) द्विगु । इन दोनों में उत्तरपद ही प्रधान होता है अतः इनको तत्पुरुष के ही प्रकार मान लिया जाता है ।

६. समास में प्रधान शब्द उसे कहते हैं जिसका अन्वय वाक्य की क्रिया (या किसी दूसरे शब्द से) होता है । अप्रधान शब्द का अन्वय इस प्रधान शब्द के साथ ही होता है, वाक्य के और किसी शब्द के साथ नहीं ।

राम और लक्ष्मण गये—इस वाक्य में गये क्रिया के साथ राम और लक्ष्मण दोनों शब्दों का अन्वय होता है—राम भी गया और लक्ष्मण भी गया ।

माता-पिता का आदर करो—इस वाक्य में आदर संज्ञा के साथ माता और पिता दोनों शब्दों का अन्वय होता है—आदर माता का भी और पिता का भी ।

राष्ट्रपति विदेश गये हैं—इस वाक्य में गये हैं क्रिया के साथ 'पति का ही अन्वय होता है, राष्ट्र का नहीं—राष्ट्र एक तरह से पति की विशेषता बताता है—जाने वाला पति है, न कि राष्ट्र—पति गये हैं, राष्ट्र नहीं गया है । इस समास में उत्तरपद-प्रधान है ।

उसने भर-पेट खाया—इस वाक्य में खाया क्रिया के साथ भर का अन्वय होता है, पेट का अन्वय नहीं होता । कैसे खाया ? पेट को भरकर—यहाँ भर (=भरकर) खाया क्रिया का क्रियाविशेषण है, पेट इस पूर्वकालिक कृदन्त का कर्म है । भर-पेट समास में पूर्व-पद-प्रधान है ।

दशानन सीता को हर ले गया—इस वाक्य में हर ले गया क्रिया के साथ अन्वय न दश का होता है और न आनन का । सीता को हर ले जाने वाला न 'दश' है और न 'आनन' । हर ले जाने वाला तो रावण है जिसके दश आनन हैं । यहाँ दशानन एक प्रकार से रावण का विशेषण है । यहाँ समास के दोनों शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं है, प्रधान है रावण जो एक अन्य शब्द है ।

परिच्छेद २—द्वन्द्व और अव्ययीभाव समास

१. द्वन्द्व समास—जिस समास में दो या दो से अधिक शब्दों को बीच के और शब्द को दूर करके, मिला दिया जाता है उसे द्वन्द्व समास कहा जाता है।

द्वन्द्व समास में समास के दोनों (या सभी) अंगों की समान रूप से प्रधानता रहती है।

२. द्वन्द्व समास के मुख्य भेद दो होते हैं :

(१) इतरेतर द्वन्द्व—जिसमें समास के अंगों की अलग-अलग प्रधानता होती है। यह समास अनेकवचन होता है और इसकी क्रिया तथा विशेषण आदि अनेकवचन में होते हैं।

(२) समाहार द्वन्द्व—जिसमें समास के अंगों की समाहार-रूप से (सामूहिक रूप से) प्रधानता होती है। यह सदा एकवचन होता है और इसकी क्रिया तथा विशेषण आदि एकवचन में होते हैं।

उदाहरण

(क) इतरेतर द्वन्द्व

(१) राम-लक्ष्मण वन को गये। (राम और लक्ष्मण)

(२) तन-मन-धन से प्रयत्न करो। (तन और मन और धन)

(३) सुख-दुख जीवन में आते-जाते रहते हैं। (सुख और दुख; आते और जाते)

(ख) समाहार द्वन्द्व

(४) रानी ने बहुत सुख-दुख सहा। (सुख और दुख का समुदाय)

(५) रुपया-पैसा हाथ का मैल है। (रुपयों और पैसों का समुदाय)

(६) घटना-बढ़ना प्रकृति का नियम है। (घटना और बढ़ना दोनों का समुदाय)

३. अतिरिक्त उदाहरण—गाय-वैल, जीव-जन्तु, नर-वानर, भाई-बहन, पति-पत्नी, सज्जन-दुर्जन, पाप-पुण्य, गुण-दोष, गुणावगुण, मानापमान, जीवन-मरण, भले-बुरे, काले-पीले, फल-फूल, धर्माधर्म, सुरामुर, भूत-प्रेत, राम-रावण, कर्णार्जुन, कृष्णार्जुन, सेठ-साहूकार, खाना-जाना, खाना-पीना, फलाफल, सत्या-सत्य, आचार-विचार, गोला-बारूद, लेन-देन।

४. अव्ययीभाव समास—जो समास अव्यय बन जाता है, अर्थात् वाक्य की भाषा की विशेषता बताने का काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।

- (३) तृतीया तत्पुरुष
चिन्ताग्रस्त (चिन्ता से ग्रस्त) रसभरा (रस से भरा)
मेघाच्छन्न (मेघों से आच्छन्न) तुलसीकृत (तुलसी द्वारा कृत)
- (४) चतुर्थी तत्पुरुष
कृष्णार्पण (कृष्ण को अर्पण) नेत्रसुखद (नेत्रों को सुखद)
रणनिमन्त्रण (रण के लिए निमन्त्रण) देशानुराग (देश के प्रति अनुराग)
- (५) पंचमी तत्पुरुष
ऋणमुक्त (ऋण से मुक्त) जन्मान्ध (जन्म से अन्ध)
जलजात (जल से जात) देशनिकाला (देश से निकाला)
- (६) द्वितीया तत्पुरुष
फलप्राप्त (फल को प्राप्त) अस्तगत (अस्त को गत)
- (७) नञ् तत्पुरुष
(इसमें प्रथम शब्द न या अ (स्वर के पूर्व अन्) होता है)—
अब्राह्मण (न ब्राह्मण) अनुचित (न उचित)
अनहोनी (न होनी) नगण्य (न गण्य)
अनादर (न आदर) नास्तिक (न आस्तिक)
- (८) उपपद तत्पुरुष
(इसमें उत्तर शब्द ऐसा होता है जो स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता)—
जलद (जल को देता है जो) सुखकर (सुख को करता है जो)
गुणज्ञ (गुण को जानता है जो) जलचर (जल में चरता है जो)
जलज (जल में जन्मता है जो)
- (९) अलुक् तत्पुरुष
(इसमें विभक्ति प्रत्यय का लोप नहीं होता)—
वनेचर (वन में चरता है जो) सरसिज (सरस् में जन्मता है जो)
युधिष्ठिर (युध् में स्थिर) वाचस्पति (वाच् का पति)

परिच्छेद ४—कर्मधारय समास

१. जिस समास में विशेषण शब्द और विशेष्य शब्द का समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व शब्द विशेषण या विशेषण की भाँति कोई शब्द होता है।

२. इस समाम में साधारणतया विशेषण शब्द पहले आता है और विशेष्य शब्द बाद में, पर कभी-कभी इसका उलटा भी होता है ।

उदाहरण

- (१) विशेषण-विशेष्य
 नवयुग (नव युग) । पूर्णचन्द्र (पूर्ण चन्द्र) ।
 कालीमिर्च (काली मिर्च) । महापुरुष (महा पुरुष) ।
- (२) उपमान-उपमेय
 चन्द्रमुख (चन्द्र जैसा मुख) । प्राणप्रिय (प्राणों जैसा प्रिय) ।
 घनश्याम (घन जैसा श्याम) । जानामृत (ज्ञान रूपी अमृत) ।
 मुखचन्द्र (मुख रूपी चन्द्र) । शोकसागर (शोक रूपी सागर) ।
- (३) प्रादि कर्मधारय
 दुर्जन (दुष्ट जन) । विदेश (विभिन्न देश) ।
 विपक्ष (विरुद्ध पक्ष) । विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) ।
- (४) मध्यम-पद-लोपी
 डाकगाड़ी (डाक ले जाने वाली गाड़ी) ।
 राक्षस-मन्त्री (राक्षस नाम का मन्त्री) ।
- (५) जिसमें विशेषण शब्द पीछे रखा गया है
 पुत्रपोत्तम (उत्तम पुरुष) । नरसिंह (सिंह जैसा नर) ।
 कन्यारत्न (रत्न जैसी कन्या) । जन्मान्तर (दूसरा जन्म) ।
- (६) जिसमें दोनों शब्द विशेषण हैं या दोनों शब्द विशेष्य हैं
 गृहीतमुक्त (पहले गृहीत, पीछे मुक्त) ।
 खटमिट्टा (जो खट्टा भी है और मीठा भी—ऐसा अनार) ।
- (७) जिसमें दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं
 राजपि (जो राजा भी है और ऋषि भी है) ।
 नरसिंह (जो नर भी है और सिंह भी है) ।

परिच्छेद ५—द्विगु समास

१. द्विगु समास में समास का प्रथम शब्द संज्ञावाचक होता है और सारा समास समाहार या समुदाय का अर्थ देता है ।

द्विगु समास समुदाय का अर्थ देता है और सदा एकवचन होता है ।

२. प्रथम शब्द के संख्यावाचक होने से ही द्विगु समास नहीं हो जाता, समुदाय का अर्थ होना आवश्यक है।

उदाहरण

- चौअन्नी (चार आनों का समुदाय) ।
 सप्तशती (सप्त शतकों का समुदाय) ।
 चौमासा (चार मासों का समुदाय) ।
 त्रिलोकी (तीन लोकों का समुदाय) ।
 त्रिभुवन (तीन भुवनों का समुदाय) ।
 सप्ताह (सप्त अहों का समुदाय) ।
 शताब्दी (शत अब्दों का समुदाय) ।
 त्रिमूर्ति (तीन मूर्तियों का समुदाय) ।
 पंचामृत (पाँच अमृतों का समुदाय) ।

३. निम्नलिखित समास द्विगु समास नहीं हैं :

१. सप्तर्षि = सप्त ऋषि (कर्मधारय) ।
२. पंचमुख = पंच हैं मुख जिसके (बहुव्रीहि) ।
३. त्रिकोना = तीन हैं कोने जिसके (बहुव्रीहि) ।
४. शताधिक = शत से अधिक (तत्पुरुष) ।
५. अष्टदल = अष्ट हैं दल जिसके (बहुव्रीहि) ।
६. तीन-चार = तीन या चार (वैकल्पिक द्वन्द्व) ।
७. नवनिधि = नव निधि (कर्मधारय) ।

परिच्छेद ६—बहुव्रीहि समास

१. जिस समास में समस्त हुए शब्दों में से किसी की प्रधानता नहीं होती, और दोनों शब्द मिलकर एक विशेषण (या विशेष्य की भाँति प्रयुक्त विशेषण) शब्द बनाते हैं जो दोनों से भिन्न किसी तीसरी वस्तु का बोध कराता है।

उदाहरण

- वीणापाणि = वीणा है पाणि में जिसके (=सरस्वती) ।
 मन्दबुद्धि = मन्द है बुद्धि जिसकी ।
 गोलाकार = गोल है आकार जिसका ।
 चन्द्रमुख = चन्द्र जैसा है मुख जिसका ।

पापाण हृदय=पापाण जैसा है हृदय जिसका ।

नकटा=नाक है कटा जिसका ।

तपोधन=तप है धन जिसका ।

इन्द्रादि=इन्द्र है आदि में जिसके ।

चन्द्रशेखर=चन्द्र है शेखर पर जिनके ।

सतखंडा=सात हैं खंड जिसमें ।

दुश्चरित्र=दुष्ट है चरित्र जिसका ।

कुरूप=कुत्सित है रूप जिसका ।

निष्फल=निर्गत है फल जिससे ।

सोदर=समान है उदर जिसका ।

सहोदर=समान है उदर जिसका ।

अनादि=नही है आदि जिसका ।

असार=नहीं है सार जिसमें ।

अकर्मक=नही है कर्म जिसके ।

अनमोल=नही है मोल जिसका ।

सानन्द=सहित है आनन्द के जो ।

सपुत्र=सहित है पुत्र के जो ।

सपत्नीक=सहित है पत्नी के जो ।

परिच्छेद ७—एक समास के अनेक विग्रह

१. समास का विग्रह उसके अर्थ पर निर्भर रहता है । विग्रह करने के पूर्व समास का ठीक अर्थ जानना अत्यन्त आवश्यक है । एक ही समास अर्थ-भिन्नता से अनेक प्रकारों के अन्तर्भूत हो सकता है ।

उदाहरण

समास	अर्थ	विग्रह
अल्प-शक्ति	=१. थोड़ी शक्ति =२. थोड़ी शक्ति वाला	अल्प शक्ति या अल्प है जो शक्ति (कर्मधारय) । अल्प है शक्ति जिसकी (बहुव्रीहि) ।
रामेश्वर	=१. राम का स्वामी =२. राम का सेवक	राम का ईश्वर (तत्पुरुष) । राम है ईश्वर जिसका (बहुव्रीहि) ।
सानन्द	=१. आनन्द वाला =२. आनन्द के साथे	सहित है आनन्द के जो (बहुव्रीहि) । आनन्द के सहित (अव्ययीभाव) ।

- अज्ञान = १. ज्ञान का अभाव न ज्ञान (नञ् तत्पुरुष) ।
 = २. ज्ञान से रहित नहीं है ज्ञान जिसमें (बहुव्रीहि) ।
- सत्यव्रत = १. सच्चाई का व्रत सत्य का व्रत (तत्पुरुष) ।
 = २. सच्चा व्रत सत्य है जो व्रत (कर्मधारय) ।
 = ३. सच्चे व्रत वाला सत्य है व्रत जिसका (बहुव्रीहि) ।

अभ्यासमाला ७

१. नीचे कुछ समास और उनके विग्रह दिये गये हैं । बताइए कि कौन-से विग्रह शुद्ध हैं और कौन-से अशुद्ध ?

- (१) दयासागर (दया का सागर, दया और सागर)
 (२) लम्बोदर (लम्ब उदर, लम्ब है उदर जिसका)
 (३) कमलमुख (कमल और मुख, कमल के समान मुख, कमल का मुख, कमल के समान है मुख जिसका)
 (४) सीताराम (सीता के राम, सीता और राम, सीता के सहित राम)

२. निम्नलिखित समासों के नाम उनके सामने कोष्ठकों में लिखिए :

- | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----|
| (१) भाई-बहन | () | (६) चक्रपाणि | () |
| (२) लेन-देन | () | (७) प्रतिदिन | () |
| (३) मेघाच्छन्न | () | (८) प्रेममग्न | () |
| (४) गुण-हीन | () | (९) वज्रबाहु | () |
| (५) शोकसागर | () | | |

३. आगे कुछ समास देकर कोष्ठकों में उनके नाम दिये गये हैं । बताइए कि कोष्ठकों में दिये गये कौन-से नाम शुद्ध हैं और कौन-से अशुद्ध :

- (१) अन्न-जल (द्वन्द्व, द्विगु, कर्मधारय)
 (२) यथाशक्ति (तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि)
 (३) पाप-पुण्य (बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वन्द्व)
 (४) गजानन (कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि)
 (५) पीताम्बर (कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वन्द्व)
 (६) त्रिभुवन (द्विगु, द्वन्द्व, कर्मधारय)
 (७) वैलगाड़ी (तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वन्द्व)
 (८) चरणारविन्द (कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि)

(६) चन्द्र-वदन (कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वन्द्व)

(१०) चक्रपाणि (बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय)

४. निम्नलिखित समासों का विग्रह कितने प्रकार से हो सकता है ? विग्रह कीजिए और समासों के नाम बताइए :

मन्दबुद्धि, वज्र-हृदय, चन्द्राकार, गजानन, सुगन्धि, सुवर्ण, पुण्य-चरित्र, दुर्बुद्धि ।

५. निम्नलिखित शब्दों का समास कीजिए :

भाग्य का निर्णय, स्वार्थ का साधन, तारों से भरी, दीनों का नाथ, स्नेह का भाजन, राजा का महल, विश्व का मित्र, विश्व का अमित्र, ईश्वर के प्रति भक्ति, ज्ञान रूपी चक्षु, चरण रूपी कमल, कुसुम के समान कोमल, उठना और बैठना, खाना और पीना, चर और अचर, भला और बुरा, पवित्र है आत्मा जिसकी, नियम के अनुसार, वज्र जैसा कठोर, वज्र जैसा प्रहार, वज्र जैसा हृदय है जिमका, जिन्दा है दिन जिसका, नहीं है बल जिसमें (वह नारी), सन् उद्देश्य, मधुर उक्ति, न आसक्त, न गण्य ।

६. निम्नलिखित समासों के नाम बताइये और उनके विग्रह कीजिए :

पर्वतमाला, जयध्वनि, राज्यभ्रष्ट, जीवन-संग्राम, राजशक्ति, मातृ-भूमि, श्रद्धाभक्ति, कंकड़-पत्थर, अश्वासुद्ध, अस्वाभाविक, अनुचित, दुर्गति, सुपुत्र, जलद, जलज, वदनसीव, भाग्यहीन, अद्वितीय, अनुपम, निर्भीक, असहाय, सविनय, निस्संकोच, जगद्विजेता, शस्त्रास्त्र, मुखारविन्द, अरक्षित, असार, भलामानुष, जीवन-मरण, महात्मा, महापुरुष, असि-धारा-व्रत, हिन्दी-साहित्य-वृक्ष ।

७. समास और सन्धि में क्या अन्तर होता है ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । निम्नलिखित शब्दों का सन्धि-विच्छेद कीजिये और उनका समास-विग्रह भी कीजिए—विद्यालय, नरेश, जगज्जीवन ।

खण्ड २

भाषा-ज्ञान

दासोदर विश्वनाथ मिश्रा

द्वितीय वर्ष वाणिज्य

श्री. ए. जे. ए. कारीक महाविद्यालय

जयपुर (राज.)

D.P. MISHRA.

IInd Year B.Com.

S.S. G. Pareek College

Jaypur.

अध्याय ५ शब्द-ज्ञान

परिच्छेद १—पर्याय या समानार्थक शब्द

विचारों और भावों की अभिव्यक्ति वाक्यों के द्वारा होती है। वाक्य शब्दों से बनते हैं। अतः विचारों की सम्यक् अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि हमारा शब्द-भंडार सम्पन्न हो—हमारा शब्दों का ज्ञान विस्तृत और साय ही सूक्ष्म भी हो। हमारा शब्द-भण्डार जितना ही विपुल होगा उतनी ही सुगमता और सहजता से हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति कर सकेंगे और हमारा कथन प्रभावशाली हो सकेगा।

प्रायः सभी भाषाओं में एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्द होते हैं। कभी उनके अर्थ बिलकुल समान होते हैं, कभी उनमें थोड़ा-बहुत अर्थ-भेद भी होता है। जैसे—अस्त्र और शस्त्र दोनों शब्दों का अर्थ हथियार होता है पर अस्त्र वह हथियार होता है जिसे फेंककर मार की जाती है जैसे बाण, और शस्त्र उस हथियार को कहते हैं जिसे हाथ में पकड़े हुए मार की जाती है जैसे तलवार। इसी प्रकार हिन्दी में प्रणाम का अर्थ होता है छोटों द्वारा बड़ों को किया गया अभिवादन और नमस्कार का अर्थ होता है बराबरी वालों को किया गया अभिवादन।

सर्वथा समान अर्थ वाले शब्दों में भी सब शब्द सब स्थानों और सब अवसरों पर प्रयोग करने के योग्य नहीं होते। उनमें भी कुछ-न-कुछ सूक्ष्म अर्थ-भेद होता है। अतः शब्द का प्रयोग स्थान और अवसर देखकर ही करना चाहिए। शंकर, रुद्र, मृत्युंजय, कपाली चारों का अर्थ शिव है पर कल्याण-कामना के प्रसंग में शंकर या शिव का, वीर रस के प्रसंग में मृत्युंजय का, रौद्र रस के प्रसंग में रुद्र का तथा वीभत्स के प्रसंग में कपाली का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा।

आगे कतिपय महत्त्वपूर्ण शब्दों के पर्याय शब्द दिये जाते हैं—

१. अग्नि—अनल, कृशानु, चित्रभानु, ज्वलन, दहन, धनजय, धूम्रकेतु, पावक, रोहिताश्व, वह्नि, विभावसु, वैश्वानर, शुचि, शिखी, हृदयवाहन, हुताशन, (वन की आग = दवाग्नि या दावाग्नि, समुद्र की अग्नि = वड़वाग्नि या वाड़वाग्नि, पेट की अग्नि = जठराग्नि) ।

२. अनुपम—अद्वितीय, अनूठा, अनोखा, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्भुत ।

३. अमृत—पीयूष, सुधा ।

४. अर्थ—अभिप्राय, आशय, तात्पर्य, भाव, भावार्थ, मतलब, टीका, टिप्पणी, वृत्ति, भाष्य, व्याख्या, स्पष्टीकरण ।

५. असुर—दनुज, दानव, दैतेय, दैत्य ।

६. आकाश—अनंत, अध्र, अन्तरिक्ष, अन्तरीक्ष, ख, गगन, दिव, नभ, पुष्करं, व्योम, वियत्, विष्णुपद, आसमान ।

७. आनन्द—आमोद, आह्लाद, उल्लास, प्रमोद, प्रसन्नता, मोद, सुख, सौख्य, हर्ष ।

८. आँख—अक्षि, अम्बक, चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन ।

९. इच्छा—अभिलाषा, आकांक्षा, ईप्सा, ईहा, कामना, चाह, मनोरथ, मनोकामना, वांछा, स्पृहा ।

१०. इन्द्र—जिष्णु, देवराज, देवेन्द्र, पुरंदर, पुरुहूत, पाकशासन, मघवा, मेघवाहन, वज्री, वासव, शक्र, शतक्रतु, शतमन्यु, शचीश, सहस्राक्ष, सुरपति, सुरेश, शुनासीर, हरि ।

११. उपवन—उद्यान, आराम, वाटिका, बाड़ी, बाग ।

१२. कल्याण—कुशल, क्षेम, भद्र, मंगल, शिव, शुभ, श्रेय ।

१३. कपड़ा—अम्बर, कर्पट, परिधान, वसन, वस्त्र, वास, चीर, पट ।

१४. कमल—अब्ज, अरविन्द, अम्बुज, अंभोज, अंभोरुह, इन्दीवर, उत्पल, कंज, कुवलय, कोकनद, जलज, जलजात, तामरस, नलिन, नीरज, पंकज, पद्म, पुष्कर, पाथोज, पुण्डरीक, वारिज, राजीव, सरसिज, सरोज, शतपत्र ।

१५. कल्पवृक्ष—कल्पद्रुम, कल्पतरु, पारिजात, मंदार, सुरतरु ।

१६. काम—अनंग, कन्दर्प, कुसुमेषु, पंचशर, पुष्पघन्टा, मकरध्वज, मदन, मन्मथ, मार, मीनकेतु, मनसिज, मनोज, मनोभव, रतिपति, शम्बरारि, स्मर ।

१७. किरण—अंश, कर, दीधिति, मयूख, मरीचि, रश्मि ।

१८. केश—अलक, कच, कंतल, चिकर, शिरोरुह, बाल ।

१९. गणेश—एकदन्त, गजानन, गजमुख, गणपति, गणाधिप, लम्बोदर, विनायक, विघ्नेश, हेरंब ।

२०. गहना—अलंकार, आभूषण, भूषण, मंडन ।

२१. गंगा—जाह्नवी, त्रिपयगा, देवापगा, देवनदी, ध्रुवनंदा, भागीरथी, मन्दाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरिता, सुरधुनी ।

२२. घर—अयन, आगार, आपतन, आलय, आवास, ओक, गृह, गेह, घाम, निकेत, निकेतन, निवास, निलय, भवन, मन्दिर, वैश्रम, शाला, सदन, सय ।

२३. घोड़ा—अश्व, घोटक, तुरग, तुरंग, घाजि, वाह, सैधव, हय, हरि ।

२४. चतुर—कुशल, छेक, दक्ष, नागर, निपुण, निष्णात, पटु, प्रवीण, विद्वग्ध, होशियार, सया-

२५. चन्द्र—इन्दु, उडुपति, ओपधीश, कलाधर, कलानाय, कलानिधि, सपाकर, चन्द्रमा, तारापति द्विजराज, निशाकर, निशापति, मृगांक, रजनीश, विधु, शशाधर, शशि, शशांक, सोम, सुधांशु, सुधाधर, मयंक, हिमांशु, हिमकर ।

२६. चांदनी—कौमुदी, चन्द्रिका, जुन्हाई, ज्योत्स्ना ।

२७. जल—अप्, अमृत, अंबु, अंभ, उदक, जीवन, तोय, नीर, पय, पानीय, वन, वारि, सलिल, पानी ।

२८. ज्योति—आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि ।

२९. तलवार—अस्ति, करवाल, कृपाण, खड्ग, चन्द्रहास ।

३०. तालाब—कासार, जलाशय, तटाक, तडाग, पद्माकर, पुष्कर, हृद, सरसी, सर, सरोवर ।

३१. दिन—अह, दिवस, घासर, अहन ।

३२. दुष्ट—अधम, सल, जाल्म, दुर्जन, घूतं, नीच, पामर, पिशुन, शठ ।

३३. दुःख—कष्ट, क्लेश, ताप, पीड़ा, विपाद, शोक, संताप, संकट, श्याया, वेदना, यातना, यन्त्रणा ।

३४. देवता—अमर, अमर्त्य, आदित्य, आदितेय, गीर्वाण, देव, निजंर, विबुध, वृन्दारक, सुर, त्रिदश ।

३५. धन—अर्थ, द्रविण, द्रव्य, वसु, वित्त, ऐश्वर्यं, विभव, विभूति, वंभव, सम्पत्ति, सम्पदा, सम्पद, शीलत ।

३६. नदी—आपगा, कूलंकपा, तटिनी, तरंगिणी, धुनी, निम्नगा, निर्झरिणी, शैवलिनी, सरित, सरिता, स्रोतस्विनी ।

३७. नया—अभिनव, नव, नवीन, नव्य, नूतन, प्रत्यग्र ।

३८. निर्मल—अमल, अनाविल, पवित्र, पावन, पुनीत, पूत, प्रसन्न, विशद, विशुद्ध, विमल, शुचि, शुद्ध, स्वच्छ, साफ ।

३९. पक्षी—अण्डज, खग, द्विज, पतंग, विहग, विहंग, विहंगम, शकुनि, शकुन्त, पखेह, पाली ।

४०. पति—कांत, दूल्हा, नाथ, पति, प्रिय, प्रियतम, भर्ता, वर, स्वामी, कन्त, बालम ।

४१. पत्नी—अर्धांगिनी, कलत्र, गृहिणी, जाया, दारा, वधू, भार्या, स्त्री, सहघमिणी, पुरंध्री, बहू, लुगाई, तिया ।

४२. पर्वत—अचल, अद्रि, गिरि, नग, भूधर, मेरु, महीधर, शैल, पहाड़ ।

४३. पवन—अनिल, गंधवह, जगत्प्राण, पवमान, मरुत्, मारुत्, मातरिश्वा, वात, वायु, श्वसन, सदागति, समीर, समीरण, प्रकंपन, प्रमंजन, हवा, आंधी, तूफान, बयार ।

४४. पार्वती—अपर्णा, अम्बिका, उमा, कालिका, काली, गौरी, चण्डी, चामुंडा, दुर्गा, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शैलसुता, सती, सिंहवाहिनी, हैमवती ।

४५. पास—अभ्याश, अन्तिक, आसन्न, उपकण्ठ, निकट, समीप, सन्निधि, सन्निकट, सांनिध्य, सामीप्य ।

४६. पुत्र—आत्मज, तनय, तनुज, नन्दन, सुत, सूनु, सुवन, पूत, लड़का ।

४७. पुष्प—कुसुम, प्रसून, सुमन, फूल ।

४८. पृथ्वी—पृथिवी, भू, भूमि, अनन्ता, अचला, अवनि, इला, उर्वी, क्षमा, क्षिति, क्षोणी, जगती, धरणी, धरा, धरित्री, मही, मेदिनी, रसा, वसुधा, वसुमती, वसुन्धरा, धरती, पुहमी, विश्वम्भरा ।

४९. प्रकाश—आलोक, उद्योत, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, उजाला, आभा, विभा, द्युति, छवि, चमक ।

५०. प्रतिद्ध—ख्यात, प्रख्यात, प्रथित, विख्यात, विज्ञात, विश्रुत, नामवर, नामी, मशहूर ।

५१. बल—पराक्रम, प्राण, विक्रम, वीरता, वीर्य, शक्ति, शौर्य, शुष्म, स्याम, सह, सामर्थ्य, ताकत, जोर ।

५२. बहुत—प्रभूत, प्रचुर, वहूल, बहु, भूयिष्ठ, भूरि, अधिक, अतीव, अति, अत्यन्त ।

५३. बाण—इषु, कलंब, नाराच, मार्गण, विण्ण, शर, शिलीमुख, सायक, तीर ।

५४. वादल—अन्न, अब्द, अम्बुद, अम्मोद, घन, जलद, जीमूत, जलघर, धाराघर, धूमयोनि, नौरद, पयोद, पर्जन्य, पयोधर, वारिद, मेघ, वारिवाह ।

५५. बालक—अर्भक, शिशु, कुमार, किशोर, बाल, बच्चा, लड़का ।

५६. बिजली—क्षणप्रभा, चंपला, चंचला, तड़ित, विद्युत, शम्पा ।

५७. बुद्धि—धिपणा, धी प्रज्ञा, प्रतिभा, मेघा, मति, मनीषा, शेमुषी ।

५८. ब्रह्मा—अज, चतुरानन, चतुर्मुख, धाता, परमेष्ठी, पितामह, प्रजापति, विधाता, विरंचि, विरिचि, वेधा, स्वयंभू ।

५९. भ्रमर—अलि, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुकर, मधुप, मधुव्रत, मिलिद, शिलीमुख, पटपद, भौरा ।

६०. मछली—क्षप, मत्स्य, मीन ।

६१. मनुष्य—नर, मानव, मनुज, मानुष, मर्त्य ।

६२. माता—अम्बा, जननी, जनेता, माँ ।

६३. मित्र—वयस्य, सखा, सुहृद, स्निग्ध, स्नेही ।

६४. मुख—आनन, बदन, वक्त्र, मुँह ।

६५. मूलं—अज्ञ, अज्ञान, अज्ञानी, बालिश, मूढ़, वैधेय ।

६६. मोर—मयूर, कलापी, केकी, नीलकंठ, वहि, शिखण्डी, शिखी ।

६७. युद्ध—आहव, आयोधन, कलि, कलह विग्रह, रण, समर, संग्राम, मंह्य, संयुग ।

६८. राक्षस—निशाचर, मनुजाद, यातुधान रात्रिचर, रजनीचर ।

६९. राजा—नरेन्द्र, नरेश, नरपति, नृप, नृपति, नराधिप, महीप, महोश, महीन्द्र, महीपति, पृथ्वीश, भूप, भूपति ।

७०. रात—क्षणदा, क्षपा, तमसा, तमिस्रा, त्रियामा, निशा, निशीथिनी, यामिनी, रजनी, राका, रात्रि, रात्री, विभावरी, शवंरी, रैन, निशि ।

७१. लक्ष्मी—इंदिरा, कमला, कमलासंना, पद्मा, पद्मालया, मा, रमा, धी, सिधुसुता ।

७२. वन—अटवी, अरण्य, कानन, कान्तार, गहन, विपिन, जंगल ।

७३. वानर—कपि, कीश, मर्कट, शाखामृग, हरि, वन्दर ।

७४. विद्वान्—कोविद, पण्डित, प्राज्ञ, बुध, मनीषी, सुधी, सूरि ।

७५. विष्णु—अच्युत, उपेन्द्र, केशव, गरुडध्वज, जनार्दन, गोविन्द, चक्रपाणि, चतुर्भुज, दामोदर, नारायण, पीताम्बर, पद्मनाभ, मुकुन्द, माधव, विश्वम्भर, मधुसूदन, वनमाली, श्रीपति, हृषीकेश, हरि ।

७६. वृक्ष—तरु, द्रुम, द्रू, पादप, महीरुह, विटप, विटपी, शाखी, पेड़, रूख ।

७७. शत्रु—अरि, अराति, अमित्र, द्विष्, द्वेषी, प्रत्यर्थी, परिपंथी, पर, वैरी, रिपु, विपक्षी, सपत्न, विरोधी ।

७८. शरीर—कलेवर, काय, काया, गात्र, तनु, तनू, देह, विग्रह, गात ।

७९. शिव—उमापति, ईशान, कामारि, गंगाधर, चन्द्रशेखर, महादेव, रुद्र, शंकर, शम्भु, ईश, कपर्दी, गिरीश, त्रिपुरारि, त्रिलोचन, धूर्जटि, नीलकण्ठ, पशुपति, पिनाकी, भव, भूतनाथ, मृत्युञ्जय, मदनारि, महेश्वर, वामदेव, विरूपाक्ष, शर्व, शितिकण्ठ, व्योमकेश ।

८०. शीघ्र—क्षिप्र, झटिति, द्रुत, त्वरित, तूर्ण, सत्वर, जल्दी, तुरन्त, झटपट, अविलम्ब, आशु ।

८१. सदा—अजस्र, अनवरत, अविरत, नित्य, निरन्तर, प्रतिदिन, सतत, संतत, सदैव, रोज ।

८२. सब—अखिल, अशेष, कृत्स्न, निखिल, निःशेष, समस्त, सर्व, समग्र, सकल ।

८३. शोभा—कमनीयता, चारुता, दीप्ति, मनोज्ञता, मोहिनी, रमणीयता, रुचिरता, कान्ति, छवि, द्युति, माधुरी, रौनक, जालित्य, श्री, सुन्दरता, सौन्दर्य ।

८४. समुद्र—अर्णव, नदीश, पारावार, रत्नाकर, सिंधु, सागर, उदधि, जलधि, जलनिधि, तोयधि, नदीश, नीरधि, वारिधि, वारिनिधि, वारीश, पयोधि, पयोनिधि, अम्बुधि, अन्धि ।

८५. समूह—ओघ, कदम्ब, कलाप, गण, चय, दल, निकर, निकुंज, पुंज, संचय, संघात, संहति, समुदाय, मण्डल, मण्डली, यूथ, राशि, वृन्द, वात, समुच्चय, संपात, झुण्ड, संघ ।

८६. सरस्वती—गिरा, ब्राह्मी, वाक्, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणि, वाग्देवी, वागीश्वरी, महाश्वेता, श्रुतदेवी ।

८७. सर्प—अहि, उरग, काकोदर, चक्षुश्रवा, नाग, पन्नग, पवनाशन, फणी, फणीन्द्र, भुजग, भुजंग, भुजंगम, विपधर, व्याल, साँप ।

८८. सिंह—कंठीरव, केसरी, मृगेन्द्र, मृगपति, मृगारि, नाहर, केहरी, नखायुध, पंचानन, पंचमुख, शार्दूल, हरि ।

८९. सुन्दर—अभिराम, कमनीय, कान्त, चारु, मनोरम, मनोहर, मनोज्ञ, मंजु, मंजुल, मोहन, रमणीय, रम्य, रुचिर, ललित, ललाम, शोभन, रमणीक ।

९०. सूर्य—अर्क, अंशुमाली, आदित्य, ग्रहपति, तपन, तरणि, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तण्ड, मित्र, मिहिर, रवि, विभाकर, विवस्वान्, सविता, हरि, हंस, सूरज ।

९१. सेना—अनी, अनीक, अनीकिनी, कटक, चमू, दल, बल, बाहिनी, सैन्य, फौज ।

९२. सेवक—अनुचर, किकर, नियोज्य, परिचारक, प्रैष्य, परिचर, चाकर, नौकर, भृत्य, दास ।

९३. स्त्री—अवला, अंगना, कुटुम्बिनी, कामिनी, कान्ता, नारी, नितम्बिनी, भामा, भामिनी, महिला, ललना, योपिता, प्रमदा, रमणी, वनिता, रामा, वामा, सुन्दरी, सीमन्तिनी, लुगाई ।

९४. स्नेह—अनुराग, आसक्ति, चाह, दुलार, प्यार, प्रणय, प्रीति, प्रेम, ममता, मुहव्वत, रति, राग, लगाव, लाड़, वात्सल्य, सख्य, सौहार्द, हेत ।

९५. स्वच्छ—अमल, निर्मल, प्रसन्न, विमल, शुचि, शुद्ध, विशद, विशुद्ध, साफ ।

९६. स्वर्ण—कनक, कलघौत, चामीकर, जातरूप, जाम्बूनद, तपनीय, रुक्म, सुवर्ण, हाटक, हेम, सोना ।

९७. स्वामी—ईश, ईश्वर, पति, अधिपति, अधिप, प्रभु, मालिक ।

९८. हंस—चक्रांग, मराल, सितच्छद, कलहंस, राजहंस ।

९९. हाथी—करी, कुंजर, गज, द्विप, द्विरद, दन्ती, नाग, मतगज, मातंग, वारण, सिधुर, हस्ती, गर्यंद, मतंग ।

१००. हीरा—कुलिश, वज्र, हीरक ।

परिच्छेद २—मिलते-जुलते रूप वाले शब्दों में अर्थ का अन्तर

- | | |
|--|---|
| १. अनल—अग्नि
अनिल—पवन | १५. अवलम्ब—सहारा
अवलम्ब—तुरन्त |
| २. अनु—पीछे का वाचक उपसर्ग
अणु—बहुत छोटा कण | १६. अशक्त—शक्तिहीन
असक्त—आसक्ति-रहित |
| ३. अन्न—अनाज
अन्य—दूसरा | १७. असन—फेंकना
अशन—भोजन |
| ४. अपकार—बुराई
उपकार—भलाई | १८. असक्त—आसक्ति-हीन
आसक्त—आसक्ति वाला |
| ५. अपेक्षा—वनिस्पत, तुलना में
उपेक्षा—ध्यान न देना | १९. असित—काला
अशित—जो तीखा न हो |
| ६. अभय—भय-रहित
उभय—दोनों | २०. अन्त—आखिर
अन्त्य—आखिर का |
| ७. अभिज्ञ—जानकार
अविज्ञ—न जानने वाला | २१. अंश—भाग
अंस—कंधा |
| ८. अभिनव—नया
अभिनय—नाटक का खेलना | २२. आकर—खान
आकार—आकृति |
| ९. अभिनन्दन—बधाई, स्वागत
अभिवन्दन—अभिवादन,
नमस्कार | २३. आदि—आरम्भ
आदी—अभ्यस्त |
| १०. अभिराम—सुन्दर
अविराम—निरन्तर | २४. आधि—मानसिक पीड़ा
आधी—आधा (नारीजाति) |
| ११. अभिहित—कहा हुआ
अविहित—अनुचित, विधि-विरुद्ध | २५. आयात—विदेश से देश में आया
हुआ माल
निर्यात—देश से विदेश को
भेजा हुआ माल |
| १२. अर्घ—मूल्य, पूजा का जल
अर्घ—आधा | २६. आवृत—ढका हुआ
आवृत्त—लौटा हुआ, दुहराया हुआ |
| १३. अलि—भँवरा
अली—सखी | २७. आसन—जिस पर बैठा जाय
ऐसी वस्तु
आसन्न—जो निकट हो |
| १४. अवधि—समय
व—अवध की भाषा | |

२८. आस्तिक—ईश्वर को मानने वाला
आस्तीक—एक ऋषि का नाम
२९. आहूत—होमा हुआ
आहूत—बुलाया हुआ, पुकारा हुआ
३०. इति—समाप्ति
ईति—खेती को हानि पहुँचाने वाली छह वस्तुओं में से कोई एक
३१. इत्र—फूलों का सुगन्धित सार
इतर—भिन्न, अन्य
३२. उदात्त—भव्य, श्रेष्ठ, उच्च
उदार—दानशील, विशाल हृदय वाला
३३. उद्धत—उद्दण्ड
उद्यत—तैयार
३४. उपकार—भलाई
अपकार—धुराई
३५. उपयुक्त—उचित, अनुकूल
उपर्युक्त—ऊपर बताया हुआ
३६. उपल—पत्थर
उत्पल—कमल
३७. कर्ण—कान
करण—करना, साधन, एक कारक का नाम
३८. कलि—कलियुग
कली—फूल की कली
३९. कंठीली—काँटि वाली
कटीली—काटने वाली, तीखी
४०. कंगाल—हड्डियों की ठठरी
कंगाल—दरिद्र
४१. कान्ति—शोभा, प्रकाश
क्रान्ति—विद्रोह, राज्य-परिवर्तन
वलान्ति—धकावट
४२. किला—दुर्ग
कीला—खीला, कील
४३. कूल—वंश, सारा
कूल—तट
४४. कृत—किया हुआ
कृत्य—कार्य
श्रीत—खरीदा हुआ
४५. कृति—रचना
कृती—घन्य, सफल, कृतकृत्य
कीर्ति—नामवरी
४६. कृपण—कंजूस
कृपाण—तलवार
४७. गर्व—घमण्ड
गर्भ—घ्रूण, उदर
४८. गर्व—घमण्ड
गीरव—वह्मण
४९. गृह—घर
ग्रह—सूर्य की परिक्रमा करने वाला तारा
ग्राह—मगर
५०. चालक—चलाने वाला
चालाक—धूर्त, चतुर
५१. चक्रवात—बगूला, चक्करदार
आँधी
चक्रवाल—चक्र, समूह, घेरा
चक्रवाक—एक पक्षी, चकवा

५२. छात्र—छात्रा
छात्र—विद्यार्थी
५३. क्षत्र—क्षत्रिय
क्षात्र—क्षत्रिय-सम्बन्धी
५४. जठर—पेट
जरठ—बूढ़ा
५५. जनता—जनसमूह
जनेता—जननी
५६. जलज—कमल
जलद—वादल
जलधि—सागर
५७. जवान—युवा
जवान—जिह्वा
५८. तरणि—सूर्य
तरणी—नाव
तरुणी—युवती
५९. दांत—दमन किया हुआ
दाँत—दन्त
६०. दारु—लकड़ी
दारु—शराब, वारुद, दवा
६१. दिन—दिवस
दीन—गरीब
६२. दूत—सन्देशवाहक
द्यूत—जुआ
६३. देव—देवता
दैव—भाग्य
६४. दोष—अवगुण, बुराई
द्वेष—वैर, ईर्ष्या
६५. द्रव—बहने वाला
द्रव्य—घन
६६. द्विप—हाथी
द्वीप—टापू
६७. नग—पहाड़
नाग—सर्प
६८. नगर—शहर
नागर—चतुर
६९. निर्जर—देवता
निर्जर—झरना
७०. परिणत—रूपान्तरित, फलित
परिणीत—विवाहित
७१. परिणय—विवाह
प्रणय—दाम्पत्य प्रेम, स्त्री पुरुष
का प्रेम
७२. परिणाम—फल, नतीजा
परिमाण—मात्रा, माप
७३. परिणीत—विवाहित
प्रणीत—रचित
७४. पवन—हवा
पावन—पवित्र
७५. पाणि—हाथ
पानी—जल
७६. पाश—फन्दा
पास—निकट
७७. पुर—नगर
पूर—बाढ़, बहाव
७८. पुरुष—आदमी
परुष—कठोर
७९. प्रकार—भाँति
प्राकार—चहारदीवारी,
परकोटा

८०. प्रकृत—वास्तविक, असली
 प्राकृत—एक भाषा का नाम
८१. प्रणाम—नमस्कार
 प्रमाण—सबूत, माप, मात्रा
 परिणाम—फल, नतीजा
८२. प्रथा—रिवाज
 पृथा—कुन्ती
८३. प्रवाह—वहाव
 पर्वाह—चिन्ता
८४. प्रसाद—प्रसन्नता
 प्रासाद—महल
८५. वलि—पाताल का राजा,
 न्यौछावर
 वली—बलवान
 वालि—सुग्रीव का भाई
८६. बहु—अधिक
 बहू—बधू
८७. वात—वातवीत
 वात—वायु
८८. वार—दफा
 वार—दिन (सोमवार)
८९. बुरा—खराब, दुष्ट
 बूरा—साफ की हुई चीनी
९०. व्याज—सूद
 व्याज—बहाना
९१. भवन—घर
 भुवन—लोक
९२. भाग—हिस्सा
 भाग्य—दैव, तकदीर
९३. मनुज—मनुष्य
 मनोज—कामदेव
९४. मातृ—माता
 मात्र—केवल
९५. मूल—जड़
 मूल्य—कीमत
९६. लक्षण—चिह्न
 लक्ष्मण—राम के छोटे भाई
९७. वदन—मुख
 यदन—शरीर
९८. वर्ण—रंग
 व्रण—घाव
९९. वारिद—धादल
 वारिधि—समुद्र
१००. विधि—विधाता, ब्रह्मा
 विधु—चन्द्रमा
१०१. विचरण—ब्यौरा, कथन
 विवर्ण—रंगहीन, फीका
१०२. वृत्त—गोल रेखा, घेरा
 वृत्त—ढका हुआ, चुना
 हुआ
१०३. व्यजन—पंखा
 व्यंजन—पकवान
१०४. वहन—चलना, धारण
 वाहन—सवारी
१०५. शर—बाण
 सर—सरोवर
१०६. शराव—मदिरा
 शराव—मिट्टी का पात्र

१०७. शास्त्र — आयुध
शास्त्र — धर्मग्रन्थ
१०८. शंकर — शिव
संकर — मिश्रित
१०९. शुक्ति — सीप
सूक्ति — सुभाषित
११०. शुचि — पवित्र
शुची — इन्द्राणी
सूची — नामावली
१११. शूर — वीर
सूर — सूर्य
११२. श्रवण — सुनना, कान
ध्रमण — भिक्षु
श्रावण — सुनाना, एक महीना
११३. श्वेत — सफेद
स्वेद — पसीना
११४. शुल्क — फीस
शुक्ल — सफेद
११५. श्रद्धा — आदर भाव, पूज्यभाव
श्राद्ध — पितरों का श्राद्ध
११६. सकल — सब
शकल — टुकड़ा
११७. सकृत — एक बार
शकृत — मल
११८. सप्त — सात
शप्त — शाप दिया हुआ
११९. सबल — बलवान
शबल — रंग-बिरंगा,
विविधतायुक्त
१२०. सम — बराबर
जम — जान्ति
१२१. सर्व — सब
शर्व — शिव
१२२. सित — सफेद
शित — तीखा
१२३. सिता — चीनी
सीता — जानकी
१२४. सुकर — सरलता से करने योग्य
पूकर — सुअर
१२५. सुजन — सज्जन
स्वजन — आत्मीय
१२६. सुत — पुत्र
सूत — घागा, सारथि
१२७. सुर — देवता
सूर — सूर्य
१२८. स्वर्ग — देव-लोक
सर्ग — सृष्टि, काव्य का एक
अध्याय
१२९. स्कंद — कार्तिकेय (शिव के पुत्र)
स्कंध — कंधा
१३०. हंसी — मादा हंस
हंसी — हंसना, हास

परिच्छेद ३—मिलते-जुलते अर्थ वाले शब्दों में अन्तर

१. अणु—तत्त्व से भिन्न किसी द्रव्य या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ।
परमाणु—तत्त्व की सबसे छोटी इकाई ।
२. अधिक—आवश्यकता से अधिक ।
पर्याप्त—जितनी आवश्यकता हो उतना ।
३. अनुकूल—हितकारी, मुआफिक ।
अनुरूप—समान, (किसी को) शोभा देने वाला ।
४. अनुरोध—विनयपूर्ण हठ के साथ की गयी प्रार्थना ।
आग्रह—हठ ।
५. अपराध—ऐसा कार्य जो राज्य के कानून के विरुद्ध हो और कानून के अनुसार दण्डनीय हो ।
पाप—ऐसा कर्म जो धर्म अथवा सदाचार के विरुद्ध हो ।
६. अन्वेषण—अज्ञात स्थानों की खोज ।
आविष्कार—अज्ञात वस्तुओं की खोज ।
अनुसन्धान—वैज्ञानिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक खोज, शोध (रिसर्च) ।
७. अभिनन्दन—कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करने पर या किसी हर्ष आदि के अवसर पर किसी को बधाई देना या उसका गुण-कथन करना ।
स्वागत—किसी के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करना ।
८. अपेण—छोटों द्वारा बड़ों को देना, भेद करना ।
प्रदान—बड़ों द्वारा छोटों को देना ।
९. अवस्था—जन्म के बाद किसी विशेष समय तक धीता हुआ काल (जैसे—इस समय हरि की अवस्था बीस वर्ष की है) ।
आयु—जन्म से मृत्यु-पर्यन्त सम्पूर्ण जीवन-काल (जैसे—उन्होंने अस्सी वर्ष की आयु पायी) ।
१०. असफल—विफल, जो सफल न हो (वह व्यक्ति) ।
निष्फल—व्यर्थ ।
११. अस्त्र—वह हथियार जो हाथ से या किसी यन्त्र की शक्ति से फेंककर चलाया जाय जैसे बाण, चक्र ।
शस्त्र—वह हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाय जैसे तलवार ।

१२. आधि—मानसिक रोग या कष्ट ।
 व्याधि—शारीरिक रोग या कष्ट ।
१३. आधिदैविक—देवताओं से प्राप्त, प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त ।
 आधिभौतिक—जीव-जन्तुओं से प्राप्त ।
१४. आशंसा—आशा ।
 प्रशंसा—गुणों का कथन ।
 अनुशंसा—सिफारिश ।
 अभिशंसा—गुणों के कारण आदर करने का भाव ।
१५. इन्दीवर—नीला कमल ।
 कोकनद—लाल कमल ।
 पुण्डरीक—सफ़ेद कमल ।
१६. उत्साह—काम करने के लिए मनोल्लास या उमंग ।
 साहस—कठिनाइयों को झेलने की हृदता ।
१७. उपकरण—किसी वस्तु के निर्माण में सहायता करने वाले साधन;
 औजार ।
 उपादान—किसी वस्तु के निर्माण में काम आने वाली सामग्री, ऐसी
 सामग्री जिससे कोई वस्तु बनती है; बटक ।
१८. उपक्रमणिका—प्रस्तावना ।
 अनुक्रमणिका—वर्णानुक्रम या और किसी क्रम से बनायी हुई सूची ।
१९. खेद—हलका दुःख ।
 शोक—गहरा दुःख ।
२०. गव—वमण्ड ।
 गौरव—वडप्पन ।
२१. चुराना—छिपकर लेना ।
 लूटना—बलपूर्वक लेना ।
 ठगना—धोखा देकर लेना ।
२२. ठंड—ऐसी सर्दी जो सुहावनी न लगे, शीत ।
 ठंडक—ऐसी जो सुहावनी लगे, शीतलता ।

२३. नक्षत्र—यह अपने प्रकाश से चमकता है जैसे ध्रुवतारा ।
ग्रह—यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है और सूर्य की परिक्रमा करना है जैसे मंगल, शनि, पृथ्वी ।
२४. तन्द्रा—हलकी निद्रा, अर्धनिद्रा ।
निद्रा—नोंद ।
२५. निबन्ध—छोटी गद्य-रचना जिसमें किसी विषय का वर्णन, विवरण या विवेचन हो ।
प्रबन्ध—बड़ी गद्य-रचना जिसमें किसी विषय का व्यवस्थित विवेचन हो ।
लेख—पत्र-पत्रिका के लिए लिखी हुई छोटी गद्य-रचना; कोई भी छोटी गद्य-रचना ।
२६. पत्नी—अपनी स्त्री ।
स्त्री—कोई स्त्री ।
२७. पुत्र—अपना लड़का ।
धालक—कोई लड़का ।
२८. पौत्र—पुत्र का पुत्र ।
वौहित्र—पुत्री का पुत्र ।
२९. प्रणाम—छोटों द्वारा बड़ों का अभिवादन ।
नमस्कार—बराबरी वालों का परस्पर अभिवादन ।
३०. प्रलाप—क्रोध में या बेहोशी में बकना ।
विलाप—बिलख-बिलखकर रोना ।
३१. परिक्रमण—पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ।
परिभ्रमण—पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ।
३२. प्रेम—प्यार का वाचक सामान्य शब्द ।
प्रणय—स्त्री-पुरुष का प्रेम ।
वात्सल्य—बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम (प्रमुखतः माता-पिता आदि का) ।
स्नेह—बड़ों का छोटों के प्रति एवं बराबर वालों का परस्पर प्रेम ।
भक्ति—ईश्वर, गुरुजन, देश आदि के प्रति, आदर एवं पूज्य भाव-युक्त प्रेम ।

३३. बलिदान—देवता आदि के लिए की गयी धार्मिक हत्या ।
हत्या—वध या प्राण लेना ।
३४. वड़वाग्नि—समुद्र की अग्नि ।
दवाग्नि—वन की अग्नि ।
जठराग्नि—पेट की अग्नि ।
३५. बुद्धि—तर्क-वितर्क द्वारा बातों का ज्ञान प्राप्त करने वाली शक्ति ।
प्रतिभा—नयी-नयी बातों की उद्भावना करने वाली शक्ति
(प्रजा नव-नवोन्मेष-शालिनी प्रतिभा मता) ।
मेधा—बातों को समझने और उनको स्मरण रखने वाली शक्ति
(धीर् धारणावती मेधा) ।
३६. भागना—भय के कारण होता है ।
दौड़ना—अपनी इच्छा से, अपने मन से होता है ।
३७. भूमिका—पुस्तक के आरम्भ में पुस्तक के लेखक या सम्पादक का वक्तव्य ।
प्रस्तावना—पुस्तक के आरम्भ में पुस्तक के विषय से सम्बन्धित किसी बात पर प्रकाश डालने वाला वक्तव्य, या पुस्तक का प्रथम अध्याय जिसमें पुस्तक के विषय की प्रारम्भिक बातों का विवरण हो ।
३८. भ्रान्ति—मिथ्या या अयथार्थ ज्ञान, जैसे अन्धकार में रस्सी को साँप समझ लेना ।
सन्देह—निश्चय न होना, अनिश्चित ज्ञान, जैसे अन्धकार में रस्सी को देखकर निश्चय न होना कि यह रस्सी है या साँप ।
३९. मन्त्री—जो परामर्श देता है और नीति निर्धारित करता है ।
सचिव—जो कागज-पत्रों को रखता है और पत्र-व्यवहार करता है और मन्त्री के आदेशों को प्रचारित करता है ।
४०. लज्जा—कोई अनुचित कर्म हो जाने पर दूसरों के सामने न होने की भावना ।
संकोच—भीस्ता आदि के कारण दूसरों के सामने न होने की भावना ।
रुलानि—कोई अनुचित कर्म हो जाने पर मन में अनुताप होना ।

४१. वार्ता—कहानी या छोटा भाषण ।
 वार्तालाप—बातचीत ।
४२. स्पर्धा—होड़, किसी के बराबर होने की या उससे बढ़ जाने की इच्छा ।
 ईर्ष्या—किसी की अच्छी बात को देखकर जलना ।
४३. विधि—कार्य करने का तरीका ।
 विधा—साहित्य का कोई रूप जैसे उपन्यास, नाटक, कविता आदि ।
४४. व्यापार—देश की आन्तरिक खरीद-विक्री (ट्रेड) ।
 वाणिज्य—विदेशों के साथ किया जाने वाला व्यापार (कॉमर्स) ।
 व्यवसाय—व्यापार के अतिरिक्त किया जाने वाला कोई धन्धा ।
४५. शीत—ऐसा ठण्डा जैसा सुहावना न लगे (cold) ।
 शीतल—ऐसा ठण्डा जैसा सुहावना लगे (cool) ।
४६. श्रद्धा—बड़ों के प्रति या गुणसम्पन्न व्यक्तियों के प्रति आदर एवं पूजा का भाव ।
 भक्ति—ईश्वर, माता-पिता, देश आदि के प्रति प्रेमयुक्त आदर एवं पूजा का भाव ।
४७. सभा—साधारण सभा ।
 समिति—साधारण सभा द्वारा नियुक्त थोड़े-से लोगों का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया हो ।
४८. सम्यता—भौतिक (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक) विकास ।
 संस्कृति—मानसिक (आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक, कलात्मक) विकास ।
४९. सहानुभूति—किसी के दुःख से दुःखी होना, हमदर्दी ।
 समवेदना—किसी के साथ, संकट उपस्थित होने पर या किसी सम्बन्धी की मृत्यु होने पर, प्रकट की जाने वाली सहानुभूति ।
५०. सेवक—सेवा करने वाला, विशेषतः वेतन लेकर सेवा करने वाला, नौकर ।
 दास—ऐसा नेवक जो मालिक की सम्पत्ति हो, गुलाम ।
५१. स्तुति—प्रशंसा या गुण कथन ।
 अभिस्तुति } —सिफारिश (अनुशंसा देखिये) ।
 संस्तुति }

परिच्छेद ४—विपरीतार्थक या विलोम शब्द

१. विरोधी अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये कई प्रकार से बनाये जाते हैं; जैसे—

(१) साधारणतया अ, अन्, न या अन जोड़कर

मंगल—अमंगल

गण्य—नगण्य

आदर—अनादर

होनी—अनहोनी

टिप्पणी—संस्कृत के तत्सम शब्दों में व्यंजनों से आरम्भ होने वाले शब्दों के पूर्व अ जुड़ता है और स्वरों से आरम्भ होने वाले शब्दों के पूर्व अन्; अ के स्थान पर कहीं-कहीं न जोड़ा जाता है। अन कई-एक तद्भव शब्दों के पूर्व जोड़ा जाता है।

(२) शब्द के पूर्व उपसर्ग जोड़कर

यश—अपयश

जय—पराजय

मान—अपमान

वादी—प्रतिवादी

श्वास—उच्छ्वास

देश—विदेश

आदर—निरादर

क्रम—व्यतिक्रम

(३) शब्द के पूर्व स्थित उपसर्ग को बदलकर

अनुकूल—प्रतिकूल

अनुराग—विराग

आदान—प्रदान

उन्नति—अवनति

आरोह—अवरोह

उत्कर्ष—अपकर्ष

उपकार—अपकार

सुजन—दुर्जन

(४) शब्द के पूर्व स्थित शब्द को बदलकर

स्वतन्त्र—परतन्त्र

इहलोक—परलोक

पूर्वपक्ष—उत्तरपक्ष

वहिरंग—अंतरंग

(५) जाति (लिंग) बदलकर

लड़का—लड़की

नर—नारी

(६) स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा

कोमल—कठोर

दिन—रात

अच्छा—बुरा

माता—पिता

शीत—उष्ण

सुख—दुःख

(७) जिन शब्दों के पूर्व स उपसर्ग हो उन शब्दों में स उपसर्ग के स्थान पर निर् उपसर्ग रखकर—

सदोष—निर्दोष

सजीव—निर्जीव

(८) जिन शब्दों के बाद में इन् प्रत्यय हो, उनमें प्रायः इन् प्रत्यय को हटाकर पूर्व में निर् उपसर्ग जोड़कर—

घनी—निर्घन

बली—निर्बल

(९) जिन शब्दों के पूर्व सु उपसर्ग हो उनमें सु के स्थान पर कु या दुरु उपसर्ग जोड़कर—

सुपात्र—कुपात्र

सुलभ—दुर्लभ

सुफल—कुफल

सुकर—दुष्कर

(१०) जिन शब्दों के पूर्व सत् या सद् शब्द हो उनमें सत् या सद् के स्थान पर दुर, दृप् या दुस् जोड़कर—

सदुपयोग—दुरपयोग

सज्जन—दुर्जन

२. आगे कतिपय महत्त्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द दिये जाते हैं—

अकाल—सुकाल

अमृत—विष

अगला—पिछला

अर्थ—अनर्थ

अग्र—पश्च

अर्पण—ग्रहण

अच्छा—दुरा

अर्वाचीन—प्राचीन

अथ—इति

अल्प—अधिक, बहु

अनन्त—सान्त

अवकाश—अनवकाश

अनाथ—सनाथ

अवनि—अंबर

अनुकूल—प्रतिकूल

अवर—प्रवर, वरिष्ठ

अनुग्रह—निग्रह

असीम—ससीम

अनुज—अग्रज

अन्त—आदि

अनुराग—विराग

अन्तर्—बहिर्

अनुरक्ति—विरक्ति

अन्तरंग—बहिरंग

अनुलोम—प्रतिलोम

अंधकार—प्रकाश, आलोक, उजाला

अपना—पराया

अभिज्ञ—अनभिज्ञ

आकर्षण—विकर्षण

अभ्यस्त—अनभ्यस्त

आकाश—पाताल

आगामी—विगत
 आगे—पीछे
 आदर—अनादर
 आदान—प्रदान
 आदि—अन्त
 आद्य—अन्त्य
 आधुनिक—प्राचीन
 आमदनी—खर्च
 आय—व्यय
 आयात—निर्यात
 आरंभ—अन्त
 आरूढ़—अनारूढ़
 आरोह—अवरोह
 आर्द्र—शुष्क
 आवश्यक—अनावश्यक
 आवाहन—विसर्जन
 आवृत—अनावृत
 आविर्भाव—तिरोभाव
 आशा—निराशा
 आश्रित—अनाश्रित
 आसक्त—अनासक्त
 आस्तिक—नास्तिक
 आस्था—अनास्था
 आहार—अनाहार
 आहूत—अनाहूत
 इच्छा—अनिच्छा
 इष्ट—अनिष्ट
 इहलोक—परलोक
 ईश्वरवादी—अनीश्वरवादी

उत्कर्ष—अपकर्ष
 उत्कृष्ट—निकृष्ट
 उचित—अनुचित
 उच्च—नीच
 उत्तम—अधम
 उत्तमर्ण—अधमर्ण
 उत्तरायण—दक्षिणायन
 उत्तीर्ण—अनुत्तीर्ण
 उत्थान—पतन
 उत्साह—अनुत्साह
 उत्साहित—निरुत्साहित
 उदय—अस्त
 उदात्त—अनुदात्त
 उदार—अनुदार, कृपण
 उद्यम—अनुद्यम
 उन्मुख—विमुख
 उपकार—अपकार
 उपचय—अपचय
 उपत्यका—अधित्यका
 उपमेय—उपमान
 उपयोग—अनुपयोग
 उपरि—निम्न, अधः
 उपस्थित—अनुपस्थित
 उर्वर—अनुर्वर
 ऊपर—नीचे
 ऊँच—नीच
 ऊँचा—नीचा
 ऋण—धन
 एक—अनेक

रेड़ी—चोटी
ऐतिहासिक—अनैतिहासिक
ऐहिक—पारलौकिक
ऐहिलौकिक—पारलौकिक

कठिन—सरल
कड़वा—मीठा
कड़ा—मुलायम, नरम
कनिष्ठ—ज्येष्ठ

कपूत—सपूत
कर्कश—कोमल
कर्मण्य—अकर्मण्य
कल्याण—अकल्याण

कायर—शूर, वीर
कीर्ति—अकीर्ति

कुटिल—सरल
कुमार्ग—सुमार्ग
कुरूप—सुरूप
कृतज्ञ—कृतघ्न

कृत्रिम—स्वाभाविक, प्राकृतिक
कृपण—उदार

कृश—पीन, पुष्ट
कृष्ण—शुक्ल, श्वेत
कोमल—कठोर

क्रम—व्यतिक्रम
क्रम—अक्रम

खरीद—बिक्री
खण्डन—मण्डन
खिलना—मुरझाना

गमन—आगमन
गरीब—अमीर
गहरा—छिछला

गीला—सूखा
गुण—दोष

गुप्त—प्रकट
गुरु—लघु

गौरव—लाघव

घटना—वढ़ना

घर—बाहर

घात—प्रतिघात

चढ़ाव—उतार

चर—अचर

चल—अचल

चेतन—अचेतन, जड़

चोर—साहूकार

जटिल—सरल

जड़—चेतन

जन्म—मरण, मृत्यु

जमीन—आसमान

जय—पराजय

जल—स्थल

जवान—बूढ़ा

जवानी—बुढ़ापा

अंगम—स्थोवर

जागरण—निद्रा

जागृति—सुषुप्ति

जाड़ा—गर्मी

जीवन—मरण

जीवित—मृत

जोड़—बाकी

ज्ञान—अज्ञान

ज्यादा—कम

ज्येष्ठ—कनिष्ठ

ज्योति—तम

ज्वार—भाटा

झूठ—सच

टेढ़ा—सीधा

तरल—ठोस, घन

ताना—वाना

तामसिक—सात्त्विक

तीव्र—मन्द

तुकान्त—अतुकान्त

थोड़ा—बहुत

थोक—खुदरा

दक्षिण—वाम, उत्तर

दिन—रात

दुराचारी—सदाचारी

दृष्य—अदृश्य

देय—अदेय

देव—दानव, दैत्य

घनी—निर्घन

धर्म—अधर्म

धूप—छाया

धृष्ट—विनीत

नकली—असली

नख—शिख

नगर—ग्राम

नमकहलाल—नमकहराम

नया—पुराना

नर—नारी, मादा

नवीन—प्राचीन

नश्वर—शाश्वत,

अनश्वर

नागरिक—ग्रामीण

निगलना—उगलना

नित्य—अनित्य

निद्रा—जाग्रति, जागरण

निरर्थक—सार्थक

निरामिष—सामिष

निर्दय—सदय

निर्मल—मलिन

निर्माण—विध्वंस

निष्काम—सकाम

निन्दा—स्तुति

नूतन—पुरातन

नेक—बद

नैतिक—अनैतिक

न्याय—अन्याय

न्यून—अधिक

निषेध—विधान, विधि

पक्ष—विपक्ष
 परकीय—स्वकीय
 परमार्थ—स्वार्थ
 परतन्त्र—स्वतन्त्र
 पराधीन—स्वाधीन
 परार्थ—स्वार्थ
 परिश्रमी—आलसी
 पवित्र—अपवित्र
 पहले—पीछे
 पंडित—मूर्ख
 पाठ्य—अपाठ्य
 पात्र—अपात्र
 पाप—पुण्य
 पावन—अपावन
 पश्चात्य—पौरात्य, पौरस्त्य
 पुरस्कार—दण्ड, तिरस्कार
 पुरुष—स्त्री
 पुष्ट—अपुष्ट, क्षीण
 पूर्ण—अपूर्ण, रिक्त
 पूर्व—पश्चिम, पर
 पूर्वपक्ष—उत्तरपक्ष
 पूर्ववर्ती—परवर्ती
 पेय—अपेय
 प्रकाश—अन्धकार
 प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष, परोक्ष
 प्रधान—गौण, अप्रधान
 प्रमुख—गौण
 प्रवृत्ति—निवृत्ति
 प्रशंसा—निन्दा
 प्रसन्न—विषण्ण

प्रसाद—विपाद
 प्रसार—संकोच
 प्राकृतिक—अप्राकृतिक
 प्राची—प्रतीची
 प्राचीन—अर्वाचीन
 प्राच्य—प्रतीच्य
 प्रेय—श्रेय

बढ़िया—घटिया
 बद्ध—मुक्त
 बहिरंग—अन्तरंग
 बाहरी—भीतरी
 बाह्य—आभ्यन्तर
 बन्धन—मोक्ष

भद्र—अभद्र
 भला—बुरा
 भारी—हलका
 भावी—वर्तमान
 भूगोल—सूगोल
 भूत—भविष्य
 भेद—अभेद
 भोगी—योगी
 भौतिक—आध्यात्मिक
 भ्रान्त—निर्भ्रान्त

मरण—जीवन
 महारमा—दुरात्मा
 मंगल—अमंगल
 माता—पिता

मान—अपमान

मालिक—नौकार

मिलन—विछोह

मुख्य—गौण

मुनाफा—नुकसान

मूक—वाचाल

मृत—जीवित

अर्थार्थ—अयर्थार्थ

अश—अपयश

योग—वियोग

यौवन—वार्धक्य

(अनु) रक्त—विरक्त

रक्षक—भक्षक

रत—विरत

राग—विराग

राजतन्त्र—प्रजातन्त्र, जनतन्त्र

राजा—रंक

राजा—प्रजा

राम—रावण

राव—रंक

रिक्त—पूर्ण

रूपवान—रूपहीन

लघु—गुरु

लाभ—हानि

लिखित—अलिखित

लिप्त—अलिप्त, निलिप्त

लोक—परलोक

लौकिक—अलौकिक

वक्र—ऋजु, सरल

वन्य—ग्राम्य

वर—शाप

वादी—प्रतिवादी

विकास—ह्रास

विधवा—सधवा

विधि—निषेध

विशाल—लघु

विहित—निषिद्ध

विनीत—उद्धत

विपन्न—सम्पन्न

विपत्ति—सम्पत्ति

विप—अमृत

विरह—मिलन

वियोग—संयोग

विशिष्ट—साधारण

विशेष—सामान्य

विश्लेषण—संश्लेषण

विस्तार—संक्षेप

वीर—कायर

वृद्धि—ह्रास

वृष्टि—अनावृष्टि

वैतनिक—अवैतनिक

वैमनस्य—सौमनस्य

व्यधिकरण—समानाधिकरण

व्यर्थ—सार्थक

व्यावहारिक—सैद्धान्तिक

अव्यावहारिक

व्यास—समास
व्याप्ति—समाप्ति

शकुन—अपशकुन
शत्रु—मित्र
शान्ति—अशान्ति
शाम—सुवह
शासक—शासित
शीत—उष्ण
शुभ—अशुभ
शोक—हर्ष
श्याम—गौर
श्रव्य—दृश्य
श्रीगणेश—इतिश्री
श्वेत—श्याम

सकाम—निष्काम
सक्षम—अक्षम
सगुण—निर्गुण
सच—झूठ
सज्जन—दुर्जन
सजल—निजल
सजीव—निर्जीव
सत्य—असत्य
सत्—असत्
सदुपयोग—दुरुपयोग
सत्याग्रह—दुराग्रह
सदाचार—दुराचार
सधवा—विधवा
सपूत—कपूत

सफल—असफल, निष्फल, विफल
सभ्य—असभ्य, बर्बर
सबल—निबल
सम—विषम
सरल—कठिन, कुटिल
सरस—नीरस
सदं—गर्म
सवर्ण—असवर्ण
ससीम—असीम
संकल्प—विकल्प
संघटन—विघटन
संयोग—वियोग
सन्धि—विग्रह
सहज—कृत्रिम
सहज—कठिन
संक्षिप्त—विस्तृत
साकार—निराकार
साक्षर—निरक्षर
साधु—असाधु
सापेक्ष—निरपेक्ष
सामिप—निरामिप
सार्थक—निरर्थक
सुकर—दुष्कर
सुख—दुःख
सुगम—दुर्गम
सुगन्ध—दुर्गन्ध
सुवह—शाम
सुबुद्धि—कुबुद्धि, दुर्बुद्धि
सुर—असुर
सुलभ—दुर्लभ

सुहाग—दुहाग
 सुन्दर—असुन्दर
 सूक्ष्म—स्थूल
 सौभाग्य—दुभाग्य
 सौम्य—उग्र
 स्तुति—निन्दा
 स्यावर—जंगम
 स्मरण—विस्मरण
 स्वकीय—परकीय
 स्वतन्त्र—परतन्त्र
 स्वदेश—विदेश, परदेश
 स्वर्ग—नरक

स्वस्थ—अस्वस्थ
 स्वाधीन—पराधीन
 स्वार्थ—परमार्थ, परार्थ

हर्ष—विपाद
 हँसना—रोना
 हार—जीत
 हास—रुदन
 हिंसा—अहिंसा
 होनी—अनहोनी
 ह्रस्व—दीर्घ
 हास—वृद्धि

परिच्छेद ५—संक्षिप्त रूप

जो शब्द या नाम बहुत प्रसिद्ध होते हैं या जिनको बार-बार लिखना पड़ता है उनके प्रायः पूरे रूप न लिखकर संक्षिप्त रूप लिख दिये जाते हैं। ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त रूपों की सूची नीचे दी जाती है :

१. अ० भा० का० क० = अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
२. उ० प्र० = उत्तर प्रदेश
३. कं० = कंपनी
४. किलो = किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर
५. किली = किलोलीटर
६. किग्रा = किलोग्राम
७. कृ० प० उ० = कृपया पन्ना उलटिये
८. ना० प्र० स० = नागरी प्रचारिणी सभा
९. प्रसोपा = प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
१०. भाक्रांद = भारतीय क्रांति दल
११. भू० पू० = भूतपूर्व
१२. म० प्र० = मध्य प्रदेश
१३. मो० क० गांधी = मोहनदास करमचन्द गांधी
१४. ले० = लेखक
१५. वि० = विक्रमी
१६. वि० वि० = विश्वविद्यालय
१७. स० = सवत्
१८. सं० रा० सं० = संयुक्त राष्ट्र मघ
१९. संसोपा = संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
२०. बी० ए० = बैचलर आव् आर्ट्स
२१. एम० ए० = मास्टर आव् आर्ट्स
२२. एम० एस-सी० = मास्टर आव् साइंस
२३. एम० काम० = मास्टर आव् कामर्स
२४. एम० डी० = डाक्टर आव् मेडीसिन
२५. एम० एहं० = मास्टर आव् एजुकेशन
२६. पी-एच० डी० = डाक्टर आव् फिल्लासफी
२७. डी० फिल्० = डाक्टर आव् फिल्लासफी
२८. डी० लिट्० = डाक्टर आव् लिटरेचर

कोयों एवं भाषाविज्ञान की पुस्तकों में पूर्व-स्थित शब्द या शब्दांश को छोड़ना ही तो उसके स्थान पर ये चिह्न लिख दिये जाते हैं—(०), (~)। जैसे—

भाषाविज्ञान = ० विज्ञान, ~ विज्ञान।

अलंकरण = ० करण, ~ करण।

अभ्यासमाला ८

१. नीचे दो स्तम्भों में कुछ शब्द दिये गये हैं, उनमें जो शब्द जिस शब्द का पर्यायवाची हो उसको उसके सामने लिखिये :

(क) अमृत
नेत्र
सरोवर
चन्द्रमा
पृथ्वी

(ख) अचला
तड़ाग
कलानिधि
चक्षु
पीयूष

२. निम्नांकित शब्दों में से किन्हीं दो के चार-चार पर्यायवाची शब्द लिखिये :

(१) पृथ्वी (२) सोना (३) संसार ।

३. वादल का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है :

(१) नीरज (२) नीरद (३) निलय (४) निशीथ (५) नीरनिधि
(६) नीरधि । ()

४. कृशानु का पर्यायवाची शब्द होता है :

(१) अनिल (२) अनल (३) अचल (४) अनंग (५) अतन्त । ()

५. किस समूह में सभी शब्द मछली के पर्यायवाची हैं :

(१) मीन, जलधि, जलज, झष ।

(२) मत्स्य, झख, मीन, शष्कुली ।

(३) मत्स्य, मकर, जलज, झष ।

(४) मीन, जलद, जलधि, झष ।

(५) मत्स्य, मीन, जलधि, झष । ()

६. किस समूह में सभी शब्द पुष्प के पर्यायवाची हैं :

(१) पल्लव, प्रसून, मुकुल ।

(२) सुमन, प्रसून, कुसुम ।

(३) सुमन, पल्लव, मुकुल ।

(४) कुसुम, पल्लव, पराग ।

(५) सुमन, प्रसून, पल्लव । ()

७. नीचे प्रत्येक शब्द के सामने कुछ शब्द दिये गये हैं। उनमें से कुछ उस शब्द के पर्यायवाची हैं। जो शब्द पर्यायवाची हों उन पर सही (✓) का चिह्न और जो पर्यायवाची न हों उन पर (X) का चिह्न बनाइये :

- (१) अग्नि—आग, पावक, ज्योति, तेज, वह्नि, प्रकाश, हुताशन ।
- (२) अश्व—तुरग, हस्ती, कुरंग, कुंजर, वाजि, हय ।
- (३) आँख—नेत्र, पलक, दृग, चिकुर, कजली, चक्षु ।
- (४) आनन्द—प्रमोद, सुख, विहार, चैन, हास्य ।
- (५) इच्छा—कामेना, कल्पना, ईर्ष्या, अभिलाषा, काम ।
- (६) इन्द्र—पुरन्दर, रमेश, मधवा, शचीपति, उमेश ।
- (७) कमल—जलघर, नीरनिधि, जलज, अम्बुद, नलिन ।
- (८) कामदेव—गंगाघर, विधि, अनंग, मदन, सुरेश, मनोज ।
- (९) किरण—कर, रश्मि, मरीचि, धूप, उपा, मयूख ।
- (१०) गंगा—सुरसरी, भागीरथी, मन्दाकिनी, जाह्नवी ।
- (११) घर—आलय, भवन, मन्दिर, गृह, सदन, वाटिका ।
- (१२) चन्द्र—हिमांशु, अंशुमाली, रजनीकर, प्रभाकर, नक्षत्र ।
- (१३) जल—तालाव, नद, सलिल, अम्बु, तोय, समीर, पंक ।
- (१४) नदी—सरिता, सर, धारा, निम्नगा, तटिनी, अम्बुधि ।
- (१५) पवन—विहन, पावन, वात, समीर, बयार, विहंग ।
- (१६) पक्षी—नमप्राण, पवमान, खग, विहंग, समीर ।
- (१७) पर्वत—भूघर, शैल, अचल, मेदिनी, विराट् ।
- (१८) पण्डित—विद्वान्, बुद्धिमान, बुद्ध, सुधी, शिक्षित ।
- (१९) पुत्र—आत्मज, सुता, बेटा, तनया ।
- (२०) पृथ्वी—मिट्टी, धरती, भूघर, वसुधा ।
- (२१) प्रकाश—ज्योति, ज्वाला, प्रभा, प्रवाह ।
- (२२) पुष्प—गुलाब, कुसुम, कमल, लतिका ।
- (२३) विजली—चंचल, चपला, विद्युत, दामिनी ।
- (२४) भ्रमर—मधुकर, मधुप, अलि, भृंग ।
- (२५) महादेव—पशुपति, शिव, चन्द्रशेखर, गिरीश, गणेश ।
- (२६) मेघ—धन, अम्बुज, जलघर, नीरज ।

- (२७) रात्रि—राकेश, नरेश, प्राची, विभा, सुधाकर ।
 (२८) समुद्र—उदधि, सरोवर, नद, पयस्विनी, सरिता ।
 (२९) सर्प—मणि, अहि, भुजग, विषधर, फणि ।
 (३०) सोना—कंचन, भुजग, हेम, रुपया, चिन्तामणि ।
 (३१) सूर्य—दिनकर, निशाकर, दिवाकर, राकेश, प्रभाकर ।
 (३२) स्त्री—नारी, रमणी, ललिता, हस्ती ।
 (३३) हाथी—हस्ती, करी, गज, तुरंग, कुरंग ।

८. नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं । कोष्ठक में बताइये कि वे किस शब्द के पर्यायवाची हैं :

- | | |
|-------------------------------|-----|
| (१) शार्दूल, मृगराज, पंचानन | () |
| (२) चारु, रमणीय, ललित | () |
| (३) द्विरद, कुंजर, मतंग | () |
| (४) महीप, भूपति, नृप | () |
| (५) शर्वरी, यामिनी, विभावरी | () |
| (६) बलाहक, वारिद, अभ्र | () |
| (७) रत्नाकर, वारीश, नदीश, | () |
| (८) हाटक, हिरण्य, कंचन | () |
| (९) द्विरेफ, भृंग, मधुप | () |
| (१०) सौदामिनी, विद्युत, चंचला | () |
| (११) द्युति, ज्योति, प्रभा | () |
| (१२) मेदिनी, वसुमती, अवनि | () |
| (१३) आत्मजा, सुता, तनया | () |
| (१४) नग, भूमिधर, शैल | () |
| (१५) विहंग, द्विज, खग | () |
| (१६) समीर, वयार, अनिल | () |
| (१७) तटिनी, निम्नगा, तरंगिणी | () |
| (१८) अम्बु, तोय, वारि | () |
| (१९) मयंक, सुधांशु, कलाधर | () |
| (२०) कंदर्प, पंचशर, अनंग | () |

२. बनल-अनिल—शब्द-युग्म का अर्थ होता है :

- (१) हवा-पानी (२) पानी-हवा (३) आग-हवा (४) हवा-आग
(५) आग-पानी । ()

३०. अशक्त-आसक्त—शब्द-युग्म का अर्थ होता है :

- (१) शक्तिशाली—मोहित (२) मोहित-शक्तिशाली (३) शक्तिहीन-
मोहित (४) मोहित-शक्तिहीन (५) शक्तिशाली-शक्तिहीन । ()

३१. निम्नांकित शब्द-युग्मों में अर्थ सम्बन्धी अन्तर बताइये :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (१) अन्य-अघ्न | (२) प्रणाम-परिणाम |
| (३) शर-सर | (४) शुल्क-शुक्ल |
| (५) बलि-बली | (६) झूठा-जूठा |
| (७) चरम-बर्ष | (८) संप्रति-संपति |
| (९) इति-ईति | (१०) उद्यत-उद्धत |
| (११) मद-मद्य | (१२) द्वीप-द्विप |
| (१३) शुचि-सूची | (१४) सकल-शकल |
| (१५) पुष्कर-पुष्कल | (१६) नक्र-नरक |
| (१७) कृत-कृत्य | (१८) निजंर-निर्झर |
| (१९) आकर-आकार | (२०) पाणि-पानी |
| (२१) चिर-चीर | (२२) दूत-द्यूत |
| (२३) प्रसाद-प्रासाद | (२४) अलि-आली |
| (२५) अविराम-अभिराम | (२६) आवरण-आमरण |
| (२७) नग-नाग | (२८) जलद-जलज |

३२. निम्नलिखित शब्द-युग्मों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिये कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाय—(१) अस्त्र-गस्त्र (२) परिणाम-परिमाण (३) ग्रह-गृह (४) कुल-कूल (५) बनल-अनिल (६) अवलम्ब-अविलम्ब (७) अभिनव-अभिनय (८) अभिराम-अविराम (९) अपेक्षा-उपेक्षा ।

३३. नीचे कुछ शब्द-युग्म अर्थ सहित दिये जा रहे हैं । जो अर्थ आपकी श्रुति प्रतीत हों उनके आगे (✓) का चिह्न लिखिये और जो अश्रुति प्रतीत हों उनके आगे (×) का चिह्न लिखिये :

- (१) अशक्त (शक्तिहीन) (२) अमय (निटर)
अशक्त (आशक्ति रहित) उभय (दोनों)

(३) असित (सफेद)	(४) अनल (हवा)
अशित (काला)	अनिल (आग)
(५) भवन (मकान)	(६) शशि (खरगोश)
भुवन (मकान)	शश (खरगोश)
(७) वसन (वस्त्र)	(८) सकल (पूरा)
व्यसन (बुरी आदतें)	शकल (खण्ड)
(९) सर्ग (अध्याय)	(१०) मूल्य (कीमत)
स्वर्ग (देवलोक)	मूल (कीमत)

१४. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति सामने दिये गये शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिये :

- (१) छोटे बालक केवल.....के लिए ही कीर्तन में जाते हैं ।
(प्रसाद—प्रासाद)
- (२) सन्तुलित भोजन में सभी तत्त्वों का कुछ.....में होना आवश्यक है ।
(अंस—अंश)
- (३) सच्चे वीर देश-सेवा के लिए सदैव.....रहते हैं ।
(उद्धत—उद्यत)
- (४) तुम्हारी.....भ्रष्ट हो गयी है ।
(मत—मति)
- (५) उसने.....में बैठकर सैर की ।
(तरणी—तरणि)
- (६) विद्यार्थियों को प्रति.....अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए ।
(दीन—दिन)
- (७) ऊँचे.....वाले पुरुष ही सदा उन्नति करते हैं ।
(लक्ष—लक्ष्य)
- (८)में फँसे हुए व्यक्ति कुमार्गी बनते हैं ।
(वसन—व्यसन)
- (९) उसकी.....बड़ी सरल है ।
(प्रकृति—प्रकृत)
- (१०) आजकल उसके.....अच्छे नहीं हैं ।
(ग्रह—गृह)

१५. निम्नलिखित शब्द-युग्मों के अर्थ के अन्तर को स्पष्ट कीजिये :

- (१) लज्जा—ग्लानि (२) सेवा—शुश्रूषा (३) निंदा—अपवाद (४) दुःख—शोक (५) भय—त्रास (६) दया—कृपा (७) प्रार्थना—निवेदन (८) अहंकार—अभियान (९) आधि—व्याधि (१०) अज्ञ—मूर्ख (११) स्पर्धा—ईर्ष्या (१२) बलिदान—हत्या ।

१६. नीचे कुछ वाक्य और शब्द-समूह दिये जा रहे हैं। प्रत्येक के सामने कोष्ठक में एक ऐसा शब्द लिखिये जो पूरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर दे :
- (१) जो ईश्वर में विश्वास करता हो। ()
 (२) जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो। ()
 (३) जो जाना न जा सके। ()
 (४) जिस पद के लिए वेतन न लिया जाय। ()
 (५) दिन-भर का कार्यक्रम। ()
 (६) जिसका कथन न किया जा सके। ()
१७. जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं :
- (क) आस्तिक (ख) नास्तिक (ग) पास्तण्डी (घ) अज्ञानी (ङ) अधार्मिक। ()
१८. जो नवीन बातें जानने का हर समय इच्छुक रहता है उसे कहते हैं :
- (१) ज्ञानी (२) उत्सुक (३) बुद्धिमान (४) जिज्ञासु (५) उत्साही। ()
१९. पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताइये :
- (१) जिस पुरुष की पत्नी मर गयी हो।
 (२) जो मृदु वचन बोलता हो।
 (३) जो अनुकरण करने योग्य हो।
 (४) जो आकाश को छूने वाला हो।
 (५) जो किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कह देता हो।
२०. दूसरों की सफलता देखकर जलना—इस आशय का बोधक शब्द है :
- (१) द्वेष (२) ईर्ष्या (३) स्पर्धा (४) हिंसा (५) ग्लानि। ()
२१. समन्वय शब्द का अर्थ है :
- (१) परस्पर समझौता (२) ठीक अर्थ (३) एकता की भावना (४) अच्छा अन्वय (५) विरोधी तत्वों का मेल। ()
२२. भाषा विचारों की बाहिका है—यहाँ पर बाहिका से तात्पर्य है :
- (१) बहनेवाली (२) रोकनेवाली (३) ले जानेवाली (४) बाँधने वाली (५) आच्छादित करनेवाली। ()
२३. निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अनेकार्थक शब्दों के अर्थ को लिखिये :
- (१) कनक में कनक से कहीं अधिक मादकता होती है।

- (२) मैंने कर्ण से कर्ण की यशोगाथा सुनी ।
 (३) अरुण अरुण वर्ण का होता है ।
 (४) उस स्त्री का नीलाम्बर नीलाम्बर के समान शोभायमान है ।
 (५) बिना जीवन के जीवन चल ही नहीं सकता ।

२४. नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके सामने कोष्ठकों में लिखिए :

- | | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|
| (१) रात | () | (६) उत्तीर्ण | () |
| (२) प्रकाश | () | (७) योगी | () |
| (३) अन्धकार | () | (८) भोगी | () |
| (४) अन्याय | () | (९) आदि | () |
| (५) स्वर्ग | () | (१०) सज्जन | () |

२५. नीचे लिखे कथनों में जो कथन अशुद्ध प्रतीत हों उनके आगे (X) का चिह्न अंकित कीजिये, और जो शुद्ध प्रतीत हों उनके आगे (✓) का चिह्न अंकित कीजिये :

- (१) उन्नति का विलोम शब्द अपकर्ष है ।
 (२) उन्नति का विलोम शब्द अवनति है ।
 (३) उन्नति का विलोम शब्द उत्कर्ष है ।
 (४) मान का विलोम शब्द सम्मान है ।
 (५) राजा का विलोम शब्द प्रजा है ।
 (६) राजा का विलोम शब्द रानी है ।
 (७) स्वतन्त्र का विलोम शब्द परतन्त्र है ।
 (८) यश का विलोम शब्द पराजय है ।
 (९) अपमान का विलोम शब्द मान है ।
 (१०) एक का विलोम शब्द बहुत है ।

२६. प्रेम का विलोम शब्द क्या है :

- (१) ईर्ष्या (२) द्वेष (३) घृणा (४) क्रोध (५) वैर । ()

२७. आचार का विलोम शब्द क्या है :

- (१) दुराचार (२) अनाचार (३) सदाचार (४) उपचार (५) कदाचार । ()

२८. साकार का विलोम-शब्द क्या है :

- (१) आकार (२) विकार (३) अपकार (४) उपकार (५) निराकार । ()

परिच्छेद ६—शब्द-रचना

१. नीचे लिखे उदाहरण देखिये :

१. पढ़ाई = पढ़ + आई

२. चतुरता = चतुर + ता

३. वियोगी = वि + योग + ई

पहले उदाहरण में पढ़ाई शब्द पढ़ धातु और आई प्रत्यय के योग से बना है। दूसरे उदाहरण में चतुरता शब्द चतुर शब्द और ता प्रत्यय के योग से बना है। तीसरे उदाहरण में वियोगी शब्द वि उपसर्ग, योग शब्द और ई प्रत्यय के योग से बना है।

२. शब्द धातु और प्रत्यय के योग से, अथवा शब्द और प्रत्यय के योग से अथवा उपसर्ग और शब्द के योग से; अथवा उपसर्ग, शब्द और प्रत्यय तीनों के योग से बनता है।

उपसर्ग

३. जो अक्षर या अक्षर-समूह शब्द के पूर्व जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं।

४. उपसर्ग कभी शब्द के अर्थ को उलट देता है, कभी उसमें परिवर्तन कर देता है और कभी कुछ भी नहीं करता। जैसे—

(१) स्मरण, विस्मरण। गमन, आगमन। योग, वियोग। जय, पराजय। गुण, अवगुण।

(२) योग, उपयोग, प्रयोग, नियोग, उद्योग। देश, उपदेश, उद्देश, निदेश, निन्देश।

(३) जय, विजय। ह्यात, विख्यात प्रख्यात।

५. प्रमुख उपसर्ग नीचे दिये जाते हैं :

(क) संस्कृत के उपसर्ग^१

१. अति (अधिक, पर)—अतिवृष्टि, अतीन्द्रिय, अतिक्रम।

२. अधि (रूपर, श्रेष्ठ)—अधिपति, अधीक्षण, अधिगुण।

३. अनु (पीछे, साथ, प्रत्येक)—अनुज, अनुपान, अनुदिन।

^१ अति, अधि, अनु, अप, अपि, अमि, र अव, आ, उद्, उप, जान।
दुर्, निर्, नि, परि, परा, प्र, प्रति, वि, नु, सं, बीस बखान ॥

४. अप (दूर, बुरा, हीन, विरोध)—अपनयन, अपमृत्यु, अपव्यय, अपमान ।
५. अपि (निकट)—अपिनद्ध (पिनद्ध), अपिधान (पिधान) ।
६. अभि (ओर, निकट)—अभिमान, अभ्युत्थान, अभिभावक ।
७. अव (नीचे, हीनता, वैपरीत्य)—अवर्तति, अवज्ञा, अवगुण ।
८. आ (तक, लेकर, भर, विपरीत)—आमरण, आजीवन, आजन्म, आगमन ।
९. उत् (ऊपर, उत्तम)—उन्नति, उदय, उत्तीर्ण, उत्तम ।
१०. उप (पास, गौण)—उपगत, उपस्थित, उपमन्त्री ।
११. दुर् (बुरा, कठिन)—दुर्जन, दुर्बुद्धि, दुःसह, दुष्कर ।
१२. निर् (बाहर, रहित, विरोध)—निर्गमन, निर्धन, निश्चल ।
१३. नि (नीचे, अधिक)—निपात, निपीड़न, निबन्ध, नियुक्त ।
१४. परा (वापिस, उलटा)—परावर्तन, पराजय ।
१५. परि (चारों ओर, पूरी तरह)—परिक्रमा, परिधि, परिपूर्ण, पर्याप्त ।
१६. प्र (प्रकृष्ट, अधिक, पूरी तरह)—प्रख्यात, प्रचण्ड, प्राचार्य, प्रस्तावना ।
१७. प्रति (उलटा, मुकाबले में, बदले में, ओर, प्रत्येक)—प्रतिक्रिया, प्रत्युदाहरण, प्रत्युत्तर, प्रतिनायक, प्रतिनिधि, प्रतिलिपि, प्रतिहिंसा, प्रतिदान, प्रतिमूल्य, प्रतिदिन ।
१८. वि (विशेष, भिन्न, रहित, बुरा, विरोध)—विख्यात, विज्ञान, विदेश, विफल, विकर्म, विपक्ष ।
१९. सम् (भलीभाँति, साथ)—संरक्षण, संशोधन, संस्कार, संगम, संलग्न ।
२०. सु (अच्छा, भलीभाँति, अधिक)—सुशिक्षा, स्वागत, सुरक्षित, सुदूर ।
निम्नलिखित शब्द भी हिन्दी में उपसर्ग की भाँति प्रयुक्त होते हैं :
२१. न, अ, अन् (नहीं, वैपरीत्य)—नगण्य, नास्तिक, अज्ञान, अधर्म, अपार, अनाचार, अनादर, अनन्त, अनादि ।
२२. स, सह (साथ, समान)—सरल, सफल, सजातीय, सोदर, सहोदर, सहयोग ।
२३. कु, कद्, का (बुरा)—कुकर्म, कुपुत्र, कुरूप, कदन्न, कापुरुष ।

(ख) हिन्दी और उर्दू उपसर्ग

१. अ, अन (विरोध, अभाव)—अज्ञान, अनजान, अचेत, अथाह, अनमोल, अनहोनी ।

२. ना, ला, (नहीं, विरोध)—नालायक, लाइलाज, लाचार ।
 ३. वे (शिना)—वेईमान, वेशक, वेकायदा ।
 ४. गैर (विरोध)—गैरहाजिर, गैरसरकारी, गैरमुल्क ।
 ५. कु, क (बुरा)—कूचाल, कुठोर, कपूत ।
 ६. दु (बुरा, अभाव)—दुकाल, दुबला, दुहागिन ।
 ७. वा (महित, पूर्वक)—वाकायदा, वाजावता ।
 ८. नि (अभाव)—निडर, निघडक, निहत्या ।

प्रत्यय

६. जो अक्षर या अक्षर-समूह धातु या शब्द के पीछे (पर भाग में) जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे प्रत्यय कहते हैं ।

७. प्रत्यय के दो मुख्य प्रकार होते हैं :

(१) कृत्-प्रत्यय—जो धातु के पीछे (उत्तर भाग में) जुड़कर शब्द बनाता है ।

(२) तद्धित-प्रत्यय—जो शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है ।

८. धातु के पीछे कृत्-प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदन्त शब्द कहते हैं । जैसे—

गम् + तव्य = गन्तव्य ।

चढ़ + आई = चढ़ाई ।

चढ़ + कर = चढ़कर ।

चढ़ + आ = चढ़ा (= चढ़ा हुआ) ।

९. शब्द के पीछे तद्धित-प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितान्त शब्द कहते हैं । जैसे—

मघर + ता = मघरता ।

कँचा + आई = कँचाई ।

नीति + इक = नैतिक ।

भूय + आ = भूसा ।

१०. प्रत्यय जुड़ने के पूर्व धातु या शब्द में कभी-कभी कुछ विकार हो जाता है ।

(१) कभी अन्तिम स्वर का लोप हो जाता है । जैसे—पृथा + अ = पाथं ।

(२) कभी आदि स्वर ह्रस्व हो जाता है । जैसे—मीठा + आई = मिठाई ।

मूट + एरा = मुटेरा । देश + आई = दिशाई । भूल + आवा = भूसावा ।

(३) कभी आदि स्वर का गुण या वृद्धि हो जाता है । जैसे—जि + तव्य = जेतव्य । नी + नृ = नेनृ । पुण्य + अ = पोण्य । नीति + इक = नैतिक ।

(४) हिन्दी शब्दों में, स्वर से आरम्भ होने वाले प्रत्यय के पूर्व, अन्त के 'अ' का सदा और अन्त स्वर का कभी-कभी लोप हो जाता है।

११. कृत्-प्रत्यय और कृदन्त शब्द

१. संज्ञा बनाने वाले कृत्-प्रत्यय

संस्कृत-प्रत्यय

१. अ—कृ-कर, पठ्-पाठ, लभ्-लाभ, जि-जय, वुध्-बोध।
२. अन—गम्-गमन, लिख्-लेखन, पठ्-पठन, दा-दान, भुज्-भोजन।
३. अन+आ—सूच्-सूचना, प्रार्थ्-प्रार्थना, तुलना, घटना, रचना, छलना।
४. आ—कथ्-कथा, हिस्-हिंसा, चिन्ता, व्यथा, इच्छा, तुला।
५. ति—कृ-कृति, गम्-गति, युज्-मुक्ति, दृश्-दृष्टि, वुध्-बुद्धि, हा-हानि, वृद्धि, सृष्टि, वृष्टि।
६. या—विद्-विद्या, कृ-क्रिया, शी-शय्या।
७. सा—पा-पिपासा, ज्ञा-जिज्ञासा, मन्-मीमांसा।

हिन्दी प्रत्यय

१. अ—चमक+अ=चमक। समझ+अ=समझ। भूल, लूट, झूल, मेल।
२. अन—चल+अन=चलन। लेन, देन, झाड़न, वेलन, ढक्कन।
३. आ—झगड़+आ=झगड़ा। घेरा, मेला।
४. आई—चढ़+आई=चढ़ाई। पढ़ाई, सिलाई, धुलाई, चराई, कमाई, खुदाई।
५. आन—उड़-उड़ान। उठान, लगान।
६. आव—लग-लगाव। छिड़काव, बचाव घुमाव।
७. आवट—थक-थकावट। रंकावट, मिलावट, खिलावट, सजावट।
८. आवा—बुला-बुलावा। भुला-भुलावा।
९. आस—पी-प्यास।
१०. आहट—चिल्ला-चिल्लाहट। घबराहट, जगमगाहट।
११. ई—हँस-हँसी। बोली, धमकी, रेती।
१२. औता-औती—समझौता, मनीती।

१३. औना—खेल-खिलौना । विछौना ।
 १४. त—बच-बचत । खपत, पढ़त ।
 १५. ती—बढ़-बढ़ती । घटती, चढ़ती, गिरती ।
 १६. ना—लिख-लिखना । जीना, लेना-देना, रोना-पीटना, खाना-पीना ।
 ढक-ढकना । ओड़-ओड़ना ।
 १७. नी—कर-करनी । कहनी, बानी । ओड़नी, कतरनी, घोंकनी ।

२. कर्तृवाचक शब्द बनाने वाले प्रत्यय

संस्कृत-प्रत्यय

१. अ—चूर्-चोर ।
२. अक—मूच्-मूचक । लिख्-लेखक । दर्शक, बोधक, पाठक ।
३. अन—नन्दे-नन्दन । प्-पावन । नाशय्-नाशन । सूदन ।
४. ई (ईन्)—दृष्-दर्शी । वद्-वादी । भुज्-भोगी ।
५. इष्णु—सह्-सहिष्णु । वर्धिष्णु ।
६. ता (तृ)—कृ-कर्ता । दा-दाता । नी-नेता । दृष्-द्रष्टा । सृज्-स्रष्टा ।
 भीक्ता, वक्ता, श्रोता, रचयिता ।

हिन्दी-प्रत्यय

१. इया—धुनिया, जड़िया ।
२. वैया—गवैया ।
३. आड़ी—खिलाड़ी ।
४. एरा—लुटेरा ।

३. विशेषण बनाने वाले कृत्-प्रत्यय

संस्कृत-प्रत्यय

१. अनीय—पठ्-पठनीय । वंदनीय, करणीय, दर्शनीय ।
२. य—चिन्त्-चिन्त्य । ज्ञेय, पेय, त्याज्य, भोज्य, भव्य, रम्य, श्रव्य,
 पाठ्य, कार्य, ध्येय, दृश्य ।
३. तव्य—गम्-गन्तव्य । दृष्-द्रष्टव्य । कर्तव्य, वक्तव्य, भवितव्य ।
४. त, इत्—कृ-कृत । पठ्-पठित । गत, ज्ञात, श्रुत, भूत, प्राप्त, मुक्त,
 युक्त, उक्त, दृष्ट, स्पष्ट, हृष्ट, पुष्ट, लघ्य, शुद्ध, वृद्ध, मुग्ध, मूढ़, रूढ़,
 दत्त, स्थित, पीत । विदित, विचलित ।

५. न—भिद्-भिन्न । छिन्न, खिन्न । जीर्ण, तीर्ण, शीर्ण, विदीर्ण । प्रसन्न, विपण्ण । लीन, दीन, हीन ।
६. मान—वृत्-वर्तमान । वर्धमान, शोभमान, विद्यमान ।
७. वर—नगा-नखवर । भास्वर, ईश्वर, स्यावर ।

हिन्दी-प्रत्यय

१. अक्कड़—मुलक्कड़, पियक्कड़ ।
२. आऊ—खाऊ, उड़ाऊ, दिखाऊ, उटाऊ ।
३. आक, आका, आकू—तैराक, लड़ाका, लड़ाकू ।
४. इया—घटिया, बढ़िया ।
५. वां—ढलवां, पिटवां ।
६. आ, आ हुआ—पढ़-पढ़ा, पढ़ा हुआ । भरा, किया, गया, सिला ।
७. ता, ता हुआ—पढ़-पढ़ा, पढ़ता हुआ । हँसता, करता, उड़ता, खाता, पीता, जाता ।

४. अव्यय (क्रियाविशेषण) बनाने वाले कृत-प्रत्यय

१. कर, के—लिखकर, जाकर, खाकर, देखकर, करके ।
२. ए, ए हुए—लिखे, लिखे हुए । किये हुए, गये हुए ।
३. ते, ते हुए—लिखते, लिखते हुए । पढ़ते हुए, जाते हुए, करते हुए ।

१२. तद्धित-प्रत्यय

१. संज्ञा बनाने वाले तद्धित-प्रत्यय

संस्कृत-प्रत्यय

१. अ—शुचि-शौच, मुनि-मौन, मुरुष-पौरुष, शिशु-शैशव, गुरु-गौरव ।
२. इमा—महा-महिमा । लघु-लघिमा । गुरु-गरिमा । अणि-अणिमा । धवलिमा, पीतिमा, अरुणिमा, लालिमा । बहु-भूमा ।
३. इक—श्रम-श्रमिक ।
४. ई—मधुर-माधुरी । चतुर-चातुरी ।
५. ता—मधुर-मधुरता । सुन्दरता, वीरता, शिशुता, कविता । सहाय-सहायता । उपयोगी-उपयोगिता ।
६. त्व—मधुरत्व, गुरुत्व, शिशुत्व, वीरत्व, कवित्व, राजत्व ।
७. य—माधुर्य, सौन्दर्य, चातुर्य, आलस्य, सौभाग्य, वाणिज्य, बाल्य, जाड्य, राज्य, शौर्य, धैर्य ।

हिन्दी-प्रत्यय

१. आ—सराफ-सराफा । गोल-गोला ।
२. आई—भला-भलाई । खटाई, मिठाई, बुराई, चिकनाई, ठकुराई ।
३. आना-वाना—राजपूताना, तिलंगाना, गोंडवाना ।
४. आयत—बहुतायत, अपनायत ।
५. आपा—अपनापा, बहनापा, बुढ़ापा, मुटापा, रेंडापा ।
६. आर—सोना-सुनार । लुहार, चमार, कुंभार ।
७. आरी—पूजा-पुजारी । भीख-भिखारी ।
८. आल—नाना-ननिहाल । समुराल ।
९. आस—मीठा-मिठास । खट्टा-खट्टास ।
१०. आहट—चिकनाहट, कड़ुवाहट ।
११. इया—आड़त-आड़तिया ।
१२. ई—गरीब-गरीबी । जवानी, किसानी, महाजनी, बुद्धिमानी, मजदूरी, चोरी, तेली, माली, व्यापारी, पहुँची, कण्ठी ।
१३. औती—बूढ़ा-बुढ़ौती, बाप-बपौती ।
१४. पन—बचचा-बचपन । भलपन, लड़कपन, पागलपन ।
१५. वान—गाड़ीवान ।
१६. वाल—ओसवाल, पाचीवाल, अग्रवाल, गयावाल ।
१७. हारा—लकड़ी-लकड़हारा । पानी-पनिहारा ।

२. अपत्यवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित-प्रत्यय

१. व—पुत्र-पौत्र । दुहितृ-दौहित्र । पृथा-पार्थ । कश्यप-काश्यप । भृगु-भार्गव । मनु-मानव । कुरु-कौरव । वसुदेव-वासुदेव ।
२. इ—अरुण-आरुणि । वरुण-वारुणि । दाशरथि, सोमित्रि, शीरि ।
३. ईय—ध्रातृ-ध्रात्रीय । स्वसृ-स्वस्त्रीय ।
४. एय—अत्रि-आत्रेय । । मुकडु-मार्कण्डेय । कौन्तेय, वैनतेय, कात्तिकेय, गांगेय । भगिनी-भागिनेय ।
५. य—चणक-चाणक्य । दिति-दैत्य । अदिति-आदित्य । जामदग्न्य ।
६. आयन—नर-नरायण । बदरी-बादरायण । शाकटायन ।

३. नारी-जाति बनाने वाले तद्धित-प्रत्यय

संस्कृत-प्रत्यय

१. आ—पण्डित-पण्डिता । बालक-बालिका । सुता, वृद्धा, भवदीया, द्वितीया, चतुरा, पालिका, दायिका । आचार्या, शूद्रा ।
२. ई—सुन्दर-सुन्दरी । स्वामी (स्वामिन)-स्वामिनी । कर्ता-कर्त्री । कवयिता-कवयित्री । साधु-साध्वी । गुणवान्-गुणवती । श्रीमान्-श्रीमती ।
३. आनी—भव-भवानी । इन्द्राणी, मातुलानी, आचार्यानी ।
४. ति—युवा-युवति, युवती ।

हिन्दी-प्रत्यय

१. ई—दादा-दादी । बूढ़ा-बूढ़ी । पीली, हरी, नानी, मामी, भाभी ।
२. नी—सिहनी, मोरनी, नटनी । नाती-नतनी ।
३. इन—माली-मालिन । धोबिन, तेलिन, सुनारिन ।
४. आनी—सेठानी, ठकुरानी, पण्डितानी, जिठानी, देवरानी, नौकरानी ।
५. आइन—वनिया-वनियाइन । पण्डिताइन, ठकुराइन ।

४. विशेषण बनाने वाले तद्धित-प्रत्यय

संस्कृत-प्रत्यय

१. अ—चन्द्र-चान्द्र । सूर्य-सौर । शैव, वैष्णव । पृथ्वी-पार्थिव । ऋषि-ार्षि ।
२. आलु—दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, निद्रालु ।
३. इक—मासिक, वार्षिक, धार्मिक, आत्मिक, दैविक, दैहिक, वैदिक, शारीरिक, नागरिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मानसिक ।
४. इन—पुष्पित, कुसुमित, दुखित, पुलकित, हर्षित, पण्डित, सम्बन्धित ।
५. इम—अन्तिम, आदिम, अग्रिम, पश्चिम, स्वर्णिम ।
६. इल—पंकिल, फेनिल, तुंदिल, शर्करिल ।
७. इष्ठ—बलिष्ठ, स्वादिष्ठ, ज्येष्ठ, गरिष्ठ ।
८. इन् (ई)—गुण-गुणी । धनी, सुखी, उत्साही, प्रेमी, स्वार्थी ।
९. ईन—कुलीन, ग्रामीण । प्राच्-प्राचीन । अर्वाच्-अर्वाचीन ।
१०. ईय—देशीय, राष्ट्रीय, भारतीय, पाणिनीय, मदीय, परकीय ।

११. त्य—अत्रत्य, पौरस्त्य, दाक्षिणात्य, पाश्चिमात्य, पाश्चात्य ।
 १२. तम, म—शततम, विणतितम, पंचम, उत्तम, मधुरतम ।
 १३. तर, र—उत्तर, मधुरतर, अपर, अधर, अवर ।
 १४. मत्, वत्—गुणवत्, गुणवान् । श्रीमत्, श्रीमान् । बुद्धिमान् ।
 १५. मय—गुणमय, तेजोमय, सुखमय, अन्नमय, वाङ्मय ।
 १६. मात्र—लेशमात्र, क्षणमात्र, दुःखमात्र ।
 १७. य—ग्राम्य, कण्ठ्य, न्याय्य, अन्त्य, आद्य, वायव्य ।
 १८. र—मधुर, मुखर, पाण्डुर, कुंजर ।
 १९. ल—शीतल, मांसल, वत्सल ।
 २०. विन् (वी)—मेघावी, मायावी, तपस्वी, तेजस्वी ।

हिन्दी-प्रत्यय

१. आ—भूआ, प्याआ, प्यारा, ठण्डा, मैआ ।
 २. आर—गाँव-गाँवार । दूध-दुधार ।
 ३. आरी—दुखारी, भित्तारी, जुआरी ।
 ४. आल, आनू—दयाल, कृपाल, दयालू, झगड़ालू ।
 ५. इया—दुखिया, सुखिया, कलकतिया, वेम्बइया ।
 ६. ई—सरकारी, परदेसी, रामानन्दी, बंगाली, अग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, राजस्थानी ।
 ७. ईला—चमकीला, गंठीला, जहरीला, रंगीला ।
 ८. एरा—यामा-ममेरा । फुफेरा, चचेरा, मौसेरा ।
 ९. तना—जो-जितना । कितना, इतना, उतना ।
 १०. ला—आगे-अगला । पिछला, लाइला, धुंधला, भँझला ।
 ११. मंत, वंत—श्रीमंत, गुणवंत, धनवंत, दयावंत, शीलवंत ।
 १२. वाला—गाड़ीवाला, टोपीवाला, आगरेवाला ।
 १३. वाँ—पाँचवाँ, दसवाँ, सौवाँ ।
 १४. सा—बहुत-सा, थोड़ा-सा, भला-सा, दैत्य-सा, जैसा, कैसा ।
 १५. हरा, हला—दो-दुहरा, सुनहरा, रुपहला ।

५. क्रियाविशेषण बनाने वाले तद्धित-प्रत्यय

१. दा (=दिन)—सवदा, एकदा, अन्यदा, सदा, यदाकदा ।
 २. त्र (=स्थान)—सवत्र, एकत्र, अन्यत्र, परत्र, यत्र-तत्र ।

३. तः (=और, स्थान) —सर्वतः, एकतः, अन्यतः ।
४. तः (=से) —अंशतः, स्वतः, फलतः, अतः, यतः ।
५. था (=प्रकार) —सर्वथा, अन्यथा, यथा, तथा ।
६. धा (=खण्डों में) —शतधा, पंचधा, त्रिधा, द्विधा, बहुधा ।
७. शः (=वार) —अनेकशः, शतशः, कोटिशः, क्रमशः, शब्दशः, अक्षरशः ।
८. वत् (समान) —गुरुवत्, तृणवत् ।
९. चित् (अनिश्चय) —कदाचित्, कथंचित्, किंचित् ।

६. प्रकीर्ण तद्धित-प्रत्यय

१. ता (समूहवाचक) —जन-जनता, मानव-मानवता ।
२. ई, क, तय (समाहारवाचक) —बीसी, पच्चीसी, चौबीसी, बत्तीसी, द्वादशी, शती, सदी । पंचक, अष्टक, शतक । द्वितय, त्रितय, चतुष्टय ।
३. क (ऊन वाचक) —बालक, पुत्रक, हंसक ।
४. ऊन, उन (एक कम) —ऊनविंशति, उन्तीस, उन्नीस, उनसठ ।

अभ्यासमाला ८

(क)

१. निम्नलिखित शब्दों के विपरीत-शब्द बनाइये :
सबल, कुरूप, पक्ष, क्रय, स्मरण, जय, उन्नति, उत्कर्ष, यश, कीर्ति, गुण, आदर, मान, सम्मुख, आयात, गमन ।
२. निम्नलिखित शब्दों के पूर्व विभिन्न उपसर्ग जोड़कर नये शब्द बनाइये :
हार, कार, चार, धार, मान, देश, वेश, क्रान्ति ।
३. निम्नलिखित शब्द-समूहों के लिए एक-एक शब्द लिखिये :
जीव से रहित, हरेक दिन, गौण कथा, सहाय कसचिव, बुरी अवस्था, बुरी दशा, रोगों से रहित, पीछे चलने वाला, पीछे जनमने वाला, उत्तर का उत्तर, अच्छी तरह शिक्षित, जो आस्तिक नहीं, जो शिक्षित नहीं, जिसका आदि नहीं, ज्ञान से रहित, जिसका पार नहीं, जिसका जवाब नहीं, समान जाति का, जो कठिनता से सहा जाय ।

४. निम्नलिखित शब्द-समूहों में से प्रत्येक में किस शब्द के पूर्व आरम्भ में दिया हुआ उपसर्ग आया है :

- (१) अ—अग्निल, अनुभव, अस्तित्व, अपार, असत्य ।
 (२) अन्—अनादर, अनाथ, अनुभव ।
 (३) वि—विद्वान् विद्यमान, वियोग, विलासत ।
 (४) अनु—अनुदार, अनुत्साह, अनुसार ।

(ख)

५. नीचे लिखी धातुओं से विशेषण शब्द बनाइये :

पठ्-पढ़, कृ-कर, ज्ञा-जान, दृश्-देख; घट, बढ़, लड़, कमा ।

- (१) पठ्—पठित
 (२) कृ—

६. नीचे लिखी धातुओं से संज्ञा शब्द बनाइये :

कप्-कह, दृश्-देख, कृ-कर, दा-दे, विद् (जानना), लिख्-लिख, भिद् (भेदना), श्रु-सुन, चुर्-चोर, दौड़, मिल, बच, चढ़, मुड़, बन, हँस, लग, चल, जल ।

- (१) कप्—कथन
 (२) दृश्—

७. नीचे लिखी धातुओं से वर्तमान कृदन्त, भूतकृदन्त तथा पूर्वकालिक कृदन्त बनाइये :

देग्, जा, पी, चढ़, बोल ।

- (१) देग्=देखता (हुआ); देखा (हुआ); देखकर ।
 (२)

८. नीचे लिखे संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइये :

अन्त, आदि, बल, धन, अनुराग, स्वाभिमान, भारत, विज्ञान, मुग्ध, गरीर, दया, राष्ट्र, संसार, राजनीति, विकास, मेधा, माया, पर्वत, बुद्धि, मूल, सुताग्र, मोसा, मूल, मोना, पहाड़ ।

- (१) अन्त—अन्तिम
 (२)

६. नीचे लिखे विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्द बनाइये :

निपुण, गुरु, लघु, मृदु, ऋजु, महत्, धवल, अरुण, दुष्ट, पवित्र, सुन्दर, चतुर, ऊँचा, मीठा, कडुवा ।

(१) निपुण—निपुणता ।

(२)

१०. नीचे लिखे संज्ञा शब्दों से दूसरे संज्ञा शब्द बनाइये :

मजदूर, चोर, बालक, पण्डित, सज्जन, पानो, गाड़ी, अग्नेज ।

(१) मजदूर—मजदूरी ।

(२)

(ग)

११. उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अन्तर होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये ।

१२. कृत्-प्रत्यय और तद्धित-प्रत्यय के अन्तर को उदाहरण देते हुए समझाइये :

१३. निम्नलिखित शब्दों में कृत्-प्रत्यय है या तद्धित-प्रत्यय ?

(१) गाड़ी वाला

(२) जाने वाला

(३) चढ़ाई

(४) ऊँचाई

(५) घबराहट

(६) चिकनाहट

(७) हँसी

(८) मजदूरी

(९) दुखिया

(१०) घटिया

रचना-शुद्धि

परिच्छेद १—शब्द-शुद्धि

रचना जितनी अधिक परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण-सम्मत और शुद्ध भाषा में होगी उतनी ही अधिक श्रेष्ठ वह नमस्ती जायगी। रचना का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि वह लेखक के भावों और विचारों को पाठकों के सामने झली-भाँति स्पष्ट करके रख सके; उसे पढ़कर पाठक किसी प्रकार की उलझन और भ्रान्ति में न पड़े। रचना निर्मल और स्वयं दर्पण की भाँति होनी चाहिए जिसमें सब कुछ स्पष्ट देखा जा सके।

अपनी रचना को ऐसा रूप प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ही अभ्यास करना चाहिए। उन्हें अपनी रचना को उन दोषों से बचाना चाहिए जिनसे रचना का सौन्दर्य नष्ट होता है तथा उन गुणों का समावेश अपनी रचना में करना चाहिए जिनसे वह मुन्दर और रोचक बन सके और पाठकों को प्रभावित कर सके।

रचना में शब्दों की शुद्धि की ओर प्रारम्भ से ही ध्यान देना चाहिए। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग जहाँ लेखक के भाषा-सम्बन्धी अज्ञान को प्रकट करता है वहाँ वह भाषा को अस्पष्ट और शिथिल भी बनाता है।

छात्र प्रायः अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे शब्दों के शुद्ध ज्ञान के लिए वर्तनी सम्बन्धी कुछ नियम दिये जाते हैं और साथ ही बहुधा अशुद्ध लिखे जाने वाले शब्दों की सूची उनके शुद्ध रूपों के साथ दी जाती है।

वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धियाँ

(१) ऋ और ॠ

धातु के आगे भूत कृदन्त का त या भाववाचक ति प्रत्यय हो तो ऋ लिखिये और कृदन्त अन, तप्य, ता (तृ) अ, अक प्रत्यय हो तो ॠ लिखिये। जैसे—

ऋ—गृहीत, अनुगृहीत, दृष्ट, वृष्ट, मृष्ट, हृष्ट, शृष्ट, आकृष्ट, दृष्टि, वृष्टि, मृष्टि।

अन्य उदाहरण—दृश्य, तृतीय, पृथक्, पंतक, भृंगार।

र्—ग्रहण, ग्रहीतव्य, ग्रहीता, ग्राहक, ग्रह, अनुग्रह, संग्रह, दर्शन, दर्शक, द्रष्टव्य, द्रष्टा; सर्जन, सर्जक, लष्टव्य, लष्टा; वर्षण, वर्षक, वर्ष वर्षा, कर्षण, आकर्षण; प्रष्टव्य, प्रश्न ।

अन्य उदाहरण—क्रिया, आक्रमण, व्रज, व्रजभाषा, कृत्रिम ।

(२) छ और क्ष

संस्कृत के क्ष का हिन्दी की बोलियों में छ हो जाता है पर साहित्यिक हिन्दी में व्यक्तिवाचक नामों को छोड़कर अन्यत्र क्ष ही लिखना चाहिये । जैसे—

क्षमा, वृक्ष, लक्ष्मी, लक्षण, रक्षा, लिखिये, छमा, वृच्छ, लछमी, लच्छन, रच्छा मत लिखिये । पर किसी का नाम लछमी, लछमन आदि हो तो छ ही लिखिये ।

छात्र, छत्र, इच्छा शब्दों में छ मौलिक है अतः इन शब्दों को छ से ही लिखना चाहिए, क्षात्र, क्षत्र, इक्षा इस प्रकार क्ष से नहीं ।

(३) ट और ठ

जिन शब्दों में इण्ठ प्रत्यय होता है वे ठ से लिखे जाते हैं । जैसे—घनिष्ठ, गरिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ ।

जिन शब्दों में भूत-कृदन्त का त् प्रत्यय या भाववाचक का ति प्रत्यय होता है वे ट से लिखे जाते हैं । जैसे—इष्ट, अनिष्ट, पृष्ट (पूछा हुआ), वृष्ट, सृष्ट, दृष्ट, हृष्ट, मृष्ट, दृष्टि, वृष्टि, सृष्टि ।

अन्य शब्द—ठ—पृष्ठ (पेज या पीठ) ।

ट—मिष्टान्न (मिठाई) ।

(४) ड और ढ

ये वर्ण शब्द के आरम्भ में जाते हैं तब उनके नीचे विन्दी नहीं लगती । जैसे—ढंग, ढकना, ढालू, ढाकू, लिखना अशुद्ध है ।

हिन्दी में ये वर्ण जब शब्द के मध्य में आते हैं तब उनके नीचे सदा विन्दी होती है । जैसे—पढ़ना, बढ़ना, कढ़ना, बढ़ई, मेंढ़क, दाढ़ी, गढ़, बड़ा, खंडहर, भेड़, सड़क ।

अंग्रेजी से आये शब्दों में ड के नीचे विन्दी नहीं लगती—रेडियो, रेडार लिखिये; रेड़ियो, रेडार नहीं ।

(५) त्व और त्त्व

जिन शब्दों के अन्त में त् ही उनके साथ त्व प्रत्यय जोड़ने पर त् और त्व के मिलने से त्व हो जायेगा। ऐसे स्थानों में त्व नहीं लिखना चाहिए—

महत् + त्व = महत्त्व ।

तत् + त्व = तत्त्व, तात्त्विक ।

सत् + त्व = सत्त्व, सात्त्विक ।

(६) श, ष और स

कई-एक महत्त्वपूर्ण शब्दों की वर्तनी ध्यान में रखिये। जैसे—

अशुद्ध—विदोश, प्रसंशा, श्वसुर, श्मसान ।

शुद्ध—विशेष, प्रसंशा, श्वशुर, श्मशान ।

(७) रेफ या हलन्त र्

विद्यार्थी असावधानी के कारण रेफ को अगले वर्ण के ऊपर न लिखकर उसी वर्ण के ऊपर या नीचे लिख देते हैं :

अशुद्ध—आदेश, आद्रश; आशीवाद; आशीवाद; आकर्षण, आक्रषण ।

शुद्ध—आदर्श, आशीर्वाद, आकर्षण ।

कभी-कभी वे पूरे र को हलन्त करके अगले वर्ण पर लिख देते हैं। जैसे—
नर्क, स्मर्ण । इनके शुद्ध रूप नरक और स्मरण हैं ।

(८) ल्ह ह्य ह्य

इन वर्णों को छात्र प्रायः न्ह, म्ह और ल्ह के रूप में लिखते हैं :

अशुद्ध—चिन्ह, ग्रम्ह, ग्रान्हण, प्रल्हाद, पूर्वाण्ह, मध्याण्ह ।

शुद्ध—चिह्न, ग्रह्य, ग्राह्यण; प्रह्लाद, पूर्वाह्न, मध्याह्न ।

(९) हलन्त वर्ण

अनेक बार विद्यार्थी अन्त में स्थित स्वर-युक्त व्यंजन को हलन्त करके लिख देते हैं। जैसे—

अशुद्ध—धीयुत्, विगत, गत्, प्रत्युत्, पंचम्, प्राचीनतम् ।

शुद्ध—धीयुत, विगत, गत, प्रत्युत, पंचम, प्राचीनतम ।

(१०) अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग

कई बार विद्यार्थी इनका लोप कर देते हैं और कभी जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा देते हैं। जैसे—

अशुद्ध—नहीं, राते, होगे, जायगीं, फलकं, दुःखः ।

शुद्ध—नहीं, रातें, होंगे, जायेंगीं, फलक, दुःख ।

यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध रूप दिये गये हैं :

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अत्याधिक	अत्यधिक	कनिष्ठ	कनिष्ठ
अत्योक्ति	अत्युक्ति	क्षत्रपति	छत्रपति
अध्यन	अध्ययन	क्षात्र	छात्र
अध्यात्मिक	आध्यात्मिक	गदहा	गधा
अनिष्ट	अनिष्ट	गरिष्ठ	गरिष्ठ
अनुग्रहीत	अनुगृहीत	ग्रहण	ग्रहण
अवन्नति	अवनति	ग्रहणीय	ग्रहणीय
अस्त्री	स्त्री	ग्रहीतव्यं	ग्रहीतव्य
आधीन	अधीन	ग्रहीता	ग्रहीता
आदेश	आदर्श	ग्रहीत	गृहीत
आशीर्वाद	आशीर्वाद	घनिष्ठ	घनिष्ठ
आलस्यता	आलस्य	चहाना	चाहना
आवश्यक्रीय	आवश्यक	चिन्ह	चिह्न
इतिहासिक	ऐतिहासिक	चेष्ठा	चेष्टा
इष्ठ	इष्ट	छठवां	छठा
इस्कूल	स्कूल	जाग्रत	जागरित, जागृत
इस्तान	स्तान	जाग्रति	जागति, जागृति
इस्त्री	स्त्री	जेष्ठ	ज्येष्ठ
इंकार	इनकार	झूठ	झूठ
उच्छिष्ठ	उच्छिष्ट	ढकना	ढकना
उच्छृंखल	उच्छृंखल	ढंग	ढंग
उज्वल	उज्ज्वल	तत्कालिक	तात्कालिक
उपस्थिती	उपस्थिति	तत्त्व	तत्त्व
उपरोक्त	उपर्युक्त	तद्दोपरान्त	तदुपरान्त
एक	एक	तलाव	तालाव
एक्यता	एकता, ऐक्य	तृकोण	त्रिकोण
कवयित्री, } कवियित्री }	कवयित्री	त्रितीय	तृतीय
		दधित्री	दधीचि

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
दुरावस्था	दुरवस्था	बुद्धवार	बुधवार
दोहरा	दुहरा	वृटिषा	ब्रिटिषा
दृष्टा	द्रष्टा	वृज	व्रज
दृष्य	दृश्य	वृजभापा	व्रजभापा
द्रष्टि	दृष्टि	ब्रम्ह	ब्रह्म
द्रश्य	दृश्य	ब्राम्हण	ब्राह्मण
नवाव	नवाव	भागवत्	भागवत
निरपराधी	निरपराध	भोत	बहुत
निरोध	नीरोध	मनोधं	मनोरथ
निर्दोषी	निर्दोष	महत्व	महत्त्व
पढना	पढ़ना	मैथली	मैथिली
परिक्षा	परीक्षा	यथेष्ठ	यथेष्ट
परिणित्	परिणत	योज्ञ	योग्य
पुज्य	पूज्य	रक्खा	रखा
पुरष्कार	पुरस्कार	रचियता	रचयिता
पूज्यनीय	पूजनीय, पूज्य	वाङ्मय	वाङ्मय
पूछना	पूछना	वादाविवाद	वादविवाद
पैत्रिक	पैतृक	विद्याध्यन	विद्याध्ययन
प्रत्युत्	प्रत्युत	विपेश	विशेष
प्रथक्	पृथक्	व्यवहारिक	व्यावहारिक
प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	व्याकरणं	व्याकरण
प्रदेशिक	प्रादेशिक	व्योपार	व्यापार
प्रन्तु	परन्तु	शंसोधन	संशोधन
प्रमाणिक	प्रामाणिक	शिफारिश	सिफारिश
प्रशंशा	प्रशंसा	श्मसान	श्मशान
प्रामाणित	प्रमाणित	श्रंगार	शृंगार
बढई	बढ़ई	श्राप	शापः
बहोत	बहुत	श्रीयुत्	श्रीयुत
बारात	बारात	श्रोत	स्रोत

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सदृश्य	सदृश	साम्यता	साम्य, समता
सन्मान	संमान, सम्मान	शासन	शासन
सन्मुख	संमुख, सम्मुख	साहित्यक	साहित्यिक
संन्यासी	संन्यासी	सृष्टा	स्रष्टा
साप्ताहिक	साप्ताहिक	सौजन्यता	सौजन्य
साम्राज्य	साम्राज्य	सौंदर्यता	सौंदर्य, सुंदरता
संभवत	संवत्	स्मरण	स्मरण
संवाद	संवाद	स्वयंवर	स्वयंवर
सविनयपूर्वक	सविनय, विनयपूर्वक	स्वस्थ्य	स्वस्थ्य
सहस्र	सहस्र	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य
संतुष्ट	सन्तुष्ट	स्रष्टि	सृष्टि
सांसारिक	सांसारिक	हस्ताक्षेप	हस्ताक्षेप

परिच्छेद २—वर्तनी के कुछ नियम

हिन्दी भाषा में ऐसे शब्द हैं जो भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं; जैसे—लिए और लिये, चाहिए और चाहिये, हवाएँ और हवायें, गयी और गई इत्यादि-इत्यादि। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना उपयोगी होगा।

(१) एकवचन में धा हो तो अनेकवचन में ए और नारीजाति (स्त्रीलिंग) में ई लिखना चाहिए पर एकवचन में या हो तो अनेकवचन में ये और नारीजाति में यी लिखना चाहिए। जैसे—

(क) संज्ञा शब्द	जुआ	जुए	...
	कुंआ	कुंए	कुंई
	सुआ	सुए	सुई
क्रिया शब्द	हुआ	हुए	हुई
	छुआ	छुए	छुई
(ख) संज्ञा शब्द	साया	साये	...
	दिया	दिये	...
	फोया	फोये	...
विशेषण	नया	नये	नयी
	दाया	दाये	दायी
	बाया	बाये	बायी
क्रिया	गया	गये	गयी
	सोया	सोये	सोयी
	लिया	लिये	(ली)

(२) संभाम्य भविष्य और सामान्य भविष्य के रूपों में भी उक्त नियम का ध्यान रखिये :

सा० भूत	सं० भ०	सा० भ०
धाया	धाये	धायेगा
सोया	सोये	सोयेगा
छुआ	छुए	छुएगा

(३) इ और ई के बाद स्वर से आरम्भ होने वाला प्रत्यय आता है तो बीच में य् का आगम होता है :

हानि	हानियां	हानियों
नदी	नदियां	नदियों
कवि	...	कवियों
माली	...	मालियों
देना	दीजिये	दीजियो
आना	आइये	आइयो

(४) नारीजाति (स्त्रीलिंग) के अनेकवचन का प्रत्यय एँ है उसके स्थान पर ये नहीं लिखना चाहिए :

विद्या	विद्याएँ	गी	गीएँ
धेनु	धेनुएँ	वहू	वहूएँ

(५) लिये क्रिया से भेद दिखाने के लिए अव्यय लिए को ए से लिखना अच्छा है। इसी प्रकार अव्यय चाहिए को भी ए से लिखना उपयुक्त होगा।

(६) ड-ढ तथा ड़-ढ़

ड और ढ सदा शब्द के आरम्भ में आते हैं और ड़ ढ़ सदा शब्द के मध्य में। ड़ ढ़ शब्द के आरम्भ में कभी नहीं आते।

ड—डाकू, डिब्बा, डर, वड़ा।

ढ—ढक्कन, ढकना, ढील, ढोल, ढोंग, पढ़ना, बूढ़ा।

अपवाद—अंग्रेजी से आये हुए शब्दों में शब्द के मध्य में भी ड आता है;

जैसे—रेडियो, रैंडार।

(७) हिन्दी के तद्भव शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण नहीं लिखना चाहिए। उदाहरणार्थ—रंग, लंका, गंजा, रंच, घंटा, ठंडक, अंदर, पंप, बंबई लिखिये। न कि रञ्ज लङ्का रञ्च, गञ्जा, घण्टा, ठण्डक, अन्दर, पम्प, बम्बई। पञ्चम वर्ण लिखने में छात्र बहुत अशुद्धियाँ करते हैं; वे घण्टा, गंजा आदि को प्रायः घन्टा, गन्जा आदि लिख देते हैं : पंचम वर्ण लिखना ही तो केवल संस्कृत शब्दों में लिखिये।

(८) चंद्रविन्दु के स्थान पर यथासंभव अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर जहाँ वर्ण पर इ-ई, ए-ऐ, ओ-औ की मात्राएँ लगी हों या ऊपर रेफ हो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे—

नींद, सेंध, जावें, हें, में, मं, हानियों के स्थान पर नींद, सेंध, जावें, हें, में, में लिख सकते हैं पर हंसना, दांत, ऊंट, को हंसना, दांत और ऊंट नहीं लिखना चाहिए ।

(६) रेफ के बाद आने वाले वर्ण को दुहरा न लिखकर एकहरा लिखना सुविधाजनक है—धम्मं, वम्मं, कर्त्ता, कर्त्तव्य, कार्य्य, भार्य्या, चर्य्या की जगह धर्म, वर्मा, कर्ता, कर्तव्य, कार्य, भार्या, चर्या लिखिये ।

(१०) विदेशी शब्दों के तद्भव रूप प्राप्त हों तो उनके स्थान पर तत्सम रूपों का प्रयोग नहीं करना चाहिये—लालटेन, कुर्नैन, डाक्टर, रसीद, दिसंबर, रंगरूट, आदि के स्थान पर लैंटर्न, विवनाइन, डॉक्टर, रिसीट, डिसेंबर, रिफ्रूट आदि नहीं लिखना चाहिए ।

(११) इसी प्रकार विदेशी भाषाओं से आये हुए शब्दों में वर्णों के नीचे विन्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए—

वक्त, वजीर, दफ्तर, दस्तखत, हक, आलिम, कागज, दगीचा, खबर, चाकू, जमीन, मेज, अंग्रेज आदि को वक्त, वजीर, दफ्तर, दस्तखत, हक, आलिम, कागज, दगीचा, खबर, चाकू, जमीन, मेज और अंग्रेज नहीं लिखना चाहिए ।

(१२) विभक्ति-प्रत्ययों को शब्दों से मिलाकर लिखना व्याकरण-सम्मत है । प्रायः सभी भारतीय भाषाएँ उनको मिलाकर लिखती हैं, पर हिन्दी में तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं :

१. विभक्ति-प्रत्ययों को सर्वत्र मिलाकर लिखना—गोरखपुर के गीता प्रेस और वाराणसी के ज्ञानमण्डल मुद्रणालय की पुस्तकों में, कल्याण और धर्मयुग पत्रिकाओं में तथा कलकत्ता, बंबई के मुद्रणालयों में छपी पुस्तकों में इस पद्धति का अनुसरण किया जाता है । जैसे—पेड़में, पेड़से, पेड़ने ।

२. विभक्ति-प्रत्ययों को सर्वत्र अलग लिखना—हिन्दुस्तानी अकादमी की पुस्तकों में यह पद्धति चलती है । जैसे—पेड़ ने, उस ने ।

३. विभक्ति-प्रत्ययों को अलग लिखना पर सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर लिखना—उत्तरी भारत में साधारणतया इसी पद्धति का चलन देखा जाता है । जैसे—पेड़ ने, पेड़ से, पेड़ में, उसने, मुझको ।

(१३) नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं जिनके दो-दो रूप होते हैं और दोनों ही शुद्ध हैं, फिर भी प्रथम रूप का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा :

अंगरेज	अंग्रेज	गरमी	गर्मी
अंजलि	अंजली	घबराना	घबड़ाना
ऊषा	ऊषा	दंपति	दंपती
कलश	कलस	पहले	पहिले
कुंवर	कुंअर	पृथिवी	पृथ्वी
कोसल	कोशल	प्रतिकार	प्रतीकार
कौसल्या	कौशल्य	विलकुल	विल्कुल
कोष (खजाना)	कोश (शब्दकोष)	वसिष्ठ	वशिष्ठ

परिच्छेद ३—वाक्य-शुद्धि

शब्दों की शुद्धि की भाँति ही वाक्यों की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । आगे कुछ उपयोगी नियम दिये जाते हैं :

(१)

(१) यह और वह

यह निकट की वस्तु के लिए और वह दूर की वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है । जैसे—यह, जो सामने खड़ा है, राम है और वह, जो दूर खाने गया है, प्रियाम है । इनके अनेक वचन के रूप ये और वे हैं । जैसे—ये कपड़े मेरे हैं और वे भैया के ।

ये के स्थान पर यह और वे के स्थान पर वह नहीं निम्नना चाहिए ।

(२) राजस्थानी, गुजराती, मराठी में उत्तमपुरुष अनेकवचन के दो-दो रूप होते हैं—एक जिसमें सुनने वाले का बोध नहीं होता और दूसरा जिसमें सुनने वाले का बोध भी होता है । उनके अनुकरण में हिन्दी में भी कुछ लोग दो रूप बनाते हैं—हम और अपन । हम=मैं और मेरे साथी पर तुम नहीं; अपन=मैं, मेरे साथी और तुम भी । जैसे—(१) हम वहाँ खेलेंगे, तुम लोग वहाँ खेलोगे । (२) चलो, अपन वहाँ खेलें ।

साहित्यिक हिन्दी में अपन का प्रयोग नहीं किया जाता । हिन्दी में दोनों अर्थों में हम ही प्रयुक्त होता है । ठीक अर्थ प्रसंग से निश्चित करना होता है ।

(३) जो, जिसने, जिसको आदि तथा जैसा, जितना, जब, जहाँ, जैसे आदि के साथ कि का प्रयोग नहीं करना चाहिए । जैसे—यह वही व्यक्ति है जो कि मोहन को नागौर में मिला था—यहाँ जो कि के स्थान पर जो ही होना चाहिए ।

(४) अनावश्यक संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए—अभी मेरा पेट भरा हुआ है के स्थान पर अभी मेरा उदर परिपूर्ण है लिखने में वाक्य में भद्रापन आता है; हाँ ! हास्यरस का प्रसंग हो तो बात दूसरी है ।

(२)

(५) वर्ता के साथ में विभक्ति-प्रत्यय कब आता है ?

जब नरुमक प्रिया हो और भूतकृदन्त में बना कोई भूतकाल हो ।

टिप्पणी—भूतकृदन्त से बने भूतकाल पाँच होते हैं—सामान्यभूत (मैंने किया), आसन्नभूत (मैंने किया है), पूर्णभूत (मैंने किया था), संभाव्यभूत (मैंने किया हो) और संदिग्धभूत (मैंने किया होगा) ।

(६) कर्ता के साथ ने विभक्ति-प्रत्यय कब नहीं आता ?

१. जब अकर्मक क्रिया हो (मैं आता हूँ, मैं आऊँगा, मैं आता था, मैं आया), अथवा

२. जब उक्त पाँच भूतकालों को छोड़कर और किसी काल की सकर्मक क्रिया हो (मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मैं करता था) ।

(३)

(७) कर्म के साथ को प्रत्यय कब आता है ?

कर्म के साथ को विभक्ति-प्रत्यय कभी भी लाया जा सकता है पर ऐसा करना अच्छा नहीं समझा जाता । साधारणतया कर्म के साथ को प्रत्यय नहीं लाना चाहिए (यह प्रत्यय वस्तुतः कर्म का नहीं किन्तु सम्प्रदान का है) । को प्रत्यय कर्म के साथ तभी लाना चाहिए—(१) जब कर्म निश्चित हो (जहाँ अंग्रेजी में कर्म के पूर्व the लाया जाता है); या (२) जब कर्म मनुष्य का वाचक हो; या (३) जब कर्म के साथ कर्म का पूरक भी हो; या (४) जब दो कर्म हों तो गौण कर्म के साथ; जैसे—

१. मैंने घोड़ा देखा—यहाँ घोड़ा=कोई घोड़ा । मैंने घोड़े को देखा—
यहाँ घोड़ा=कोई विशेष घोड़ा ।

२. मैंने मोहन को देखा, मैंने राजा को देखा ।

३. राजा ने पण्डित को सेनापति बनाया ।

४. आचार्य ने शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया ।

(४)

(८) क्रिया कर्ता का अनुसरण कब करती है अर्थात् क्रिया के पुरुष, जाति (लिंग), वचन कर्ता के अनुसार कब होते हैं ?

कर्तृवाच्य—जब कर्ता के साथ ने विभक्ति-प्रत्यय न हो । जैसे—

लड़का केला—केले—नारंगी—नारंगियाँ खाता है ।

लड़के " " खाते हैं ।

लड़की " " खाती हैं ।

लड़कियाँ " " खाती हैं ।

(६) क्रिया कर्म का अनुसरण कब करती है ?

जब कर्ता के साथ ने या से प्रत्यय हो और कर्म के साथ 'को' विभक्ति प्रत्यय न हो। जैसे—

- | | |
|---|--|
| (१) कर्तृवाच्य—लड़के ने
लड़कों ने
लड़की ने
लड़कियों ने
मैंने
तुमने | } केला खाया ।
केले खाये ।
नारंगी खायीं ।
नारंगियाँ खायीं । |
| (२) कर्मवाच्य—लड़के से
लड़कों से
लड़की से
लड़कियों से | } केला खाया गया ।
केले खाये गये ।
नारंगी खायी गयी ।
नारंगियाँ खायी गयीं । |

(१०) क्रिया कर्ता और कर्म दोनों का ही अनुसरण कब नहीं करती ?

जब कर्ता के साथ ने प्रत्यय हो और कर्म के साथ को प्रत्यय हो। इस अवस्था में क्रिया अन्यपुरुष, नरजाति, एकवचन की होती है। जैसे—

- | | | |
|--|--|------------|
| (१) कर्तृवाच्य—लड़के ने
लड़के ने
लड़की ने
लड़कियों ने | } केले को
केलों को
नारंगी को
नारंगियों को | } खाया |
| (२) भाववाच्य—लड़के से
लड़कों से
लड़की से
लड़कियों से | } केले को
केलों को
नारंगी को
नारंगियों को | } खाया गया |
| (३) भाववाच्य—लड़के से
लड़कों से
लड़की से
लड़कियों से | × | } उठा गया |

परिच्छेद ४—कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके संशोधन

आगे कुछ अशुद्ध वाक्य संशोधित रूपों के साथ दिये जाते हैं :

(१) 'ने' सम्बन्धी अशुद्धियाँ

१. हमने भोजन करना है । (हमें)
२. हम भोजन कर लिया । (हमने)
३. हम ब्राह्मण को एक गाय दिये । (हमने; दी)
४. आप यह बात अवश्य सुने होंगे । (आपने; सुनी होगी)
५. हम कल यह पाठ पढ़ा था । (हमने)
६. शंकर ने दो किताबें लायीं । (शंकर; लाया)

(२) 'को' सम्बन्धी अशुद्धियाँ

७. हमको खाना लाओ । (हमारे लिए)
८. मैं रोटी को खाता हूँ । (रोटी)
९. अनिल यहाँ सवेरे को आवेगा । (सवेरे)
१०. रमेश वहाँ शाम जावेगा । (शाम को)
११. पिताजी ने मुझको कहा । (मुझसे)
१२. बन्दर पेड़ में बैठा है । (पेड़ पर)
१३. विजय के चाचा को लड़का हुआ है । (चाचा के)

(३) सर्वनाम सम्बन्धी अशुद्धियाँ

१४. मेरे को दो निबन्ध लिखने हैं । (मुझको, मुझे)
१५. यह काम तेरे से नहीं होगा । (तुझ से)
१६. तुम तुम्हारे घर चले जाना । (अपने)
१७. चलो, अब अपन काम पूरा करें । (हम)
१८. हम हमारा काम करें और तुम तुम्हारा काम करो । (अपना; अपना)
१९. सैनिक ने स्वयं को खतरे में डालकर खबर पहुँचायी । (अपने आपको)

(४) अव्यय सम्बन्धी अशुद्धियाँ

२०. आप भीतर में बैठिये । (भीतर)
२१. सादरपूर्वक निवेदन है । (आदरपूर्वक या सादर)

२२. आज वज्र के ऊपर बहस होगी । (पर)
 २३. गुरु के ऊपर थड़ा रखो । (पर)
 २४. रामायण के अन्दर ऐसा कथन है । (में)

(५) वचन सम्बन्धी अशुद्धियाँ

२५. स्वयंवर में अनेक राजे आये । (राजा)
 २६. ऋषि, मुनि आदियों का मत है । (आदि का)
 २७. सभा में बहुत-सा लड़की लोग था । (बहुत-सी लड़कियाँ)
 २८. यह भोजन चार आदमी के लिए है । (आदमियों के)
 २९. प्रत्येक बातों को ध्यान में रखना चाहिए । (बात को)
 ३०. सभी धेणों के लोग इकट्ठे होंगे । (श्रेणियों के)
 ३१. चारों वेदों का नाम बताइए । (के नाम)

(६) क्रिया सम्बन्धी अशुद्धियाँ

३२. बेटी पराये घर का धन होता है । (होती है)
 ३३. बाघ और बकरियाँ एक घाट पर पानी पीती हैं । (पीते हैं)
 ३४. मैं, तुम और वह वहाँ चलोगे । (चलेंगे)
 ३५. शंकर, राजेश्वर और राधे जयपुर जाये । (गये)
 ३६. राम या श्याम दूध लाने जावेंगे । (जावेगा)
 ३७. यद्यपि आपने नहीं बोला पर मैं सब बातें जान लिया । (कहा; गया)
 ३८. आप जो किताबें मुझे भेजे हैं वे बहुत अच्छे हैं । (आपने; भेजी हैं, अच्छी)
 ३९. वह क्या करना माँगता ? (चाहता है)
 ४०. अब तुम जाने सकता है । (जा सकते हो)
 ४१. अब आप घर जाओ । (जाइये)

(७) शब्दक्रम सम्बन्धी अशुद्धियाँ

४२. कोई गाँव का व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा । (गाँव का कोई व्यक्ति)
 ४३. वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं । (वे कपड़े के पुराने व्यापारी)
 ४४. नेता ने एक नागरिकों की सभा में यह बात कही थी । (नागरिकों की एक सभा में)

४५. राम ने कहा कि वह जल्दी ही लौट आवेगा । (मैं, वाळंगा)
 ४६. सीता ने बोला कि उसकी अम्मा बीमार है । (कहा, मेरी)

(८) वाक्य-रचना सम्बन्धी अशुद्धियाँ

४७. इसके पहले कि मैं उसे रोक सकूँ वह भाग गया । (मैं उसे रोक सकूँ इसके पहले ही)
 ४८. किताबें जो कि आपने भिजवायी थीं बहुत अच्छी हैं । (जो किताबें आपने भिजवायी थीं वे)
 ४९. बीमार, जो कल भर्ती हुआ था, की दशा बहुत खराब है । (कल जो बीमार भर्ती हुआ था उसकी दशा)

(९) अनुपयुक्त शब्द

५०. हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह शीघ्र ही होने जा रहा है ।
 (आयुष्मती)
 ५१. साहित्य और जीवन का घोर सम्बन्ध है । (घनिष्ठ)
 ५२. इनाम पाकर बालक भागता हुआ घर गया । (दौड़ता हुआ)
 ५३. शत्रु युद्ध भूमि से दौड़ गया । (भाग गया)
 ५४. यह खबर सुनकर उसका चेहरा गिर गया । (उतर गया)
 ५५. शोक है कि कल उत्तर नहीं भेज सका । (खेद)
 ५५. उसकी मृत्यु पर मुझे बहुत खेद हुआ । (शोक)
 ५७. कल उनकी आयु पचास बरस की हो जायगी । (अवस्था)
 ५८. छात्र ने अपनी सारी कमजोरी पूरी कर ली । (दूर)
 ५९. राजू गत वर्ष कलकत्ते जायगा । (आगामी)
 ६०. बीमार आरोग्य हो गया । (स्वस्थ, अच्छा)

(१०) अनावश्यक शब्द

६१. राम आज प्रातःकाल के समय लौट आया । (के समय अनावश्यक)
 ६२. यह केवल आरम्भ-मात्र है । (केवल आरम्भ है या आरम्भमात्र)
 ६३. यह कैसे सम्भव हो सकता है । (कैसे सम्भव है या कैसे हो सकता है)
 ६४. कृपया यह बताकर अनुगृहीत करें । (कृपया यह बतावे या यह बता कर अनुगृहीत करें)

६५. मैं काम पूरा करके कल वापस लौट जाऊँगा । (वापस चला जाऊँगा या लौट जाऊँगा)
६६. तब शायद यह काम अवश्य हो जायगा । (दोनों में से एक होना चाहिए)

(११) भ्रामक वाक्य

६७. कानून के अनुसार रिश्वत देना दण्डनीय है ।
(रिश्वत देना कानून के अनुसार दण्डनीय है)
६८. स्वतन्त्रता के साथ ही इस देश की गरीबी का भी अन्त हो जायगा ।
(स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साथ ही.....हो जायगा)
६९. वह आपकी प्रतीक्षा में सो गया है । (प्रतीक्षा करता-करता)
७०. मैं मिठाई और दूध पीकर पढ़ने बैठ गया । (मिठाई खाकर और)

परिच्छेद ५—विरामचिह्न

१. वाक्यों को पढ़ते या बोलते समय प्रत्येक वाक्य के अन्त में ठहरना पड़ता है। कभी-कभी वाक्य लम्बा होता है तो बीच में भी एक या अधिक स्थानों पर ठहरना पड़ता है (यद्यपि बीच में ठहरने का समय अपेक्षाकृत कम होता है)। ठहरने के इन स्थानों को विराम कहते हैं। लिखने में विरामों को सूचित करने के लिए विराम-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

२. विराम-चिह्न एक वाक्य को दूसरे से अलग करता है। एक वाक्य के भीतर भी एक कोटि के कई शब्दों या वाक्यांशों या उपवाक्यों को वह अलग करता है। विराम-चिह्नों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव को समझने में सुविधा होती है।

३. कभी-कभी विराम-चिह्न के अभाव में वाक्य का ठीक अर्थ समझना असम्भव हो जाता है। जैसे—'उसे रोको मत जाने दो' इस वाक्य के दो सर्वथा विपरीत अर्थ हो सकते हैं।

(१) उसे रोको, मत जाने दो। (२) उसे रोको मत, जाने दो।

विराम-चिह्न से ही ज्ञात हो सकता है कि वास्तविक अर्थ क्या है।

४. विराम-चिह्न उन चिह्नों को कहते हैं जो वाक्य में ठहरने के स्थानों को सूचित करते हैं।

प्रत्येक वाक्य के अन्त में विराम-चिह्न अवश्य होता है।

५. प्रमुख विराम-चिह्न तीन हैं :

(१) अल्पविराम या कामा (,)

(२) अर्धविराम या सेमीकोलन (;)

(३) पूर्णविराम (.), (।)

६. इन विरामचिह्नों के अतिरिक्त लिखित वाक्य में कुछ और भी चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, इनको भी विरामचिह्न ही कहा जाता है :

(१) प्रश्न-चिह्न (?)

(२) उद्गारक या विस्मयादि-चिह्न (!)

(३) सम्बोधक (!)

(४) निर्देशक या डैस (—)

(५) योजक या हाइफन (-)

(६) अवतरण या उल्टे कामा (' ') या (" ")

(७) संक्षेपक (०) या (.)

(८) कोष्ठक () और []

(१) पूर्णविराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है ।

(२) प्रश्न-चिह्न—वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो उसकी समाप्ति पर प्रश्न-चिह्न का प्रयोग होता है । जैसे—

(१) तुम कहाँ जा रहे हो ? (२) घोड़ी आया या नहीं ?

(३) विस्मयादि-चिह्न—वाक्य यदि विस्मयादिवोधक हो तो उसकी समाप्ति पर विस्मयादिमूचक चिह्न लगाया जाता है । विस्मयादिवोधक अव्ययों के आगे भी विस्मयादिमूचक चिह्न लगता है । जैसे—

(१) अहो ! कंसा सुन्दर दृश्य है ! (२) हाय ! अब मैं कहाँ जाऊँ ?

(४) सम्बोधक—विस्मयादिमूचक चिह्न सम्बोधन-सूचक चिह्न भी है अतः यह सम्बोधन कारक के आगे भी प्रयुक्त होता है । जैसे—

(१) भैया ! तुम कल अवश्य आना ।

(२) हे मित्र ! अब घर चलो ।

(५) अल्प-विराम—इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है :

(क) वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों या वाक्यांशों को अलग करने में, जैसे—

(१) शकुन्तला, मेघदूत और रघुवंश कालिदास की कृतियाँ हैं ।

(२) राजा और रंक, धनी और निर्धन, गरीब और अमीर—
कोई भी मीत से नहीं बचता ।

(ख) वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में—

(१) हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे ।

(२) अब यहाँ मत ठहरो, घर जाओ, भोजन करो और मन्दिर में पहुँचो ।

(ग) दो उपवाक्यों के बीच में संयोजक का प्रयोग न किया जाने पर । जैसे—

(१) यही न होता, लीग मुझे धिक्कार कर निकाल देते ।

(यहाँ होता के आगे कि संयोजक छिपा हुआ है)

(२) जागेश्वर ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया ।

(घ) वाक्य के मध्य में क्रियाविशेषण-उपवाक्य या विशेषण-उपवाक्य आने पर । जैसे—

(१) यह बात, यदि सच पृछो तो, मैं भूल ही गया था ।

(२) इस नगर में, जहाँ मेरा कोई परिचित नहीं, मैं कैसे रहूँगा ?

(६) अर्धविराम—इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है :

(क) वाक्य के अपेक्षाकृत लम्बे उपवाक्यों को अलग करने में । जैसे—

‘यूरोप में हानिकारिणी धार्मिक रूढ़ियों का उत्सादन साहित्य ने ही किया है; जातीय स्वातन्त्र्य के बीज भी उसी ने बोये हैं; व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य के भावों को भी उसी ने पाला-पोसा और बढ़ाया है; पतित देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है ।’

(ख) वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प-विराम या अल्पविरामों का प्रयोग हुआ है । जैसे—

‘प्रेमाश्रम’ में एक ओर ज्ञानशंकर, प्रेमशंकर गायत्री, कमलानन्द आदि जमीन्दार पात्र हैं; दूसरी ओर मनोहर, बल-राज, कादिर आदि किसान पात्र हैं ।’

(७) योजक—इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है :

(क) समास के दो या अधिक शब्दों को जोड़ने में । जैसे—

राजा-प्रजा, कोड़े-मकोड़े, लम्बाई-चौड़ाई, अलग-अलग ।

(ख) पंक्ति के अन्त में कोई शब्द अधूरा रह गया हो तो उस अधूरे अंश के अन्त में । जैसे—

‘चालीस वर्ष तक प्रजा का पालन करके अशोक पर-लोक सिधारा । उससे अधिक ऐश्वर्यवान्, प्रतापी, प्रभावशाली और प्रजा-प्रेमी सम्राट् दूसरा नहीं हुआ ।’

(८) निर्देशक—इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है :

(क) जब परस्पर सम्बद्ध या समान कोटि की कई-एक वस्तुओं का निर्देश किया जाय (उनकी ओर इशारा किया जाय)—

(१) काल तीन होते हैं—

(१) भूतकाल, (२) वर्तमानकाल, (३) भविष्यकाल ।

(२) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद—ये चार वेद हैं ।

(ख) किसी अवतरण का आरम्भ करने के पूर्व । जैसे—

(१) गोविन्द ने पूछा—तुम कहाँ जा रहे हो ?

(२) कवीर ने कहा है—

दुबल को न सताइये, जाकी मोटी हाय ।

मुई खाल के साँस सों सार भस्म हूँ जाय ।

(ग) किसी अवतरण के अन्त में । जैसे—

मैं अभी आया ही हूँ—आते ही राम ने कहा ।

(घ) जब कोई बात अचानक अघूरी छाड़ दी जाय । जैसे—

यदि आज पिताजी जीवित होते—पर अब इसका जिन्म ही क्यों किया जाय ?

(ङ) जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाय । जैसे—

महामना जयाहरलाल—ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे—
भारत की महान् विभूति थे ।

(६) अवतरणक—इनका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है :

(क) जब किसी वक्ता के कहे हुए असली शब्दों को उद्धृत किया जाय । जैसे—

गोविन्द ने पूछा—‘तुम कहाँ जा रहे हो ?’

शंकर ने उत्तर दिया—‘मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ ।’

(ख) जब किसी लेखक के लिखे हुए असली शब्दों को उद्धृत किया जाय । जैसे—

प्रेमचन्द के शब्दों में ‘यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है ।’

(ग) जब किसी पुस्तक या लेख या कविता आदि के किसी अंश को या किसी कहावत को उद्धृत किया जाय—

‘पराधीन सपनेहु सुख नहीं’ यह कहावत अक्षरशः सत्य है ।

(घ) कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र-पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक इत्यादि के साथ—

(१) सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ । (२) तुलसीदास का ‘रामचरितमानस’ । (३) ‘नरस्वामी’ पत्रिका । (४) मुमद्राकुमारी की ‘झाँसी की रानी’

(ङ) जब वाक्य में कोई ऐसा शब्द या शब्दसमूह आवे जो अपरिचित हो, अथवा जो साधारण अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो, अथवा जिसमें और कोई विशेषता हो। जैसे—

(१) हर्ष में पागल बनी हुई माता 'बनहे' गाने बैठी (= विवाह के गीत)

(२) आज का 'हिन्दुस्तान' नहीं आया? (= 'हिन्दुस्तान' समाचार-पत्र)

(३) हिन्दी में 'लृ' वर्ण का प्रयोग नहीं होता।

टिप्पणी—अवतरण के भीतर अवतरण आवे तो मुख्य अवतरण के साथ दुहरे अवतरण चिह्न और भीतरी अवतरण के साथ इकहरे अवतरण चिह्न प्रयुक्त किये जाते हैं।

टिप्पणी—हिन्दी में संवादों में वक्ता के कथनों के साथ अवतरण-चिह्नों का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता; केवल निर्देशक से ही काम चलाया जाता है। जैसे—

राम ने कहा—कल मैं जोधपुर जाऊँगा।

(१०) संक्षेपक—जब कोई शब्द पूरा नहीं लिखना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे—पं० (= पण्डित), रा० वि० वि० (= राजस्थान विश्वविद्यालय)।

(११) फोष्ठक—(क) जब किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ दिया जाय। जैसे—उनके इन उपद्रवों के कारण सहपाठी उन्हें डेविल (शैतान) कहने लगे।

(ख) जब वाक्य के भीतर दूसरा वाक्य डाला जाय तो उस वाक्य के दोनों ओर।

(ग) किसी लेख या कविता या पाठ के आरम्भ में जब उसका या उसके लेखक का कुछ परिचय देना हो तो उस परिचय के आरम्भ और अन्त में।

अभ्युत्पत्त्याला १०

१. नीचे कुछ शब्दों की एक से अधिक वर्तनियाँ दी गयी हैं जिनमें एक शुद्ध है और शेष अशुद्ध। शुद्ध वर्तनी वाले रूप पर ✓ का चिह्न लगाइये :

(क) आशीवाद, आशीवाद, आशीवाद, आशीवाद, आशीवाद।

(ख) कृत्रिम, कृत्रिम, कर्तृम कृत्रिम, कत्रिम।

(ग) आकूपक, आकपिक, आकंपक, आकूपक, आकपक ।

(घ) निरिक्षण, निरिक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण, निरेक्षण ।

२. शुद्ध वाक्य कौन-सा है—

(क) (१) हमारी नाक में दम हो गया है ।

(२) मेरी किताब मैंने उसी दिन दे दी थी ।

(३) मैंने संस्कृत में दो नवीन ग्रन्थ बनाया है ।

(४) राम ने आज चार पुस्तकें और दो कापियां खरीदी ।

(५) माली ने सब पेड़ को काट डाला । ()

(ख) (१) आज मेरे अपने घनिष्ठ मित्र से झगड़ा हो गया ।

(२) विद्यालय का घण्टा बजते ही सब छात्र बाहर निकल गये ।

(३) वह निर्धनी माता-पिता का एकलौता पुत्र है ।

(४) मेरी कक्षा में एक बुद्धिमान् बालिका पढ़ती है ।

(५) सन्नुष्ट चित्त व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं । ()

(ग) (१) तुम हमारे घर चले जाओ ।

(२) मैंने अजमेर जाना है ।

(३) वह अपराधी दण्ड पाने योग्य है ।

(४) बेचारा यात्री ने घात ही नहीं की ।

(५) तुलसी ने सीता की सौन्दर्यता का अच्छा वर्णन किया है । ()

(घ) (१) मेरे को पांच रुपये की आवश्यकता है ।

(२) मोहन का जेब आज खाली हो गया है ।

(३) तुम तुम्हारी किताब खोली ।

(४) महादेवी वर्मा बहुत अच्छी कवि है ।

(५) यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो । ()

३. नीचे लिखे वाक्यों में जो शब्द अशुद्ध हों उनके शुद्ध रूप सामने कोष्ठक में दीजिए :

(१) महात्माओं के सदोपदेश मुनने योग्य होते हैं । ()

(२) वहाँ आपकी उपस्थिति वही आवश्यकीय है । ()

(३) लेख की सामिग्री मिल गयी । ()

(४) रामचरितमानस के रचैता तुलसीदास हैं । ()

- (५) उपरोक्त वाक्य अशुद्ध है। ()
 (६) तदोपरान्त मैंने यह कार्य किया। ()
 (७) तुम्हें यह बात स्मरण रखनी चाहिए। ()
 (८) वह साहित्यक पुरुष है। ()

४. नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सामने कोष्ठकों में दिये गये शब्दों में से उचित शब्द चुनकर कीजिए :

- (१) मेरे.....पिताजी आ रहे हैं। (पूज्यनीय, पूजनीय)
 (२) फूल की.....सबको आकर्षित करती है। (सौन्दर्यता, सुन्दरता)
 (३) उसका.....अच्छा नहीं चल रहा है। (व्योपार, व्यापार)
 (४) श्रीकृष्ण ने.....में गायें चरायी थीं। (ब्रज, वृज)
 (५) भारत किसी के.....नहीं रहेगा। (आधीन, अधीन)
 (६) सुखी जीवन के लिए.....होना आवश्यक है। (निरोग, नीरोग)
 (७) मैं.....पहुँच गया। (कुशलतापूर्वक, कुशलपूर्वक)
 (८) उसका.....अधूरा है। (ज्ञान, ग्यान)
 (९) हमें उसे.....देना चाहिए। (सम्मान, सन्मान)
 (१०) उसे अपने विवाह के.....में भोज दिया। (उपलक्ष, उपलक्ष्य)

५. नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध इस प्रकार दो वर्ग बनाइये :
 धैर्यता, धैर्य, कवियित्री, आधीन, सप्ताहिक, साप्ताहिक, पार्वतीय, शृंगार,
 श्रंगार, जागति, जागृति, जाग्रति, श्राप, विद्याध्ययन, सामिग्री, परियाप्त-
 पर्याप्त, ऊषा, सुगन्धि, व्यवहारिक।

६. वाक्य का शुद्ध रूप कौन-सा है :

- (१) आज इन्द्रियों की सेवा के हाथ विक तो गये हम हैं।
 (२) आज तो हम इन्द्रियों की सेवा के हाथ विक गये हैं।
 (३) आज हम तो इन्द्रियों की सेवा के हाथ विक गये हैं।
 (४) इन्द्रियों की सेवा के साथ आज हम तो विक गये हैं।
 (५) हम इन्द्रियों की सेवा के साथ आज तो विक गये हैं। ()

७. निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए :

- (१) मेरे पिता मुझे अधिक प्रणाम करते हैं।
 (२) राम के दुष्कर्म पर मुझे आत्मग्लानि हुई।
 (३) बाटा शू जूता बहुत मजबूत होता है।

- (४) यदि तुम नहीं पढ़े लेकिन फेल हो जाओगे ।
 (५) तुम्हारी दया से सब प्रतिकूल है ।
 (६) मेरे मित्र की स्त्री ने पर्दा छोड़ दिया है ।
 (७) प्रतिशोध का बदला लेने में राम बड़ा पटु है ।
 (८) तुम्हारे आधीन नहीं हूँ मुझे अपशब्द मत कहो ।
 (९) सुरेश को महेश को अध्यापक ने दण्ड दिया ।
 (१०) यदि तुम रुपये माँगते तब तुम्हें अवश्य मिलते ।
 (११) वह विद्यार्थी चुस्त प्रतीत होता है जो सबसे अलग खड़ा है ।
 (१२) पूज्यनीय माताजी लिखा है कि परिश्रम किये विना आप उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे ।
 (१३) कश्मीर की सौन्दर्यता से प्रत्येक प्राणी-मात्र आकर्षित हो जाता है ।

८. निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द अनुपयुक्त हैं । उनके स्थान पर उपयुक्त शब्द रखिए :

- (१) हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है ।
 (२) शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया ।
 (३) इस समय आपकी आयु चालीस वर्ष की है ।
 (४) यह चित्र राष्ट्रपति जब जयपुर पधारते थे उस समय लिया गया था ।
 (५) मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी ।
 (६) आखिर रोटी-दाल कैसे निभेगी ?
 (७) देश को स्वतन्त्र करने का बीड़ा कौन चवाता है ?

९. नीचे लिखे अवतरणों को विरामचिह्न लगाकर, दुबारा लिखिए :

- (१) पंचायत बैठ गयी तो रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्यों पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किसको पंच बढते हो ।
 (२) रामू की माँ ने आँखें फाड़कर पण्डित परमसुख की ओर देखा अरे बाप रे इक्कीस तोला सोना पण्डितजी यह तो बहुत है तोला भर की बिल्ली से काम चलेगा ।

पण्डित परमसुख हँस पड़े रामू की माँ एक तोला सोने की बिल्ली अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया बहू के सिर बड़ा पाप है इसमें इतना लोभ ठीक नहीं ।

(३) भगवान् करे वाल्मीकि और व्यास जैसे महर्षि कालिदास और तुलसीदास जैसे महाकवि बुद्ध और गाँधी जैसे महापुरुष अशोक और अकबर जैसे शासक सीता और सावित्री जैसा सती नारियाँ और ध्रुव और अभिमन्यु जैसे बालक इस भारत-भूमि को अपने जन्म से सदा कृतार्थ करते रहें।

१०. निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द अनावश्यक हैं ? उनको दूर करके वाक्यों को फिर से लिखिए :

- (१) इसके बाद वे वापस लौट आये।
- (२) आप कृपया यह बताने का अनुग्रह करें।
- (३) मैं इसका अर्थ वह नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं।
- (४) मैं आज प्रातःकाल के समय वहाँ गया था।

११. निम्नलिखित वाक्य क्यों ठीक नहीं हैं ? उनको ठीक करके लिखिये :

- (१) ठण्डी बर्फ मँगायी जा रही है।
- (२) गरम आग जल रही है।
- (३) शायद यह कार्य जरूर हो जायगा।
- (४) मुझे जाना है अपनी मंजिल तक।
- (५) स्थान-स्थान पर तिरंगा ध्वज फहरा रहा था।
- (६) पचास हजार का टिकट गायब हो गया।
- (७) कोई समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।
- (८) उन्होंने एक संवाददाताओं की बैठक में भाषण दिया।
- (९) आज हमने वहाँ जाना है।

(१०) वे कोई स्कूल नहीं खोले थे।

(११) पुस्तक को जहाँ ली थी वहीं रख दी।

(१२) सड़क में भारी भीड़ लगी है।

१२. नीचे कुछ विराम चिह्नों के नाम और रूप दिये गये हैं। जो रूप शुद्ध हों उनके आगे (X) का चिह्न अंकित कीजिए, और जो रूप शुद्ध हों उनके आगे (✓) का चिह्न अंकित कीजिए :

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| (१) पूर्ण-विराम | (!) | (४) अर्ध-विराम | (;) |
| (२) पूर्ण-विराम | (।) | (५) प्रश्न-चिह्न | (!) |
| (३) अर्ध-विराम | (,) | (६) प्रश्न-चिह्न | (?) |

- (७) विस्मयादि-चिह्न (;) (११) अवतरण-चिह्न (—)
 (८) विस्मयादि-चिह्न (!) (१२) निर्देशक-चिह्न (—)
 (९) अवतरण-चिह्न (") (१३) निर्देशक-चिह्न (-)
 (१०) अवतरण-चिह्न (")

१३. नीचे लिखे वाक्यों में विराम-चिह्नों का प्रयोग किया गया है; उनमें जो चिह्न ठीक नहीं हों उनको ठीक कीजिए :

- (१) सीता । राधा । और जयश्री बाजार । जा रही थीं;
 (२) क्या आप कलकत्ते जा रहे हैं ।
 (३) तुम अवश्य घर जाओगे ।
 (४) राम ? क्या तुम वहाँ जाओगे ।
 (५) तुम्हारा कुशल समाचार जानकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया ।
 (६) हाय ! हाय, क्या ही दुःख-कर प्रसंग है ?
 (७) गांधीजी का सिद्धान्त था 'अहिंसा परमोधर्मः ।'
 (८) तुम्हें इस बात का स्पष्टीकरण "खुलासा" करना चाहिए ।

१४. नीचे कुछ विराम-चिह्न देकर उनके सामने उनके नाम दिये गये हैं । जो नाम अशुद्ध प्रतीत हों उनके आगे (X) का चिह्न अंकित कीजिए और जो शुद्ध प्रतीत हों उनके आगे (✓) का चिह्न अंकित कीजिए :

- (१) (;) अर्ध-विराम (६) (!) प्रश्नवाचक चिह्न
 (२) (।) पूर्ण-विराम (७) (,) अल्प-विराम
 (३) (।) अर्ध-विराम (८) (.) पूर्ण-विराम
 (४) (!) प्रश्नवाचक चिह्न (९) (") अवतरण-चिह्न
 (५) (?) पूर्ण-विराम (१०) (") कोष्ठक

१५. निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठकों में निर्देशित विराम-चिह्नों में से चुनकर सही विराम-चिह्नों का प्रयोग कीजिए :

- (१) राम जाता है (। , ;)
 (२) क्या तुम जाओगे (? , ।)
 (३) राम ने कहा मैं अवश्य आऊँगा (" " — ।)
 (४) धन्य-धन्य उसके भाग्य को (? ! ।)
 (५) राम पढ़ रहा था पर श्याम खेल रहा था (, । ?)

१६. नीचे लिखे विकल्पों में शुद्ध विराम-चिह्न किस में हैं (१९६९)—

- (१) घर में चादरें ? दरियाँ और कुसियाँ थीं । क्या सोफे भी थे ।
- (२) घर में चादरें, दरियाँ और कुसियाँ थीं । क्या सोफे भी थे ।
- (३) घर में चादरें । दरियाँ और कुसियाँ थीं । क्या सोफे भी थे ?
- (४) घर में चादरें । दरियाँ और कुसियाँ थीं ? क्या सोफे भी थे ?

१७. विराम-चिह्नों की दृष्टि से कौन-सा विकल्प शुद्ध है :

- (१) राम, मोहन और सोहन स्कूल नहीं गये । क्या गोपाल भी नहीं गया ।
- (२) राम, मोहन और सोहन स्कूल नहीं गये । क्या गोपाल भी नहीं गया ?
- (३) राम । मोहन और सोहन स्कूल नहीं गये । क्या गोपाल भी नहीं गया ।
- (४) राम, मोहन और सोहन स्कूल नहीं गये ? क्या गोपाल भी नहीं गया ।
- (५) राम ? मोहन और सोहन स्कूल नहीं गये । क्या गोपाल भी नहीं गया ।

मुहावरे और कहावतें

परिच्छेद १—मुहावरे

१. मुहावरे और कहावतें भाषा के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। उनके प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता, प्रवाह, रोचकता और प्रभावशालिता आती है।

२. मुहावरा भाषा में प्रवाह और सौन्दर्य लाता है, वह वात-को रोचक तथा प्रभावशाली बनाता है।

३. मुहावरा शब्द अरबी भाषा से आया है। इसका अर्थ है ऐसा शब्द-समूह या वाक्यांश जो अपने अभिधेय अर्थ से भिन्न किसी लाक्षणिक अर्थ में रुढ़ हो गया हो—ऐसा शब्द-समूह जिसका प्रयोग अपने शाब्दिक अर्थ में न होकर किसी विशेष अर्थ में होता आया है। जैसे—लाठी खाना, टेढ़ी खीर। लाठी खाने का अभिप्राय लाठी को खा जाना नहीं किन्तु लाठी के प्रहार सहना है। दाल नहीं गलना का अभिप्राय है अभीष्ट प्रयोजन का सिद्ध नहीं होना। नींदो ग्यारह होने का अर्थ है भाग जाना।

४. अधिकांश मुहावरे क्रिया के रूप में होते हैं पर कुछ संज्ञा, विशेषण और क्रियाविशेषण के रूप में भी देखे जाते हैं। जैसे—

क्रिया—दाल गलना।

संज्ञा—टेढ़ी खीर, काठ का उल्लू।

विशेषण—खून का प्यासा।

क्रियाविशेषण—लगे हाथ।

५. मुहावरों का अर्थ लिखने के समय उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिखना चाहिए, किन्तु जिस अर्थ में उनका प्रयोग होता है उस लाक्षणिक अर्थ को या भावार्थ को लिखना चाहिए। अपने वाक्य में मुहावरे के प्रयोग को बताने के समय भी वाक्य में मुहावरे का ही प्रयोग करना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं। जैसे—पेट में घूहे कूबना का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए—'तो ! क्षटपट भोजन परोसो, जोरों की नूख लगी है' किन्तु इस प्रकार बताइये—'तो ! क्षटपट भोजन परोसो, पेट में घूहे कूद रहे हैं।'

नीचे कुछ मुहावरे अर्थ और प्रयोग सहित दिये जा रहे हैं :

अपने पैरों पर खड़ा होना—अपनी सहायता आप करना, स्वावलम्बी होना ।
पिता की मृत्यु के पश्चात् लक्ष्मी को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा ।

कफन सिर से बाँधना—मरने को तैयार होना । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अनेक वीरों ने सिर से कफन बाँधकर अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया था ।

खटाई में पड़ना—तय न होना, गड़बड़ होना । कल सभा में सभापति की अनुपस्थिति से सारा मामला ही खटाई में पड़ गया ।

खून खौलना—जोश में भरना । उनकी ऐसी अपमान-भरी बातें सुनकर मेरा तो खून खौलने लगता है ।

घड़ों पानी पड़ना—अत्यन्त लज्जित होना । चोरी का भेद खुलते ही उस पर घड़ों पानी पड़ गया ।

जान पर खेलना—ऐसा काम करना जिसमें जान जाने का डर हो । कल एक बालचर ने जान पर खेलकर नदी में डूबते हुए इस बच्चे को बचाया ।

जी चुराना—(किसी काम से) दूर भागना । परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते ।

दाल न गलना—बश नहीं चलना । यदि हम भारतीयों में फूट न होती तो यहां अंग्रेजों की दाल नहीं गल सकती थी ।

दाहिना हाथ होना—बहुत अधिक विश्वासपात्र बनना । अपनी योग्यता के कारण रामकिशन अपने अधिकारी का दाहिना हाथ बना हुआ है ।

दाँत खट्टे करना—परास्त करना । शिवाजी ने अपनी रणकुशलता से औरंगजेब के दाँत खट्टे कर दिये ।

नौ दो ग्यारह होना—भाग जाना । तनिक-सी आहट होते ही चोर नौ दो ग्यारह हो गये ।

बाँये हाथ का खेल—बहुत सरल काम । गंगा को पार करना उसके लिए बाँये हाथ का खेल है ।

मुँह में पानी भरना—जी ललचाना । दुकान में तरह-तरह की मिठाइयों को देखकर नीरा के मुँह में पानी भर आया ।

हाथ-पाँव फूलना—घबरा जाना, डर जाना । जंगल में शेर को देखते ही उसके हाथ-पाँव फूल गये ।

कुछ और मुहावरे और उनके अर्थ

अपल का दुश्मन—निर्वृद्धि, भूख ।

अपल घरने जाना—समझदारी का अभाव होना ।

अपन-अपल उठना—सम्बन्ध टूट जाना ।

अपना उल्लू सीधा करना—स्वार्थ सिद्ध करना ।

अपना-सा मुंह लेकर रह जाना—काम न बनने पर निराश होना ।

अपने पाँवों पर फुल्हाड़ी मारना—अपने हाथों अपना अहित करना ।

अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना—अपनी प्रशंसा आप करना ।

अन्धे की लकड़ी—निःसहाय व्यक्ति का एकमात्र सहाय ।

आगा-पीछा सोचना—भले-बुरे परिणाम पर विचार करना ।

आटे-दाल का भाव मासूम होना—दोष ठिकाने आना ।

आपे से बाहर होना—क्रोध के कारण अपने आपको वश में नहीं रख सकना ।

आसमान टूट पड़ना—भारी विपत्ति पड़ना ।

आस्तौन का साँप—विश्वासघाती ।

आकाश के तारे तोड़ लाना—बहुत कठिन कार्य कर दिखाना ।

आकाश से घाते करना—बहुत ऊँचा होना ।

आग-बबूला होना—अत्यन्त क्रोधित होना ।

आग बरसना—तेज धूप पड़ना ।

आग लगाना—झगड़ा पैदा करना ।

आग में फूदना—किसी कठिन कार्य में हाथ डालना ।

आग में घी पड़ना—क्रोध का और अधिक बढ़ना ।

आँख पुलना—ध्रम दूर होना, वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना ।

आँखें चार होना—किसी में देखादेखी होना, मामला होना, मिनन होना ।

आँखें चुराना—मामले आने से दबना ।

आँखें दिखाना—क्रोध-भरी दृष्टि में देखना ।

आँखें दिष्टाना—आपे हुए का बहुत आदर करना ।

आँखों का तारा होना—अत्यन्त प्यासा होना ।

आँखों में धूल झोंदना—घोसा देना ।

- आँखें तरसना—(किसी को देखने के लिए) अत्यन्त लालायित होना ।
 आँखें तरेरना—क्रोध से देखना ।
 आँख बन्द करना—ध्यान न देना ।
 आँखों का पानी ढलना—निर्लज्ज होना ।
 आँखों से परदा उठना—वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना ।
 आँखों में खून उतरना—अत्यन्त क्रोधित होना ।
 आँखों में चरबी छाना—बहुत घमण्ड होना ।
 आँच न आने देना—हानि न होने देना ।
 आँसू पीकर रह जाना—भीतर ही भीतर दुखी होकर रह जाना ।
 आँसू पोंछना—सात्वना देना ।
 ईद का चांद होना—बहुत दिनों बाद दिखायी पड़ना ।
 उंगली पर नचाना—वश में रखना ।
 उँगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना—थोड़ा-सा सहारा पाकर पूरा अधिकार कर लेना ।
 उड़ती चिड़िया पहचानना—भीतरी रहस्य का जानना; बहुत चालाक होना ।
 उल्टे उस्तरे से मूड़ना—बेवकूफ बनाकर अपना मतलब बनाना ।
 एक आँख से देखना—एक-सा बर्ताव करना ।
 ओठ चवाना—क्रुद्ध होना ।
 औँघे मुँह गिरना—बुरी तरह असफल होना ।
 कंधा देना—सहायता करना ।
 कच्चा चिट्ठा खोलना—रहस्य प्रकट करना ।
 कन्नी काटना—आँख बचाकर खिसक जाना ।
 कमर कसना—कार्य करने को उद्यत होना ।
 कमर टूटना—साहस न रहना ।
 कमर सीधी करना—लेटना, विश्राम करना ।
 कलई खुलना—पोल खुलना ।
 कलेजे पर साँप लोटना—ईर्ष्याविष जलना; बहुत मानसिक कष्ट होना ।
 कलेजा टूक-टूक होना—दिल पर गहरी चोट लगना ।

कलेजा ठण्डा होना—संतोष होना, जी प्रसन्न होना ।

कलेजा दहलना—भयभीत होना ।

कलेजा थामना—दुःख सहने के लिए हृदय कड़ा करना ।

काटो तो खून नहीं—किसी बात को सुनकर सन्न रह जाना ।

काठ का चल्नु—मूर्ख ।

काठ होना—चेतना-रहित होना ।

कान कतरना—चालाकी में किसी से दड़कर होना ।

कान का कच्चा होना—आसानी से दूसरों की बात पर विश्वास कर लेना ।

कान खड़े होना—सावधान होना ।

कान खाना—शोरगुल करके परेशान करना ।

कान पकड़ना—भविष्य में ऐसा काम न करने की या सचेत रहने की प्रतिज्ञा करना ।

कान पर जूँ न रेंगना—जरा भी ध्यान नहीं रखना ।

कान भरना—चोरी-चोरी शिकायतें करना ।

काम आना—मारा जाना ।

काम तमाम करना—भार ढालना ।

किनारा करना—दूर होना ।

किस खेत की मूली—महत्त्वहीन ।

कुएँ में भांग पड़ना—सबका मूल में पड़ना ।

कुत्ते की मौत मरना—बहुत बुरी मौत मरना; बहुत दुर्दशा होना ।

कोल्हू का बंल—बहुत परिश्रम करने वाला, दिन-रात खटकने वाला ।

कौड़ी-कौड़ी का मुहताज होना—बहुत अधिक निर्बल होना ।

कौड़ी के मोल—बहुत अधिक सस्ता ।

खेत रहना—युद्ध में मारा जाना ।

गढ़े मुँहें उछाड़ना—पुरानी बातों को दुहराना या उनको लेकर झगड़ना ।

गला काटना—नुकसान पहुँचाना ।

गले का हार होना—अत्यन्त प्रिय होना ।

गले मढ़ना—इच्छा के विरुद्ध देना ।

गाँठ बाँधना—भाद रखना ।

गाड़ी छनना—परस्पर दो मित्रता ।

गाल फुलाना—रूठना ।

गाल बजाना—डींग मारना, शेखी बघारना ।

गुड़ियों का खेल—सहज काम ।

गुदड़ी का लाल—बहुत बड़ा गुणी जिसके गुण का पता उसके बाह्य रूप से नहीं चलता हो ।

गूँगे का गुड़—ऐसा सुख जिसका अनुभव हो पर जिसका वर्णन नहीं हो सके (जो कहकर नहीं बताया जा सके) ।

गोवर-गणेश—भोला व्यक्ति ।

घड़ों पानी पड़ना—बहुत लज्जित होना ।

घाट-घाट का पानी पीना—बहुत घूम-फिरकर तजुर्वा हासिल करना ।

घाव पर नमक छिड़कना—दुखी को और दुखी करना ।

घिग्घी बँधना—भय के मारे मुँह से आवाज न निकलना ।

घलता पुर्जा—चुस्त-चालाक व्यक्ति ।

चाँदी का जूता मारना—धन देकर वश में करना ।

चार चाँद लगाना—और अधिक सुन्दर बनाना ।

चिकना बड़ा—जिस पर कोई प्रभाव न हो ।

चिकनी-झुपड़ी बातें करना—खुशामद की बातें करना ।

चींटी के पर निकलना—विनाश का समय निकट आना ।

चेहरा तमतमाना—क्रोध में भरना ।

चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना—मुँह पर उदासी छाना ।

चोली-दासन का साथ—बहुत गहरा सम्बन्ध ।

छक्के छूटना—होश उड़ना ।

छाती पर मूँग दलना—बहुत कष्ट पहुँचाना ।

जमीन पर पैर न रखना—बहुत घमण्ड करना ।

जहर उगलना—बहुत कड़वी बातें कहना, बहुत निन्दा करना ।

जहर का घूँट पीना—कड़वी बात को पचाना या सह लेना ।

जान के लाले पड़ना—जीवन खतरे में पड़ना ।

जान पर खेल जाना—प्राणों को संकट में डाल देना ।

जान में जान आना—शांति होना, चित्त स्थिर होना ।

जान से हाथ धोना—प्राण गँवाना ।

- जी जलना—ईर्ष्या होना, दुःख होना ।
- जीतो मक्खी निगलना—जानते हुए अनुचित या बुरा काम करना ।
- झल मारना—व्यर्थ का काम करना ।
- टका-सा जवाब देना—साफ इनकार कर देना ।
- टका-सा मुँह लेकर रह जाना—अपमानित होकर चुप रह जाना ।
- ट्टी की ओट में शिकार खेलना—छिपकर किसी के विरुद्ध चाल चलना ।
- टाँग अड़ाना—व्यर्थ दखल देना ।
- टाँग पसारकर सोना—निश्चित होकर सोना, निश्चित रहना ।
- ढंके की चोट—सबके सामने; बिना छिपाये ।
- ढपोर-शंख—मूर्ख ।
- ढोल पीटना—किसी बात का प्रचार करना ।
- ढोल में पील—ऊपर से बहुत भव्य पर भीतर कोई गुण नहीं; दिखावा बहुत पर गुण कुछ नहीं ।
- तलवे घाटना—खुशामद करना ।
- ताँता बँधना—एक के बाद दूसरे का आना-जाना बराबर बना रहना ।
- तारे गिनना—बेचैनी में रात काटना ।
- तिल का ताड़ चनाना—बात का वर्तगढ़ चनाना ।
- तीन-तेरह होना—दिलकुल तितर-बितर हो जाना ।
- तीन-पाँच करना—हुज्जत करना ।
- तीसमारखाँ बनना—व्यर्थ की झेली बघारना ।
- तूतो घोलना—प्रभाव होना, आज्ञा चलना ।
- दाँत काटो रोटी होना—गहरी मित्रता होना ।
- दाँतों तले उँगली दवाना—आश्चर्य करना, विस्मित होना ।
- दाँत पीसना—क्रुद्ध होना ।
- दास में काला होना—खटके या सन्देह की कोई बात होना ।
- दिमाग आसमान पर चढ़ना—बहुत अभिमान होना ।
- बोनों हाथ लड़्डू होना—दूहरा लाभ प्राप्त होना ।
- घोखे की ट्टी—घ्न में डालने वाली बात या वस्तु ।
- नमक-मिचं लगाना—बात को अतिरंजित या आकर्षक बनाकर कहना ।
- नाक का बाल—बहुत अधिक कृपापात्र ।

- नाक-भौं सिकोड़ना—विरक्ति प्रदर्शित करना ।
 नाक में दम करना—परेशान करना ।
 नाक रगड़ना—मिन्नत करना ।
 नाकों चने चबाना—बहुत परेशान करना ।
 नानी याव आना—बड़ी कठिन स्थिति में पड़ना ।
 पापड़ बेलना—बहुत-से कष्टसाध्य काम करना; बहुत मुसीबत उठाना ।
 पानी के मोल—बहुत सस्ते में ।
 पेट में चूहे कूदना—बहुत अधिक भूख लगना ।
 पाँचों उँगलियाँ धी में होना—सब ओर से लाभ होना ।
 पाँ बारह होना—खूब लाभ में होना ।
 बगलें झाँकना—जवाब न बन पड़ना ।
 बाँये हाथ का खेल—बहुत सरल कार्य ।
 बाल भी बाँका न होना—कुछ भी नुकसान न होना ।
 बाल की खाल निकालना—बहुत सूक्ष्मता में जाना; बहुत छोटी बातों के लिए झगड़ना ।
 बात की बात में—अविलम्ब ।
 बाबा आदम के जमाने का—बहुत पुराना ।
 बालू की भीत—शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु ।
 बीड़ा उठाना—कोई बहुत कठिन काम करने का उत्तरदायित्व लेना ।
 बेगार टालना—वेमन से काम करना ।
 भण्डा फोड़ना—भेद खोलना ।
 भगीरथ-प्रयत्न—बहुत बड़ा प्रयत्न ।
 भोगी बिल्ली—बहुत सीधा व्यक्ति ।
 भौंह चढ़ाना—क्रोध प्रकट करना ।
 मन के लड्डू खाना—ऐसी बात सोचकर प्रसन्न होना जिसका पूरा होना असम्भव हो, असंभाव्य कल्पनाएँ करना ।
 मुट्ठी गरम करना—रिश्त देना ।
 मुँह में पानी भर आना—ललचाना ।
 मुँह फुलाना—रूठना ॥
 मुँह फँलाना—अधिक माँग करना ।

मुंह में लगाम न होना—बोलने पर नियन्त्रण न होना ।

रफू-चक्कर होना—भाग जाना ।

रंग जमना—प्रभाव जमाना; प्रभावित करना ।

रंग बदलना—दूसरे ही रूप में प्रकट होना ।

रंग में भंग होना—आनन्द में बाधा पड़ना, होते हुए काम में विघ्न पड़ना ।

रंगा सियार—होंगी, घूत ।

रोटियां तोड़ना—बैठे-बैठे मुफ्त में खाना ।

रोंगटे खड़े होना—जी दहलना, भयभीत होना ।

सकीर का फकीर—बिना समझे-बूझे पुरानी प्रथाओं पर चलने वाला ।

संगोटिया यार—बचपन का मित्र, घनिष्ठ मित्र ।

सोहे के चने चबाना—बहुत कठिनाई का सामना करना ।

सोहा लेना—डटकर युद्ध करना ।

सोहा मानना—अपने से श्रेष्ठ समझकर आदर करना ।

श्रीगणेश—आरम्भ ।

सफेद झूठ—स्पष्ट झूठ, एकदम झूठ ।

सब्ज भाग दिखाना—अपने स्वार्थ के लिए झूठी आशा दिलाना ।

सिर उठाना—विद्रोह करना, सामना करना ।

सिर चढ़ाना—मनमानी करने देना और घृष्ट बना देना । शिरोधार्य करना ।

सोने में सुगन्ध होना—एक गुण के साथ दूसरे अच्छे गुण का होना ।

हवा लगना—(अवांछित) प्रभाव पड़ना ।

हवा से बातें करना—बहुत तेज दौड़ना ।

हाय घोकर पीछे पड़ना—किसी भले या चुरे काम में जी-जान से लग जाना ।

हाय पर हाय घरे बंठा रहना—खाली बंठे रहना, कुछ नहीं करना ।

हाय पर सरसों जमाना—किसी काम के करने में जल्दी करना ।

हाय पीले करना—विवाह करना ।

परिच्छेद २—कहावतें

१. कहावत को लोकोक्ति भी कहते हैं। कहावतें सदा से ही लोकप्रिय रही हैं। साधारण लोगों की बातचीत में उनका खूब प्रयोग देखा जाता है, देहाती जनता की बोलचाल में बात-बात में कहावतों का प्रयोग मिलता है।

२. कहावतें वास्तव में जनता-जनार्दन की उक्तियाँ हैं। जनता की विचार-धारा जन-कथाओं और कहावतों में ही विशेषतः व्यक्त होती है। वे जनता की सम्पूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक अनुभूतियों का संक्षिप्त रूप हैं। श्री वासुदेव-शरण अग्रवाल के शब्दों में—लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं; वे मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं, जिनमें बुद्धि और अनुभव की किरणों से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती रहती है।

३. रचना की दृष्टि से भी कहावतों का महत्त्व कम नहीं है। वे भाषा का शृंगार हैं। एक अरबी कहावत के अनुसार भाषा में कहावत का वही स्थान है जो भोजन में नमक का होता है। कहावतें कथन को स्वाभाविकता और सजीवता प्रदान करती हैं।

४. कहावत लोक में प्रचलित ऐसे वाक्य को कहते हैं जिसमें युग-युग का अनुभव भरा रहता है। प्रायः कथन की पुष्टि के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अनेक बार जो बात लम्बे-चौड़े वक्तव्य से स्पष्ट नहीं होती वह एक कहावत के प्रयोग से सुष्ठुतया स्पष्ट हो जाती है।

५. कहावतों और मुहावरों का अन्तर—(१) कहावत पूरा वाक्य होती है, पर मुहावरा शब्द-समूह या वाक्यांश होता है। (२) कहावत अपने अविकल रूप में—जैसी है वैसी ही—प्रयुक्त होती है पर मुहावरे में विभक्ति, काल, जाति, वचन आदि के अनुसार रूपान्तर होता है। वाक्य में ये रूपान्तर ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ—कान काटना मुहावरे के कान काटता है, कान काटते हैं, कान काटती हैं, कान काटता था, कान काटेगा आदि अनेक रूप हो सकते हैं।

नीचे कुछ कहावतें दी जाती हैं :

१. आम के आम, गुठलियों के दाम—एक वस्तु से दो लाभ। पण्डितजी ! अखबार के ग्राहक बनिये, प्रतिदिन ताजे समाचार पढ़िये और महीने के बाद रद्दी बेच लीजिए; आम के आम गुठलियों के दाम।

२. एक पंथ, दो काज—एक काम करने से दो काम हो जायँ। डाक्टर

साहब के यहाँ दवा लेने गया था, वहाँ गुरुजी भी मिल गये एक पंथ, दो काज सिद्ध हुए ।

३. जिसकी लाठी, उसकी भैंस—शक्तिशाली की ही सर्वत्र चलती है । राज्य में सर्वत्र अव्यवस्था फैल गयी, कोई देखने-भालने वाला नहीं रहा । जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ हो रही थी ।

४. दूर के ढोल सुहावने—दूर से सब चीजें अच्छी लगती हैं । विद्यापीठ की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है पर वहाँ रहकर देखा तब यथार्थता मालूम हुई । दूर के ढोल सुहावने ।

डुंगरिया रळियावणा दूरां ईसरदास ।

कनं गयां-सूं नीसरं कांटा भाटा घास ॥

५. नौ दिन चले अढ़ाई कोस—कोई सुस्ती के कारण बहुत धीरे काम करे तब कही जाती है । प्रकाश को इस निबन्ध की प्रतिलिपि करने के लिए कहा था पर उसने तो दो दिन में आधा पृष्ठ ही लिखा है । नौ दिन चले अढ़ाई कोस ।

६. पाँच सात की लाकड़ी एक जने का बोझ—कई लोग मिलकर काम करें तो बहुत बड़ा काम सहज ही हो जाता है । ग्रामवासियों ने दो-दो रुपये दिये और गाँव में वाचनालय बन गया । सच कहा है—पाँच-सात की लाकड़ी, एक जने का बोझ ।

७. सिर मुँडते ही ओले पड़े—काम आरम्भ करते ही संकट आ पड़ा । पत्रिका का प्रथम अंक निकला ही था कि प्रेस ज्वल हो गया; सिर मुँडते ही ओले पड़े ।

८. होनहार विरवान के होत चीकने पात—भावी महानता या श्रेष्ठता के लक्षण आरम्भ में ही दिखायी पड़ने लगते हैं । शिवाजी वचन से ही निर्भीक और साहसी थे । होनहार विरवान के होत चीकने पात ।

कुछ और लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ

१. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता—अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता । सफलता पाने के लिए संगठन आवश्यक है ।

२. अकल बड़ी या भैंस—बुद्धि सब वस्तुओं से बड़ी है ।

३. अधजल गगरी छलकत जाय—ओठा, दिक्षावा बहुत करता है या इतराकर चलता है ।

४. अनमांगे मोती मिलें, मांगे मिलें न भीख—नहीं मांगने वाले या नहीं चाहने वाले को अच्छी-से-अच्छी वस्तु मिल जाती है पर मांगने वाले को साधारण वस्तु भी नहीं मिलती ।

५. अपने मरे विना स्वर्ग नहीं दीखता—विना अपने किये कार्य नहीं होता ।

६. अपनी करनी, पार उतरनी—जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं ।

७. अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गयीं खेत—अवसर वीतने पर पश्चात्ताप करना व्यर्थ है ।

८. अभी दिल्ली दूर है—काम पूरा होने में अभी बहुत देर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

९. अस्सी की आमद, चौरासी का खर्च—जब आमदनी से अधिक खर्च हो ।

१०. अन्धा क्या चाहे, दो आँखें—जब अभीष्ट वस्तु विना प्रयत्न के मिल जाय ।

११. अन्धी पीसै, कुत्ता खाय—जब कोई देखभाल या व्यवस्था न हो, जब अंधेरगदी हो ।

१२. अघे के हाथ बटेर—जब विना प्रयास अप्रत्याशित लाभ हो ।

१३. अंधों में काना राजा—विद्वानों में थोड़ा पढ़ा भी आदर पाता है ।

१४. आ बैल ! मुझे मार—जब कोई जानबूझकर अपने को मुसीबत में डाले ।

१५. आठ कनौजिये, नौ चूल्हे—जब एकता न हो, जब सब अलग-अलग मार्ग पर चलते हों ।

१६. आधी छोड़ सारी को धावें, आधी मिलें न सारी पावें—लालच का परिणाम बुरा होता है ।

१७. आधा तीतर, आधा बटेर—त्रेमेल वस्तुओं का भद्दा मेल ।

१८. आम खाने कि पैड़ गिनने—अपने कार्य से मतलब रखना और व्यर्थ की बातों से दूर रहना ।

१९. आसमान से गिरा, खजूर में अटका—एक संकट से बचा तो दूसरे में जा गिरा ।

२०. इधर जाय तो खाई, उधर जाय तो खन्दक—सब ओर से मुसीबत आना ।

२१. उतर गयी लोई, तो क्या करेगा कोई—एक बार लोक-लाज मिट गयी तो फिर आदमी बुराई करने से नहीं डरता ।

२२. उलटा चोर कोतवाल को डाँट—अपराधी अपना अपराध स्वीकार करने के स्थान पर दूसरों पर दोष मढ़े ।

२३. ऊँघो का लेना न माँघो का देना—कोई क्षण्ट न होना ।

२४. ऊँची दूकान, फीका पकवान—दिखावा बहुत पर गुण कुछ नहीं ।

२५. एक ओर एक ग्यारह होते हैं—एकता में बड़ा बल होता है ।

२६. एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी—बुरा कार्य करके आँखें दिखाना ।

२७. एक तो करेला फड़वा, ऊपर से नौम चढ़ा—बुरे का और भी बुरा होना ।

२८. एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है—एक बुरा मनुष्य सारे समूह को बदनाम करता है ।

२९. एक हाथ से ताली नहीं बजती—एक के झगड़ा करने से झगड़ा नहीं होता, झगड़ा दोनों ओर से होता है; अकेला आदमी काम नहीं कर सकता ।

३०. कहीं राजा भोज और कहीं गंगू तेली—जब दो व्यक्तियों में बहुत अन्तर हो ।

३१. कमी घी घना, कमी मुट्ठी भर चना, कमी वह भी मना—मनुष्य की दशा सदा एक-समान नहीं रहती ।

३२. कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर—परिस्थितिबश एक-दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है ।

३३. करमहीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े—भाग्यहीन मनुष्य कोई काम उठाता है तो उसी में कोई न कोई विघ्न आ पड़ता है ।

३४. कहने से फुन्हार गधे पर नहीं चढ़ता—हठी मनुष्य कहने से कोई कार्य नहीं करता, वाद में विवश होकर अपने आप से करता है ।

३५. कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा—इधर-उधर की अनावश्यक वस्तुओं से (निकम्मी) वस्तु तैयार करना ।

३६. फंगाली में आटा गीला—जब मुसीबत में और मुसीबत आ जाय ।

३७. काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती—वैदमानी का काम बार-बार नहीं हो सकता ।

३८. कानी के ब्याह में सौ जोखिम—जिसमें कोई त्रुटि हो उस काम में विघ्न पड़ने की सम्भावना बनी ही रहती है ।

३९. का बरखा जब कृषी सुखाने—अवसर निकल जाने पर कार्य करने से कोई लाभ नहीं ।

४०. काबुल में क्या गधे नहीं होते—मूर्ख सब जगह होते हैं ।

४१. खग जाने खग ही की भाषा—जो जैसा है, उसके विचारों को वंसा ही व्यक्ति जान सकता है ।

४२. खोदा पहाड़, निकली चुहिया—जब बहुत अधिक परिश्रम करने पर साधारण लाभ हो ।

४३. गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास—मुंह-देखी बात करने वाले के लिए ।

४४. गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध—अपने देश में किसी का मान नहीं होता ।

४५. गुड़ दिये मरे उसे जहर क्यों दे—मीठे उपाय से काम बनता हो तो कठोर उपाय क्यों काम में लिया जाय; समझाने से मान जाय तो दण्ड क्यों दिया जाय ?

४६. घोड़ा घास से यारी करे तो खाये क्या—मनुष्य अपने पेशे का पारिश्रमिक लेने में लिहाज करे तो उसका निर्वाह कैसे हो ।

४७. चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय—अत्यन्त कंजूस के लिए ।

४८. चार दिना की चाँदनी फिर अंधेरी रात—सुख के दिन सदा नहीं रहते ।

४९. चोर-चोर मौसेरे भाई—एक पेशे के लोगों में झट मेल हो जाता है ।

५०. चौबेजी गये छबेजी होने, पर दुबेजी होकर आये—लोभ में पड़कर लाभ की आशा से काम किया पर पास का भी बहुत-कुछ खो बैठे ।

५१. छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह—जब बड़े में छोटे से अधिक बुराई हो ।

५२. जल में रहकर मगर से वर—जिसके आश्रय में रहे उससे शत्रुता करना विनाशकर होता है ।

५३. जहाँ चार वासन होंगे, खड़केंगे ही—जहाँ कई आदमी रहते हैं वहाँ झगड़ा भी होता है ।

५४. जंगल में मोर नाचा किसने जाना—गुणों को दूसरों पर प्रकट करने से ही कदर होती है ।

५५. जाके पाँव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई—जिसने कभी दुःख नहीं उठाया वह दूसरों के दुःख को नहीं जान सकता ।

५६. जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोइ—ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका बिगाड़ कोई नहीं कर सकता ।

५७. जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ—जो परिश्रम करता है वह उसका मुफल पाता है ।

५८. जैसी तेरी कामरी, वैसे मेरे गीत—जैसे दाम मिलेंगे वैसे ही कार्य होगा ।

५९. झूठ के पाँव नहीं होते—झूठा मनुष्य किसी तक पर नहीं टिक सकता ।

६०. डूबते को तिनके का सहारा—आपत्तिकाल में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है ।

६१. ढाक के यही तीन पात—सदैव एक-सी दशा का रहना ।

६२. तिरिया तेल हमोरहठ चढ़े न दूजी बार—दृढ़प्रतिज्ञ सदैव अटल रहता है ।

६३. तू डाल डाल, मैं पात पात—चालाक से भी बढ़कर चालाक के लिए ।

६४. तीन लोक से मधुरा न्यारी—ऐसे मनुष्य के लिए जो सबसे अनोखा हो ।

६५. तुरत वान, महा कल्याण—जो कार्य करना हो वह शीघ्र ही करना चाहिए ।

६६. तेली का तेल जले, मसालची का दित्त जले—कोई खर्च करे, किसी को दुख हो ।

६७. थोथा चना बाजे घना—निस्सार व्यक्ति ज्यादा शोर मचाता है ।

६८. दूध का जला छाछ फूँक-फूँककर पीता है—एक बार का धोखा खाया हुआ आदमी सदा आशंकित रहता है ।

६९. दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते—मुफ्त की वस्तु भली है या बुरी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

७०. दिया तले अँघेरा—अपना दोष दिलायी नहीं पढ़ता ।

७१. दीवार के भी कान होते हैं—गुप्त सलाह करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ।

७२. डुधारू गाय की लात भली—जिससे लाभ हो उसका दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता है ।

७३. दो घरों का पाहुना भूखा रहता है—शिरकत का काम पूरा नहीं होता, अनेक व्यक्तियों की जिम्मेदारी होने से काम बनता नहीं ।

७४. घोड़ी का कुत्ता घर का न घाट का—दोनों ओर से हानि उठाना, कहीं का नहीं रहना ।

७५. न रहेगा बाँस, न वजेगी बांसुरी—जड़ सहित नाष्ट करना ।

७६. न सावन सूखा न भादों हरा—सदा एक-सी हालत रहना ।

७७. नेकी और पूछ-पूछ—भलाई करने में पूछना क्या; बिना कहे भी भलाई करनी चाहिए ।

७८. नौ नकद न तेरह उधार—नकद मिलना हो तो थोड़ा लेना अच्छा, उधार का अधिक भी अच्छा नहीं ।

७९. पढ़ें फारसी देखें तेल, ये देखो कुदरत के खेल—भाग्यवश बड़े आदमी को भी नीच काम करना पड़ता है ।

८०. पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं—सब आदमी एक-से नहीं होते ।

८१. बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी—किसी-न-किसी दिन विपत्ति में पड़ना ही होगा ।

८२. बन्दर क्या जाने अदरख का स्वाद—जो गुण को जानता नहीं वह उसकी कदर कैसे कर सकता है ।

८३. बारह बरस दिल्ली में रहे पर झाड़ ही झोंका—अच्छे स्थान पर रह कर भी कुछ लाभ न उठाया ।

८४. दाँवी में हाथ तू डाल, मन्त्र में पढ़ूँ—जब कोई कठिन कार्य दूसरे को सौंपकर स्वयं आसान काम करे ।

८५. बिना रोये माँ की दूध नहीं पिलाती—बिना प्रयत्न के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती ।

८६. बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होइ—बुरा काम करने से सुफल की प्राप्ति नहीं हो सकती; बुरे काम का फल बुरा ही होता है ।

८७. भागते भूत की लंगोटी भली—जहाँ से कुछ भी न मिलना हो वहाँ से थोड़ा मिलना भी अच्छा ।

८८. भूल गये राग-रंग भूल गये छकड़ी; तीन चीज याद रहो नौन, तेल, संकड़ी—गृहस्थी के कठिन चक्कर के लिए ।

८९. मन चंगा तो कटौती में गंगा—यदि मन शुद्ध हो तो तीर्थ आदि बाहरी पुण्य-कार्य करना अनावश्यक है ।

९०. मन भावै, मूँड़ हिलावै—इच्छा रहने पर भी मना करना ।

९१. मान न मान में तेरा मेहमान—जबदंस्ती गले पड़ना ।

९२. मार के आगे भूत भागता है—मार से सभी डरते हैं ।

९३. मियाँ की जूती मियाँ के सिर—किसी की वस्तु से जब उसी को हानि पहुँचे ।

९४. मुख में राम, बगल में छुरी—जब कपट का व्यवहार किया जाय ।

९५. मुल्ला की दौड़ मसजिद तक—जब शक्ति सीमित हो ।

९६. यया नाम, तथा गुण—जब नाम के अनुसार ही गुण हो ।

९७. रस्सी जल गयी पर एँठन न गयी—जब बुरी दशा हान पर भी घमण्ड को या हठ को न छोड़े ।

९८. सब घान चाईस पंसेरी—जहाँ अच्छे बुरे सब समान समझे जायें ।

९९. साँच को आँच नहीं—सच बोलने वाले को किसी का भय नहीं रहता ।

१००. सीधी जंगली से घी नहीं निकलता—मीथेपन से काम नहीं बनता ।

१०१. हाथ कंगन को आरसी क्या—प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या ।

१०२. हाथो के बाँत दिखाने के और, खाने के और—कपटपूर्ण कार्य करना ।

अभ्यासमाला ११

१. 'सिर' से आरम्भ होने वाले पाँच मुहावरे लिखिये ।

२. 'डरने के भाव' को प्रकट करने वाले तीन मुहावरे लिखिये ।

३. नीचे कुछ मुहावरों के अर्थ दिये गये हैं। उनमें जो अर्थ अशुद्ध प्रतीत हों, उनके सामने कोष्ठक में (X) का चिह्न अंकित कीजिये और जो शुद्ध प्रतीत हों उनके सामने (✓) का चिह्न अंकित कीजिये :

- (१) अकल पर पत्थर पड़ना = मूर्खता का कार्य करना। ()
- (२) बायें हाथ का खेल = कठिन काम। ()
- (३) खाक छानना = धूल छानना। ()
- (४) भीगी बिल्ली बनना = डर जाना। ()
- (५) श्रीगणेश करना = श्रीगणेश का चित्र बनाना। ()
- (६) हवा के बातें करना = घमण्ड करना। ()
- (७) घास खोदना = कोई कार्य करना। ()
- (८) चिकनी चुपड़ी बातें करना = खुशामद करना। ()
- (९) कलम तोड़ना = कलम को तोड़ देना। ()
- (१०) रंग में भंग = सुख में बाधा उत्पन्न होना। ()

४. नीचे कुछ मुहावरों के प्रयोग दिये गये हैं। जो प्रयोग अशुद्ध हों उनके आगे कोष्ठक में (X) का चिह्न अंकित कीजिये और जो शुद्ध हों उनके आगे कोष्ठक में (✓) का चिह्न अंकित कीजिये :

- (१) उल्टी गंगा बहना—राम परीक्षा के दिनों में पढ़ाई न करके उल्टी गंगा बहा रहा है। ()
- (२) इधर-उधर की हाँकना—मोहन इधर-उधर की गप्पें हाँक रहा है। ()
- (३) काला आखर, भैंस बराबर—हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए काला आखर भैंस बराबर है। ()
- (४) आँखों का तारा होना—श्याम चोरी करके अपने पिता की आँखों का तारा बन गया। ()
- (५) अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना—भारत पर आक्रमण करके पाकिस्तान ने अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। ()
- (६) आड़े हाथों लेना—परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर राम के पिता ने राम को आड़े हाथों लिया। ()

- (७) घञ्जियाँ उड़ाना—मैंने उस मकान की घञ्जियाँ उड़ा दीं । ()
- (८) खून का प्यासा—मोहन उसके खून का प्यासा है । ()
- (९) जले पर नमक छिड़कना—उसने दवा लगाने के स्थान पर उसके जले पर नमक छिड़क दिया । ()
- (१०) पानी-पानी होना—वह अपनी प्रशंसा सुनकर पानी-पानी हो गया । ()

५. निम्नलिखित वाक्यों के भाव को कोष्ठकों में मुहावरों में प्रकट किया गया है । उनमें जो उत्तर अशुद्ध प्रतीत हों उनके ऊपर (X) का चिह्न अंकित कीजिये और जो शुद्ध प्रतीत हों उनके ऊपर (✓) का चिह्न अंकित कीजिये :

- (१) भाग गया (नी दो ग्यारह हो गया, दुम दवाकर भाग गया) ।
- (२) भाग्य का उदय होना (दिन फिरना, अच्छे दिन आना, पाँचों उँगलियाँ घी में होना) ।
- (३) खूब परिश्रम करना (खाक छानना, दर-दर भटकना) ।
- (४) क्रोधित होना (आग बबूला होना, रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना) ।
- (५) प्रसिद्ध होना (दाहिना हाथ होना, तूती बोलना, नाम कमाना) ।
- (६) कष्ट झेलना (दुःख उठाना, ठोकरें खाना, परेशानी होना) ।
- (७) उत्साह भंग होना (कलेजा टूटना, कमर टूटना) ।
- (८) कायर बनना (अपना-सा मुँह लेकर रह जाना, हक्का-बक्का रह जाना, हाथ-पाँव फूलना, चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठना, भीगी बिल्ली बनना) ।
- (९) धवराना (कलेजा मुँह को आना, करवटें बदलना, घड़ों पानी पड़ना) ।
- (१०) आश्चर्य प्रकट करना (दाँतों तले उँगली दवाना, रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना) ।

६. 'दूध का जला छाछ फूंक-फूंककर पीता है' इस लोकोक्ति का अर्थ है :

- (१) एक बार हानि होने से दूसरी बार सावधान होना ।
- (२) मूर्खता का काम बार-बार करना ।
- (३) अपना नुकसान अपने हाथों करना ।

ऊपर लिखे उत्तरों में जो अशुद्ध हों उनके आगे (X) का चिह्न अंकित कीजिये ।

७. लालची व्यक्ति का भाव प्रकट करने के लिए नीचे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गयी हैं । उनमें जो ठीक हों उनके आगे कोष्ठक में (✓) का चिह्न अंकित कीजिये :

- (१) आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावें ()
- (२) काला आखर भैंस बराबर ()
- (३) ऊँची दुकान फीका पकवान ()
- (४) दो नावों पर पैर रखना ()
- (५) मक्खीचूस होना ()
- (६) सावन हरा न भादों सूखा ()

८. इन लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में कीजिये :

दाहिना हाथ होना, दौड़-धूप करना, नाक में दम करना, परदा डालना, दाने-दाने को मुहताज होना, पाँचों उँगलियाँ घी में होना, टाँग अड़ाना, मुट्ठी गरम करना, बाल भी बाँका न होना, कमर दूटना, नौ दो ग्यारह होना, नाक का बाल होना, पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं, मुल्ला की दौड़ मसजिद तक ।

- (१) पुलिस को देखते ही चोर.....हो गये ।
- (२) उसने अधिकारियों की.....अपना काम बना लिया ।
- (३) पिता की मृत्यु के पश्चात् राम की..... ।
- (४) सरदार पटेल गांधीजी के.....थे ।
- (५) जिसकी ईश्वर रक्षा करता है उसका.....होता ।
- (६) कश्मीर के मामले में हम किसी बाहरी देश को.....नहीं देंगे ।
- (७) तुम व्यर्थ ही.....कर अपना समय नष्ट कर रहे हो ।

- (८) उसका भाई मिनिस्टर बन गया, अब तो उसकी.....है ।
 (९) हमारे बहुत-से ग्रामीण भाई आज भी.....बने हुए हैं ।
 (१०) जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई.....नहीं कर सकता ।
 (११) वह खुशामद करके अपने अधिकारियों का.....बना हुआ है ।
 (१२) शिवाजी ने औरंगजेब की.....कर दिया था ।
 (१३) नौकरी छूटने पर वह.....हो गया ।
 (१४) चीन अपनी करतूतों पर चाहे जितना.....पर सत्य बात छिप नहीं सकती ।
 (१५) वह आजकल नौकरी के लिए बड़ी.....कर रहा है ।
 (१६) दूसरे की नौकरी में कंसा आराम ? कहा भी है कि.....।
 (१७) भारत से किसी भी विषय पर विवाद होने पर पाकिस्तान यूरोप के देशों से अपना रोना रोता है । ठीक ही है.....।

६. निम्नलिखित मुहावरे और लोकोत्तियाँ जिन अर्थों को व्यक्त करते हैं उसका निर्देश कोष्ठकों में कीजिये :

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| (१) मुँह में राम, बगल में छुरी | (कपटी) |
| (२) ऊँची दूकान, फीका पकवान | () |
| (३) नाम बड़े और दर्शन छोटे | () |
| (४) अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग | () |
| (५) थोथा चना, बाजै घंटा | () |
| (६) काला आसुर, भैंस बराबर | () |
| (७) घर का भेदी, लंका ढावै | () |
| (८) चमड़ी जाय, पर दमड़ी न जाय | () |
| (९) बयि हाय का खेल | () |
| (१०) श्रौगणेश करना | () |
| (११) रंग में भंग होना | () |
| (१२) काठ का उल्लू | () |
| (१३) लकीर का फकीर | () |
| (१४) पूला न समाना | () |

१०. निम्नलिखित किन्हीं तीन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करके वाक्यों में प्रयोग करिये :

- (१) आग-ववूला होना
- (२) लोहे के चने चवाना
- (३) गुलछरे उड़ाना
- (४) नौ-दो ग्यारह होना
- (५) जान पर खेलना

११. नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए हुए हैं। अर्थ के सामने उपयुक्त मुहावरों को लिखिये :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (१) आँखों में धूल झोंकना | (१) भटकते डोलना |
| (२) ईद का चाँद | (२) एकमात्र सहारा |
| (३) आँख दिखाना | (३) धोखा देना |
| (४) खाक छानना | (४) दिखावा कुछ, वास्तविकता कुछ |
| (५) अन्धे की लकड़ी | (५) बहुत दिनों में दिखायी देना |
| (६) ऊँची दूकान, फीका पकवान | (६) धमकाना |

१२. 'हवा खाना' मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ?

- (१) हवा खाकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता।
- (२) अकाल से दुखी ग्रामीण आँसू पीते और हवा खाते हैं।
- (३) नकल करते पकड़े जाने पर महेश लगा हवा खाने।
- (४) वह आज ही काश्मीर से हवा खाकर लौटा है।
- (५) हवा खाओ। तुम जैसे भ्रष्ट आदमी को नौकरों नहीं दूंगा।

१३. 'हाथ कंगन को आरसी क्या' कहावत का अर्थ है—

- (१) जिसके हाथ में कंगन है उसे आरसी की क्या आवश्यकता ?
- (२) समझदार को उपदेश देने की क्या आवश्यकता ?
- (३) प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता ?
- (४) धनवान को आर्थिक सहायता की क्या आवश्यकता ?
- (५) मूल्यवान वस्तु के सामने तुच्छ वस्तु का क्या महत्व ?

१४. 'खून सवार हो गया' मुहावरे का अर्थ है—

- (१) क्रोध में दावला हो गया।
- (२) हत्या के लिए तैयार हो गया।
- (३) लड़ाई के लिए तैयार हो गया।
- (४) बदला लेने को तैयार हो गया।
- (५) खून में खराबी आ गयी।

()

१५. 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' लोकोक्ति का प्रयोग कब किया जाता है—

- (१) जब कोई व्यक्ति आमन्त्रित करने पर आता है।
- (२) जब कोई व्यक्ति जबदस्ती आ जाता है।
- (३) जब कोई व्यक्ति बहुत आग्रह करने पर आता है।
- (४) जब कोई व्यक्ति अचानक आ जाता है।
- (५) जब कोई व्यक्ति आग्रह करने पर भी नहीं आता।

()

१६. 'मुंह छिपाना' मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ?

- (१) वर्षा में भीगने के डर से लोग छाते में मुंह छिपाकर चलते हैं।
- (२) मच्छरों के काटने के डर से हम मुंह छिपाकर सोते हैं।
- (३) निन्दनीय कार्य करने पर आदमी मुंह छिपाते हैं।
- (४) भीड़ में हर कोई मुंह छिपा लेता है।
- (५) लज्जाशील स्त्रियाँ घूँघट में मुंह छिपा लेती हैं।

()

१७. 'अंधों में काना राजा' लोकोक्ति का अर्थ होता है—

- (१) पढ़े-लिखों में पढ़े-लिखे का आदर होता है।
- (२) पढ़े-लिखों में कम पढ़े-लिखे का आदर होता है।
- (३) मूर्खों में पढ़े-लिखे का आदर होता है।
- (४) मूर्खों में कम पढ़े-लिखे का आदर होता है।
- (५) मूर्खों का सब जगह अनादर होता है।

()

१८. निम्नलिखित में से केवल दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिये :

- (१) छोटे मुँह बड़ी बात
- (२) निल का ताड़ घनाना
- (३) हाथ मलते रह जाना
- (४) भौतान के कान कतरना

१६. किसी एक लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य बनाइये :

(१) होनहार बिरवान के होत चीकने पात ।

(२) आँखों का अन्धा, गाँठ का पूरा ।

२०. निचे दिये गये मुहावरों और कहावतों में से किन्हीं दो का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिये कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाय :

(१) गुल खिलना

(२) चिकना घड़ा होना

(३) नेकी कर कुएँ में डाल

(४) जैसे साँपनाथ वैसे नागनाथ

२१. 'मलयागिरि की भीलनी चन्दन देत जराय' का अर्थ है—

(१) मलयागिरि की भीलनियाँ चन्दन जलाती हैं ।

(२) चन्दन जलाना मलयागिरि की भीलनियाँ जानती हैं ।

(३) मूर्ख लोग नहीं करने योग्य काम भी समझ-बूझकर कर डालते हैं ।

(४) अत्यन्त परिचय से मूल्य घट जाता है ।

(५) मलयागिरि इतना सम्पन्न स्थान है कि वहाँ चन्दन जलाया जाता है । ()

२२. 'वात सुनकर भी ध्यान न देना' इस अर्थ का द्योतक मुहावरा है—

(१) कानों पर हाथ रखना

(२) कानों में तेल डाल कर बैठना

(३) कानों में उँगली देना

(४) कान खड़े होना

(५) कानों का कच्चा होना ()

२३. 'आटे-दाल का भाव मालूम होना' मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है—

(१) आजकल वे बाजार से खरीदारी स्वयं करते हैं, अतः उन्हें आटे-दाल का भाव मालूम रहता है ।

(२) आटे-दाल का भाव मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है ।

(३) आजकल तो वह रात-दिन परिश्रम कर रहा है । भगवान चाहेगा तो उसे आटे-दाल का भाव मालूम हो जायेगा ।

(४) अभी से घबराने लगे । अभी हुआ ही क्या है ? आटे-दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा ।

(५) अच्छी नीयत से काम करते रहेंगे तो आटे-दाल का भाव अपने आप मालूम हो जायेगा ।

२४. 'बेहरे का रंग उड़ जाना' मुहावरे का अर्थ है—

(१) बीमार हो जाना

(२) भयभीत हो जाना

(३) कमजोर हो जाना

(४) धी-हीन हो जाना

(५) बुढ़ापा आ जाना

()

२५. 'सितारा चमकना' मुहावरे का शुद्ध प्रयोग किस वाक्य में हुआ है—

(१) कल रात को नभ में एक सितारा चमका ।

(२) स्पूतनिक अन्तरिक्ष में सितारे जैसा चमकता है ।

(३) सितारा चमकता तो है परन्तु प्रकाश नहीं होता ।

(४) इस वर्ष भारत का सितारा विश्व में चमकेगा ।

(५) अच्छा सितारा खराब चलचित्र में भी चमकता है ।

()

खण्ड ३

रचना

६

पत्र-लेखन और तार-लेखन

परिच्छेद १—पत्र-लेखन

जिस लेख के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक अथवा उनको सम्बोधित करते हुए पहुँचाते हैं, वह लेख पत्र कहलाता है। पत्र के द्वारा ही हम अपने नजदीक एवं दूर के व्यक्तियों, मित्रों, सगे-सम्बन्धियों, अधिकारियों तथा व्यावसायिक व्यक्तियों से अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं; उनको अपनी बात सुनाते हैं और उनकी सुनते हैं। पत्र चाहे किसी प्रकार का हो, उसमें किसी न किसी रूप में कम या अधिक निजीपन अवश्य रहता है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र भी साहित्य का एक प्रकार है। जिन व्यक्तियों को पत्र लिखा जाता है, उसकी बुद्धि एवं हृदय तक अपनी बात, अपने विचार तथा अपने भाव सरलता, स्पष्टता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से पहुँचा देना ही पत्र-कला है।

पत्र के द्वारा दूसरे से निजी सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। अनेक व्यक्ति पत्र लिखने में सिद्धहस्त होते हैं। पत्र लिखने में सिद्धहस्त व्यक्तियों को जीवन में अधिक सफलता मिलती है। अनेक व्यक्तियों के पत्र साहित्य की अमूल्य निधि बन जाते हैं। गांधीजी के पत्र ऐसे ही हैं।

पत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं :

- (१) निजी पत्र (Private letters),
- (२) व्यावसायिक पत्र (Business letters),
- (३) अधिकारी पत्र या अधिकार सम्बन्धी पत्र या आधिकारिक पत्र (Official letters)।

इन सभी प्रकार के पत्रों के कई उपभेद हैं। जैसे—(१) घरेलू-पत्र, (२) निमन्त्रण-पत्र, (३) परिचय-पत्र, (४) वधाई-पत्र, (५) संवेदना-पत्र, (६) सिफारशी-पत्र, (७) प्रार्थना-पत्र।

पत्रों में निम्नलिखित अंगों का होना आवश्यक है—(१) पत्र भेजने वाले का नाम और पता, या केवल पता और दिनांक; (२) पत्र पाने वाले का नाम और

पता; (३) प्रशस्ति; (४) पत्र-वृत्त या समाचार; (५) समाप्ति; (६) पाने वाले का पता। आधुनिक शैली के पत्रों में ये अंग इसी क्रम में रहते हैं। निजी पत्रों में पाने वाले का नाम और पता यहाँ नहीं दिया जाता।

पत्रों की एक प्राचीन भारतीय पद्धति भी थी। वह आज भी पुरानी परम्परा के लोगों तथा व्यापारियों में प्रचलित है। उन पत्रों के भी अंग ये ही हैं; पर उनमें क्रम भिन्न रहता है। उनमें मंगल-सूचक एवं प्रशस्ति के शब्द सर्वप्रथम होते हैं। अतः वे 'सिद्ध श्री' या 'स्वस्ति श्री' से प्रारम्भ होते हैं। उसके बाद क्रमशः 'स्थान', 'प्रशस्ति' तथा पत्र भेजने वाले का सम्बन्ध एवं नाम आते हैं। बीच में समाचार होते हैं तथा अन्त में पत्र की तिथि।

आधुनिक शैली में पहले सबसे ऊपर, दाहिनी ओर, पत्र भेजने वाले का स्थान या पता लिखा जाता है तथा उसके नीचे दिनांक। फिर बायीं ओर प्रशस्ति लिखते हैं। 'प्रशस्ति' में व्यक्ति से अपने सम्बन्ध का ध्यान रखा जाता है। बड़ों को 'पूज्यवर', 'श्रद्धेय', 'आदरणीय' आदि; छोटों को 'प्रिय', 'त्रिरंजीवी', 'वत्स' आदि तथा बराबर वालों को 'प्रियवर', 'प्रियवन्धु', 'प्रिय भाई', 'प्यारी बहन' 'प्रिय मित्र' आदि से सम्बोधित किया जाता है। बड़ों के तो केवल सम्बन्ध का निर्देश होता है; जैसे 'पिताजी', 'माताजी' आदि। पर बराबर वालों और छोटों के नाम भी लिख जा सकते हैं। निजी पत्रों में कभी-कभी अत्यधिक आत्मीयता को व्यक्त करने वाले सम्बोधनों का भी प्रयोग होता है, 'प्रिय नटखट मुन्तू'। मित्रों एवं प्रेमी-प्रेमिकाओं के पारस्परिक पत्रों में इस प्रकार के 'सम्बोधनों' का प्रयोग अधिक होता है।

प्रथम पंक्ति 'सादर प्रणाम', 'साष्टांग दण्डवत्', 'सप्रेम नमस्ते', 'स्नेहाशील' आदि से प्रारम्भ होती है। उसके बाद समाचार लिखे जाते हैं। पत्र के अन्त में कागज के दाहिनी ओर बड़े 'शुभेच्छु', 'हितंपी' आदि; छोटे 'आजाकारी', 'कृपाभिलाषी', 'स्नेहभाजन', 'सेवक', 'आपका प्रिय पुत्र' आदि तथा बराबर वाले 'स्नेही', 'सुहृद' 'आपका', 'तुम्हारा' आदि लिखकर अपना नाम लिख देते हैं।

पाने वाले का पता या तो उस पत्र के अंत में सबसे नीचे उसी कागज पर लिख दिया जाता है अथवा लिफाफे पर लिखा जाता है; पोस्टकार्ड और अन्तर्देशीय पत्र में पता लिखने का निश्चित स्थान होता है। पते के नमूने आगे दिये जाते हैं—

लिफाफे पर—



प्रेषक—
रमेशचन्द्र शर्मा
२५, चौड़ा रास्ता
जयपुर

सेवा में

श्री विजयकुमार, एम० ए०
स्थान—सिरसोदा
ढाकखाना—रूपवास
जिला—भरतपुर

अन्तर्देशीय पत्र पर—

कुमारी सुधा माथुर
द्वारा श्री गिरिजाकुमार माथुर, एम० ए०
विद्याभवन, आदर्श नगर
अजमेर

पोस्टकाट पर—

श्रीयुत पं० राघेश्यामजी मिश्र
साधना-सदन
नवलगढ़
(राजस्थान)

आधुनिक शैली के पत्रों के उदाहरण

(क) व्यक्तिगत पत्रों के उदाहरण—

१. पिता को पत्र

विड़ला छात्रावास
पिलानी

१६ सितम्बर, १९६६

पूज्य पिताजी,

सादर चरण-स्पर्श ।

आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सफल और सानन्द हूँ । आशा है आप भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे । आपने अपने पत्र में लिखा था कि रतन की तद्वियत

खराब रहती है, उसे बुखार आ रहा है। अब तो उसकी तबियत ठीक हो गयी होगी। मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है, क्योंकि पहले ही वह बहुत कमजोर है।

मेरी पढ़ाई भली प्रकार चल रही है। आप मेरी ओर से विलकुल निश्चिन्त रहें। यहाँ मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। आगामी दशहरे की छुट्टियों में हमारे विद्यालय से छात्रों का एक यात्रा-दल जयपुर की यात्रा पर जाना चाहता है। मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपना नाम सूची में लिखा दूँ।

आपका आज्ञाकारी पुत्र
दीनदयाल

२. पुत्र को पत्र

भरतपुर

२५ सितम्बर, १९६६

चिरंजीव दीनदयाल,

प्रसन्न रहो।

तुम्हारा पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुए। छात्रावास में तुम्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है, यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। अपने विद्यालय के भ्रमण-दल में सम्मिलित होने की तुम्हारी इच्छा है तो बड़ी खुशी से अपना नाम यात्रा के लिए जाने वाले छात्रों में लिखा दो। विद्यार्थी-जीवन में ही ऐसे अवसर आते हैं, उनका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

रतन की तबियत अब ठीक है। चिन्ता की कोई बात नहीं है। वैसे यह कमजोर अवश्य हो गया है। इसलिए घर पर ही आराम कर रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है। तुम्हारी बहुत याद करता है।

तुम्हारा पिता
दामोदर शर्मा

मिर्जा इस्माइल रोड,
जयपुर
१६ जून, १९६६

बन्धुवर किशोर,

नमस्कार ।

बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया । क्या कारण है ? शायद आजकल तुम विद्यालय के कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हो । पर भाई ! अपने इस छोटे भाई के लिए अपने अमूल्य समय में से थोड़ा-बहुत समय तो निकाल ही लिया करो ।

इन दिनों हमारे विद्यालय में साहित्य-परिषद के चुनाव हो रहे हैं । तुम तो जानते हो कि मैं चुनावों में अधिक दिलचस्पी नहीं लेता हूँ । चुनाव के पहले सब काम छोड़कर दौड़-धूप करना और फिर चुनाव जीतने पर पदाधिकारी बन उत्तरदायित्व का बोझ सिर पर लादना, इन सबको मैं सिर-दर्द ही समझता रहा हूँ । इसलिए जब-जब विद्यालय में किसी प्रकार के चुनाव होते थे, तब-तब मैं उनसे अलग ही रहा करता था । पर इस बार तो मुझे साहित्य-परिषद के सचिव पद के लिए खड़ा होना ही पड़ा । मेरी इच्छा न होते हुए भी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के प्रबल आग्रह को मुझे मानना पड़ा । विरोध में चतुर्थ वर्ष कला के एक छात्र राजकुमार हैं । उनका भी विद्यालय में अच्छा प्रभाव है । चुनाव के मैदान में दोनों ही पक्ष बराबर के हैं । इसलिए संघर्ष अच्छा रहेगा इसमें दो मत नहीं । कौन जीतेगा, कौन नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता । परन्तु भाई ! चुनाव की इस दौड़-धूप में बहुत आनन्द आ रहा है । न खाने की चिन्ता है, न पीने की । बस सारा समय चुनाव की दौड़-धूप में ही बीतता है । अगले सप्ताह की २५ तारीख को ही चुनाव है । घर में सब लोग सानन्द होंगे । पत्र का उत्तर तुरन्त देना ।

तुम्हारा बन्धु
नटवर

४. बड़ी बहिन को पत्र

दाल बाजार,

भरतपुर

१४ दिसम्बर, १९६६

आदरणीय दीदी,

सादर प्रणाम ।

जब से तुम गयी हो, तब से तुमने अपनी कुशलता का एक भी पत्र नहीं लिखा । इससे माताजी एवं पिताजी को बड़ी चिन्ता हो रही है । तुम तो कह गयी थीं कि वहाँ पहुँचते ही पत्र डाल दूंगी परन्तु शायद उदयपुर पहुँचकर हम लोगों का ध्यान नहीं रहा । अब यह पत्र पढ़ते ही पत्र डालना ।

यहाँ हम सब कुशलपूर्वक हैं । बड़े भैया अभी बम्बई से नहीं लौटे । उनका पत्र आया था । वे कुछ दिन बम्बई में ही रुकेंगे । रमेश भी कुछ दिन बाद अजमेर जा रहा है । वहाँ के कालेज से उसको साक्षात्कार का निमन्त्रण मिला है । आशा है यह स्थान उसे मिल जायेगा ।

जीजाजी तो बाहर गये होंगे । मुन्ना कैसा है ? अभी पढ़ने तो नहीं विठाय़ा होगा । यहाँ सबको मुन्ना की बड़ी याद आती है । मेरी ओर से उसे खूब प्यार करना । यहाँ सब लोग आनन्द में हैं । तुम्हारे पत्र की बहुत प्रतीक्षा है । पत्र तुरन्त लिखना ।

तुम्हारी छोटी बहन

विद्या

५. अध्यापक को पत्र

६३, सोजती गेट,

जोधपुर

१५ जून, १९६६

पूज्य गुरुदेव,

सादर चरण-स्पर्श ।

पिछली १० तारीख को मेरा परीक्षा-परिणाम प्रकाशित हो गया था । आपने देखा ही होगा । मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ । यह सब आपके आशीर्वाद का फल है । मेरी इस सफलता का श्रेय वस्तुतः आपको ही है । यह जानकर

आपको और भी प्रसन्नता होगी कि इस बार भी मैंने अपने ही विद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया है। पिताजी ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है।

इण्टर में मैंने विज्ञान विषय लेने की बात सोची है। आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान में मेरी सदैव ही रुचि रही है। विज्ञान में मेरे प्राप्तांक भी अच्छे हैं। इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है? सूचित करके अनुगृहीत करें।

प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा में—

आपका आज्ञाकारी शिष्य
जर्नादन

६. सहेली को पत्र

७५, सदर बाजार
चित्तौड़गढ़
१६ जून, १९६६

प्यारी विभा,

सप्रेम नमस्ते।

कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार पढ़कर बड़ी खुशी हुई। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे विलकुल भूल गयी होगी, तुम्हारे पत्र से जान पड़ा कि ऐसी बात तो नहीं है।

तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुमने पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी है मुझे बड़ा दुःख हुआ। मेरा तो विश्वास था कि इस वर्ष तुम बी०ए० की परीक्षा दोगी। तुम्हारा बी०ए० में न बैठना सचमुच आश्चर्य की बात है। तुम्हारे माता-पिता तो बड़े शिक्षा-प्रेमी हैं। तुम स्वयं भी पढ़ने में विशेष रुचि रखती थीं। फिर ऐसी क्या बात हो गयी कि तुम पढ़ना-लिखना ही छोड़ बैठों। अगले पत्र में इस बात को जरूर ही स्पष्ट करना।

मैं यहाँ स्वस्थ और सानन्द हूँ। इस वर्ष बी० ए० की परीक्षा में बैठ रही हूँ। तैयारी तो अच्छी ही है, फिर आगे भगवान् मालिक है। सोचा तो यही था कि हम तुम दोनों साथ-साथ पढ़ेंगी और साथ-साथ रहेंगी, पर शायद ईश्वर को यह मंजूर न था। तुम यहाँ से चली भी गयी और पढ़ाई भी छोड़ बैठी। पत्रोत्तर देना। नाताजी को मेरा प्रणाम कहना।

तुम्हारी सखी
रमा

७. मित्र को पत्र

जयपुर

१६ जुलाई, १९६६

प्रिय बन्धु,

सप्रेम नमस्कार !

नवीं कक्षा की परीक्षा के बाद तुम शीघ्र ही अपने घर चले गये थे और तुम्हारे आने से पूर्व ही मुझे यहाँ चाचाजी के पास आना पड़ा। तुम्हें पता है कि अपने कस्बे के माध्यमिक स्कूल में तो विज्ञान विषय है नहीं। मुझे इस कक्षा में विज्ञान विषय लेना था अतः यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुझे नवीं कक्षा में प्रवेश मिल गया है। पढ़ाई सब ठीक चल रही है। पर भर्ती के समय जो अनुभव मुझे हुए वे तुम्हें भी रुचिकर एवं लाभप्रद प्रतीत होंगे। अतः मैं नीचे उसका विवरण दे रहा हूँ।

कस्बे के स्कूल के तो सभी छात्र और अध्यापक मेरे परिचित थे। यहाँ तो सब कुछ नया है। शुरु में कोई परिचित सहपाठी नहीं था अतः पहले दिन मुझे विद्यालय जाने में एक अजीब-सा भय लगा। चाचाजी के ऑफिस का चपरासी मुझे पहुँचाने गया। नये विद्यालय में जाने का पहले बहुत उल्लास था। पर उस दिन पता नहीं वह उल्लास कहाँ छिप गया था। रास्ते में पैर कुछ भारी-से पड़ रहे थे। कभी-कभी तो आगे बढ़ने के स्थान पर पैर पीछे भी खिसकना चाहते थे। वैसे एकाध पाँव तेजी से भी बढ़ा देता था। बीच-बीच में नीकर मोटर आदि से बचकर चलने का आदेश भी देता जा रहा था।

हमारे घर से सरकारी स्कूल बहुत दूर नहीं है। थोड़ा-सा रास्ता पार करने पर सड़क के दूसरे किनारे ही यह स्कूल है। जल्दी ही मैं स्कूल के पहले फाटक पर पहुँच गया। अपने कस्बे के स्कूल का तो एक ही फाटक है पर इसके तो कई फाटक हैं। पूर्व माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक कक्षाएँ अलग-अलग भवनों में लगती हैं। उनके लिए प्रवेश द्वार भी भिन्न-भिन्न हैं। सभी भवनों के सामने बड़े-बड़े सुन्दर घास के मैदान हैं। थोड़ी देर तो मुझे यह ज्ञात करने में लगी कि मेरी कक्षा किस भवन में लगती है।

यह भवन भी बहुत बड़ा है। कमरे भी बहुत बड़े-बड़े हैं। उनके पटाव बहुत ऊँचे हैं। नवम् कक्षा के ही पाँच सैक्शन हैं। मुझे चतुर्थ सैक्शन में स्थान मिला है। भवन के प्रमुख द्वार से घुसने के बाद मेरी कक्षा तक पहुँचने के लिए एक लम्बा बरामदा पार करना पड़ता है। दोस्त, कैसे बताऊँ? बरामदा

पार करते हुए मेरे मन की विचित्र अवस्था थी। गरिमा और लघुता के भाव धारी-धारी से मेरे मन में आ रहे थे। इतने बड़े विद्यालय का छात्र होने का गर्व मुझे पहले ही दिन जाग गया था। भवन और विद्यालय की गरिमा मुझ में समा गयी थी। पर इसके साथ ही मुझ में छोटे-से कस्बे के स्कूल से आने तथा यहाँ पर नितान्त नया, अजनबी एवं अकेले होने का भाव भी बीच-बीच में जागता था। इससे अपनी लघुता का भान भी था। गरिमा और लघुता के विचित्र मिश्रित भाव के साथ अपने जूतों की खट-खट को कभी अन्य छात्रों की खट-खट से मिलाता हुआ और कभी उनसे अलग ध्वनि करता हुआ मैं कक्षा में पहुँच गया। कक्षा के दरवाजे तक पहुँचाकर चपरासी चला गया।

कक्षा में कुछ सकपकाया और सिमटा-सा अन्तिम बेंचों की एक सीट पर बैठ गया। कुछ छात्रों को छोड़कर शेष सभी चुपचाप सीटों पर बैठे थे। सबको एक-दूसरे से बात करने में मंकोच था। अधिकांश नये ही थे। कुछ देर तक पुराने छात्र आपस में हम नये लोगों की ओर कन्खियों से इशारे करते रहे। धीरे-धीरे एक-दूसरे से कुछ कहते भी रहे। पर थोड़ी देर में यह मीन और संकोच का पर्दा धीरे-धीरे हटने लगा। पुराने छात्रों ने परिचय पूछना और बताना प्रारम्भ किया। वे मुझे उस समय बड़े शिष्ट और मिष्टभाषी लगे थे।

प्रायःना के बाद हमारे प्रिंसिपल महोदय ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। उसमें उन्होंने विद्यालय की गौरवमय परम्पराओं से परिचित कराने के बाद नवीन एवं पुराने छात्रों का स्वागत किया। उनको अनुशासन में रहकर विद्याध्ययन के लिए कठिन परिश्रम की प्रेरणा दी। कक्षा में आते ही मॉनीटर ने हम लोगों को चुपचाप यथास्थान बैठ जाने का आदेश दे दिया और बोर्ड पर दिनांक लिख दिया।

प्रत्येक घण्टे के प्रारम्भ में मुझे यह उत्सुकता रही कि देखें अब कौन और कैसे अध्यापक आते हैं। कुछ हल्का-सा भय भी समाया रहता था जो प्रत्येक घण्टे के बाद समाप्त होता गया। मित्र, यहाँ के सभी अध्यापक भव्य मूर्ति हैं। बड़े सुन्दर कपड़े पहने रहते हैं। साधारणतः सभी कोट और पैन्ट में रहते हैं। केवल दोनों पण्डितजी धोती और कुरता पहनते हैं। पहले घण्टे में हमें छोटे पण्डितजी हिन्दी पढ़ाने आये। उनका बड़ा भव्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व है। देखते ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। पर परिचय न होने के कारण पहले थोड़ा भय-मा भी रहा। जब उन्होंने हास्य, व्यंग्य और विनोद के साथ अपना परिचय दिया और हम लोगों से परिचय प्राप्त किया तो भय श्रद्धा में परिणत हो गया। सभी

व्यंग्य और विनोद करने वाले नहीं हैं। कुछ बहुत गम्भीर हैं। हमारे विज्ञान और गणित के अध्यापक बहुत मितभाषी हैं। पर प्रश्न पूछते हैं स्नेहपूर्ण भाषा में ही। डाँटते समय जरा जोर से बोलते हैं। मुझसे पहले ही दिन प्रश्न पूछा। मैंने जरा धीमे-से उत्तर दिया तो हल्का-सा डाँटते हुए बोले, "जोर से बोलो, घबराने की क्या बात है?" मैं जरा जोर से बोलने लगा। बोर्ड पर मुझे बीज-गणित का एक छोटा-सा गुणनखण्ड करना था। सरल था। करते हुए मेरे हाथ जरा काँप रहे थे। 'सर' ने कहा, "काँपते क्यों हो? ठीक तो चल रहा है। काँपोगे तो जरूर गलती करोगे।" और मित्र, गलती हो ही गयी। ऋण के स्थान पर 'घन' का चिह्न लगा गया।

मध्यान्तर तक धीरे-धीरे मेरे मन का भय और संकोच समाप्त होता गया। मध्यान्तर का अवकाश कुछ लम्बा होता है। उसमें कुछ सहपाठी बहुत हिल-मिल गये। मुझे इधर-उधर लिये घूमते रहे। 'आप' से 'तुम दोस्त' पर आ गये। मेरा अजनबीपन समाप्त हो गया। मुझे भी वे मेरे पुराने दोस्त से लगने लगे।

बन्धु, यह विद्यालय मुझे बहुत पसन्द आया है। पढ़ाई तो अच्छी है ही, अध्यापक काम खूब करा लेते हैं। उनका स्नेह भी मुझे प्राप्त हो गया है। सबसे सुन्दर बात यह है कि मुझे मित्र-मण्डली बहुत अच्छी मिल गयी है। पर तुम्हारा अभाव अवश्य खलता रहता है। न हो तो अगले वर्ष तुम भी यहाँ आ जाओ। दशहरे की छुट्टियों में मैं तुम्हें अपने और अनुभव सुनाऊँगा। सब मित्रों से मेरा स्नेहाभिवादन कह देना। अरुण और राकेश को तो यह पत्र पढ़ा देना। पत्र में सबके हालचाल लिखना।

स्नेहाकांक्षी
दिनेश

प्राचीन पद्धति के पत्रों के उदाहरण

महालक्ष्मी पूजन का पत्र

सिद्धश्री वम्बईशुभस्थानश्रीपत्रीभाई रमेशचन्द्र हीरालाल योग लिखी जयपुर से मोहनलाल मुरलीधर की जयगोपाल वंचना। अत्र कुशलं तत्रास्तु ! अपरंच हमने श्री महालक्ष्मीजी का पूजन आज मित्ती कार्तिक कृष्णा ३०, रविवारको सायंकाल के समय आनन्दपूर्वक किया है। आपने भी आनन्दपूर्वक किया होगा। कृपा बनाये रखिये तथा हमारे योग्य सेवा सूचित करते रहिये। शुभ दीपावली की मंगलमयी कामनाएँ सादर समर्पित हैं। मित्ती कार्तिक कृष्णा ३०, रविवार, संवत् २०२६ विक्रमी।

पिता को पत्र

सिद्धश्री फलोदी शुभस्थान योग्य लिखी अजमेर से पूज्य पिताजी को सुमेरचन्द्र का सादर प्रणाम वंचना । यहाँ श्री गोपीनाथजी महाराज सहाय हैं । आपका कुशलमंगल भगवान से चाहता हूँ । आपका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ । पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । मेरा अध्ययन यहाँ खूब अच्छी तरह चल रहा है । चाचाजी ने मुझे घर पर पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का भी प्रबन्ध कर दिया है । चाचाजी की दूकान का काम इस-वर्ष पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है । चाचाजी ने सादर प्रणाम निवेदन के बाद लिखाया है कि आप वहाँ से घी भेजने का कष्ट न करें । यहाँ भी अच्छा मिल जाता है । हम सबको माताजी के स्वास्थ्य की चिन्ता है । सर्दों में उनका विशेष ध्यान रखें । दवा-पानी कराते रहें । सुगन को हम सबका आशीष । वह पढ़ने जाता होगा । यहाँ योग्य सेवा से सूचित करें । आपके पत्र की हमें बहुत प्रतीक्षा रहती है, अतः शीघ्र ही दिया करें । मिति भाद्रपद शुक्ला ८, सोमवार, सं० २०२६ विक्रमी ।

पुत्र को पत्र

स्वस्ति श्री जोधपुर शुभ स्थान योग्य लिखी नागौर से चिरंजीव दामोदर को सागरमल का स्नेहाशीष वंचना । अत्र कुशलं तत्रास्तु । अपरंच तुम्हें अपने ननसाल गये हुए बहुत दिन हो गये हैं । यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है । अब तो छुट्टियाँ भी समाप्त हो रही हैं, अतः तुम शीघ्र ही वापस आ जाओ । तुम्हारे मामाजी से मेरा सादर प्रणाम कह देना । सभी बच्चों को मेरी ओर से प्यार करना । मिति आपाढ़ कृष्णा १४, मंगलवार, सं० २०२६ विक्रमी ।

(ख) व्यावहारिक पत्र—

समाज में जीवन के पारस्परिक व्यवहार को चलाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें व्यावहारिक पत्र कहते हैं । प्रीतिभोज, विवाह आदि के निमन्त्रण पत्र, स्वीकृति-पत्र, अस्वीकृति-पत्र, बधाई-पत्र, संवेदना-पत्र, परिचय-पत्र, अभिनन्दन-पत्र, विदाई-पत्र, आदि सामाजिक व्यवहार से सम्बन्धित पत्र तथा आवेदन-पत्र, प्रार्थना-पत्र, कार्यालय-सम्बन्धी पत्र आदि सभी व्यावहारिक पत्रों की कोटि में आते हैं । इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है । जीवन में इनका महत्त्व भी बहुत है, अतः इनके लिखने का अभ्यास भी अत्यन्त आवश्यक है । इन पत्रों के

लिखने का अपना एक विशेष ढंग होता है। इनमें से प्रत्येक पत्र का विशेष प्रयोजन होता है। वह प्रयोजन स्पष्ट रूप से तर्कों के द्वारा प्रतिपादित होना चाहिए। यथासम्भव संक्षिप्तता तथा शिष्टाचार एवं औपचारिकता का निर्वाह इन पत्रों की प्रधान विशेषता होनी चाहिए। इनमें निजी बातों का उल्लेख प्रायः नहीं होना चाहिए। नीचे हम कतिपय व्यावहारिक पत्रों के नमूने दे रहे हैं।

१. निमन्त्रण-पत्र

साहित्य-सदन
वीकानेर
२२ दिसम्बर, १९६६

मान्यवर,

अखिल भारतीय लेखक-संघ के द्वितीय अधिवेशन पर संघ के अध्यक्ष श्री वागीश पाण्डेय, अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के सम्मान में साहित्य-सदन की ओर से एक प्रीतिभोज का आयोजन बुधवार, दिनांक २४-१२-६६ को सायंकाल ६ बजे, किया गया है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रीतिभोज में सम्मिलित होकर हमें अनु-गृहीत करें।

स्थान
राजकीय महाविद्यालय
वीकानेर

विनीत
ब्रजेन्द्रवहादुर
संचालक
साहित्य-सदन, वीकानेर

२. स्वीकृति-पत्र

नाहटा-भवन,
वीकानेर
२३ दिसम्बर, १९६६

प्रिय ब्रजेन्द्रवहादुरजी,

लेखक-संघ के पदाधिकारियों के सम्मानार्थ साहित्य-सदन द्वारा आयोजित प्रीतिभोज का निमन्त्रण-पत्र प्राप्त हुआ। धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित होने का मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा।

आपका
मधुसूदन नाहटा

३. अस्वीकृति-पत्र

मोहर्तों का चौक,
वीकानेर

२३ दिमम्बर, १९६६

आपका प्रीतिभोज का निमन्त्रण-पत्र प्राप्त हुआ। घन्यवाद। मैं इस अवसर पर अवश्य उपस्थित होता परन्तु एक आवश्यक कार्य से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। इस कारण मैं इस प्रीतिभोज में सम्मिलित न हो सकूंगा। इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

आपका

विनयमोहन शर्मा

४. विवाह का निमन्त्रण-पत्र

चिरंजीव नरेश

का शुभ पाणिग्रहण संस्कार

श्रीरामकिशोरजी मायुर की सुपुत्री

सौभाग्यकांक्षिणी वीणा

के साथ होना निश्चय हुआ है। इस मंगलमय अवसर पर

आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

स्थान

शान्ति-कुटीर

तिलक नगर, जयपुर

दिनीत

ब्रजकिशोर

मूलचन्द्र

घैयाहिक कार्यक्रम

विवाह-संस्कार

मंगलवार, माघ शुक्ला ६, सं० २०२६, ३१ जनवरी, १९७०

प्रीतिभोज

बुधवार, माघ शुक्ला १०, सं० २०२६, १ फरवरी, १९७०

५. विवाहोत्सव पर शुभकामना-पत्र

चन्द्र-महल,

जयपुर

२८ जनवरी, १९७०

प्रिय भाई ब्रजकिशोर जी,

आपके पुत्र चिरंजीव नरेश के शुभ विवाह का समाचार पाकर हृदय को अत्यधिक आनन्द हुआ। इस शुभ अवसर पर मेरी बधाई स्वीकार करें। इसकी सफलता के लिए मेरी हार्दिक मंगल-कामना है। वर-वधू दोनों चिरंजीव हों तथा अपने दाम्पत्य-जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है।

आपका

रामप्रताप

६. बधाई-पत्र

१४४, धो-मण्डी,

मदार गेट, अजमेर

२५ फरवरी, १९७०

मान्यवर जोशीजी,

नगरपालिका के चुनाव में आपके विजयी होने का समाचार मिला। पढ़ कर हृदय को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। इस शहर की जनता ने आपको चुनकर आपके प्रति जो अगाध श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया है वह आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता और जनसेवी के लिए सर्वथा उचित ही है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिये।

आपका

गंगाप्रसाद शर्मा

७. धन्यवाद-पत्र

२१ ए, पाँच बत्ती,
जयपुर

२७ फरवरी, १९७०

श्री गंगाप्रसादजी,

आपका ब्रह्माई-पत्र प्राप्त हुआ। इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। मेरी सफलता का श्रेय तो आप जैसे मित्रों की शुभकामनाओं को ही है। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। आशा है मित्रों की ऐसी ही शुभकामनाएँ मुझे जनसेवा के पथ पर गतिशील बनाती रहेंगी।

कृपादृष्टि बनाये रहें।

आपका
दिवाकर जोशी

८. समवेदना-पत्र

मथुरा दरवाजा,
भरतपुर

१६ जुलाई, १९६६

प्रियबन्धु महेन्द्र,

अभी-अभी भाई नरोत्तम से सुना कि तुम्हारे पूज्य पिताजी इसी बुधवार को दिवंगत हो गये। सुनकर हृदय को बहून दुःख हुआ। मुझे तो सचमुच वे पुत्र के समान प्रेम करते थे। गत मास जब मैं तुम्हारे घर आया था तब मेरे प्रति उनका व्यवहार कितना स्नेह-भरा था। आज वे हमारे बीच ने उठ गये। विधि-विधान के आगे किसी का कुछ भी बश नहीं। ईश्वर की यही इच्छा है ऐसा सोचकर धैर्य धारण करना ही उचित है। अब परिवार के भरण-पोषण का पूरा भार तुम्हारे कंधों पर है। मुझे पूरी आशा है कि तुम इस जिम्मेदारी को निवाहोगे। इसी से तुम्हारे पिताजी की दिवंगत आत्मा को शान्ति मिलेगी।

तुम्हारा मित्र
सतीश

६. परिचय-पत्र

३६, गोकुलपुरा,

महावन

२८ सितम्बर, १९६६

श्री राधामोहन जी,

सादर नमस्कार ।

पत्रवाहक श्री रामप्रसादजी मेरे निकट के सम्बन्धी हैं । वे नौकरी के लिए जोधपुर से आ रहे हैं । वे आपके ही यहाँ ठहरेंगे । उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था करवा दें और नौकरी के सम्बन्ध में जो सहायता सम्भव हो वह भी करने की कृपा करें । कष्ट के लिए क्षमा करें ।

आपका

शीतलप्रसाद

१०. सिफारिश-पत्र

शान्ति-निवास,

जोधपुर

५ मई, १९६६

प्रिय भाई श्यामलालजी,

सादर नमस्कार ।

मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि आपके यहाँ मुद्रण-विभाग में एक व्यवस्थापक की आवश्यकता है । मैं इस पद के लिए भाई जुगलकिशोर का नाम आपके सामने रख रहा हूँ । वे मेरा पत्र लेकर आपके पास आ रहे हैं । वे मेरे घनिष्ठ मित्रों में से हैं । वे एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति हैं और मुद्रण-कार्य का उन्हें लम्बा अनुभव है; क्योंकि इससे पूर्व जयपुर के राष्ट्रवाणी प्रेस में वे बड़ी कुशलता और कार्यपटुता के साथ कार्य करते रहे हैं । वे इस पद के लिए सर्वथा योग्य हैं ।

यदि आप भाई जुगलकिशोर को अपने यहाँ जगह दे सकें तो मैं अत्यन्त अनुग्रहीत होऊँगा ।

आपका

कमलाकर पाण्डेय

११. प्रमाण-पत्र

हिन्दी साहित्य विद्यालय,
नागरी प्रचारिणी सभा,
आगरा

दिनांक ३-५-१९६६

हमें यह प्रमाणित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि श्री अखिलेश शर्मा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संचालित हिन्दी साहित्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर पिछले चार वर्षों से कार्य कर रहे हैं। प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद तथा साहित्यरत्न जैसी उच्च परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अध्यापन में उन्होंने जिस योग्यता और कार्य-कुशलता का परिचय दिया है वह सब प्रकार से प्रशंसनीय है। विद्यालय के छात्र और छात्राएँ सभी उनकी विद्वता और उनके अध्यक्षता से प्रभावित हैं। विद्यालय के प्रति उनकी सेवाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही हैं।

मैं सब प्रकार से इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

राजेश्वर चतुर्वेदी
संयोजक,
हिन्दी साहित्य विद्यालय,
नागरी प्रचारिणी सभा,
आगरा

१२. प्रार्थना-पत्र

(१) अवकाश के लिए

सेवा में

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
अमड़िया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
चित्तौड़गढ़

मान्यवर,

सविनय निवेदन है कि मैं पलू बुखार से पीड़ित होने के कारण कुछ दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः मुझे आज से ५ दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

ता० ५-५-६६

आपका आज्ञाकारी शिष्य
सुरेन्द्र विपाला
कक्षा ११ (ब)

(२) अवकाश के लिए

सेवा में

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
राजकीय हाई स्कूल,
सीकर

मान्यवर,

सविनय निवेदन है कि मुझे अपने मित्र के विवाहोत्सव में सम्मिलित होना है। इस कारण मैं आज से चार दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः मुझे ता० १५ दिसम्बर से ता० १८ दिसम्बर, १९६६ तक चार दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

ता० १५-१२-६६

आपका आज्ञाकारी शिष्य
विजयकुमार अग्रवाल
कक्षा ६ (स)

(३) मैच खेलने की अनुमति के लिए

सेवा में

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
झुंझनू

मान्यवर,

सविनय निवेदन है कि हम नवीं कक्षा के विद्यार्थी दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ फुटबाल का एक मैत्रीपूर्ण मैच कल ता० २१ नवम्बर की शाम को ५ बजे विद्यालय-श्रीड़ास्थल पर खेलना चाहते हैं। आशा है आप मैच खेलने की अनुमति प्रदान करके हमें अनुगृहीत करेंगे।

ता० २०-११-६६

हम हैं आपके आज्ञाकारी शिष्य
नवम कक्षा के विद्यार्थी

(४) जुर्माना माफ कराने के लिए

सेवा में

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
नेहरू स्मारक विद्यालय,
सरदारशहर

मान्यवर

नम्र निवेदन है कि कल अपने छोटे भाई की तद्वियत अचानक खराब हो जाने के कारण मुझे डाक्टर के यहाँ जाना पड़ा। इससे कक्षा का कार्य नियत समय पर नहीं कर पाया। इससे मुझ पर जुर्माना किया गया है। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि जुर्माना दे सकूँ। अतः सविनय प्रार्थना है कि मेरी असमर्थता पर ध्यान देकर उसे माफ करने की कृपा करें।

आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर मुझे कृताथे करेंगे।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

दिनांक ८-११-१९६६

नेमीचन्द कक्षा. ६ (ब)

(५) शुल्क माफ कराने के लिए

सेवा में

श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय,
राजकीय माध्यमिक शाला
व्यावर

मान्यवर,

सविनय निवेदन है कि मैं एक निर्धन विद्यार्थी हूँ और मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं फीस दे सकूँ। अतः मैं अपना शुल्क माफ कराने के लिए आपकी सेवा में निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ—

- मेरे पिताजी कपड़े की एक दुकान में साधारण कर्मचारी हैं। फलतः उनकी आय इतनी नहीं है कि वे मेरी फीस दे सकें।
- मेरा परीक्षाफल सदैव अच्छा रहा है और मैंने सदा कक्षा में ऊँचा स्थान प्राप्त किया है। गत सत्र में नवम कक्षा की वार्षिक परीक्षा में मैंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किये थे।

३. विद्यालय में होने वाली सभी प्रवृत्तियों एवं खेलों में मैं भाग लेता हूँ। जिला माध्यमिक विद्यालय हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में गत वर्ष मैंने अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था।
४. मेरे आचरण से मेरे सभी गुरुजन प्रसन्न हैं। इस विषय में अपने कक्षाध्यापक महोदय की सम्मति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। आशा है आप उपर्युक्त बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस वर्ष मुझे पूर्ण शुल्क-मुक्ति देने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी रहूँगा।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

फूलचन्द

कक्षा १० (अ)

दिनांक १९-११-६६

(६) नौकरी के लिए

सेवा में

श्रीमान प्रशासक महोदय,

नगरपालिका,

जोधपुर

मान्यवर,

विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि आपके विभाग में कुछ क्लर्कों के स्थान रिक्त हुए हैं। इसलिए मैं अपनी सेवाएँ अर्पित करता हूँ। मेरी योग्यताएँ नीचे लिखे अनुसार हैं—

१. मैंने सन् १९५७ में श्री महावीर दिगम्बर जैन इण्टर कालेज से उत्तर-प्रदेश शिक्षा बोर्ड की हाई-स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है।
२. मैंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की विशारद परीक्षा भी द्वितीय-श्रेणी में उत्तीर्ण की है।
३. मुझे हिन्दी टंकन (टाइप) का भी अच्छा अभ्यास है, मेरी टाइप करने की गति ३० शब्द प्रति मिनट है।
४. मैं २१ वर्ष का परिश्रमी, स्वस्थ और चरित्रवान युवक हूँ। अपने विद्यार्थी-जीवन में मैं बराबर अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ और अपने विद्यालय के साहित्यिक आयोजनों में प्रमुख रूप से भाग लेता रहा हूँ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना कार्य पूर्ण लगन के साथ करूँगा। योग्यता-सम्बन्धी तीन प्रमाण-पत्र इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे।

प्रार्थी

कमलकुमार वनाड़ा,

द्वारा—जवाहरलाल वनाड़ा,

जोहरी बाजार,

उदयपुर

(७) प्रार्थना-पत्र जिलाधीश की
(लगान माफ के लिए)

सेवा में

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,

झूँझनू

माननीय,

सविनय निवेदन है कि तहसील उदयपुर के समस्त कृषक-जन बहुत दुखी होकर यह प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में भेज रहे हैं।

आपको ज्ञात ही है कि इस वर्ष अत्यधिक पानी पडने के कारण फसलों को बड़ी हानि पहुँची है। हमारे गाँव पर तो यह विपत्ति बहुत भयंकर रूप रक्कर आयी है जिसके फलस्वरूप गाँव की सारी फसल चोपट हो गयी है। हम लोगों के घर में एक भी दाना नहीं पहुँचा है। आप स्वयं इन बातों की जाँच कर सकते हैं।

ऐसी परिस्थिति में हम लोग फसल का लगान देने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारा लगान माफ करवाने की कृपा करें। इस संकट में आप ही का सहारा है। हम ग्रामवासी इसके लिए हृदय से आपके कृतज्ञ होंगे।

हम हैं आपके

उदयपुर तहसील के निवासी किसान

हस्ताक्षर श्रीरुसिंह

श्यामलाल

गोकुलप्रसाद

किरोडीलाल

दिनांक १५-५-६६

(द) शिकायती पत्र
(डाक की गड़बड़ी के विषय में)

सेवामें

श्रीमान् पोस्टमास्टर साहब,
अजमेर

मान्यवर,

निवेदन है कि हमारे मुहल्ले का डाकिया डाक बाँटने में लापरवाही और असावधानी से काम लेता है। पत्रों को इधर-उधर डाल जाता है, जिससे उन्हें प्राप्त करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी-कभी तो पत्र मिलते ही नहीं।

आप इस मुहल्ले के डाकिये को आवश्यक आदेश देने की कृपा करें ताकि वह भविष्य में डाक बाँटने में लापरवाही न करे।

ता० १८-७-६६

भवदीय
सोमेश्वर वर्मा
कचहरी रोड, अजमेर,

(र्द) प्रार्थना पत्र
(विवाह पर लाउडस्पीकर लगवाने के लिए)

सेवा में

श्रीमान् एकजीक्यूटिव आफिसर महोदय,
नगरपालिका, सीकर

मान्यवर,

निवेदन है कि मेरे पुत्र के विवाहोत्सव के उपलक्ष में दिनांक १८ फरवरी सन् १९६६ को प्रीतिभोज का आयोजन किया गया है। उक्त अवसर पर हम लाउडस्पीकर लगवाना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। साभार

दि० १५-२-६६
स्थान—गणेश भवन

प्रार्थी
भोलेलाल पुरोहित

(१०) पत्र-सम्पादक को
(समाचार प्रकाशित करने के लिए)

सेवामें

श्रीमान् सम्पादक महोदय,
दैनिक अमर उजाला,
आगरा

निवेदन है कि निम्नलिखित समाचार अपने सम्माननीय पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें :

भवदीय
रामेश्वर

समाचार

कालेज की हिन्दी साहित्य परिषद की एक बैठक गंगाधर शास्त्री भवन में रात्रि के ७ बजे प्रारम्भ होगी जिसमें हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समीक्षक श्री शिवदानसिंह चौहान आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर अपने विचार प्रकट करेंगे। इस अवसर पर सभी साहित्य-प्रेमियों की उपस्थिति प्रायःनीय है।

मन्त्री
हिन्दी साहित्य परिषद्
आगरा कालेज

(११) प्रार्थना पत्र
(रचना छपवाने के लिए)

४६, वापू बाजार,
उदयपुर
२५ दिसम्बर, १९६६

श्रीयुक्त सम्पादक
'साप्ताहिक हिन्दुस्तान'
दिल्ली

प्रिय महोदय,

मैं आपके बाल-संघ की सदस्य हूँ। मेरी सदस्य संख्या ५२५ है। मैं अपनी 'किसान' शीर्षक रचना आपकी सेवा में भेज रही हूँ। आशा है आगामी अंक में उसे प्रकाशित कर मुझे और लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कृपया पत्र एवं रचना की पहुँच दें। धन्यवाद।

आपकी-
कु० मंजु

(१२) आदेश पत्र
(क) पुस्तकों संग्रहाने के लिए

वाल हितकारी सभा,
नागौर (राजस्थान)
दिनांक ५-६-६६

श्रीयुत व्यवस्थापक
आत्माराम एण्ड सन्स,
काश्मीरा गेट, दिल्ली

प्रिय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि निम्नलिखित पुस्तकों की एक-एक प्रति शीघ्र ही
वी० पी० द्वारा, नियमानुसार कमीशन काट कर, भेजने की कृपा करें।

१. द्वापर—श्री मैथिलीशरण गुप्त ।
२. चिंतामणि—श्री रामचन्द्र शुक्ल ।
३. कामायनी—श्री जयशंकर प्रसाद ।
४. हल्दीघाटी—श्री श्यामनारायण पाण्डेय ।

साथ में अपने प्रकाशनों का एक सूचीपत्र भी भिजवाने की कृपा करें।

भवदीय
वनवारी लाल
पुस्तकालयाध्यक्ष

(ख) औषधि संग्रहाने के लिए

आयुर्वेद भवन,
गणगौरी बाजार, जयपुर
४ जुलाई, १९६६

श्रीयुत व्यवस्थापक महोदय,
गुरुकुल रसायनशाला
हरिद्वार

प्रिय महाशय,

हमें आपकी रसायनशाला द्वारा निर्मित द्राक्षासव की अत्यन्त आवश्यकता
है। निवेदन है कि एक-एक पौण्ड की पाँच शीशियाँ, उचित कमीशन काटकर,
ऊपर लिखे पते पर वी० पी० द्वारा भेजने की कृपा करें।

आपका
मोहनलाल

(ग) पत्र का ग्राहक बनने के लिए

६, विजयनगर कॉलोनी
भागरा

२५ नवम्बर, १९६६

श्रीयुत व्यवस्थापक,
'आज'
बनारस

प्रिय महोदय,

निवेदन है कि मैं जनवरी मास से आपके पत्र का ग्राहक बनना चाहता हूँ। उसका वार्षिक चन्दा मनीआर्डर से भेज रहा हूँ। कृपया मेरा नाम ग्राहक-सूची में लिख लें और नियमित रूप से पत्र भेजते रहें।

भवदीय
शेखर मिश्र

प्रमाण-पत्र

मुकुन्दमोहन सान्याल, एम. ए.,
प्रधानाध्यापक, श्री नवल विद्यालय,
नवलगढ़

नवलगढ़

७ जुलाई, १९६६

मुझे यह प्रमाणित करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि श्रीशिवचरन खण्डेलवाल इस विद्यालय से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने इस विद्यालय में छह वर्ष तक अध्ययन किया है। वे सभी कक्षाओं में सर्वप्रथम स्थान पाते रहे हैं। श्री खण्डेलवाल निबन्ध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में बराबर भाग लेते रहे हैं। उन्होंने झूँझनू जिला वाद-विवाद प्रतियोगिता में द्वितीय तथा निबन्ध-प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। खेल-कूद में भी उनकी अभिरुचि है। वे विनम्र, आशाकारी एवं परिश्रमी छात्र रहे हैं।

मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

मुकुन्दमोहन सान्याल

सूचना-पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक ६ मार्च, १९७०, को होलिकोत्सव के अवसर पर 'सूर्यमण्डल' की ओर से 'धमाल-गायन' का एक बृहद् आयोजन किया गया है। इसमें स्थानीय 'धमाल-गायकों' के अतिरिक्त अनेक सुप्रसिद्ध गायक बाहर से भी पधार रहे हैं। श्री भैरोंसिंह, श्री नानूराम व्यास, श्री अजमल खाँ और श्री रजिया 'धमाली' के स्वीकृति-पत्र आ चुके हैं। अतः प्रार्थना है कि आप अपने मित्रों सहित रात्रि के ८ बजे पधार कर आयोजन को सफल बनावें।

विनीत

केशवदेव जाजोड़
मन्त्री, सूर्य-मण्डल
नवलगढ़

शोक-प्रस्ताव

हिन्दी-साहित्य-परिषद, सीकर, के सदस्यों की यह सभा हिन्दी के सुप्रसिद्ध समीक्षक एवं विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के असामयिक निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती है। उनके निधन से भारती का एक पुजारी उठ गया है। इससे हिन्दी को जो क्षति पहुची है उसकी पूर्ति असम्भव है। यह सभा आचार्यजी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए प्रार्थना करती है कि परम पिता दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करें।

विदाई-पत्र

(बिड़ला हाईस्कूल के नवम् कक्षा के छात्रों द्वारा दशम् कक्षा के छात्रों की सेवा में समर्पित)

प्रिय बन्धुओं,

विदाई के इस अवसर पर हर्ष और विषाद के मिश्रित भाव को हम किन शब्दों में व्यक्त करें? आप जीवन-पथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें अगाध प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पर आप हमसे बिछुड़ जायँगे इसकी व्यथा भी असीम है। जीवन के पिछले कई वर्षों तक हम और आप साथ-साथ हँसे, खेले

और कूदे हैं। इस लम्बे साहचर्य में आपने हम अनुजों को अपने स्नेह एवं सौजन्य से आप्लावित रखा है। आपने कितनी ही बार हमारे रोते हुए चेहरों पर हँसी बिखेरी है; कितनी ही बार खिन्न हृदयों को उल्लासित किया है। कठिनाई के अनेक अवसरों पर हमें आपसे प्रेरणा मिली है। आपके प्रेमपूर्ण सौजन्य ने हमारे कितने काँटों को फूलों में परिणत किया है। कदाएँ, वरामदे और खेल के मैदान आपके हास्य-विनोद से गूँजते ही रहे हैं। पर अब वे सब सूने लगेंगे। वह हास, उल्लास, उछल-कूद, नाचना और थिरकना यह सब एक स्वप्न-सा हो जायगा। उसकी स्मृति रह-रहकर चुभती रहेगी।

प्रिय सुहृद वर्ग !

आपका विछोह हमें असह्य है। पर हम अपनी व्यथा को आपके प्रगति-पथ का रोड़ा नहीं बनने देंगे। आप जीवन-पथ पर आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। आप सरस्वती की वन्दना करते हुए ज्ञानार्जन के मार्ग पर अग्रसर हैं। इससे हमें गौरव और हर्ष का अनुभव हो रहा है। हमारी व्यथा भी हर्ष में बदल रही है। हमारा स्नेह आपके जीवन-पथ का पायेय बने, यही हमारी कामना है।

भारती के भक्तो !

इस विद्या मन्दिर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप भारती के पुजारी बन सकें और उसके अमूल्य वरदान प्राप्त कर सकें। यहाँ पर आपके गौरवमय भावी जीवन का सूत्रपात हुआ है। यहाँ पर वह धरातल तैयार हुआ है जिस पर जीवन का विशाल महल खड़ा होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस मन्दिर के यश को सर्वत्र फैलायेंगे और मन्दिर के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलेंगे। जिन गुरुओं के चरण-कमलों में बैठकर आपने सरस्वती की पूजा आरम्भ की, उनसे आपको अगाध स्नेह मिला है। वे निरंतर आपका हित चिन्तन करते रहे हैं। उन्हें आपसे महान् आशाएँ हैं। हमें विश्वास है कि आप जीवन भर उनको श्रद्धापूर्वक याद रखेंगे और इन गुरुजनों की आशाएँ पूर्ण करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे।

देश के भक्तो !

स्वतन्त्र भारत को आपकी विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है : आज देश को निःस्वार्थ, नर्तव्यपरायण, सच्ची राष्ट्रीय चेतना वाले, ईमानदार

एव कर्मठ नागरिकों की आवश्यकता है । हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही नागरिक सिद्ध होंगे और हमें भी उसी के अनुकरण की प्रेरणा देंगे ।

बन्धुओ ! हमारी यही कामना है कि जीवन के जो मधुर क्षण आपने हमारे साथ बिताये हैं, उनकी आपको हमेशा याद बनी रहे ।

हम हैं
आपके अनुज
नवम् कक्षा के छात्र

अभ्यासमाला १२

१. अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिये जिसमें किसी उत्सव का वर्णन हो ।
२. अपने मित्र को एक पत्र लिखिये और स्पष्ट करिये कि तुम्हें छात्रावास का जीवन कैसा लगा ?
३. अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बीमारी की लम्बी छुट्टी के लिए एक प्रार्थना-पत्र लिखिये ।
४. अपनी माताजी की तरफ से अपने आपको एक पत्र लिखिये, जिसमें स्वास्थ्य-रक्षा के निर्देश हों ।
५. जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र के द्वारा अपने विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए प्रार्थना कीजिये ।
६. अपने शहर के पोस्ट मास्टर को शिकायत का पत्र लिखिये जिसमें तुम्हारे मौहल्ले की डाक के वितरण में अव्यवस्था की बात कही गयी हो ।
७. आंगरे में रहने वाले अपने एक मित्र को अपने छोटे भाई के विवाह में जयपुर आकर सम्मिलित होने का निमन्त्रण-पत्र भेजिये ।
८. अपनी हिन्दी-सभा के द्वारा किसी साहित्यकार अथवा प्रसिद्ध नेता के निधन पर भेजे जाने योग्य शोक-प्रस्ताव तैयार कीजिये ।
९. कल्पना कीजिये कि तुम धर्मयुग के ग्राहक बनना चाहते हो । इस दृष्टि से व्यवस्थापक के नाम एक पत्र भेजिये ।
१०. मान लीजिये आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कहीं अन्यत्र हो गयी है । उनके लिए एक विदाई-पत्र तैयार कीजिये ।

११. नीचे कुछ सम्बोधन दिये गये हैं। कोष्ठक में उनके सामने कुछ सम्बोधन हैं, जिनके लिए ये उपयुक्त हों उन पर सही का चिह्न (✓) लगाइये।

- (१) पूजनीय.....(पुत्र को, मित्र को, पिता को)
- (२) प्रिय बन्धु.....(अधिकारी को, मानाजी को, गुरु को, मित्र को)
- (३) श्रीमन्.....(अधिकारी को, छोटे भाई को, प्रधानाध्यापिका को)
- (४) प्रियवर.....(बड़े भाई को, गुरुजी को, छोटे भाई को, मित्र को)
- (५) प्रिय महोदय.....(अधिकारी को, परिचित को, पिताजी को, छोटी बहन को)

१२. नीचे लिखे तथ्यों में से जो शुद्ध हैं, उनके सामने शुद्ध का चिह्न (✓) तथा जो अशुद्ध हैं उनके सामने अशुद्ध (X) का चिह्न लगाइये—

- (१) प्रार्थना-पत्रों में 'प्रियवर' अभिवादन-सूचक शब्द के रूप में लिखा जाता है। ()
- (२) धरेलू पत्र में पिताजी को 'पूज्य' या 'पूज्यपाद' लिखा जाता है। ()
- (३) अधिकारी को दिये गये पत्र में अन्त में तुम्हारा हितैषी लिखा जाता है। ()
- (४) साधियों को दिये गये पत्र में अन्त में स्नेहाकांक्षी लिखा जाता है। ()
- (५) प्रार्थना-पत्रों में दिनांक सबसे नीचे बायीं ओर लिखते हैं। ()
- (६) व्यावसायिक पत्रों में दिनांक सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखते हैं। ()
- (७) पिताजी अथवा माताजी को दिये गये पत्रों में उनका नाम नहीं लिखा जाता। ()
- (८) बड़ों को लिखे गये प्राचीन पद्धति के पत्र सिद्ध-श्री से प्रारम्भ किये जाते हैं। ()
- (९) प्राचीन पद्धति के पत्रों में दिनांक सबसे ऊपर लिखा जाता है। ()
- (१०) छोटे भाई या बहन को नमस्ते लिखते हैं। ()

१३. अजमेर से आप कोटा में रहने वाले अपने मित्र को अपने छोटे भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिये ।
१४. अपने पड़ोस में फैली हुई गन्दगी को हटवाने के लिए वीकानेर नगर-पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिये ।
१५. मान लीजिए आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर की छात्र संसद के साहित्य मंत्री हैं । एक पत्र श्री. गणपति चन्द भण्डारी, हिन्दी प्राध्यापक, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम लिखिये, जिसमें उनको अपने विद्यालय में आयोजित कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित कीजिये ।
१६. आप भरतपुर में रहते हैं । आपको डाक समय पर नहीं मिलती । आप स्थानीय डाकखाने के पोस्ट मास्टर को एक शिकायती पत्र लिखिए ।
(१९६८)
१७. प्रियवर शब्द से सम्बोधित किया जाता है—
(क) गुरु को
(ख) माता को
(ग) छोटे भाई को
(घ) बड़े भाई को
(ङ) मित्र को ()
१८. आपको दो सौ रूपयों की आवश्यकता है । अपने पिताजी को रुपये भेजने के लिए पत्र लिखिये जिसमें यह भी स्पष्ट कीजिए कि आप यह धनराशि किस प्रकार व्यय करेंगे ?
१९. आपके मित्र ने किसी बालक को नदी में डूबने से बचाया है । उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बधाई पत्र लिखिये ।
२०. मान लीजिये आपका नाम कविता कुमार है और आपकी बहिन कल्पना का दिनांक २ जून, १९६९ को ४० सी स्कीम, जयपुर में विवाह है । वर का नाम सुरेश चन्द्र है । इस अवसर पर अतिथियों को बुलाने के लिए अपनी ओर से एक निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए ।
२१. मान लीजिए आप राजकीय उच्चतर माध्यमिक-शाला, जयपुर के छात्रसंघ के अध्यक्ष हैं । आपकी शाला का वार्षिकोत्सव दिनांक १५-४-६९ को है ।

मुख्य अतिथि के रूप में कविवर दिनकर ने आना स्वीकार कर लिया है। इस अवसर पर अतिथियों को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए।

२२. अपने भाई के विवाह के अवसर पर अपने मित्र को कौन-सा पत्र लिखेंगे ?
- (क) आवेदन पत्र
 (ख) स्वीकृति पत्र
 (ग) प्रार्थना पत्र
 (घ) परिवाद पत्र
 (ङ) निमंत्रण पत्र ()
२३. आपके पिता का दिल्ली से अहमदाबाद स्थानान्तर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापकजी को स्थानान्तर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र लिखिए।
२४. बनारस के विद्यार्थी कैलाशचन्द्र की ओर से आवृथाया के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हुए, उसके मित्र सूर्य प्रकाश को, जो महाविद्यालय इलाहाबाद में विद्याध्ययन कर रहा है, एक निमंत्रण पत्र लिखिये, जिससे वहाँ जाने हेतु आप्रह हो।
२५. अपने को दिल्ली के प्रसन्न चन्द्र मानते हुए अपने कनिष्ठ भ्राता को जो परोक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, सान्त्वना देते हुए एक पत्र लिखिये। इस बात का संकेत भी कीजिये कि अमफलता से निराश नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही सफलता की सीढ़ी है।

परिच्छेद २—तार लेखन

तार भी एक प्रकार का पत्र ही है। जब अत्यन्त शीघ्र सन्देश पहुँचाने की आवश्यकता होती है तब तार का उपयोग किया जाता है। इसमें अत्यन्त संक्षेप में समाचार भेजे जाते हैं। अतः इसमें केवल महत्त्वपूर्ण तथ्यों का ही समावेश किया जाता है। यही कारण है कि तार-लेखन पत्र-लेखन से एक भिन्न कला है। इसमें भाषा के व्यावसायिक एवं तथ्य-निरूपक रूप पर अधिकार होना चाहिए। तार में पूर्वापर-प्रसंग का बहुत महत्त्व होता है।

आधुनिक युग में तार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार आसानी से पहुँचाये जा सकते हैं। पहले यह तार की व्यवस्था केवल अंग्रेजी में ही थी, परन्तु अब हिन्दी में भी यह सुविधा हो गयी है। हिन्दी में तार अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक आसानी से दिया जा सकता है। राष्ट्रभाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें हिन्दी में ही तार देना चाहिए।

तार भेजने के लिए एक फार्म भरना पड़ता है जो डाकघर से प्राप्त होता है। इस फार्म के बीच में ऊपर तार पाने वाले का नाम पता लिखा जाता है। सबसे नीचे तार भेजने वाले का नाम लिखा होता है जिसे तार शुल्क में सम्मिलित नहीं किया जाता। बीच की खाली जगह में समाचार और नीचे भेजने वाले का नाम लिखा जाता है।

तार द्वारा भेजे जाने वाले शब्दों की निर्धारित दर प्रथम ८ शब्दों की १२० पैसे और आगे १० पैसे प्रति शब्द है। आवश्यक तार की दर इससे दुगनी होती है।

वधार्ई तथा शुभकामना सम्बन्धी तार

किसी व्यक्ति को जन्मोत्सव, विवाह, सफलता आदि के शुभ अवसर पर तार द्वारा वधार्ई के समाचार भेजे जा सकते हैं। ऐसे शुभ-समाचारों के लिए डाक एवं तार विभाग द्वारा कुछ विशिष्ट संख्याएँ निश्चित कर दी गयी हैं। वधार्ई के समाचार के स्थान पर ये संख्याएँ फार्म पर लिख दी जाती हैं। ऐसे तारों का व्यय केवल ७५ पैसे होता है।

हाकधर द्वारा निश्चित की गयी बधाई-जारों की संख्या एवं शब्दावली इस प्रकार है—

एक—दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

दो—ईद मुबारक ।

तीन—विजया की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

चार—नव वर्ष आपको शुभ हो ।

पाँच—ईश्वर करे यह शुभ दिन बार-बार आये ।

छह—पुत्र-जन्म पर हार्दिक बधाई ।

छह (क)—पुत्री भाग्यवती और चिरंजीवी हो ।

सात—आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई ।

आठ—मुक्तमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएँ ।

नौ—ऋषभस की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

दस—परीक्षा में सफलता पर हार्दिक बधाई ।

ग्यारह—आपकी यह यात्रा आनन्दमय और सकुशल हो ।

बारह—चुनाव में सफलता पर हार्दिक बधाई ।

तेरह—आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिशः धन्यवाद ।

चौदह—बधाई ।

पन्द्रह—सप्रेम शुभकामनाएँ ।

सोलह—वर-वधू पर परमात्मा की असीम कृपा हो ।

सत्रह—आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी तथा समृद्धशाली हो ।

अठारह—स्वतन्त्रता-दिवस पर मंगल-कामनाएँ ।

उन्नीस—हार्दिक बधाई, अमर रहे गणतन्त्र हमारा ।

वीस—होली की शुभकामनाएँ ।

इक्कीस—उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

बाईस—बधाई-सन्देश के लिए हार्दिक धन्यवाद ।

तेईस—परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएँ ।

चौबीस—निर्वाचन में सफलता के लिए शुभकामनाएँ ।

पच्चीस—वर-वधू को आशीर्वाद ।

छब्बीस—पोङ्गल की शुभकामनाएँ ।

सत्ताईस—गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

अभ्यासमाला १३

१. निम्नलिखित तारों की शब्दावलियों के आगे कोष्ठक में उनकी संख्याओं का निर्देश कीजिये—

(१) परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएँ । ()

(२) नव वर्ष आपको शुभ हो । ()

(३) चुनाव में सफलता पर हार्दिक बधाई । ()

(४) वर-वधू को आशीर्वाद । ()

(५) बधाई । ()

(६) आपकी शुभकामनाओं के लिए कोटिपः धन्यवाद । ()

२. निम्नलिखित संख्याएँ किस शब्दावली से सम्बद्ध हैं :

२१, ११, ७, ६, ८, २, ६

अध्याय ८ अपठित

अपठित का महत्त्व—पाठ्यक्रम के मोटे तौर से दो भेद किये जा सकते हैं, पठित और अपठित। भाषा और साहित्य के छात्रों के लिए पठित में उनके स्तर एवं कक्षा के अनुरूप गद्य और पद्य की रचनाएँ निर्धारित रहती हैं। उन्हें निबन्ध, कहानी, एकांकी आदि अनेक विधाओं के अंशों का विषय-वस्तु, कला-सौन्दर्य एवं भाषा-शैली आदि की दृष्टियों से विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। पठित में इन विधाओं से सम्बद्ध प्रश्नों के छात्रों द्वारा दिये गये उत्तरों का बहुत बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण अंश अध्यापक की कृति (Performance) होती है। प्रायः तो अध्यापक ये उत्तर स्वयं बनाकर लिखा देते हैं और छात्र उन्हें याद कर लेता है। पठित के उत्तरों में स्मृति, चिन्तन एवं मौलिक व्याख्या तीनों तत्त्व रहने चाहिए। इससे छात्र में भाषा और साहित्य के साक्षात्कार और समझने की क्षमता जागती है। उसमें एक कुशलता का विकास होता है। उसी क्षमता एवं कुशलता का अर्जन एवं परीक्षण अपठित द्वारा होता है। अपठित का परीक्षण तो यह बताता है कि छात्र में वास्तविक दक्षता कितनी उत्पन्न हो पायी है। इसमें छात्र के सामान्य ज्ञान (General Knowledge) का भी परीक्षण हो जाता है।

अपठित अंशों की विशेषताएँ—इन अंशों का अपठित होना पहली अनिवार्यता है। ये स्थल छात्र की कक्षा तथा आयु एवं उसकी अर्जित दक्षता (Competence) के स्तर के अनुरूप होने चाहिए ताकि छात्र में दक्षता एवं कुशलता (Skill) की पुष्टि एवं वृद्धि हो सके। इसलिए अपठित के स्थल प्रायः छात्र की पूर्ववर्ती कक्षा के स्तर के होने चाहिए। ये अवतरण अपने आप में पूर्ण तथा संक्षिप्त तो हों ही, इसके साथ ही उनमें भाव, विचार, भाषा और शैली की दृष्टि से कुछ स्थल ऐसे भी होने चाहिए जिनको समझने और समझाने में छात्र को कुछ बौद्धिक प्रयास भी करना पड़ा हो। इनका समझना श्रम साध्य उपलब्धि हो।

प्रश्न—अपठित पर कई प्रकार के प्रश्न सम्भव हैं। भावार्थ, सरलार्थ, विस्तृत व्याख्या, पदों अथवा पद-समूहों की व्यंजना, अलंकार, निर्देश एवं शीर्षक लगाने से सम्बन्ध प्रश्न तथा विशिष्ट स्थलों पर विशेष प्रश्न—ऐसे प्रश्न तो प्रमुख रूप से पूछे ही जाते हैं।

भावार्थ, सारांश, तात्पर्य—लेखक के मूल भाव को संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। लेखक के मुख्य तात्पर्य का भावार्थ में प्रतिपादन होता है। इसके साथ ही सम्पूर्ण अवतरण का सारांश भी आ जाता है। सारांश, भावार्थ और तात्पर्य तीनों के अभिप्रायों में कुछ सूक्ष्म अन्तर है। सारांश में अवतरण की पूरी बातों को संक्षेप में लिख देना ही पर्याप्त है। पर भावार्थ और तात्पर्य में मुख्य प्रतिपाद्य के उद्घाटन पर जोर रहता है। भावार्थ में सारांश और तात्पर्य दोनों के तत्त्वों का समावेश रहता है। तात्पर्य तो विशुद्ध रूप से मूल प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरणमात्र है। कभी-कभी इस स्पष्टीकरण के लिए अवतरण के बाहर के ज्ञान का भी उपयोग अपेक्षित एवं ग्राह्य है।

व्याख्या—इसमें विस्तार होता है। अवतरण में प्रतिपादित मूल भाव को तो विस्तार से ही समझाना चाहिए। इसके साथ ही उसमें आये हुए विभिन्न अंशों की तर्कपूर्ण व्याख्या भी अपेक्षित है।

व्याख्या में तर्क और विश्लेषण का आश्रय आवश्यक होता है। कठिन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों को रख देना व्याख्या नहीं।

शीर्षक—शीर्षक सम्पूर्ण अवतरण के मूल भाव को अपने में केन्द्रीभूत तथा समाहित करने वाला होता है। जैसे वृत्त केन्द्र का ही विस्तार होता है वैसे ही अवतरण शीर्षक का। शीर्षक सम्पूर्ण अवतरण का व्यंजक होता है। वह यथासम्भव एक या दो शब्दों का होना चाहिए। प्रायः तो अवतरण में ही ऐसे शब्द मिल जाते हैं; अगर न मिलें तो बाहर के शब्द या शब्दों से भी शीर्षक का निर्माण किया जा सकता है।

परिच्छेद १—गद्य अवतरण

(१)

साहित्यकार को लोकहृदय के अनुकूल परिपूर्ण शब्द प्रकट करने की कला साधनी चाहिए अर्थात् सम्यक्, भयुर और कुशल तीनों प्रकार की वाणी बोलना जिसमें न्यून, अतिरिक्त और विपरीत भाव न हों। यह एक महान् साधना है जो उसी को सघती है जिसे अपना निज का कोई विकार न हो। जो निज का विकार रखता है वह इस तरह की सम्यक् वाणी प्रकट नहीं कर सकता। थर्मामीटर को खुद का बुखार नहीं होता इसलिए वह दूसरों का बुखार नाप सकता है। इस प्रकार जिसमें स्वयं कोई विकार नहीं होता वही दूसरों के लिए सम्यक् वाणी बोल सकता है। —धिनोवा भावे

प्रश्न

१. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक बताइये।
२. इस गद्यांश में काले अक्षरों में छपे वाक्यांशों का अर्थ लिखिये।
३. इस गद्यांश का भावार्थ लिखिये।
४. साहित्यकार के लिए किस प्रकार की कला की साधना करना आवश्यक है। कौन सा व्यक्ति इस साधना को कर सकता है।

(२)

यद्यपि संसार में सदा बहुत थोड़े ही पुरुष-रत्न होते हैं, जो निज की लाभ-हानि का विचार न करके ईश्वर तथा स्वदेश के लिए सर्वस्व निष्ठावर कर देते हैं। पर निश्चय ऐसे अलौकिक लोग संसारी नहीं हैं; नहीं तो यह जगत् केवल स्वार्थ पर है, और कुछ नहीं। जिनको आप समझते हैं कि धर्मात्मा हैं, उनके हृदय को टटोलिये तो अधिकांशतः यही पाइएगा कि मुक्ति का लालच, या नरक का डर, या सांसारिक कीर्ति की चाह इत्यादि के मारे, अपनी समझ भर, सत्प्राप्ति का यत्नमात्र कर रहे हैं; धर्म-वर्म कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का भय तथा लोभ वह भी है। यदि यह निश्चय न हो कि संसार परमार्थ उसी की दया से बनते हैं तो कदाचित्त कोई परमेश्वर का नाम भी न ले। फिर संसार की स्वार्थपरता में क्या सन्देह है ?

प्रश्न

१. उपर्युक्त गद्यांश में काले अक्षरों से लिखे वाक्यों का अर्थ लिखिये ।
२. इस गद्यांश का भावार्थ चार पंक्तियों में लिखिये ।
३. इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइये ।
४. "भुक्ति का लालच.....यत्नमात्र कर रहे हैं", का सरल अर्थ कीजिये ।

(३)

वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते । वे तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद-बखुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिये, बिना किसी के दूध पिलाये, बिना किसी के हाथ लगाये, तैयार होते हैं । दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं । उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है । बाहर तो जवाहरात की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता । वीर की जिन्दगी मुश्किल से कभी-कभी बाहर नजर आती है । नहीं तो उसका स्वभाव छिपे रहने का है । वह लाल गुदाइयों के भीतर छिपा रहता है । कन्दराओं में, गह्वरों में, छोटी-छोटी झोपड़ियों में बड़े-बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं ।

प्रश्न

१. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिये ।
२. इस गद्यांश में 'वीर' की उपमा किस-किस से दी गयी है । उनमें से दो उपमाओं के गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिये ।

(४)

आज हमारे सामने वर्तमान युग की एक ऐसी उलझनभरी, दुस्साध्य और भयानक समस्या उपस्थित है, जिससे बचा नहीं जा सकता । प्रश्न यह है कि क्या हम सदा के लिए युद्ध बन्द करने की घोषणा कर सकते हैं, या इसके विपरीत हम मनुष्य जाति को समूल नष्ट करना चाहते हैं ? यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिससे ज्ञान और विज्ञान की सतत प्रगति हो सकती है । क्या इस स्वर्गीय आनन्द के बदले बिनाशक मृत्यु को हम इसलिए चाहते हैं, क्योंकि हम

अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते ? हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर, यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल अपनी मानवता को याद रखें । यदि आप यह कह सकते हैं तो निश्चय ही नये और महान् भविष्य के लिए रास्ता खुला है । किन्तु यदि आपको यह मंजूर नहीं है तो आपके सामने मानव-मात्र की मृत्यु का संकट उपस्थित है ।

प्रश्न

१. इस अवतरण में 'युद्ध' के विरुद्ध कौन-से तक प्रस्तुत किये हैं ?
२. उपयुक्त शीर्षक दीजिये ।
३. काले अक्षरों के पदों की व्याख्या कीजिये ।

(५)

व्यास ने इसका नाम 'जय' रखा था । महाभारत इसका नाम पीछे पड़े गया है । व्यास ने यह ग्रन्थ विज्ञेय उद्देश्य से लिखा था । मनुष्य को जिन-जिन बातों का अपने जीवन में सामना करना पड़े उस समय उन पर विजय करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होगी, इस पुस्तक में बताया गया है । जब तक मनुष्य जीवित है, सफलता के लिए उसे किन-किन बातों की आवश्यकता है, यह इस ग्रन्थ में विस्तार से बताया गया है । व्यास ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि पुस्तक केवल राजा-महाराजाओं के बीच ही न रह जाय । साधारण से साधारण व्यक्ति भी इससे लाभ उठा सके, यही ग्रन्थ की विशेषता है ।

प्रश्न

१. इस अवतरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिये ।
२. इस अवतरण के आधार पर 'महाभारत' की प्रमुख विशेषता क्या मानी जा सकती है ?

(६)

लेकिन, इस यथार्थ विनोद को जाने दीजिये । अगर समाजवादी दोस्त को वैराग्य नहीं सुहाता तो वैभव ही सही । वैभव किसे कहना चाहिए और वह कैसे प्राप्त किया जाता है; इन बातों को भी रहने दीजिये । लेकिन समाजवादी कम से कम साम्यवादी तो है न ? दो-त्रार आदमियों को नरम-नरम गादी मिले और बाकी सबको टाट के चीपड़े या धूल नसीब हो, यह तो उसे नहीं भाता न ?

जब मैंने खादी और गादी की लड़ाई की बात छोड़ी तो मेरे मन में यह अर्थ भी तो था ही । सब लोगों के लिए गादी लगायी गयी होती तो दूसरा ही सवाल होता । लेकिन यह मुमकिन नहीं था । और मुमकिन नहीं था इसलिए मुनासिब भी नहीं था । यह ध्यान में आना जरूरी था ।

प्रश्न

१. इसका 'शीर्षक' दीजिये ।
२. इस अवतरण को विस्तार से समझाइये ।
३. काले अक्षरों में लिखे पदों की व्यंजना स्पष्ट करते हुए व्याख्या कीजिये ।
४. इस अवतरण का तात्पर्य चार वाक्यों में लिखिये ।

(७)

मैंने भारत के सामने आत्म-बलिदान का पुरातन कानून रखने का साहस किया है, क्योंकि सत्याग्रह और उसकी प्रशाखाएँ—असहयोग और सविनय प्रतिकार—आत्मपीड़न के नये नाम के सिवाय और कुछ नहीं है । वे ऋषि जिन्होंने हिंसा के बीच में अहिंसा के कानून को खोजा, न्यूटन की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे । वे स्वयं वेल्सिंगटन की अपेक्षा कहीं अधिक महान योद्धा थे । अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग वे जानते थे, इसलिए वे समझ गये थे कि उनका कोई उपयोग नहीं है और इसलिए थके-हारे विश्व को उन्होंने सिखाया था कि उसकी मुक्ति हिंसा से नहीं, बल्कि अहिंसा से होगी ।

अहिंसा का अर्थ सक्रिय स्थिति में मान सहित पीड़न है । इसका अर्थ अत्याचारी की इच्छा के सामने चुपचाप झुक जाना नहीं है; वरन् इसका अर्थ है अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा देना । हमारे अस्तित्व के इस कानून के अन्तर्गत काम करते हुए अकेले व्यक्ति के लिए भी सम्भव है कि वह अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए एक अन्यायी साम्राज्य की महान् शक्ति के विरुद्ध खड़ा हो जाय और इस प्रकार उस साम्राज्य के पतन या सुधार की नींव डाल दे ।

प्रश्न

१. इस अवतरण का सारांश दीजिये ।
२. इस अवतरण को पढ़कर यह स्पष्ट कीजिये कि असहयोग और सविनय प्रतिकार आत्मपीड़न कैसे है ।
३. काले अक्षरों में लिखे अंशों की व्याख्या कीजिये ।

(८)

इसलिए साहित्यकार आज केवल कल्याण-विलासी बनकर नहीं रह सकता । गताब्दियों का दीर्घ अनुभव यह बताता है कि उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है । सम्पूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना भी परमावश्यक है, जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके । साहित्यिक समाएँ यह काम कर सकती हैं । वे सम्पूर्ण जनसमाज को उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम बन सकती हैं । इस विशाल देश में शिक्षा की मात्रा बहुत कम है । जिन देशों में शिक्षा की समस्या हल हो चुकी है, उनके साहित्यिकों की अपेक्षा यहाँ के साहित्यिकों की जिम्मेदारी कहीं अधिक है । फिर हमने जिस भाषा के साहित्यिक भण्डार को भरने का व्रत लिया है, उसका महत्त्व और भी अधिक है ।

प्रश्न

१. व्रत, सृष्टि, माध्यम तथा जनसमाज शब्दों का वाक्यों में ऐसा प्रयोग कीजिये कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाय ।
२. जनसमाज, गताब्दी तथा कल्याण-विलासी के समास स्पष्ट कीजिये ।
३. इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।

(९)

विज्ञान की उन्नति को विद्वान् मन्देह की दृष्टि से देखने लगे हैं । एक विद्वान् ने तो यहाँ तक कहा है कि विज्ञान ही दीर्घकाल तक मानव-जाति का सबसे प्रबल शत्रु रहेगा । कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि विज्ञान ने मनुष्य के धार्मिक विश्वास निमित्त कर दिये हैं । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विज्ञान से हमारा सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो रहा है । कुछ भी हो अब विज्ञान की गति रुकने की नहीं । गत ५० वर्षों में विज्ञान की आश्चर्यजनक उन्नति हुई है । इस काल में जितने वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए । अब तो यह है कि हम प्रकृति के उन द्वार पर पहुँच गये हैं जहाँ हम शीघ्र ही उन गतिशियों का पता पा लेंगे जो अभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है । अब यह समय आयेंगा, तब संसार का कुछ हमारा ही रूप हो जायेगा ।

प्रश्न

१. प्रस्तुत अवतरण के आधार पर समझाइये कि विज्ञान मानव के लिए अभिशाप है ।
२. वैज्ञानिक की किसी एक कल्पनातीत शक्ति का संकेत कीजिये और चार वाक्यों से उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिये ।
३. उपयुक्त शीर्षक दीजिये ।

(१०)

“चारों ओर देखने पर मुझे एक गर्वीली सभ्यता में भग्नावेश दिखायी दे रहे हैं, मानो एक बहुत बड़ा बिलकुल बेकार का ढेर तितर-वितर पड़ा हो । फिर भी मानव में विश्वास खोने का भारी पाप नहीं करूँगा । मैं उसके इतिहास में एक नये अध्याय को देखना चाहूँगा, जो इस तूफान के बाद, वायुमण्डल साफ होने के बाद, सेवा और बलिदान की भावना से प्रारम्भ होगा । शायद वह प्रभात इसी क्षितिज पर होगा—पूर्व में—जहाँ सूर्योदय होता है । एक ऐसा दिन आयेगा जब अपराजित मानव सारी रुकावटों के होते हुए भी अपने विजय मार्ग पर वापस लौटेगा, ताकि वह अपनी खोई हुई मानवीय पैतृक सम्पत्ति पा सके ।

“आज हम उन खतरों को देख रहे हैं जो शक्ति की उद्वण्डता के साथ होते हैं । एक दिन ऋषियों द्वारा घोषित यह पूर्ण सत्य प्रकट होगा ।”

“असत्याचरण से मनुष्य की समृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, चाही हुई चीजें मिलती हैं, लेकिन जड़ में उसका नाश हो जाता है ।”

प्रश्न

१. उपयुक्त शीर्षक दीजिये ।
२. काले अक्षरों में दिये अंशों की व्याख्या कीजिये ।
३. ‘असत्याचरण.....जाता है’ इस अंश के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिये ।

(११)

मैं आपसे यह कह रहा था कि त्याग और वैराग्य बाहर से लादने पर नहीं आता है, वह तो अन्तर जागरण से ही आता है । जीवन में त्याग और वैराग्य का उदय कब होगा, इसके लिए किसी तिथि का निर्धारण नहीं है । जब जागरण आ जाये, तभी उसका उदय हो सकता है । हम देखते हैं कि कुछ

आत्माओं को उनके गुलाबी वचपन में ही वैराग्य का उदय हो गया है, कुछ आत्माओं में उनके जीवन के बसन्त काल में वैराग्य का उदय हुआ और कुछ आत्माओं के जीवन की संध्या में पहुँच कर ही वैराग्य का उदय हुआ। संसार में इस प्रकार की आत्माएँ भी हैं, जिनके जीवन-क्षितिज पर त्याग और वैराग्य के सूर्य का उदय कभी होता ही नहीं है, न बाल्यकाल में, न यौवन में और न गोघृति-वेला में ही। त्याग और वैराग्य का उदय किसी की आत्मा की, किसी भी विशेष अवस्था से सम्बद्ध नहीं है, यह सब कुछ तो मनुष्य के मन के जागरण पर ही निर्भर है।

प्रश्न

१. इस अवतरण की विशद व्याख्या कीजिये।
२. काले अक्षरों में दिये अंशों को स्पष्ट कीजिये।
३. उपयुक्त शीर्षक बताइये।

(१२)

आजकल कुछ लोगों में स्वतन्त्रता का विचार बहुत करके राजनीतिक भाव में सीमाबद्ध कर रहा है; किन्तु ऐसे संकुचन की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा के लिए भी वास्तविक भाव आवश्यक है, और इस प्रकार राजनीतिक स्वतन्त्रता भी स्वतन्त्रता के विषय का एक अंग है—किन्तु है वह अंग-मात्र ही। हमारा अभीष्ट यहाँ स्वतन्त्रता के अंग अथवा उपांग कथन का नहीं है, वरन् दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार हम इस विषय पर पूर्ण विचार करेंगे। सबको स्वतन्त्र होने का सहज अधिकार अवश्य प्राप्त है, किन्तु संसार के सभी जीवों को मिलकर शान्तिपूर्वक यहीं रहना है। इसलिए यदि प्रत्येक जीवधारी को मनमानी घरजानों का अधिकार मिले तो संसार थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाय। अतः प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध स्वतन्त्रता वही है जिससे किसी की उचित स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े।

प्रश्न

१. इस अवतरण का तात्पर्य अपने शब्दों में बताइये।
२. काले अक्षरों में दिये अंशों की व्याख्या कीजिये।
३. 'स्वतन्त्रता' की सीमाएँ क्यों आवश्यक हैं? इस अवतरण के आधार पर बताइये।

(१३)

मैं आपसे कह रहा था कि मनुष्य के विचार में अमृत भी है, और मनुष्य के मन में विष भी है। विष और अमृत कहीं बाहर नहीं रहते। वे मनुष्य के विचार एवं संकल्प में ही रहते हैं। किसी से प्रेम करना यह भी एक विचार है और किसी से घृणा करना भी एक विचार ही है। परन्तु यह निश्चित है कि घृणा विष है और प्रेम अमृत। घृणा की अपेक्षा, प्रेम की शक्ति अधिक होती है। क्रोध और शान्ति के द्वन्द्व-युद्ध में क्रोध पराजित हो जाता है और शान्ति की विजय होती है। यद्यपि क्रोध भी एक विचार है, किन्तु एक अशुद्ध है और दूसरा शुद्ध है। विष और अमृत के संघर्ष में विजय सदा अमृत को ही मिलती है।

प्रश्न

१. इस अवतरण के आधार पर बताइये कि मानव-जीवन में अमृत और विष क्या हैं ?
२. इस अवतरण का शीर्षक दीजिये।
३. उपर्युक्त अवतरण का सारांश लिखिये।

(१४)

निरीक्षण और परीक्षण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही विज्ञान कहलाता है। परन्तु विज्ञान का काम यहीं नहीं समाप्त हो जाता है। तथ्यों को, जानी हुई बातों को क्रमबद्ध करके रखना उनका परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध जान लेना, फिर उनको समझने की गरज से एक ऐसे सिद्धान्त की रचना करना जिससे वे शृंखलाबद्ध जान पड़ें—उनकी असम्बद्धता और असंगतता का लोप हो जाय, यह विज्ञान का दूसरा काम है। यह काम भी पहले काम से कम महत्त्व का नहीं है, यद्यपि यह परिवर्तनशील और अस्थायी है। सिद्धान्त रचना के बिना प्राकृतिक घटनाओं और तथ्यों का न केवल याद रखना और समझना ही कठिन है, वरन् उन्नति करना भी असम्भव है। यदि सिद्धान्त में कुछ भी सच्चाई है तो वह आगे का रास्ता दिखा देगा।

प्रश्न

१. इस अवतरण को विस्तार से समझाइये।
२. काले अक्षरों में अंशों की व्याख्या कीजिये।
३. इस वातावरण के आधार पर विज्ञान के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

(१५)

जीवन एक सागर के तुल्य है, जिममें रत्न भी होते हैं और कंकड़ भी होते हैं। सागर के अन्दर रत्न भरे होते हैं, इसी आधार पर उसे रत्नाकर कहा जाता है। सागर का जल खारा होता है, इसलिए उसे लवणाकर भी कहा जाता है। रत्नाकर कहने से उसके गुणों की अभिव्यक्ति होती है और लवणाकर कहने से दोषों की अभिव्यक्ति की जाती है। यही बात जीवन के सम्बन्ध में कही जाती है। सर्वसाधारण मनुष्य के जीवन में गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। मानव-जीवन के दोषों की परिगणना नहीं की जा सकती। यह सत्य है, किन्तु मनुष्य की आत्मा में गुण भी असीम होते हैं। साधारण जन-जीवन क्या है? वह न एकान्त गुणमय है और न एकान्त दोषमय है। गुण और दोष दोनों का समन्वय ही प्रस्तुत जीवन होता है।

प्रश्न

१. जीवन की 'रत्नाकर' और लवणाकर' से तुलना क्यों की गयी है? स्पष्ट कीजिये।
२. प्रस्तुत अवतरण के विचारों को अपनी भाषा में स्पष्ट कीजिये।
३. इस अवतरण का शीर्षक दीजिये।

परिच्छेद २—पद्य अवतरण

गद्य का मूल अभिप्राय विचार देना है और पद्य का भाव जगाना । पद्य के द्वारा छात्रों में सहृदयता एवं सौन्दर्य-प्रियता जगायी जाती है, अतः अपठित पद्यांशों पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति गद्यांश के प्रश्नों से कुछ भिन्न होती है । पद्यों पर काव्य-सौन्दर्य सम्बन्धी प्रश्न अधिक होते हैं । अतः अलंकार-निर्देश आदि के लिए भी प्रश्न होते हैं । पद्य को कई बार कुछ गुणगुणाकर राग-सहित पढ़ने से उसका भाव और सौन्दर्य अनुभूत होने लगता है । उसका मूल अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है ।

(१)

चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुंथा जाऊँ ।
 चाह नहीं प्रेमी-नाला में द्विध प्यारी को ललचाऊँ ॥
 चाह नहीं सज्जाटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ ।
 चाह नहीं, देवों के स्तिर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ ॥
 मुझे तोड़ लेना वन माली,
 उस पथ पर देना तुम फेंक ।
 मातृभूमि पर शीघ्र चढ़ाने,
 जिस पथ पर जावे वीर अनेक ॥

प्रश्न

१. इस अवतरण का शीर्षक दीजिये ।
२. इस अवतरण का अभिप्राय संक्षेप में समझाइये ।
३. काले अक्षरों में दो हुई पंक्तियों में कितन भावों की अभिव्यक्ति हुई है ?
 ऊपर लिखे अपठित के प्रश्नों के उत्तर

१. इसका उपयुक्त शीर्षक 'पुष्प की अमिलाषा' है ।
२. प्रस्तुत अवतरण में एक फूल अपने मन की चाह प्रकट कर रहा है । वह देवताओं की स्त्रियों के गले के हार का फूल नहीं बनना चाहता । वह कहता है कि मुझे किसी प्रेमी की नाला का फूल बनकर उसकी प्रियतमा को आकृष्ट करने की भी इच्छा नहीं है । वह बड़े राजा-महाराजाओं की समाधि पर अर्पित होने वाली श्रद्धांजलि का फूल

भी नहीं बनना चाहता । उसे देवताओं के सिर पर चढ़ने वाला पूजा का फूल बनने और अपने सौभाग्य पर गर्व करने की इच्छा भी नहीं है । वह तो चाहता है कि माली उसे तोड़कर मातृभूमि पर अपना सिर न्योछावर करने वाले वीरों के मार्ग पर बिछा दे जिससे वह उनकी चरण-धूलि में लोट सके और उनका मार्ग सुमनमय कर सके ।

३. 'सुरवाला.....गूँथा जाऊँ'—इसमें शृंगार का साधन बनने का भाव है ।

'देवों.....इठलाऊँ'—पूजा का साधन बनने के सौभाग्य पर गर्व का भाव है ।

'उस पथ.....फेंक देना'—शहीदों पर न्योछावर होने तथा उनके मार्ग को सुमनमय कर देने का भाव है ।

(२)

नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है ।
सूर्य-चन्द्र युग-मुकुट, मेखला रत्नाकर है ।
नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारा-मण्डल है ।
बंदीजन खग-वृन्द, श्रेय फन सिंहासन है ।
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की ।
हे मातृभूमि ! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥

प्रश्न

१. इस अवतरण का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिये ।
२. इसमें 'सूर्य-चन्द्र' और 'रत्नाकर' को क्या माना गया है ?
३. 'नीलाम्बर परिधान' से कवि का क्या अभिप्राय है ?
४. इसका उपयुक्त शीर्षक बताइये ।

(३)

जाके प्रिय न राम बँदेही ।
तजिये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥
तज्यो गिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी ।
बालि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितन भये मुद-मंगलकारी ॥

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लों ।
अंजन कहा, आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहीं कहीं लों ॥
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो ।
जासों होय स्नेह राम-पद, एतौ मतो हमारो ॥

प्रश्न

१. इस अवतरण का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिये ।
२. प्रह्लाद, विभीषण एवं भरत कौन थे ? संक्षिप्त परिचय दीजिये ।
३. इसमें किस भाव का वर्णन है ?

(४)

हे ग्राम-देवता नमस्कार !
सोने-चाँदी से नहीं किन्तु
तुमने मिट्टी से किया प्यार ।
हे ग्राम-देवता नमस्कार !
तुम जन मन के अधिनायक हो,
तुम हँसो कि फूले फले देश ।
आओ, सिंहासन पर बैठो,
यह राज्य तुम्हारा है अशेष ।
उर्वरा भूमि के नये खेत,
के नये धान्य से सजे वेश ।
तुम भू पर रहकर भूमि भार
धारण करते हो मनुज-शेष ।

प्रश्न

१. इसका कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइये ।
२. काले अक्षरों में दी हुई पंक्तियों का अर्थ विस्तारपूर्वक समझाइये ।
३. 'ग्राम-देवता' का वर्णन किन-किन उपमानों से द्वारा किया गया है, और क्यों ?

(५)

लक्ष्मी सदैव चलती फिरती, चपला-सी चमक दिखाती है।
 यह धरती अचला होने से कब साथ किसी के जाती है ?
 मनुजात तुम्हीं जैसे हैं जो हतभाग्य तुम्हारे भाई।
 वे भूमि-भाग से वंचित हैं तो कहीं कौन उत्तरदायी ?
 प्रभु ने यह अवसर दिया तुम्हें जो वस्तु अधिक तुमने पायी।
 देकर वह उनके अर्थ उन्हें, तुम बनो समान सदय न्यायी।
 ले लो यह यश की लूट स्वयं जो दूट सुफल-सी आती है।
 यह धरती अचला होने से कब साथ किसी के जाती है।

प्रश्न

१. 'चपला' शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिये।
२. 'लक्ष्मी' को 'चपला' क्यों कहा गया है ? स्पष्ट कीजिये।
३. सुन्दर-सा शीर्षक सुझाइये।
४. इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिये।

(६)

तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता,
 मैं विहँस उसके गले का हार बनता;
 राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर,
 बात हैं मेरे लिए दोनों बराबर।
 मैं लुटाने को, हृदय में
 भरे स्नेहिल सुरभि-कन हूँ
 मैं सुमन हूँ :

प्रश्न

१. अवतरण में से ही शीर्षक बनाइये।
२. इसका भाव अपने शब्दों में लिखिये।
३. काले अक्षरों में दिये हुए शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

(७)

शीतल चन्दन चन्द्रमा, तैसे शीतल संत ।
 तैसे शीतल संत, जगत की ताप बुझावै,
 जो कोई आवै जरत, मधुर मुख वचन सुनावै ।
 धीरज सील सुभाव, क्षमा ना जात बखानी,
 कोमल अति मृदु बैन, वज्र को करते पानी ।
 रहन चलन मुस्कान ज्ञान की सुगँध लगावै;
 तीन ताप मिट जाय संत के दरसन पावै ।
 'पलटू' ज्वाला उदर की रहै न मिटै तुरन्त;
 शीतल चन्दन चन्द्रमा तैसे शीतल सन्त ॥

प्रश्न

१. चन्द्रमा की उपमा किनसे दी गयी है और क्यों ?
२. उपर्युक्त अवतरण में सन्त के किन गुणों का बखान किया गया है ?
३. निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिये—
 धीरज, सील, सुभाव, दरसन ।

(८)

जैसी मुख ते नीकसै तैसी चाले चाल ।
 पार ब्रह्म नेडा रहै पल में करै निहाल ॥
 जेती देखौ आतमा तेता सालिगराम ।
 साधू परतषि देव है, नहि पाथर सू काम ॥
 कबीर माला काठ की, कहि समझावे तोहि ।
 मन न फिरावै आपणा, कहा फिरावै मोहि ॥
 काची काया मन अधिर, थिर थिर काम करंत ।
 ज्युं ज्युं नर निघडक फिरै, त्युं त्युं काल हसत ॥

प्रश्न

१. काले अक्षरों में दिये हुए अंशों का भाव स्पष्ट कीजिये ।
२. इनके भाव अपने शब्दों में लिखिये ।
३. इनके द्वारा कबीर क्या उपदेश देना चाहते हैं ?

(९)

अरे ! घास-री रोटी ही, जद वन-विलावड़ो ले भाग्यो ।
 नान्हो सो अमर्यो चीख पड़यो, राणा-रो सोयो दुख जाग्यो ॥
 हूँ लड्यो घणो हूँ सह्यो घणो, मेवाड़ी आण बचावण-नै ।
 मैं पाछ नहीं राखी रण में वीर्यां-रो रक्त बहावण-में ॥
 जद याद कहे हलदी घाटी, नैणां-में रक्त उत्तर आवै ।
 दुख-सुख-रो साथी चेतकड़ो सूती सो हूक जगा ज्यावै ॥

प्रश्न

१. इस कविता में किस घटना का वर्णन है ?
२. इस अवतरण का अर्थ अपने शब्दों में लिखिये ।
३. काले अक्षरों में दिये हुए अंशों की व्याख्या कीजिये ।

(१०)

रहिमन जिन-मन की व्यथा, मन ही राखी गोय ।
 मुनि इठलैहें लोग सब, वांछि न लैहै कोय ॥
 रहिमन राज सराहिये ससि सन सुखद जो होय ।
 कहा बापुरो भानु जो तप्यो तरयन खोय ॥
 मथत मथत मान्नन रहै, दही मही बिलगाय ।
 रहिमन सोई मोत है, मोर पड़े ठहराय ॥
 छमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात ।
 का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात ॥

प्रश्न

१. इनका अर्थ अपने शब्दों में लिखिये ।
२. अन्तिम पंक्ति में जिस कहानी की ओर संकेत किया गया है, उसे संक्षेप में लिखिये ।
३. काले अक्षरों में दिये हुए अंशों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिये ।

अध्याय १०

निबन्ध-लेखन

परिच्छेद १—प्रस्तावना

निबन्ध का स्वरूप—आधुनिक साहित्य में जिस विधा को निबन्ध के नाम से अभिहित करते हैं वह अंग्रेजी के 'ऐसे' का ही रूपान्तर है। अंग्रेजी में 'ऐसे' का अर्थ एक प्रयास, प्रयोग या परीक्षण है। इसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व अन्तर्निहित रहता है। इस प्रकार निबन्ध वह रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार, अपना संवेदन किसी साहित्यिक शैली में प्रकट करता है। निबन्ध की आत्मा 'विचार' है। इसमें विषय का क्रमबद्ध अथवा मुक्त दोनों ही शैलियों में प्रतिपादन हो सकता है। निबन्ध में किसी भी विषय के एक पक्ष पर विचार होता है पर विचार अपने आप में पूर्ण रहता है। संक्षिप्तता एवं कसावट निबन्ध के विशेष गुण हैं।

निबन्ध के प्रकार—मुख्यतः उसके दो भेद माने जाते हैं, वैयक्तिक एवं निर्वैयक्तिक—वैयक्तिक निबन्धों में निबन्धकार विषय के आवरण में अपनी बात कहता है, पर निर्वैयक्तिक में वह तटस्थ कहकर विषय का प्रामाणिक एवं शास्त्रीय प्रतिपादन करता है। इससे कभी-कभी उसे प्रबन्ध भी कहा जाता है। वैयक्तिक निबन्ध ललित साहित्य की ही एक विधा है। आज का 'ललित निबन्ध' वैयक्तिक निबन्धों की ही एक उपविधा है। विषय और शैली के मिश्रित आधार पर निबन्ध के ये दो भेद किये जाते हैं।

प्रतिपादन की शैली की दृष्टि से निबन्ध के तीन भेद होते हैं—१. कथात्मक (Narrative) २. वर्णनात्मक (Descriptive) ३. चिन्तनात्मक (Reflective)। कथात्मक निबन्धों में किसी भी वृत्तान्त या कथा का उपयोग होता है। वह वृत्तान्त पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक अथवा आत्मचरित-मूलक किसी भी प्रकार का हो सकता है। वर्णनात्मक निबन्धों में प्राकृतिक दृश्यों, घटनाओं आदि का वर्णन रहता है। चिन्तन-प्रधान रचनाओं में मानव-जीवन के किसी भी कार्य,

भाव, विचार अथवा घटना पर कुछ चिन्तन या संवेदन रहते हैं। एक ही रचना में तीनों प्रकार की शैलियों का उपयोग भी सम्भव है।

निबन्ध की शैली—निबन्ध प्रधानतः गद्य की विधा है पर यह पद्यबद्ध भी हो सकता है। निबन्ध में विषय-सामग्री, विचार और भाव से शैली अर्थात् कहने के ढंग का कम महत्त्व नहीं है। शैली विषयानुकूल होनी चाहिए। ऊपर निबन्धों के जो प्रकार गिनाये गये हैं उनकी शैली परस्पर में कुछ भिन्न होती है। शैली की विषयानुसार भिन्नता के साथ ही यह प्रकारों से उत्पन्न भिन्नता भी महत्त्वपूर्ण है। वैसे संक्षिप्तता (घोड़े में बहुत कहना) ही निबन्ध की सफलता और सौन्दर्य है। कसावट को निबन्ध की एक विशेषता मानना चाहिए। पर कहीं-कहीं लेखक वर्णन के विस्तार का आनन्द भी लेता है। वाक्य छोटे-छोटे ही उपयुक्त होते हैं। उनमें चिन्तन स्पष्ट एवं सगल होता है। विषय की गम्भीरता के साथ अगर वाक्य कुछ लम्बे एवं गम्भीर हो जायें तब भी कुछ आपत्ति नहीं है, पर उल्लास और अस्पष्टता से बराबर बचते रहना चाहिए।

विषय-सामग्री—सारा जीवन एवं प्रकृति सभी कुछ निबन्ध की सामग्री है। कोई भी विषय निबन्ध के लिए उपयुक्त हो सकता है। वस्तुतः निबन्ध का मूल विषय निबन्धकार का व्यक्तित्व है, उसके संचित अनुभव एवं उसका संचित ज्ञान ही प्रमुख सामग्री है। निबन्ध में मूलतः निबन्धकार अपना दृष्टिकोण देता है। परन्तु कुछ निर्वैयक्तिक एवं विषय-प्रधान रचनाएँ भी निबन्ध के अन्तर्गत मानी जाती हैं। उसमें प्रतिपाद्य विषय की प्रामाणिकता एवं वैज्ञानिकता का ही विशेष महत्त्व है। अतः ऐसे निबन्ध लिखने वालों को गम्भीर एवं सम्यक् अध्ययन करके निबन्ध लिखना चाहिए।

निबन्ध की रूपरेखा—विषय-प्रधान निबन्धों में रूपरेखा द्वारा चिन्तन व्यवस्थित कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसी से विषय का तर्कसंगत एवं क्रमिक प्रतिपादन सम्भव है। पर निबन्ध का एक रूप और होता है जो स्वच्छन्द एवं मुक्त रचना है। उसमें निबन्धकार के चिन्तक व्यक्तित्व को मुक्त विलास का अवसर मिलता है। ऐसे निबन्धों की कोई रूपरेखा नहीं हो सकती। वे पूर्व-निर्धारित रूपरेखा से नहीं लिखे जाते। निबन्ध लिखे जाने के बाद उनकी एक संक्षिप्त रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत की जा सकती है।

परिच्छेद २—रूपरेखाओं सहित निबन्ध

१. रेलयात्रा

रूपरेखा—

१. यात्रा का अवसर ।
२. नवलगढ़ से जयपुर ।
३. जयपुर स्टेशन का वर्णन, बालसुलभ कुतूहल ।
४. आगरा और आगरा स्टेशन ।
५. उपसंहार ।

नये-नये स्थानों को देखने की इच्छा बालक और किशोर में सहज होती है। बचपन में मेरी भी लम्बी यात्राओं की बहुत अभिलाषा रहती थी। पर इसके अवसर ही कम मिले। दो-एक अवसर बहुत रुचिकर रहे। उनमें से एक का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मैं करीब दस वर्ष का था। उसी समय लम्बी यात्रा का अचानक एक अवसर आ गया। मेरे बड़े भाई की वरत्त रांची जानी थी। नवलगढ़ से रांची बहुत दूर है। बहुत-से स्थान देखने को मिलेंगे। इस बात ने मेरे मन को कई दिन तक प्रसन्न रखा। मैं मह-ही-मन इस बात को सोच कर उछलने लगता था। यों ही अकारण ही कभी कूदता था और कभी भागता था। पर मन में एक डर भी था कि कहीं मुझे वरत्त में शामिल न करें। मुझे तथा मेरे छोटे भाई को शामिल करने के सम्बन्ध में घर में कभी-कभी दो राय भी हो जाती थीं। मैं ऐसी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था।

आखिर वह अवसर आ गया। हम दोनों को भी वरत्त में शामिल कर लिया गया। हम दोनों को जितनी खुशी थी उतनी शायद किसी को भी नहीं थी। स्वयं मेरे बड़े भाई को भी, जो दूल्हे बने थे, नहीं रही होगी। नवलगढ़ से जयपुर तक के स्थान तो कुछ विशेष आकर्षक नहीं लगे। वे एकाध वार के देखे हुए थे। पर जयपुर स्टेशन आते ही मैं झट भागकर खिड़की के पास आ ही गया। इतना बड़ा स्टेशन देखने का मेरा पहला ही अवसर था। एक साथ ही कई गाड़ियों को देखने का मौका भी पहले कभी नहीं मिला था। कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक गाड़ी मेरे सामने आयी और चली गयी। स्टेशन विजली की रोशनी में चमक रहा था। हमारे स्टेशन पर तो एक टिमटिमाती काली लालटेन रहती थी। उसके प्रकाश में बस लालटेन ही दीखती थी। यहाँ तो सब कुछ चमक रहा था। मेरा मन बाँसों उछल रहा था। यह

स्टेनन है या बाजार ? मिठाई की टेन, फलों के सॉमने, गिनोने की टलियां तथा पान बोरी मिगरेट चाने अजीब-प्रजीव आवाज लगाते हुए घूम रहे थे। 'चाय' नाम 'चाय' तो मुझे बहुत ही अजीब लगी। ऐसी गर्मी में 'चाय'। हमारे गांव में तो बर्गों में कोई बूढ़ा बीमार कभी-कभी दवा के बतौर चाय पिना करता था। वही तो डेरों बिक रही थी। गिनोनों की ओर कुछ ध्यान गया पर वे बहुत छोटे बच्चों के साथक ही थे। दो-चार पंतों की कुछ भुजिया साजर नल पर पानी पीने गये। नल भी जीवन में पहली बार देखा था। मेरा छोटा भाई नल मोलकर पानी पीने लगा और फिमनकर हौदियों में जा गिरा। मुझे कुछ हंसी आ गयी। चाचाजी ने नयत लगाकर मुझे गाड़ी पर चढ़ा दिया। और छोटे भाई को निकालकर हाथ-पैर धुलाने लगे। तभी गाड़ी चल दी। थोड़कर किसी तरह ये गाड़ी पर चढ़ गये। प्लेटफार्म छूटते ही चारों ओर अंधेरा दिगामी देने लगा। हम दोनों भाइयों को सोने का हुक्म ही गया। हमें भी नींद नहीं थी। चट सो गये।

बहुत मुबह ही जब हमें जगाया गया तब हम लोग अंधेरा पहूँन गये थे। काफी अंधेरा था। स्टेनन के हृष्य ठो कुछ भी दितायी नहीं दिये। मुसाफिर-गाने में एक टिमटिमानो रोशनी के नीचे दरी पर हम लोग बैठ गये। वही पर गरने अधिक आकर्षक मुझे पंता लगा। उसमें बहुत मम्बी-मम्बी दो पंतादियाँ थीं। पंता धीरे-धीरे आगम से चल रहा था। हवा का तो चौर काम ही क्या था। मुबह आठ बजे के लगभग हम आगरा पहुँच गये। वही साहन के मुसाफिरगाने में सब लोग ठहर गये। सोने का साल कितना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जीवन में पहली बार मोटर साइरिल इभी सहक पर भागती हुई देखा। कितनी तेजी से भाग रही थी ? अंधेरे बोंगे होने हैं वह भी पहली बार पगी देगा। स्टेनन में थोड़ा दूर पर अमुनाजी है। अपने ताऊजी के साथ मैं अमुना स्नान करने गया। स्नान में अधिक आनन्द एक गाड़ी के आने के हृष्य से मिला। हम लोग नीचे और गाड़ी ऊपर। आगरे के पुराने पुल पर मे गाड़ी आ रही थी। मुझे लगा जैसे मिच्छे में मे गाड़ी निकल रही है। हम लोग आगरे दिन भर रहे। हम दोनों को आगरे का कितना और साजसज्जद रिमान के लिए कोई नहीं दि गये थे; पुगमाने के लिए मोतरी बाजार में पुगा दिया था। वही पर एक दुबान पर ही साजसज्जद रिमा दिया गया। बाजार स्नान करने स्नान में बहुत आकर्षक मगा। पहन का साजसज्जद तो मेरा होता है,

यह धारणा मेरी पक्की हो गयी। मेरे एक मित्र के मामा आगरे में मोटर ड्राइवर थे। यह मेरे मित्र ने मुझसे कहा था। उसने यह भी कहा था कि मैं उनसे मिलूँ; वे बहुत अच्छे हैं, खूब मिठाई, पैसे और खिलौने देते हैं। सोचा ताजमहल न सही, मामा से ही मिलेंगे। मोटरें तो बाजार-बाजार में ही रहती हैं। पर मिलना कैसे? किसी बड़े-बूढ़े को तो मेरी तीव्र आकांक्षा महत्त्वपूर्ण लगती नहीं थी। मोटरें सामने से निकलती रहीं। हर मोटर वाले को अपने मित्र का मामा अथवा कम-से-कम उसका मित्र समझता रहा। कोई मोटर मेरे सामने रुकी भी नहीं। नहीं तो मामा का नाम लेकर पूछ लेता। वे सब उसको जानते होंगे। मैं या तो अपनी स्कूल के सब बच्चों को जानता था या अपने मित्र को। पर न मामा से भेंट हुई न उसके मित्र से और आगरा छोड़ने का समय आ गया।

आगरा फोर्ट से हमें आगरा सिटी जाना था। एक ही शहर में कई स्टेशनों। कल्पना ही झकझोर देने वाली थी। एक गाँव क्या अनेक गाँवों के बीच एक स्टेशन ही की मेरी धारणा थी। एक इक्के में बैठकर मैंने आगरा शहर के तंग बाजार पार किये। एक खिलौने वाली ने अपनी कमर से एक धागा बाँध रखा था और उसके पीछे एक नगाड़े की गाड़ी का खिलौना घिसटता आ रहा था। नगाड़ा अपने आप ही बज रहा था। 'आगरा सिटी' की स्टेशन तो और भी अद्भुत लगी। हम लोग एक सुरंग में से पार करके प्लेटफार्म पर पहुँचे। गाड़ी तैयार खड़ी थी। हमारे बैठते ही चल दी। थोड़ी दूर चलने पर कितना आनन्द आया? गाड़ी ऊपर थी बाजार नीचे। सभी पुरुष, इक्के ताँगे मोटर आदि सब नीचे से जा रहे थे और हमारी गाड़ी आकाश में चल रही थी। यमुना के नये पुल पर पहुँचते तो दृश्य और भी मनोरम हो गया। किसी कारण से गाड़ी यमुना के पुल पर रुक गयी। हम गाड़ी में सबसे ऊपर थे और सबसे नीचे यमुना बह रही थी। बीच में इक्के, ठेले ऊपर चल रहे थे। मेरे बालक मन को इस दृश्य ने छू लिया। सूर्यास्त होने ही वाला था। अस्त होते हुए सूर्य की कुछ पीली पड़ती हुई किरणों में ताजमहल चमक रहा था। चाँदी का ताजमहल सोने के पानी की झलक दे रहा था। वह मन को बहुत आकृष्ट कर रहा था। तबियत थी कि उतर कर ताजमहल ही चले जावें। पर गाड़ी छुकछुक करती चल दी, आगरे और ताजमहल को पीछे छोड़ती हुई।

आगरा और ताजमहल दोनों ही रात्रि के अन्धकार में हूब गये । मैं भी स्वप्नों से गुजरता हुआ नींद के अन्धकार में विलीन हो गया ।

दूसरे दिन दस बजे हम लोग 'गया' स्टेशन पहुँच गये । हमारी रेल-यात्रा का यही अन्तिम स्टेशन था । यहाँ से आगे हमें मोटर से जाना था ।

२. मेरी चटशाला

रूपरेखा—

१. भूमिका
२. चटशाला का स्थान
३. चटशाला का समय
४. पाठ्य-क्रम
५. पाठन-पद्धति एवं परीक्षण-पद्धति
६. विशेष उत्सव
७. उपसंहार

राजस्थान स्वतन्त्रता से पूर्व रियासतों का समूह था । उसके कुछ भाग तो ऐसे थे जिन पर ब्रिटिश शासन का कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा ही नहीं था । बहुत-से लोगों ने तो सुना भी नहीं था कि अंग्रेजों का राज्य है । कुछ लोगों ने सुन रखा था कि आगरा और दिल्ली में अंग्रेजों का राज्य है । अंग्रेजी शिक्षा तथा विचारधारा से राजस्थान के कुछ हिस्से पूर्णतया अछूते ही रहे । उन भागों के छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों में अंग्रेजी स्कूल बने ही नहीं । इसलिए वहाँ पर भारतीय पद्धति की पुरानी चटशालाएँ ही रहीं । ये चटशालाएँ अब भी बहुत-से स्थानों में हैं । पर अब तो यह समाप्त होती हुई पद्धति है । ये चटशालाएँ उस पुरानी शिक्षा-पद्धति के छवसावशेष हैं । मैं भी एक ऐसी चटशाला में पढ़ा था ।

मेरे गुरुजी का घर ही चटशाला था । गुरुजी के पास किसी प्रवासी का एक बड़ा-सा टूटा-फूटा पुराना मकान था । उसके बाहरी चौक में एक लम्बा छप्पर पड़ा हुआ था । नीम का एक सघन पेड़ भी था । वही छप्पर छात्रों के बैठने का प्रमुख स्थान था । वर्षा में तो सभी छात्रों को इसी छप्पर में बैठना पड़ता था । पर शेष दिनों में छात्र नीम के पेड़ के नीचे अथवा दीवारों की छाया में भी बैठ जाया करते थे । गोबर-मिट्टी से लिपे हुए पवित्र आंगन पर ही हम

सब छात्र बैठते थे। एकाध छात्र बैठने के लिए टाट या फटी दरी का टुकड़ा भी घर से ले आते थे। गुरुजी एक छोटी-सी बेंच पर बैठ जाते थे। कुर्सी, मेज आदि की कोई कल्पना भी नहीं थी। मैंने तो कुर्सी-मेज देखी ही बहुत दिनों बाद थी। पूरी चटशाला के बैठने की यही सब व्यवस्था थी। गर्मियों में प्रातःकाल छह सवा छह बजे और सर्दियों में सात सवा सात बजे चटशाला का काम शुरू होता था। समय का अनुमान घूप और छाया से ही किया जाता था। चटशाला में एक छोटी-सी कोठरी थी जिसमें सिंदूर से सरस्वती लिखी हुई थी। चटशाला पहुँचते ही हम सबसे पहले सरस्वती के समक्ष नमस्कार करते थे। उसके बाद अपना-अपना पाठ याद करने अर्थात् पिछले पहाड़े दुहराने बैठ जाते थे। गुरुजी के संध्या-वन्दन आदि से निवृत्त होने से पूर्व ही सारा पाठ याद कर लेने का संकल्प रहता था। इससे जिसका पाठ लम्बा होता था वह कुछ पहले आता था। गुरुजी के अपने स्थान पर बैठते ही पहाड़ों से भरी हुई स्लेटें उन्हें चारों ओर से घेर लेती थीं। कुछ की स्लेटें गुरुजी स्वयं देखते थे और कुछ की बड़े छात्र, जो व्याज या वहीखाता सीखने वाले होते थे। इन छात्रों पर पाठ याद करने का बन्धन नहीं होता है। वे इस बन्धन को पार किये हुए होते थे। पहले के पाठ को दुहराने की इस प्रक्रिया के समाप्त होते ही प्रत्येक छात्र को आगे का पहाड़ा या सवाल दे दिया जाता था। इसमें भी वे बड़े छात्र गुरुजी के सहयोगी का कार्य करते थे। इस पढ़ाई की पद्धति की यह एक प्रधान विशेषता थी कि बड़ा छात्र छोटे छात्र को पढ़ाता था। उसे विदेशियों ने 'मॉनीटर सिस्टम' कहा है। तभी तो अकेले गुरुजी करीब पौने दो सौ छात्रों को, जिनमें से प्रायः सभी पाठ्य-क्रम की दृष्टि से भिन्न स्तरों के होते थे, संभाल लिया करते थे। सभी चटशालाओं की यही प्रक्रिया थी। सब लोग अपने-अपने नये पहाड़े या सवाल को याद करने के लिए दूर-दूर बैठ जाते थे। छोटे-छोटे वर्ग भी बैठ जाते थे जिनमें पारस्परिक सहयोग से अध्ययन चलता था। हम लोग नये पहाड़े या सवाल में लगे रहते थे और गुरुजी हाजिरी लेते थे। यदि कोई छात्र अनुपस्थित होता था और उसकी अनुपस्थिति का कारण गुरुजी को ज्ञात नहीं होता था, तो उसके घर बुलावा भेजा जाता था। बुलाने वाले जरा बड़े और मजबूत छात्र होते थे क्योंकि अधिकांश छात्रों को जबरन पकड़कर लाना पड़ता था। न पढ़ने की इच्छा वाले लड़के इस बुलावे में जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे; घूमने का अवसर जो मिलता था। विशेष बात होने पर गुरुजी स्वयं भी जाते थे।

अधिकांश छात्रों को अपने-अपने काम में लगाने के बाद गुरुजी के पास कुछ ऊँचे स्तर के छात्रों को पढ़ाने का कार्य रह जाता था। वे प्रायः मित्तिकाटा, व्याज और बहीखाता सीखने वाले होते थे। उनमें एकाग्र तीक्ष्ण बुद्धि वाले 'लीलावती' के हिस्सा भी किया करते थे। 'लीलावती' हमारे प्राचीन गणित का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। गुरुजी को भी उसमें चितन का अवसर मिलता था। कोई दो घण्टे चटशाला का वातावरण गम्भीर बना रहता था। प्रायः सभी लोग अपने-अपने काम में लगे रहते थे। इस समय गुरुजी को तनिक भी शोर-गुल सहन नहीं होता था। दो-एक मॉनीटर लड़के शान्ति स्थापित किये रहते थे। सवाल निकालने का काम उन बड़े छात्रों को देकर गुरुजी स्वयं धूमने लगते थे। इस समय कभी तो वे गम्भीर चितन की मुद्रा में होते थे और कभी छात्रों की गतिविधि पर कठोर दृष्टि रखते थे। धूमते हुए अगर किसी के सवाल करने की पद्धति में कहीं भी भूल दिखायी देती थी, तो बता देते थे। इसमें कुछ को बेंत भी पड़ जाता था और गाली तो सामान्य-सी बात थी। गुरुजी गाली रंग-विरंगी देते थे। उस समय तो मैं उनकी गालियों से सहम-सा जाता था। पर आज उन्हें याद करके हँसी आती है। बनावटी क्रोध में छिपे स्नेह के भाव से आनन्द भी आता था।

चटशाला सुबह और शाम दोनों समय लगती थी। इधर ग्यारह बजे छुट्टी हो जाती थी और फिर ढाई बजे से छः बजे तक लगती थी। सायंकाल का समय अभ्यास और परीक्षा का होता था। जो कुछ सुबह नया सिखाया जाता था; उसी का सायंकाल अभ्यास करना पड़ता था। गुरुजी धूमते हुए पूछते भी रहते थे। पाँच बजे सब छात्र एक लम्बी कतार में खड़े हो जाते थे। दो या चार लड़के पहाड़े बोलते थे और उसके अनुकरण पर शेष सब उसे दुहराते थे। अथवा दो-चार लड़के पहाड़े की प्रथम पंक्ति बोलते थे और शेष लड़के दूसरी तथा फिर दो-चार लड़के तीसरी। यह क्रम भी चलता था। पहाड़े समाप्त होने पर गुरुजी क्रमशः प्रत्येक की मौखिक परीक्षा लेते थे; पहाड़े और हिस्सा पूछते थे। इस समय न बताने वालों पर बेंत का मुक्त प्रयोग होता था। कभी-कभी सही उत्तर देने वाला छात्र गलत उत्तर देने वालों को चपत लगाता था। पंक्ति में उसका स्थान भी आगे हो जाता था। मौखिक परीक्षा के बाद सरस्वती की प्रार्थना होती थी और तब छुट्टी। वह छुट्टी सचमुच छुट्टी ही होती थी। कितने उत्साह के साथ हम भागते हुए घर पहुँचते थे। उस छुट्टी का आनन्द

मेरी स्मृति में आज भी ताजा है। वैसे आनन्द कालेज की छुट्टी में कहाँ मिल पाता है ?

रविवार चटशालाओं के लिए एक विशेष दिन होता था। रविवार को नित्य से थोड़ा भिन्न कार्यक्रम रहता था। उस दिन हम लोग बहुत सबेरे ही स्कूल पहुँच जाते थे और अपनी स्लेटें पहाड़ों से भरने लगते थे। एक-एक छात्र दो-दो तीन-तीन स्लेटों का भी प्रयोग करता था। कुछ छात्र तो सूर्योदय पूर्व ही वहाँ पहुँच जाते थे। कभी-कभी तो चटशाला का फाटक भी बन्द मिलता था। तब हम फाटक के बाहर बैठकर पहाड़े लिखते रहते थे। जो छात्र जब अपना पूरा पाठ सही-सही दुहरा लेता था उसे तभी छुट्टी मिल जाती थी। बहुत-से तो साढ़े-सात आठ बजे तक घर भी पहुँच जाते थे। पर बहुतां को वारह बज जाते थे। गलती लिखे हुए को फिर सही लिखना पड़ता था। वह भी अपनी स्मरण-शक्ति से, कोई बताता नहीं था। नकल का जमाना नहीं था। नकल करने और कराने वाले दोनों को ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। नकल करने वाले में तो आत्मग्लानि भर जाती थी। वारह बजे तक रुकना, वह भी अकेले का या एकाध अन्य साथियों के साथ, एक प्रकार की सजा ही थी। शर्म भी बहुत मालूम होती थी।

रविवार की शाम बहुत ही सुखद लगती थी। पढ़ने-लिखने की पूरी छुट्टी। स्लेटें सब कोठरी में बन्द। मन करता था कि सदा ऐसा ही बना रहे। उस दिन सरस्वती का श्रृंगार किया जाता था। नया सिद्धर चढ़ता था। रंग-विरंगे चमकीले बर्कों के वस्त्र और मुकुट पहनाये जाते थे। बड़े-बड़े छात्रों में से एक-दो सरस्वती का श्रृंगार-कार्य करते थे और कुछ प्रसाद तैयार करते थे। इधर हम सब छोटे-छोटे खेल-कूद में मस्त रहते थे। वही चटशाला में कबड्डी भी जम जाती थी। भौंरे घुमाने की होड़ भी लगती थी। इस दिन सब छूट रहती थी। और दिन यदि किसी के पास भौंरा या फिरकी मिल जाती थी तो गुरुजी जव्त कर लेते थे। कुछ ऊधमी छात्र गुरुजी की नजर बचाकर नीम के पेड़ पर भी चढ़ जाते थे। पकी निवारी बड़ी स्वादिष्ट लगती थीं। वह आम का ही लघु संस्करण लगती थी।

सरस्वती का श्रृंगार पूरा होते ही हम सब लम्बी पंक्ति में खड़े हो जाते थे। सरस्वती की दो-एक लम्बी प्रार्थनाएँ भी बोली जाती थीं। एक प्रार्थना तो हमारे गुरुजी के पिताजी की ही बनायी हुई थी। प्रार्थना के बाद प्रसाद (भोग) बँटता

था। सरस्वती का प्रसाद सर्वप्रथम गुरुजी के पास रखा जाता था। वे उसमें से थोड़ा-सा स्वयं लेते थे। तब शेष सबको बाँट दिया जाता था। महीन तराशी हुई गिरी तथा मूँगफली में दो-चार किशमिण एव मिथ्री का चूर्ण मिला रहता था। कभी-कभी दो-चार वादाम भी डाल देने थे। वस, यही प्रसाद होता था। पर कितना मधुर लगता था। आज भी उसकी याद ताज़ी है।

बच्चों को कभी-कभी घर से पैसा-दो पैसा खर्च करने को मिलता था। चटशाला से बाजार बहुत ही समीप था। बच्चे मूँगफली, आम का पापड़, मूनी, गाजर आदि ले आते थे। तब एक पैसे की ही ढेर-सी चीज़ें आती थीं। चीज़ लाकर बच्चा सर्वप्रथम गुरुजी को समर्पित करता था। गुरुजी उसमें से कुछ ले लेते थे और शेष बच्चा अपने मित्रों के साथ बाँटकर खा लेता था। गुरुजी को चीज समर्पित करने में हमें एक आनन्द का अनुभव होता था। पर कभी-कभी जब चीज के हिस्सेदार अधिक हाते थे तो थोड़ा अखरता भी था। भारतीय आदर्शों पर आधारित इस पद्धति का उस समय विशेष महत्त्व ज्ञात नहीं था।

गणेश-चतुर्थी का त्योहार इन चटशालाओं में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था। इसे 'चौक चाँदनी' कहते थे। सब बच्चे नये-नये कपड़े पहनकर एवं सुन्दर छड़ियाँ हाथ में लिए हुए इस उत्सव में सम्मिलित होते थे। उस दिन घर वाले प्रत्येक बच्चे को मेवे से भरे हुए बटुए देते थे। बच्चे एकत्र होकर प्रत्येक बच्चे के घर जाते थे। वहाँ बच्चे, 'चौक चाँदनी' के गीत गाते थे। गुरुजी को प्रत्येक बच्चे के घर से गुड़घानी, वस्त्र एवं रुपयों की भेंट मिलती थी। प्रत्येक बच्चा अपने घर पर तिलक लगाकर एवं चरण-स्पर्श करके गुरुजी का अभिनन्दन करता था और गुरुजी का शुभाशीर्वाद प्राप्त करता था। यह कार्यक्रम कई दिन तक चलता रहता था। एक चटशाला के बच्चे दूसरी चटशाला में भी जाते थे। सब चटशालाओं के बच्चे मिलकर कस्बे में घूमते हुए गोपीनाथजी के मन्दिर के सामने आ जाते थे। वहाँ पर सरस्वती की बहुत लम्बी प्रार्थनाएँ उच्च स्वर से बोली जाती थीं। आज ये चटशालाएँ प्रायः समाप्त हो रही हैं। पर जो रह गयी हैं उनमें 'गणेश-चतुर्थी' का यह कार्यक्रम उतनी धूमधाम से आज भी मनाया जाता है। वही पुराना कार्यक्रम आज भी चलता है। उस अवसर पर आज भी पुरानी स्मृतियाँ जाग उठती हैं।

३. बाढ़ का काल्पनिक चित्र

रूपरेखा—

१. भूमिका
२. वर्षा का सुहावना रूप
३. भीषण रूप
४. भीषण जल-प्रवाह
५. सूखे पेड़ पर चढ़ना
६. विषधर से मुकाबला
७. बाढ़ का कम होना
८. उपसंहार

वर्षाकाल कितना सुहावना समय है। वादलों की घनघोर घटाएँ घुमड़-घुमड़कर आती हैं। सारे आकाश में काले वादलों के परत पर परत छा जाने से सर्वत्र अँधेरा-सा छा जाता है। कभी-कभी तो रात्रि और दिन का अन्तर भी स्पष्ट नहीं रहता। वादलों की घनघोर गर्जना के साथ गहन अन्धकार को कभी-कभी तीव्र आलोक से आलोकित कर देने वाली विद्युत-धारा में अनुपम सौन्दर्य है। सारा वन प्रान्त हरा-भरा होकर मन को प्रसन्न करता है। हरित परिधान पहने हुए प्रकृति का नयनाभिराम रूप दर्शनीय होता है। यमुना के इस पार बसा हुआ नगर भी वर्षा में धुलकर शुभ्र और स्वच्छ हो गया है। उसकी गगनचुम्बी शुभ्र अट्टालिकाएँ नीले आकाश को स्पर्श करती हुई कितनी मनोमुग्धकारी प्रतीत हो रही हैं। गहरी काली घटाएँ उनके इस सौन्दर्य पर मुग्ध होकर मानो दिन में कई वार उन पर मोतियों की वर्षा करती हैं। नदी के किनारे खड़े हुए प्रासादों में रहने वाले व्यक्तियों को नगर और वन प्रान्त दोनों की शोभा लूटने का सौन्दर्य प्राप्त हुआ है। उनके सामने यमुना के उस पार कितने विशाल वन-प्रान्त का दृश्य दिखायी पड़ता है। प्रासाद की छत पर से देखने पर एक ओर शुभ्र अट्टालिकाओं का समूह तथा दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली दिखायी पड़ती है। भूमि कहीं भी विलकुल नग्न नहीं है। नगर और वन की मिलन रेखा पर वह स्वयं खड़ा रहता है। यमुना का सारा पाट जल से परिपूर्ण हो जाता है। वह बड़े तीव्र वेग से निरन्तर आगे बढ़ती जाती है। अत्यन्त शीतल हवाएँ कभी-कभी फुहारों से प्रासादों में बैठे

हुए व्यक्तियों का भी स्वागत कर देती हैं। बादलों की घटाओं को देखकर उनकी गर्जना में ताल मिलाकर मानव-मन भी मयूर की तरह नाच उठता है।

वर्षा में प्रकृति का सौम्य रूप ही नहीं रहता है। कभी-कभी वह क्रुद्ध होकर अपने उग्र रूप से मानव को भयभीत भी कर देती है। प्रकृति के उग्र रूप के कारण ही मानव प्रकृति के समक्ष नतमस्तक होता है। उसे अपनी तुच्छता का भान भी तभी होता है। उसके सौम्य रूप को तो वह अपने ही मनोरंजन का साधन समझता है। उसका अहंकार उसे यही सोचने के लिए बाध्य करता है कि प्रकृति उसी को प्रसन्न करने के लिए ही इतनी सौम्य हो गयी है। वह मन ही मन अपने आपको विश्व का स्वामी मान बैठता है और प्रकृति को अपनी वह अनुचरी जो उसी की इच्छा से तरह-तरह के रूप धारण करके, इठलाकर एवं मधुर संगीत और नृत्य से उसका मनोरंजन करती है। पर प्रकृति के उग्र हो जाने पर वह अपना सारा गर्व भूल बैठता है। अब वह स्वामी नहीं अपितु असहाय कृपाकांक्षी बन जाता है। अपनी दीनता और जीवन की नश्वरता का ज्ञान तो मुझे उस वर्ष की वर्षा ऋतु में ही हुआ, जब छोटा-सा पक्का मकान ही यमुना की बाढ़ में अकेला रह गया और मेरी आंखों के सामने बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ मिट्टी के धरोरे के समान गिरती गयीं।

मुझे वह दिन अच्छी तरह स्मरण है और जीवन भर स्मरण रहेगा। सन्ध्या से पूर्व ही आकाश में बादलों की घनघोर घटा छाने लगी थी। क्षितिज से काली घटाएँ कज्जल के पहाड़ों की तरह बढ़ती ही चली गयीं। सर्वत्र घनघोर अन्धकार छा गया। घटाएँ देखकर मुझे कामायनी की ये पंक्तियाँ याद आ गयीं—

वरुण व्यस्त ये, घनी कालिमा,

स्तर स्तर जमती पीन हुई।

बादलों की घनघोर गर्जना और विजली की कड़कड़ाहट से प्रसादजी का वर्णन सजीव होकर आंखों के समक्ष नाचने लगा था। आज बादलों की कालिमा मनोरम नहीं प्रतीत होती थी। इस दृश्य को देखकर हृदय कांप रहा था। एक समय वह भी था जब जयदेव को काली घटाओं से ही कृष्ण और राधा की रति के चित्रण की प्रेरणा मिल गयी थी। घनघोर घटाओं के कारण नन्द ने कृष्ण के भीरु मन की कल्पना कर ली थी। लेकिन वह प्रकृति का मनोरम रूप था। इन्हीं बादलों के सौन्दर्य ने यक्ष के हृदय का विरह जाग्रत कर दिया था,

पर आज की सन्ध्या और घनघोर घटाओं का इन मधुर स्वप्नों से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह तो प्रसादजी के जल-प्लावन वर्णन की याद दिला रहा था। सायंकाल होते-होते बादलों से धाराएँ छूटने लगी थीं। इतना मूसलाधार पानी पिछले कई वर्षों में नहीं पड़ा होगा। लोगों को अपना काम छोड़कर जिस किसी तरह अपने घरों में घुस जाना पड़ा। वर्षा का यह क्रम लगातार दो दिन और दो रात तक ठीक वैसे ही रहा। जहाँ तक दृष्टि जाती थी; वहाँ तक केवल जल ही जल दिखायी पड़ता था। सारा हरा-भरा वन-प्रान्त जल में डूब कर जलमय हो गया था। यमुना, सड़क और वन में कोई अन्तर ही नहीं रह गया था। सारे खेत और आस-पास के गाँव जल में डूब गये थे। कहीं-कहीं कोई बड़े-बड़े वृक्ष दिखायी पड़ते थे। नगर की सब सड़कों पर घुटनों पानी चढ़ गया था। अधिकांश मकानों के एकतले प्रायः जल में निमग्न हो चुके थे। पहले तीन दिन तक नगर का आवागमन बिलकुल बन्द ही रहा। वर्षा का क्रम टूटा नहीं; विजली की कड़क तथा बादलों की गर्जन बन्द नहीं हुई। चौथे दिन भी नगर की सड़कों पर नाव का प्रयोग करना पड़ा। जिन गरीबों के जीर्ण-शीर्ण मकान गिर गये थे, उनकी रक्षा का प्रयत्न नगर की कुछ समाज-सेवी संस्थाएँ तथा सरकार कर रही थी। जिस किसी तरह नगर के बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों की तो रक्षा हो पायी पर ग्रामों की दुर्दशा हृदय-विदारक रही। नदी किनारे के अनेक गाँव जलमग्न हो गये। उनके कच्चे मकानों को नदी और वर्षा की बाढ़ ने बिलकुल ही साफ कर दिया। पशु, वृक्ष, छप्पर, जवान, बूढ़े सभी पानी में बह रहे थे। छप्परों, वृक्षों, मृत पशुओं के सहारे से अनेक व्यक्ति अपनी प्राण रक्षा की व्यर्थ चेष्टा कर रहे थे। जल के प्रवाह में प्रतिक्षण मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए बहे जा रहे थे। रक्षा की पुकार भी जल-प्रवाह के शब्द में मिलकर विलीन हो रही थी। जल का निर्वाध प्रवाह काल-चक्र के समान आगे ही बढ़ रहा था। मेरा जगत् की परिवर्तनशीलता पर प्रतिक्षण दुर्द विश्वास होता जा रहा था।

मैं अपने मकान की छत पर बैठकर यह सारा दृश्य देखता रहा। अनेक असहाय व्यक्तियों को निराश होकर अथाह जल में केवल एक बुदबुद उठकर हूबते देखा। और यह बुदबुद भी दूसरे क्षण उसी जल में विलीन हो जाता था। इस प्रवाह में किसी का कुछ भी पता नहीं रहा। काल का शास बनकर जीव का कुछ पता ही नहीं चलता है। असंख्य व्यक्तियों के नष्ट हो जाने पर भी

काल प्रवाह उसी गति से बहता रहता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस जल-प्रवाह ने इन सत्त्यों को मूर्तिमान कर दिया था। असंख्य वृक्षों, जीवों और व्यक्तियों को उद्‌रस्य कर लेने के बाद भी जल-प्रवाह में कोई अन्तर नहीं था। उसकी भूख शान्त ही नहीं हो रही थी। प्रत्येक व्यक्ति आशा-निराशा के घोर तुमुल संप्राम में पड़ा हुआ था। जल-प्रवाह की वृद्धि के साथ यह निराशा की ओर ही अधिक बढ़ रहा था। मेरे छोटे-से परिवार के साथ उस छत पर बैठा हुआ मैं भगवान् से प्राणों की भिक्षा माँग रहा था। नगर की कई इमारतों आत्म-समर्पण कर चुकी थीं। कब कौन-से मकान को जल के सम्मुख नत-मस्तक होना पड़े, इसका कुछ भी पता नहीं था।

मेरे घर से कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना वृक्ष था। कई वर्षों से उसने वर्षा की हरियाली और पतझड़ की आँधियों को निश्चेष्ट होकर देखा था। उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जीवन के सुख-दुख से उदासीन तपस्वी की तरह वह वृक्ष भी युगों से नदी के किनारे खड़ा हुआ था। उसे नदी के जल का स्पर्श भी इसी वर्ष हुआ। इस जल-प्रवाह में भी वह वैसा ही पूर्ववत् निश्चेष्ट था। अनेक वृक्षों के जीवन के बुदबुद उस जल में विलीन हो गये थे; उस वृक्ष के जीवन का भी कुछ भरसा नहीं था। उसके इतनी देर तक जल-प्रवाह का सामना कर लेने की कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन वह अविचल खड़ा रहा और जल अपने तरंगाघातों से उसे स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ता गया। पता नहीं जल उसे जीवन की नश्वरता का उपदेश दे रहा था अथवा अभयदान। पर वह उसी तरह अविचल था। सम्भवतः इन दोनों का ही वह तो समान रूप से स्वागत कर रहा था। मानव असहाय होकर सहायता के लिए पुकारता है पर मानव उसको नहीं सुन पा रहा था। अगर सुनता तो भी क्या करता ! वह अपने ही वन्धुओं की रक्षा में असमर्थ हो गया था। यह सूखा वृक्ष आज भी पुकार-पुकार उन्हें शरण दे रहा था। उसने जीवन भर उपकार किया और आज भी वह उपकार में रत है। किसको पता था कि यह निर्जीव वृक्ष जिसको जीवन देखे ही युग बीत गये हैं, कभी मानव-उपकार के लिए उपादेय सिद्ध हो सकता है। जल में बहते हुए अनेक व्यक्ति किसी प्रकार जल के द्वारा वृक्ष के समीप फेंक दिये गये थे और भाग्यवश उस वृक्ष की शरण भी पा सके थे। मानव की अपेक्षा वह वृक्ष कितना सबल है कि कम से कम कुछ व्यक्तियों को आपत्तिकाल में शरण देकर प्राण तो बचा

सका । मानव की असमर्थता आज कितनी स्पष्ट थी । उसके शक्तिशाली होने के अहंकार का मिथ्यात्व मूर्तिमान हो गया था ।

उस वृक्ष पर कुछ व्यक्ति शरण लिए हुए थे । प्रवाह में बहते हुए कुछ व्यक्ति उसे पकड़कर उस पर चढ़ जाने से सफल हुए । ज्यों-ज्यों जल का प्रवाह ऊँचा चढ़ता जाता था, त्यों-त्यों वे लोग भी वृक्ष के ऊपर चढ़ते जाते थे । वृक्ष एकदम प्रवाह के बीच में आ गया था और जल निरन्तर बढ़ ही रहा था । लोग उसके ऊपर की टहनी पर पहुँच चुके थे । आगे चढ़ने के लिए जगह नहीं थी । जल तो प्रतिक्षण बढ़ रहा था । एक व्यक्ति जीवन के गहरे मोह में पड़ कर सबसे ऊँचे की टहनी पर चढ़ने की चेष्टा करने लगा । ज्यों ही उसने अपना हाथ ऊपर की टहनी की ओर पकड़ने के लिए बढ़ाया, त्यों ही एक विषधर ने फुसकार के साथ अपना फन ऊपर उठा लिया । बेचारा जहाँ का तहाँ ही रह गया । नीचे तीव्र जल-प्रवाह और ऊपर विषधर । दोनों ओर मृत्यु थी और बीच में—केवल संघि में—जीवन की क्षीण आशा लिये हुए वह त्रैठा था । मैं उस सारे दृश्य को देख रहा था । पर क्या करता ! जीवन कितना क्षणिक है ! सोच रहा था कि मानव कितना असहाय और दुर्बल है । संसार समय-प्रवाह का एक बुदबुद मात्र है जो इसी से उत्पन्न होकर इसी में विलीन हो जाता है । एक क्षण पहले जो नहीं था और जो दूसरे क्षण भी नहीं रहने वाला है । इस क्षणिक वस्तु के लिए भी मानव मन में कितना मोह है । सिर पर विषधर लिये और पाँव जल-प्रवाह में रखकर भी मनुष्य जीवन की आशा से चिपका रहता है । मृत्यु को सम्मुख खड़ी देखकर भी मानव जीवन की कामना छोड़ नहीं सकता है । निराश और दुःखी जीवन को भी बनाये रखता है । निविड़ अन्धकार में भी आशा के एक टिमटिमाते दीपक के क्षीण प्रकाश की ओर निनिमेष निहारते ही रहना चाहता है । मृत्यु को समक्ष खड़ी देखकर मानव भय तथा साहस और धैर्य दोनों विरोधी वस्तुओं को एक ही क्षण धारण कर सकता है । सर्प जैसे विषधर को भी मानव से डर लगता है । वह फुसकार मारकर ही रह गया, उसे भी आगे बढ़ने का साहस न हो सका । वह व्यक्ति सर्प से कुछ दूर पर वृक्ष के तने से चिपटे रहने का साहस और धैर्य रख सका और सर्प फन फैलाये हुए अपने ही स्थान पर अडिग रहा । जीवन की गति बढ़ी ही विचित्र है । दो विरोधों का सामंजस्य भी उसमें सम्भव है । बढ़ समाप्त हुई । वह वृक्ष ज्यों का त्यों रहा । जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते

हुए मानव और सर्प दोनों जीवन के किनारे लगे । मानव वृक्ष से उतरकर एक ओर भागा और सर्प दूसरी ओर ।

यह वाद मेरे जीवन की अभूतपूर्व घटना है । इसे मैं कभी नहीं भूल सकता । मैंने एक ही साथ मृत्यु और जीवन दोनों को देखा । इन दोनों की संधि में रहकर दोनों का एक साथ प्रत्यक्ष किया । मुझे जीवन के कितने सत्यों को मूर्तिमान रूप में प्रत्यक्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ । तब से जीवन की क्षण-भंगुरता पर विश्वास हो गया । जीवन आशा के कितने क्षीण धागों के आश्रय पर टिका है । तब भी जीवन की मृत्यु पर विजय होती है ।

४. चाँदनी रात में मरुस्थल की सैर

हपरेखा—

१. सैर की योजना
२. चैत्र की चाँदनी रात
३. टीलों पर घूमना
४. 'सूणक्यार' का खेल
५. गीत और कविताएँ
६. वापस लौटना

वर्ष के अधिकांश मासों में राजस्थान का आकाश प्रायः स्वच्छ रहता है । रात में यह स्वच्छता कुछ और भी अधिक बढ़ जाती है । अगर आँधी का गदलापन अथवा वर्षा के बादलों की घटाटोप न हो तो आकाश गहरा नील सरोवर-सा लगता है । तारों भरी अँधेरी रात का आकाश तो खिले हुए कमलों से परिपूर्ण नील सरोवर ही बन जाता है । और पूर्णिमा का चन्द्रमा हम पर श्वेत चाँदी की चद्दर और बिछा देता है; जिस पर कहीं-कहीं सुन्दर तारे भी चमकते रहते हैं । ऐसी रात भ्रमण के लिए उपयुक्त रहती है । राजस्थान में चैत्र की रातें विशेषतः ऐसी ही होती हैं ।

चैत्र की पूर्णिमा थी । रात्रि का भोजन कुछ जल्दी ही करने की आदत है । मैं भोजन करके बाहर के चबूतरे पर मित्र मण्डली में आकर बैठ गया । बैठे-बैठे सभी ने 'टीलों' की सैर करने का निश्चय किया । दस-पन्द्रह व्यक्ति वहाँ से चल

दिये । हमारे कस्बे से निकलते ही रेत के टीले शुरू हो जाते हैं । हम टीलों पर चढ़ने लगे । एक टीले के शिखर पर पहुँचने पर चारों ओर शिखर ही शिखर दिखायी देने लगे । भूरी और पीले रंग की मिट्टी के इन टीलों में चैत्र की चाँदनी ने चाँदी का चूर्ण मिला दिया था । अब वे सोने और रजत से मिलकर बने हुए टीले थे । कितना मनोहारी एवं अनुपम दृश्य था वह ! चैत्र मास ने इस दृश्य की रमणीयता को द्विगुणित कर दिया था ।

चैत्र राजस्थान का बहुत ही सुखद मास है । उस समय न गर्मी होती है और न ठण्ड । राजस्थान में रातें तो सारे ग्रीष्म की ही बहुत सुहावनी प्रतीत होती हैं । उसमें शीतल मन्द समीर बहती रहती है । चैत्र मास इस समीर में सुगन्ध का मिश्रण और कर देता है । नीम की मंजरी तथा जाण्ट (शमी वृक्ष) पर लगती हुई फलियों की मीठी गन्ध सम्पूर्ण वायुमण्डल में व्याप्त रहती है । टीलों के शिखरों पर घूमते हुए हम लोग इम वायु का सेवन तथा चन्द्रिका का अमृत पान करने लगे । एक टीले से दूसरे टीले पर कूदते-फाँदते रहे । बड़े-बड़े टीले राजस्थान की बोली में 'भर' कहलाते हैं । ऐसी ऊँची भरों की ढाल में फिसलना बहुत आनन्ददायक होता है । रात की कुछ ठण्डो बालू में कूदने और फिसलने में बर्फ पर कूदने और फिसलने से कम आनन्द नहीं आता ।

थोड़ी देर बाद हमारे एक साथी ने ऐसी सुन्दर चाँदनी में 'लूणक्यार' खेलने का प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान लिया गया । सबके मन का प्रस्ताव जो ठहरा । 'लूणक्यार' राजस्थान का अत्यधिक लोकप्रिय देशी खेल है ।

चाँदनी रात एवं रेतीली धरती इसके लिए सबसे उपयुक्त समय और स्थान होते हैं । चन्द्रमा का मधुर प्रकाश इस खेल के आनन्द को द्विगुणित कर देता है । न जल्दी ही पसीने आते हैं और न थकान ही होती है । चाँदनी के झिल-मिल प्रकाश में इधर-उधर दौड़ते हुए खिलाड़ियों के पैरों से जो धूल उड़ती है वह उस चन्द्रिका में पुष्प पराग-सी लगने लगती है । धूलि-धूसरित खिलाड़ी मंद रेशमी प्रकाश में उछलते हुए रजकणों के बीच ऐसे लगने लगते हैं मानों उड़ती हुई पुष्प-पराग में गन्धर्व लोग नृत्य कर रहे हों । खेल में बहुत आनन्द आया ।

कुछ देर बाद यह निश्चय हुआ कि 'मोहवतसार' की भर (टीले) पर बैठा

जाय । यह आसपास के सब टीलों से ऊँचा टीला था । इसको पार करते ही मोहवतसर नामक गाँव आ जाता है, इसलिए इसका यही नाम पड़ गया है । यह हमारे कस्बे से एक मील पर है । हम सब उधर ही चल पड़े । रास्ता बहुत ही सुखद लगा । छोटे-छोटे टीलों पर चढ़ते और उतरते हुए वहाँ पहुँचना था । टीलों की ढाल में अँधेरा था और टीलों की ऊँचाई पर प्रकाश । इसमें धूप-छाया का-सा आनन्द आया । पर यह धूप भी शीतल थी । रेतीले भाग में नंगे पाँव ही चलना पड़ता है । जूतों में मिट्टी भर जाती है और चप्पलें मिट्टी उड़ाती रहती हैं । चाँदनी में नंगे पैरों की पदचिह्नों की पंक्ति भी बहुत सुन्दर प्रतीत होती है । रेगिस्तान में पदचिह्न मार्ग निर्देशक का कार्य करते हैं । मैंने एक टीले पर खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ायी । कुछ क्षण तक तन्मय होकर इस रमणीय दृश्य को देखता रहा । सिर पर पूर्णिमा का शीतल चन्द्रमा चमक रहा था । आकाश और धरती दोनों पर ही चाँदी की परत पड़ गयी थी । मानो दोनों ने ही दूध से स्नान कर लिया है । यह रेतीला भाग क्षीर सागर-सा और छोटे छोटे टीले उसमें उठती हुई लहरें प्रतीत हुईं ।

चलते-चलते मेरे एक मित्र का उल्लास 'विणजारा' गीत में गुंजायमान होने लगा । यह राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय गीत है । चाँदनी रात की यात्रा इसके लिए सबसे उपयुक्त अवसर है । गीत की राग और वस्तु का इन दोनों के साथ बहुत ही सहज सामंजस्य है ।

टीले पर पहुँचकर हम सब लोग एक धेरे में बैठ गये । गीत और कविताएँ होने लगीं । मेरे एक मित्र ने बहुत सुन्दर स्वर में दो-एक लोकगीत गाये । मुझे उनमें सबसे सुन्दर लगा 'चाँदा तेरे च्यानण खेलण जोगी रात' । दूसरे एक मित्र ने भागवत और कालिदास के कई श्लोक सुनाये । कविता पाठ का आनन्द लेते-लेते करीब तीन बज गये । चन्द्रमा भी अस्ताचल की ओर तेजी से बढ़ने लगा । रात भी कुछ उनींदी-सी हो गयी । टीले भी कुछ सोये-सोये से लगने लगे । हमारी आँखें भी नींद से भारी हो गयी थीं । इच्छा तो यही थी कि वहीं टीलों पर सोया जाये । पर सबकी सहमति न होने के कारण वहाँ से कस्बे की ओर ही वापस चल दिये ।

५. अनुपम प्राकृतिक दृश्य

रूपरेखा—

१. भूमिका
२. प्रकृति की अनुपमता
३. आँधी और वर्षा
४. ओलों की झड़ी
५. वर्ष से आच्छादित टीले
६. उपसंहार

प्रकृति का प्रत्येक दृश्य अनुपम ही होता है। प्रकृति चिर नवीन ही रहती है। हर क्षण और हर जगह प्रकृति ही है। उसमें कहीं कल-कल करती नदी है तो कहीं घन, गम्भीर गर्जन करने वाला समुद्र। कहीं ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियाँ। कहीं हरे-भरे घास के मैदान हैं तो कहीं बालू मिट्टी के बड़े-बड़े टीले। ये सभी दृश्य एक-दूसरे से भिन्न हैं। इनमें से किसी की भी उपमा किसी भी दूसरे दृश्य से नहीं दी जा सकती है। इन सबका अपना-अपना सौन्दर्य है और ये सब अनुपम ही हैं। पर कभी-कभी प्रकृति अपने ही दो असमान रूपों को एक साथ ही मिला लेती है। तब उसका जो रूप बनता है वह तो बहुत ही विचित्र होता है। ऐसा दृश्य ही वस्तुतः मानव को अनुपम लगता है। मुझे एक बार ऐसा ही सुन्दर दृश्य देखने का सौभाग्य मिला है।

जून का महीना था। दिन भर चमचमाती धूप पड़ती थी और खूब लू चलती थी। शाम को काली-पीली आँधी आ जाती थी। राजस्थान में गर्मी की ऋतु में ऐसे ही दिन होते हैं; प्रायः यही क्रम रहता है। उस जून में करीब दस-पन्द्रह दिन तक ऐसा ही मौसम रहने के बाद एक दिन बहुत ही जोरदार आँधी आयी। इतनी काली-पीली कि कुछ भी दिखायी नहीं देता था। पास में बैठे व्यक्ति एक-दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। आँधी का यह प्रकोप करीब एक-डेढ़ घण्टे चलता रहा। सभी लोग यथासम्भव सुरक्षित स्थानों पर आकर बैठ गये। एक घण्टे बाद पानी आने लगा। पानी से सारी धूल तो दब गयी, पर हवा खूब तेज चलती रही। दृश्य बहुत मनोरम लगने लगा। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते पानी ओलों में बदल गया। पहले-पहले ओले बहुत छोटे-छोटे रहे। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश धरती पर मोतियों की वर्षा कर रहा है। सारी धरा मोतियों से ढकती जा रही थीं। बच्चे अपने को बचाते हुए मोती

बटोरकर एकत्र करने लगे। बच्चों को ये अत्यन्त प्रिय लगते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट बरफ होती है। राजस्थान में कभी-कभी होने वाली ओलों की वर्षा का बहुत सुन्दर दृश्य होता है। यह इतना आकर्षक होता है कि बूढ़े और जवान भी ओले एकत्र करने लगते हैं। वे भी इनका स्वाद चखे बिना नहीं मानते। मोतियों की यह वर्षा कुछ देर होती रही। पश्चिम दिशा के सूर्य एवं तेज वायु ने इस दृश्य की मनोरमता में चार चाँद ही लगा दिये। आकाश से ये मोती ऐसे बरस रहे थे, मानो किसी ने मोतियों की अनेक लड़ियाँ लटककर मन्थप मजाया हो। हवा के झोके से ये मोती ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं में परिणत हो गये थे, मानो प्रकृति सुन्दरी के गले की माला अठखैलियों में झूल रही हो। सूर्यास्त होने में प्रायः दो घण्टे की देर थी। किरणों ने कुछ ओलों को लाल, कुछ को पीला और कुछ को हरा, नीला रंग दे दिया था। इस प्रकार सतरंगी बामा से ये ओले केवल मोती ही नहीं रहे, उनमें से बहुत-से पन्ने, लाल और नीलम आदि में परिणत हो गये। मानो प्रकृति सुन्दरी के वक्षस्थल पर अनेक रंगों की मणियों की अनेक मालाएँ झूल रही थीं। मैं मन्त्रमुग्ध होकर पता नहीं कितनी देर इस रमणीय दृश्य को देखता रहा।

पर अचानक प्रकृति ने रूप बदला। भीषण गर्जना होने लगी। प्रकृति ने मनोहर बाना उतारकर फेंक दिया और विकराल रूप धारण कर लिया। ओलों का आकार बढ़ता ही चला गया। मोती उपल वन गये। आकाश से बरफ के बड़े-बड़े पत्थर गिर कर बालू में घँसने लगे। हवा अब भी वैसी ही तेज थी। पशु-पक्षी सभी अत्यन्त अस्त थे। पक्की छतों के नीचे बैठे हुए हम लोग भी इन ओलों के पत्थरों से भयभीत थे। ओले का प्रत्येक पत्थर यमराज का सन्देश था। तेज हवा के कारण ये पत्थर भी सीधे नहीं गिर रहे थे। ऐसा लगता था, मानो कोई आकाश में बैठा हुआ निशाना साधकर किसी की ओर पत्थर फेंक रहा हो। भगवान, जाने कितने पशु-पक्षी इन प्राणघातक ओलों के शिकार हुए! मैं तो एक स्थान पर अन्य बहुत-से लोगों के साथ ठिना ही रहा।

संहार की यह लीला भी कुछ देर चलकर अन्त में बन्द हो गयी। ओलों की वर्षा समाप्त हुई। हवा भी अपने सहज रूप पर आ गयी। सूर्यास्त के समय से कुछ पूर्व का आकाश अत्यन्त स्वच्छ दिखायी देने लगा। मैं अपने दो-एक मित्रों के साथ मकान की छत पर शीतल हवा का आनन्द लेने चला गया। पूरब की ओर कुछ दूरी पर छोटे टीले ओलों से ढक गये थे। पश्चिम दिशा में अस्त होते

हुए सूर्य की किरणों ने इन टीलों को बहुत ही आकर्षक बना दिया था। बरफ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियों की तरह ये टीले चमक रहे थे। मुझे मंसूरी और रानीखेत के दृश्य याद आ गये। प्रकृति ने राजस्थान के मरुस्थल में हिमाच्छादित कश्मीर का-सा दृश्य प्रस्तुत कर दिया था। यही उसकी अनुपमता थी। मैं दौड़कर वहाँ पहुँच गया। मेरी तरह के अन्य बहुत-से रसिक वहाँ पहले ही पहुँच गये थे।

यह दृश्य तो पूर्ववर्ती सभी दृश्यों से अधिक अभिराम था। हवा के झोंकों से इस स्थान पर झोले एकत्र हो गये थे। यह स्थान छोटे-छोटे टीलों के बीच का एक छोटा-सा मैदान था। मैदान तथा टीलों पर करीब एक इंच बरफ की परत-सी आ गयी थी। मैदान में खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वह बरफ की उपत्यका पर खड़ा है और उसके चारों ओर हिम-शिखर हैं। ये इस उपत्यका से कुछ ही ऊँचे उठे हुए थे। अस्त होते हुए सूर्य की किरणों ने तो इन बरफ के टुकड़ों को रंग-विरंगे जवाहरातों में बदल दिया था। हम बहुत देर तक इस दृश्य का आनन्द लेते रहे। हम सब अपने-आपको बर्फीले प्रदेश में पहुँचा हुआ अनुभव कर रहे थे। ठण्डी हवा भी बड़ी सुखद लगती थी। कभी-कभी ठण्ड का हल्का-सा कँपा देने वाला झोका भी आ जाता था। चारों ओर बरफ ही बरफ दिखायी दे रही थी।

कुछ देर हम मंत्रमुग्ध से वहीं खड़े रहे और चारों ओर नजर घुमाकर उन बर्फीली उपत्यकाओं को देखते रहे। कितना उल्लासित था हमारा हृदय! देखते-देखते रात हो गयी। सौभाग्य से उस दिन पूर्णिमा थी। ओह! पहले से भी अधिक सुन्दर दृश्य नेत्रों में समा गया। रंग-विरंगी उपत्काएँ चन्द्रमा की ज्योत्स्ना में स्नान करके शुभ्र वर्ण हो गयीं और श्वेतवस्त्रावृता नाभिकाएँ-सी प्रतीत होने लगीं। मैदान भी चाँदी की परत से ढका हुआ लगने लगा। अगर रात ठण्डी हवा को अत्यधिक कँपा देने वाली न बना देती तो शायद हम रात भर वहीं घूमते रहते। पर हमें बाध्य होकर वहाँ से घर लौटाना ही पड़ा।

उस दिन का नैसर्गिक सौन्दर्य मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। मेरी कल्पना की आँखों के समक्ष वह आज भी नाचता रहता है। कुछ क्षण के लिए मैं उस दृश्य की मनोरमता में खो-सा जाता हूँ। इस एक दिन ने कितना अनुपम दृश्य दिया। एक ही दिन में गर्मी, बरसात और शरद् तीनों का एक साथ अनुभव हुआ। मरुस्थल में ही हिमाच्छादित उपत्यकाओं और शैल शृंगों का आनन्द

मिला । उस सीमा रेखा पर खड़े होने का आनन्द मिला जहाँ बालू के मैदान और टीले हिमशृंगों और बर्फानी मैदानों में दिखायी दिये । गर्मी वर्षा में और वर्षा शरद में मिलते हुए, प्रकृति का रूखापन सरसता में, सौम्य रूप भीषणता में और भीषणता रमणीयता में परिणत होती हुई दिखायी दी । निसर्ग में विरोधों का समन्वय होता है । निसर्ग की यही अनुपमता है और इसी अनुपम दृश्य को देखने का सुअवसर इन नेत्रों को मिला था । नेत्र कृतार्थ हो गये थे । आज भी उस कृतार्थता की खुमारी नहीं गयी है । कभी नहीं जायेगी ।

६. 'जय जवान, जय किसान'

स्मरण—

१. नारे का प्रारम्भ
२. नारे का महत्त्व
३. देश की सुरक्षा और जवान
४. देश की आन्तरिक व्यवस्था और जवान
५. कृषि-प्रधान देश और किसान
६. देश की समृद्धि और किसान
७. किसान और जवान
८. उपसंहार

पाकिस्तान द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करने के अवसर पर हमारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री ने देश को 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था । तब से यह नारा बच्चे-बच्चे की जवान पर है । उस समय संकट की परिस्थितियों में तो यह देश में नये प्राण फूँकने वाला था ही, पर वैसे भी उसमें निरन्तर प्रेरणा देने की शक्ति है । देश के सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश की स्वतन्त्रता की रक्षा की । ऐसे जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना देश के बच्चे-बच्चे का कर्तव्य है । इस नारे में देश के प्रधानमन्त्री ने सम्पूर्ण देश की कृतज्ञता तथा अन्य अनेक ऐसी भावनाओं को स्वर प्रदान किये हैं ।

किसी भी देश की स्वतन्त्रता उस देश के सैनिकों के राष्ट्रप्रेम, कर्तव्य-परायणता एवं मर मिटने की भावना पर निर्भर है । ऐसे जवानों, ऐसे सैनिकों

के बलिदानों से प्रत्येक व्यक्ति को गौरव का अनुभव होता है। प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी ऐसे जवानों की विजय-कामना करता है। हमारे देश के सैनिकों ने ऊँची-ऊँची वर्षाली पहाड़ियों, दुर्गम घाटियों एवं वीहड़ जंगलों में अनेक कष्ट सहन करते हुए अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की। भारत के वीर जवानों ने 'पंटन टैंक' जैसे अमेद्य अस्त्र को मामूली अस्त्रों से तोड़कर विश्व को भी चकित कर दिया। उसने विश्व के वीरों पर अपनी धाक जमा दी। अपने पिछले गौरव के अनुरूप ही देश के जवानों ने भारत का मस्तक ऊँचा किया। ऐसे जवानों की विजय-कामना, उनकी मंगल-कामना, उनके प्रति कृतज्ञता, उनको प्रोत्साहित करना, उनके वीरकर्म की प्रशंसा करना एवं उनके अस्तित्व से गौरव का अनुभव करना—ये सभी प्रत्येक देशवासी के पुनीत कर्तव्य हैं। 'जय जवान' में ये सभी भावनाएँ छिपी हुई हैं। स्व० शास्त्रीजी के इस नारे में ये सब भावनाएँ चिरस्थायी हो गयी हैं।

'जवानों' पर देश की बाहरी सुरक्षा ही नहीं टिकी हुई है, वह देश को बाहरी आक्रमणों से ही नहीं बचाता है, अपितु देश की आन्तरिक सुरक्षा भी उसी के हाथों में है। उसकी शक्ति और देश-प्रेम के कारण ही देश के भीतर शान्ति बनी रहती है। विद्रोही लोग उन्हीं से भयभीत होकर शान्त रहते हैं। विदेशियों के खुफिये तथा पाँचवीं कतार के लोग भी देश की सुख-शान्ति को इन जवानों की शक्ति एवं देश-प्रेम के कारण ही भंग नहीं कर पाते हैं। बाढ़ आदि की भीषण परिस्थितियों में ये जवान जनसेवा का अनुपम एवं साहसपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हड़ताल आदि के कारण त्रिगड़ती हुई शासन-व्यवस्था को संभालने में जवान ही देश के लिए अन्तिम शरण हैं। वे ही देश के शासन-सूत्र को विखरने से बचाते हैं। ऐसे जवानों के लिए 'जय जवान' का नारा कितना उपयुक्त है।

भारत कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की मूल-सम्पत्ति ही खेती है। देश की ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि पर ही सारे देश की विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं। कृषक अन्नदाता है; देश के प्राण हैं। धूप, वर्षा, और शीत को सहन करता हुआ कृषक दुर्गम घाटियों, पहाड़ के शिखरों, वीहड़ जंगलों और जलहीन रेतिले मैदानों में लड़ने वाले वीर जवानों के लिए अन्न पैदा करता है। स्वयं भूखा भी रहता है; पर उसको खिलाता है। वे ही उसके खेतों की हरियाली के रक्षक भी तो हैं। कृषक कारखाने में काम करने

वाले मजदूर और मालिक का, ऑफिस के क्लर्क एवं आफिसर का, अध्यापक एवं छात्र का, शासक और शासित का, मन्त्री और सचिव का, सभी का अग्रदाता है, प्राणदाता है। देश के लिए जीने वाले ऐसे कृषक की 'जय-जयकार' सबका पुनीत कर्तव्य है। 'किसान' की मंगल-कामना सम्पूर्ण भारत की ही मंगल-कामना है। सम्पूर्ण भारत कृषक में ही समाया हुआ है। किसान केवल अन्न ही नहीं देता है; सेना को जवान भी यही देता है। उस मजबूत समाज के युवक ही सैनिक बन पाते हैं। शहरी जीवन की दुबल जनता इतने मजबूत सैनिक कहाँ दे पाती है? इस प्रकार जवान भी किसान का ही अंश है। किसान का जय-जयकार जवान का भी जय-जयकार है; सम्पूर्ण भारत का ही जय-जयकार है।

'जवान' और 'किसान' दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण अंश हैं। दोनों से भारत के बहुत बड़े एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश का निर्माण होता है; अतः 'जय जवान' और 'जय किसान' का नारा सम्पूर्ण भारत को ही प्रेरणा देने वाला है।

७. खेलकूद से लाभ

रूपरेखा—

१. क्रीड़ा स्वभाव है
२. खेलकूद के विभिन्न रूप
३. आनन्द-लाभ
४. तन का स्वास्थ्य
५. मन का स्वास्थ्य
६. बुद्धि कौशल
७. अतिचार से हानि
८. उपसंहार

क्रीड़ा करना तथा उससे आनन्द-लाभ प्राणिमात्र का स्वभाव है। सभी पशु-पक्षी, जीव-जन्तु और मानव किसी न किसी प्रकार की क्रीड़ा करते रहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों को स्वभाव, समय, स्थान, अवसर आदि के लिए भिन्न-भिन्न खेलकूद उपयुक्त और उपयोगी होते हैं। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार

किसी विशेष प्रकार की क्रीड़ा अथवा खेल को विशेष रूप से भी चुन लेता है। उसमें वह अधिक अभिरुचि रखने लगता है और अन्य खेलों की अपेक्षा उसमें अधिक दक्षता भी प्राप्त कर लेता है।

खेलकूद अनेक प्रकार के होते हैं। अगर यह कहें कि वे अनन्त प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों में वृद्धि होते जाना ही उनका स्वभाव है तो कुछ अनुचित नहीं। प्राणी में नवीनता की ओर बढ़ने की सहज प्रवृत्ति है। वह पुराने से ऊब जाता है। इसी सिद्धान्त से खेलों में भी नवीनता आती जाती है। खेलों के विभाजन के आधार भी अनेक हैं। साधारणतः आजकल मोटे तौर से उनके दो भेद माने जाते हैं, मैदानी या बहिरंग खेल (Outdoor games), तथा आभ्यन्तर या घर-भीतर के खेल (Indoor games)। देशी और विदेशी के रूप में भी उनका विभाजन होता है। खेलों का संस्कृति, प्रदेश, ऋतु, स्थान, उम्र, स्वभाव आदि से भी बहुत गहरा सम्बन्ध होता है। स्त्री और पुरुषों के खेल भी अलग-अलग होते हैं। आज यह स्त्री-पुरुष का भेद जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रायः कम होता जा रहा है। अतः यह अन्तर खेलों में भी कम हो गया है। संस्कृति और प्रदेशगत भेद भी कम होते जा रहे हैं। कुछ खेल तो सार्वभौम होते जा रहे हैं पर फिर भी भेद हैं और रहेंगे। विभिन्न प्रकार के खेलों के लाभ भी भिन्न-भिन्न हैं।

प्रत्येक खेल-विशेष के कुछ विशेष लाभ होते हैं, यह भी सत्य है। पर कुछ लाभ ऐसे भी हैं जो सभी खेलों से मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आनन्द। आनन्द-प्राप्ति प्रत्येक खेल का मूल है। इसके अभाव में खेल खेल ही नहीं रहता। खेल का अपना आनन्द तो विशुद्ध आनन्द है, वह खेलने मात्र का आनन्द है। उसमें किसी भी इन्द्रिय के या विषय के आनन्द का मेल नहीं रहता। पर खेल से अन्य कई प्रकार के आनन्द और भी मिलते हैं। प्रतिरोध या युद्ध करने, सहयोग देने, विजयी बनने, कुशल खिलाड़ी होने, दक्षता के प्रदर्शन, वृद्धि एवं चतुराई के प्रयोग आदि अनेक भावनाओं के कई प्रकार के आनन्द खेलों से मिलते हैं। मैदानी खेलों से इनके अतिरिक्त शुद्ध एवं खुली हवा तथा धूप के सेवन और शारीरिक परिश्रम का आनन्द भी मिलता है।

खेलों का दूसरा सबसे बड़ा लाभ है, शरीर और मन का स्वास्थ्य। मैदानी खेलों में व्यक्ति को शरीर से खूब परिश्रम करना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ

रखने तथा पुष्ट एवं शक्तिशाली बनाने का सबसे बड़ा उपाय है, दौड़ना। दौड़ने से पूरे शरीर का, उसके सब अंग-प्रत्यंगों का समुचित व्यायाम हो जाता है। इससे वे सभी पुष्ट होते हैं और उनमें उचित अनुपात बना रहता है। खेलने वालों का एक अंग स्थूल और दूसरा कृग नहीं होता। पेट बड़ा और हाय-पैर लकड़ी से नहीं रहते। इस प्रकार दौड़ने से शरीर का बल तो बढ़ता ही है, साथ ही वह सुझील और मुन्दर भी बन जाता है। दौड़ना सभी मैदानी खेलों की मूल क्रिया है। उसके बिना कोई खेल होता ही नहीं। इससे दौड़ने के सभी लाभ इन खेलों से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अंगों का, हाय-सिर आदि का संचालन भी खेलों में पर्याप्त मात्रा में करना पड़ता है। उनका व्यायाम भी खूब हो जाता है। खेल में मन इतना तन्मय रहता है कि थकान का अनुभव जल्दी ही नहीं होती, इससे खेल में पर्याप्त कसरत हो जाती है। व्यायाम में तो व्यक्ति को जल्दी पुष्ट होने की आकांक्षा लगी रहती है। जल्दी न होने पर मन कुढ़ता है। पर खेल में तो यह व्यायाम सहज ही होता रहता है। उसकी तरफ व्यक्ति का ध्यान ही नहीं रहता। इससे सामान्यतः शरीर अधिक पुष्ट होता है। घर के भीतर खेले जाने वाले कुछ खेलों में भी शरीर का व्यायाम होता है। उनसे भी यह लाभ मिलता है। उठने, कूदने, फाँदने, गोला फेंकने आदि के खेलों (स्पोर्ट्स) में विशेष अंगों का अधिक प्रयोग होता है, अतः उनमें वे अंग अधिक पुष्ट एवं शक्तिशाली हो जाते हैं।

खेलों से मन कैसे स्वस्थ होता है यह विचार करने से पूर्व यह सोचना जरूरी है कि मन का अस्वास्थ्य क्या है। कुढ़न, घुटन, उदासी, नैराश्य, हीन-भावना और विपाद से ग्रस्त रहना ही मन का अस्वास्थ्य है। मन का सहज भाव से उल्लसित रहना और अपने कार्यों में रुचिपूर्वक लगे रहना ही उसका स्वास्थ्य है। खेलों में मानव सहज भाव से प्रवृत्त होता है। उसका खेल के आनन्द के अतिरिक्त कोई और प्रयोजन नहीं होता। शुद्ध खिलाड़ी के लिए हार-जीत भी गौण बात ही रहती है। जैसे 'आनन्द मिले' इसके लिए भी खिलाड़ी निरन्तर सजग नहीं रहता है। वह तो खेलता भर है और उसे आनन्द सहज रूप में ही मिलता रहता है। खेलते समय व्यक्ति अपने आपको पूर्णतया भूल जाता है। उसके निजी स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि कुछ देश के लिए प्रायः समाप्त हो जाते हैं। उसका हृदय उल्लास से भर जाता है। इस उल्लास से उसके मन की घुटन, निराशा आदि सब धुन जाते हैं। मन पर उनके गहरे

संस्कार नहीं बन पाते हैं। क्योंकि व्यक्ति पूर्ण रुचि के साथ खेलता है, अतः जीवन के कार्यों में भी उसे रुचि लेने का अभ्यास हो जाता है। उसको जीवन में स्थायी रूप से निराशा कभी नहीं प्राप्त होती। उसका जीवन में अगर निराशा आती भी है तो केवल थोड़ी देर के लिए ही। उसमें हार-जीत को स्वीकार करने तथा दोनों में ही प्रसन्न रहने की शक्ति धीरे-धीरे पुष्ट होती जाती है। यह सब मन का स्वास्थ्य ही है। जीने की सबसे बड़ी और सबसे सफल कला ही 'स्पोर्ट्समैन स्पिरिट' है। खेलों की यही सबसे बड़ी देन है। म के स्वास्थ्य का यही सर्वोत्तम रूप है जो मानव को खेलों से प्राप्त होता है।

खेलों में विवेक और बुद्धि-कौशल का पूरा उपयोग करना पड़ता है। सफल खिलाड़ी के लिए प्रत्युत्पन्नमति होना अत्यन्त आवश्यक है। कब और कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस खिलाड़ी का किस अवसर पर और कैसे मुकाबला करे, कब और कैसे किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ने में सहयोग दे। कब किसका कैसे प्रतिरोध करे इन सब बातों का समुचित निर्णय खिलाड़ी को वहीं खेलते समय ही करना पड़ता है। इस प्रकार खेल व्यक्ति की बुद्धि को कुशाग्र करने और विवेक-शक्ति को बढ़ाने में काफी सहायक होते हैं। खेलों से व्यक्ति में व्यवहार-कुशलता भी आ जाती है। जीवन में कब किससे गठबन्धन करना चाहिए, किसकी उपेक्षा करनी चाहिए और कब किसी का सक्रिय विरोध करना चाहिए आदि का प्रशिक्षण भी खेलों के द्वारा होता है। शतरंज जैसे खेल तो चिन्तन और किलेबन्दी की शक्ति बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर खेल व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास के अच्छे साधन हैं। खेल शिक्षा का शक्तिशाली साधन है। खेलों के द्वारा बच्चे को जितनी शिक्षा दे दी जाती है, उतनी उसको पूर्णतया पच जाती है। सम्पूर्ण शिक्षा खेलों द्वारा दी जा सके अथवा उसमें खेलों की अभिरुचि पैदा की जा सके, तो शिक्षा की बहुत-सी महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

खिलाड़ी की भावना (स्पोर्ट्समैन स्पिरिट) तथा नियमित रूप से खेलने पर ही उपर्युक्त लाभ मिलते हैं। खेलों में अतिचार करने से तो हानियाँ भी होती हैं। दिन भर खेलते ही रहने से गम्भीर कार्यों के लिए व्यक्ति अनुपयुक्त हो जाता है। उनमें उसका मन लगना बन्द हो जाता है। अत्यधिक खेलने वाले बच्चे प्रायः पढ़ भी नहीं पाते हैं। शरीर और मन के स्वास्थ्य में भी बाधा ही आती है।

८. भीषण वर्षा

रूपरेखा—

१. ऋतु सौन्दर्य
२. वर्षाऋतु की विशेषता
३. वर्षा की झड़ी
४. चारों ओर जल ही जल
५. कस्त्रे की अवस्था
६. घरवारहीन स्त्री-पुरुष
७. उनके धारण की व्यवस्था
८. उपसंहार

भारत में सभी ऋतुओं का अपना-अपना सौन्दर्य है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति-सुन्दरी इन ऋतुओं में भिन्न-भिन्न वेप धारण करती है और अलग-अलग तरह से अपने को सजाती है। वर्षाऋतु तो समस्त भारत की और विशेषतः राजस्थान की बहुत ही सुन्दर ऋतु होती है। राजस्थान जैसा सूखा प्रदेश इसी ऋतु में हरा-भरा होता है। अलसाई और मुरसाई हुई प्रकृति इसी ऋतु में अत्यधिक उल्लसित होती है। अतः राजस्थान में वर्षा के साथ भीषणता की कल्पना जरा कठिन है। यहाँ का व्यक्ति तो वर्षा के लिए तरसता ही रहता है, अतः उसे उसकी भीषणता कभी लगती ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ कहावत है 'मिठा तो वरसंता भला होणी होय सो होय'। पर फिर भी प्रकृति देवी कभी-कभी यहाँ पर भी जरा उग्र रूप धारण कर ही लेती है। तब उसके भीषण रूप के दर्शन होते ही हैं। ऐसे ही एक रूप के दर्शन नीचे करा रहा हूँ।

भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष के भी आधे 'से अधिक दिन बीत गये थे। खेती अच्छी खड़ी थी। सिर्फ एक पानी की आवश्यकता थी। लोग कुछ दिन से वरुण देवता को मना रहे थे। अचानक एक दिन प्रातः से ही गहरे बादल आने शुरू हो गये। सारा आकाश बादलों से भर गया पर फिर भी कालिमा रुकी नहीं, बढ़ती ही गयी। एक के बाद एक घनघोर घटा आती रही और बरसती रहीं। धरती और आकाश दोनों ही जलमग्न हो गये। 'स्तर स्तर जमती पीन हुई' वाली पंक्ति मेरे मस्तिष्क में दौड़ गयी। धीरे-धीरे प्रसादजी का प्रलय काल का वर्णन सच्चा होने लगा। बिजली कौंधने लगी और बड़ी गहरी गर्जन होने लगी। बिजली धरती को छू-छू कर आकाश में चठती हुई सर्पाकार

रेखा में चमकती हुई दिखायी देने लगी। बादल फट गया और वरुण देवता पानी उंडेलने लगे। वूंदों में नहीं; जलधारा में वर्षा हुई। ऐसा लगने लगा जैसे बहुत-से नल खोल दिये हों।

सुबह से शाम हो गयी पर वर्षा का वेग धीमा नहीं पड़ा। चारों ओर जल ही जल हो गया। कस्बे के बीच में से जाने वाला बरसाती नाला बरसाती नदी बन गया। जगह-जगह पानी के वेग से गड्ढे पड़ गये। एक जगह तो पानी ने करीब चार फुट गहरा गड्ढा बना दिया। वैसे भी पूरे कस्बे में बहने वाले नालों में कमर से ऊपर तक पानी चल रहा था। बाजार के बीच में कुछ हल-वाइयों के बड़े-बड़े कढ़ाहे और तख्त पड़े थे। उनमें से कुछ तो उस नाले में बह गये।

बहुत-से पक्के मकानों में भी पानी भर गया था। चौक तो सभी घरों के तालाब बन गये थे। कच्चे मकानों और झोपड़ियों की वस्तियों की तो बहुत दुर्दशा थी। उनके चारों ओर जल ही जल हो गया था। बीच की वस्ती टापू-सी लगने लगी थी। वस्ती के अधिकांश झोंपड़े गिर गये थे। कई एक पुराने पेड़ भी धराशायी हो गये थे। अधिकांश पेड़ों की जड़ की मिट्टी कटकर बह गयी थी। वे भी जल-प्रवाह के सामने कब तक ठहर पायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता था। खेत भी जलमग्न थे। जगह-जगह पीछे जल में डूबे हुए थे। वस्ती के अधिकांश स्त्री-पुरुष, बच्चे और पशु मध्याह्न काल के बाद से तो मकानों से बाहर पेड़ों के नीचे ही भीग रहे थे। उनके लिए कोई छत तो रह नहीं गयी थी। भीगने के कारण प्रायः सभी ठण्ड से कांपने लगे थे। ठण्ड से बच्चे तो बेहाल हो गये थे।

सायंकाल तक तो वस्ती के लोग धैर्य बाँधे रहे। इन्द्र भगवान से प्रार्थना करते रहे और वर्षा के बन्द होने की प्रतीक्षा करते रहे। पर बन्द होना तो दूर रहा वर्षा का वेग बढ़ता ही गया। गोवर्द्धन पूजा से नाराज होकर इन्द्र ने ब्रजप्रदेश को डुबाने की ठान ली थी, पर वहाँ तो असफल हो गये थे लेकिन शायद उसी प्रतिज्ञा को इन्द्र आज यहाँ पूरा करने के लिए फिर दोहरा रहे थे। वहाँ तो कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत अपनी उँगली पर उठा लिया था। पर अब यहाँ कौन है? यहाँ तो न इन्द्र सुन रहे थे और न कृष्ण ही। भीगते-भीगते वस्ती वालों का धैर्य ठण्डा पड़ा गया। अब तो बच्चों को गोदी में लिये, सिर पर कुछ सामान रखे तथा पशुओं के रस्से पकड़े वे लोग करवे की पक्की बस्ती की ओर बढ़ने लगे।

भीगते हुए वस्ती के लोगों की भीड़ कमर-कमर तक जल में चलकर कस्बे की ओर बढ़ रही थी। ऊपर और नीचे जल ही जल था। मुझे पाकिस्तान से आते हुए शरणार्थियों की भीड़ की याद ताजी हो गयी। ऊपर की जलधारा वैसी ही लग रही थी मानो उन पर पत्थरों और गोलियों की वीछार हो रही हो। अन्तर इतना ही था कि इनको मीलों का रास्ता पार नहीं करना पड़ा। इनको देखते ही लोगों ने बड़े-बड़े मकानों, धर्मशालाओं, मन्दिरों तथा उपयुक्त स्थानों के ताले खोल दिये। लोग भाग-भाग कर उनको शरण लेने लगे। किसी प्रकार उन सबको छत के नीचे शरण मिली। आग जलाकर एवं कुछ कपड़ों का प्रबंध करके उन लोगों के रात निकालने का प्रबन्ध किया गया। सभी घरों से थोड़ा-थोड़ा खाना पहुँचाया गया। वर्षा रात भर होती रही। कच्ची वस्ती तो जलमग्न हो ही चुकी थी। अब तो कस्बे के कच्चे मकानों वालों के कलेजे भी कांपने लगे थे। वच्चों को छोड़कर उस रात पूरा कस्बा जागता ही रहा।

चौबीस घण्टे बाद वर्षा बन्द हुई। बादल हट गये और सूर्य का तीव्र प्रकाश चारों ओर फैल गया। घरों से निकल-निकल कर लोग घूप में आ गये। पर अभी तक कस्बा, वस्ती और खेत सब जलमग्न थे। धीरे-धीरे जल-प्लावन हट रहा था। वर्षा के भीषण रूप से लोग ग्रस्त हो चुके थे। अब किसी की जवान पर 'भेहा तो बरसता भला होणी होय सो होय' नहीं आ पा रहा था।

६. मनोरंजन के आधुनिक साधन

रूपरेखा—

१. भूमिका

२. आधुनिक युग—विज्ञान का युग

३. विज्ञान के आधुनिक चमत्कार

४. मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता

५. मनोरंजन के साधन—(क) रेडियो, (ख) सिनेमा, (ग) सरकस और कार्नीवाल, (घ) उपन्यास-कहानी, आदि

६. पार्क, उद्यानादि की सैर

७. उपसंहार

आधुनिक युग विज्ञान का युग है। यह प्रगति, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का युग है। मानव इतना व्यस्त होता जा रहा है कि उसे समय के अभाव का

अनुभव होने लगा है। संसार में विज्ञान का विकास भी तेजी से हो रहा है। विज्ञान के नवीन आविष्कारों एवं अनुसंधानों ने संसार को चमत्कृत कर दिया है। इससे मानव को जो उपलब्धि हुई है उसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रवेश हो रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान की समस्त आवश्यकताएं इसी के द्वारा पूरी होती हैं। सुबह से शाम तक मानव विज्ञान का आश्रय लेता है। इस प्रकार सारे विश्व के कार्य-व्यापारों का यह एक मुख्य केन्द्र बन गया है। संघर्ष के कारण आज मानव को मनोरंजन की आवश्यकता अधिक अनुभव होती है। इसके साथ ही समय का अभाव तथा वैज्ञानिक युग के कारण मनोरंजन के साधनों का मुख्य आधार भी आज वैज्ञानिक ही हो गया है।

मनोरंजन सम्बन्धी साधनों का आधुनिक युग में बड़ा महत्त्व है। मनुष्य की बाह्य एवं आन्तरिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इन मनोरंजनों से होती है। दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चात् मानव अपनी थकान दूर करने तथा मानसिक शान्ति ग्रहण करने के लिए इन साधनों का सहारा लेता है। मानव भिन्न-भिन्न रुचियों का होने के कारण मनोरंजन के भिन्न-भिन्न साधनों को अपनाता है। कोई रेडियो और सिनेमा से अपना मनोरंजन करता है तो कोई खेलकूद, ताश, संगीत आदि से। इस प्रकार धनी-निर्धन, स्त्री-पुरुष, युवा-युवती सभी कुछ न कुछ मनोरंजन अवश्य करते हैं। मनोरंजन जीवन के लिए अपरिहार्य वस्तु है। विज्ञान ने मनोरंजन के साधनों में भी अपूर्व चमत्कार ला दिया है। अब स्थान और दूरी का उनका महत्त्व नहीं रह गया है। सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन इसके प्रमाण हैं। भौतिकी और रसायन शास्त्र के सिद्धान्तों से बने अनेक जादू के खेल आज मानव बुद्धि को अत्यधिक आश्चर्य में डाल देते हैं। सरकस और कार्नीवाल के चमत्कार पैदा करने वाले खेलों में भी विज्ञान का खूब सहारा लिया जाता है।

मध्य काल में मानव के पास खूब समय था, अतः वह लम्बी संगीत सभाओं, नाटकों, नौटंकी, खयाल, कवि-गोष्ठियाँ, कुश्ती आदि से अपना मनोरंजन करता था। वह स्वयं भी बहुत कुछ कलाकार बनना चाहता था। पर आधुनिक व्यक्ति के पास समय कम है। वह स्वयं कला का इतना अभ्यास करना नहीं चाहता। रेकार्ड आदि जड़ साधनों से संगीत का आनन्द ले लेता है। इसी से आधुनिक युग

में मनोरंजन के साधनों में भी परिवर्तन हो गया है। मनुष्य की रुचि के अनुसार ये साधन भी भिन्न-भिन्न हैं, उन्हें वह अपने मनोरंजन के लिए अपनाता है।

रेडियो आधुनिक युग में मनोरंजन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है; जिसके द्वारा देश-विदेश की ध्वनि सुनी जा सकती है। संगीत और समाचार प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह प्रसारण कार्य नगर के किसी बड़े रेडियो-स्टेशन या आकाशवाणी के केन्द्र से होता है। इस यन्त्र के द्वारा देश-विदेश के अच्छे से अच्छे संगीतज्ञ को घर बैठे सुना जा सकता है। परन्तु मनोरंजन का यह आधुनिक साधन केवल धनवानों के लिए ही है। गरीब व्यक्ति इस साधन का उपयोग नहीं कर सकते।

रेडियो के अतिरिक्त सिनेमा भी मनोरंजन का एक आधुनिक साधन है। आधुनिक मनोरंजन के साधनों में सिनेमा सबसे सुनभ एवं अत्यधिक लोकप्रिय साधन है। इसमें दशकों को चलते-फिरते चित्रों द्वारा ही किसी भाव या घटना को दिखाया जाता है। नाटक और सिनेमा प्रायः समान ही होते हैं। कुछ समय पहले सिनेमा में मूक चित्र होते थे। परन्तु अब इसमें वाणी का संचार हो गया है। इसके अतिरिक्त अब रंगीन चित्रों का भी निर्माण होने लगा है। मन को मुग्ध करने वाला संगीत भी प्राकृतिक मुन्दरता को दुगना कर देता है। दशक किसी अभिनेत्री एवं अभिनेता को गति हुए देखकर क्षण भर में लिए अपने आपको भूल जाता है। इस प्रकार सिनेमा मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन होने के साथ-साथ जन साधारण के लिए सुलभ साधन भी है। आज सिनेमा शिक्षा का भी अच्छा साधन होता जा रहा है। आज के जीवन पर सिनेमा का बहुत गहरा प्रभाव है। कुछ लोग तो हमेशा सिनेमा देखते हैं। कपड़ों और केश-विन्यास आदि के फैशन के प्रचार का सिनेमा आज सबसे प्रमुख साधन बन गया है।

टेलीविजन मनोरंजन का एक नवीनतम साधन है। यह एक साथ ही व्यक्ति की आँख एवं कान—दोनों की क्षुधा को शान्त करता है। इन यन्त्र की सहायता से हम गाना सुनने के साथ-साथ गायक का चित्र तथा नर्तकी का नृत्य भी देख सकते हैं। यह अभी बहुत महंगा साधन है। अतः भारत में बहुत कम लोगों को प्राप्त है।

गरकस और कार्नीवाल भी जनसाधारण के मनोरंजन के साधन हैं। सरकस की विचित्र एवं साहसपूर्ण कलाकारी को देखकर मन नाच उठता है।

बन्दर का साइकिल चलाना, शेर आदि की लड़ाई, मोटर-साइकिल को मौत के कुएँ में चलाना, झूले पर विचित्र ढंग से झूलना आदि आश्चर्यजनक एवं असमंजस में डालने वाले कार्य मन को प्रसन्न कर देते हैं। सरकारस साहसपूर्ण एवं कष्ट-साध्य कार्यों के द्वारा मानव का मनोरंजन करता है। इस मनोरंजनों में हमारा मन—विशेषतः किशोरों और युवकों का मन—इतना रम जाता है कि उन्हें सरकारस छोड़ने की इच्छा नहीं होती।

उपन्यास, कहानी आदि भी मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। आजकल इनका भी प्रचलन अधिक है। कभी-कभी व्यक्ति इनमें इतना रम जाता है कि खाना-पीना ही भूल जाता है। आजकल अधिकांश व्यक्ति इस रुचि के दिखायी देते हैं। विशेष रूप से यात्रा के समय ये उपन्यास आदि व्यक्ति का अच्छा मनोरंजन करते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अनेक नये उपन्यास एवं कहानी-संकलन निकलते रहते हैं। आजकल किशोर-साहित्य भी खूब निकल रहा है। घरों में स्त्रियाँ बच्चों को अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। इससे उनका मनोरंजन होता है और उनको उपदेश भी मिलता है। उनमें साहित्यिक कहानी उपन्यास आदि की ओर विशेष रुचि भी जाग्रत हो जाती है।

सैर तथा पिकनिक पर जाना भी आज के मनोरंजन का एक प्रकार है। पहले भी लोग वगीची, वावड़ी जाकर मनोरंजन करते रहे हैं। पार्क, उद्यान आदि का सौन्दर्य भी मन को अचानक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वाग का प्राकृतिक वातावरण एवं रंग-दिरंगे फूल-पत्ते हमारा मनोरंजन करते रहते हैं। वाग की हरी-भरी घास पर ओस की बूंद स्वच्छ मोती के समान दिखायी पड़ती है। पक्षियों की चहचहाट एक सुमधुर संगीत की सृष्टि करती है। वृक्ष की लताओं से अठखेलियाँ करता हुआ शीतल मन्द सुगन्ध समीर आनन्द प्रदान करता है। इस प्रकार वाग की मनोरम छटा हमारा मनोरंजन करती रहती है।

यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में मनोरंजन के अनेक साधन हैं। मानव विज्ञान की सहायता से इन साधनों में निरन्तर प्रगति कर रहा है। व्यक्ति अपने स्वभावानुकूल इन साधनों का चयन कर लेता है। मनोरंजन के अभाव में व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। इस प्रकार सुखमय जीवन-निर्वाह करने के लिए मनोरंजन आवश्यक है—इसमें सन्देह नहीं।

१०. सैनिक शिक्षा

हूपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. सैन्यशक्ति का स्थायी महत्त्व
३. आधुनिक युग में महत्त्व
४. सैन्य-शिक्षा की आवश्यकता
५. अनुशासन की शिक्षा
६. सैनिक-शिक्षा की अनिवार्यता
७. उपसंहार

यह वसुधैरा वीरभोग्या है । जिस जाति, देश और व्यक्ति में शक्ति है उसी का सुखपूर्वक जीना सम्भव है । हिन्दू धर्म ने चार वर्णों की व्यवस्था की है । उसमें क्षत्रिय का स्थान दूसरा है । उसी की छत्रछाया में सारी प्रजा सुरक्षित रहती है । दस्युओं से धर्म और संस्कृति की रक्षा क्षत्रिय का परम कर्तव्य है । यह रक्षा क्षात्र शक्ति से ही हो सकती है । आज के जस्त्रों में ही वास्तविक शक्ति है । दण्डः शास्ति प्रजां सर्वाम् अर्थात् सारी प्रजा का शासन दण्ड-शक्ति ही कर सकती है । वही उसको अनुशासन में रखती है । दूसरे शब्दों में दण्ड की ही क्षात्रबल या सैन्यशक्ति कहते हैं । नैतिकता, सद्भाव आदि के सो जाने पर भी अगर दण्ड या सैन्य शक्ति ही सजग है तो कम से कम भय के कारण ही मानवता पशुता से सुरक्षित है ।

आधुनिक युग में तो सैन्यशक्ति का महत्त्व और भी बढ़ गया है । आज तो दुर्बल सैन्यशक्ति वाले राष्ट्रों की स्वतन्त्रता एवं अस्तित्व ही खतरे में हैं । वर्तमान समय में तो आत्मरक्षा के लिए भी सैन्यशक्ति आवश्यक है । भारत की नीति आक्रामक नहीं है ! पर आत्मरक्षा के लिए तो उसे भी सैन्यबल सम्पादित करना ही है । माना कि युद्ध मानवता के लिए अभिशाप है । पर आत्मरक्षा एवं धर्मरक्षा के लिए युद्ध भी धर्म है । इस प्रकार सैन्यशक्ति का महत्त्व किसी भी प्रकार कम नहीं माना जा सकता है । भगवान् कृष्ण का अर्जुन को धर्मयुद्ध का ही उपदेश था । आजकल तो अचानक ही युद्ध की घोषणा हो जाती है ।

विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए तो सैन्यशक्ति की आवश्यकता प्रत्येक देश को है । सैन्यशक्ति से राष्ट्र का विश्व में महत्त्व भी बढ़ जाता है । सारा विश्व उसका सम्मान करने लगता है । दूसरे लोगों का उस पर आक्रमण करने का

साहस भी नहीं होता । इस प्रकार सैन्यबल विश्व में शक्ति-सन्तुलन करके शान्ति स्थापित करने का भी प्रमुख आधार है ।

देश की आन्तरिक सुव्यवस्था तथा शान्ति के लिए भी सैन्यशक्ति की जरूरत है । उसके बिना गुण्डों का दमन नहीं हो सकता है । आजकल विदेशी लोग भी जगह-जगह उपद्रव फैलाते रहते हैं । उनके सहारे से पलने वाले इन उपद्रवियों को देश का सैन्यबल ही हटा सकता है । इस प्रकार बाहरी आक्रमणों तथा भीतरी उपद्रवों से रक्षा करने एवं देश की प्रतिष्ठा की दृष्टि से सैन्यबल का महत्त्व स्पष्ट है । इससे देश के लिए उसकी शिक्षा उपयोगी एवं आवश्यक दोनों हैं ।

इस महत्त्व को ध्यान में रखकर ही स्वतन्त्र भारत के स्कूलों और महा-विद्यालयों में सैन्य-शिक्षा दी जाने लगी है । एन.सी.सी. आदि इसके कई रूप हैं । आज लड़के और लड़कियों—दोनों को ही यह शिक्षा दी जाती है । इससे देश को सशक्त एवं शिक्षित सैनिक मिल जाते हैं; इससे देश को सेना में भरती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित युवक मिल जाते हैं । इसके अतिरिक्त भी सैनिक शिक्षा के अनेक लाभ हैं । युवक और युवतियों में अनुशासन की भावना लाने का यह एक बहुत बड़ा साधन है । उससे उन्हें कठोर परिश्रम करने तथा स्वावलम्बी होने की भी शिक्षा मिल जाती है । धीरे-धीरे शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से सबल युवक-युवतियों की संख्या बढ़ती चली जाती है । इससे सारा राष्ट्र ही मजबूत होता जाता है । सैनिक शिक्षा युवकों में राष्ट्रीय भावना को भी सुदृढ़ बनाती है । वे अपने को स्वतन्त्र राष्ट्र के सेवक एवं रक्षक मानने लगते हैं । इससे वे कष्ट-महिष्णु एवं साहसी बन जाते हैं ।

सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने में जितना लाभ सोचा गया था, उतना ही नहीं पाया, अतः सैनिक शिक्षा को स्कूल और कालिजों में अनिवार्य रखा जाय, यह विषय भी कुछ विवाद का हो गया है । इस समय यह प्रत्येक छात्र के लिए किसी न किसी रूप में अनिवार्य है । पर अनिवार्यता के कारण इसकी उपयोगिता में कमी ही आयी है । यह भी एक खाना-पूरी ही हो गयी है । प्रत्येक छात्र सैनिक बनने अथवा सैनिक शिक्षा के उपयुक्त पात्र नहीं होता । कुछ में अनुशासन और शक्ति का क्षणिक आवेश आ पाता है, वे तत्त्व स्थायी नहीं होते । बहुतों की अभिरुचि एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी इस शिक्षा के उपयुक्त नहीं होता । इससे शिक्षण में शिथिलता आती है । इससे समय एवं साधनों का पूरा एवं उचित उपयोग नहीं हो पाता है । उतने ही साधनों का प्रयोग अगर अभिरुचि वाले योग्य छात्रों के लिए किया जाय तो देश-सेवा अधिक हो ।

११. ग्राम्य-जीवन

हपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. ग्रामीण जीवन की विशेषताएँ
 - (क) प्रकृति की खुर्ला गोद
 - (ख) थोड़े में निर्वाह
 - (ग) सरल, स्वच्छ, सादा जीवन
३. ग्रामीण जीवन के अभाव
 - (अ) अशिक्षा
 - (ब) गन्दगी
 - (स) चिकित्सा का अभाव
 - (द) आवश्यक सुविधाओं का अभाव

अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है ।

व्यों न इसे सबका मन चाहें ॥

हम जीवन को नगर एवं ग्राम्य दो भागों में बाँट सकते हैं । भारत कृषि-प्रधान देश है अतः यहाँ की अधिकांश जनता गाँवों में ही रहती है । इससे गाँव भारत के प्राण और हृदय कहे जा सकते हैं । भारत में ही नहीं सर्वत्र ही ग्राम्य जीवन का अपना विशेष स्वरूप है । उसकी कुछ विशेषताएँ हैं पर कुछ अभाव भी हैं । भारत की ८० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में है अतः भारतीय जीवन का तो यह प्रतिनिधि रूप ही है ।

ग्राम्य-निवासी प्रकृतिदेवी की गोदी में स्वच्छन्द विचरण करते हैं । उन्हें स्वच्छ एवं ताजी हवा मिलती है । यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है । नगरों में यह हवा धुँआँ, गैस आदि के मिल जाने से गन्दी हो जाती है । गाँवों में व्यक्ति शीतल-मंद-सुगन्ध-समीर का सेवन कर सकते हैं । यही कारण है कि ग्रामीण व्यक्ति स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होते हैं । बचपन से ही बच्चे को रज (धूल) में लोटने का अवसर मिलता है । इससे प्रकृति प्रारम्भ से ही उसे स्वास्थ्य और शक्ति देती रहती है । 'रेणु तन मण्डित' बच्चे मानव के हृदय को आन्दोलित कर देते हैं ।

बच्चों में कृष्ण का रूप दिखायी देने लगता है । ग्राम्य-जीवन में सभी श्रुतियों का आनन्द लिया जा सकता है । ये सब अपने सजग रूप में ही दिखायी

पड़ते हैं। बरसात (वर्षा ऋतु) में चारों ओर हरियाली ही हरियाली छापी रहती है। वसन्त ऋतु में तो ऐसा लगता है, मानो खेतों पर हरी-पीली चादर ही डाल दी गयी हो। फूलों की भीनी-भीनी सुगन्ध मन को मोहित करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म, शरद, हेमन्त और शिशिर का भी अपना-अपना सौन्दर्य है। वह भी ग्राम्य-जीवन में ही देखने को मिलता है। ग्रीष्म में अगर दिन को कड़ाके की धूप पड़ती है तो, रात को शीतलता का आनन्द भी मिलता है। गाँवों में पीने के लिए स्वच्छ जल मिलता है जो पेट की छोटी-मोटी बीमारियों को योंही ठीक कर देता है। शुद्ध जलवायु होने के कारण ही गाँव वाले कम बीमार पड़ते हैं।

गाँवों में निवास करने वाले किसान, मजदूर सभी प्रायः बड़े भोले-भाले, सीधे-सच्चे स्वभाव वाले होते हैं। उनसे अधिकंश शहरी व्यक्तियों की तरह दिखावा करना नहीं चाहते। वे अब भी वास्तविकता में अधिक विश्वास करते हैं। अब भी उनका सिद्धान्त प्रायः "सादा जीवन, उच्च विचार" होता है। वहाँ ईंधन, सब्जी भोजन आदि की वस्तुएँ नगरों की अपेक्षा अधिक सुलभ है। उन्हें इन सभी के लिए प्रायः पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। गाँव में धी, दूध, दही आदि अब भी सस्ते मिल जाते हैं। विवाहादि के अवसर पर ये चीजें अब भी पड़ोसियों से थोड़ी-बहुत मिल जाती हैं। फिर गाँव वालों की आवश्यकता भी नगर वालों की अपेक्षा कम ही होती है। तभी तो कहा है कि

“थोड़े में निर्वाह यहाँ है,
ऐसी सुविधा और कहाँ है।”

पहले तो गाँव वालों के आपसी मन-मुटाव कम होते थे। तब गाँव वाले एक-दूसरे की विपत्ति में सहायता करने को हमेशा तत्पर रहते थे। यदि पहले की दुश्मनी होती थी तो वे उसे भी विपत्ति के समय भूल जाते थे। पर स्वतन्त्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन में शहरी जीवन के अधिकंश दोष आते जा रहे हैं। आज कई दृष्टियों से गाँव का जीवन शहरी जीवन से कम सुरक्षित और कम सुखप्रद हो गया है।

गाँवों के पुरुष तो प्रायः धोती और साफे में ही रहते हैं। शेष शरीर नंगा रहता है। स्त्रियाँ अवश्य शरीर ढके रहती हैं। गाँव वालों के घर प्रायः आज भी मिट्टी के ही होते हैं। उनके जीवन में बनावटीपन कम होता है। वे वेष-विन्यास में अपना अधिक समय एवं धन नष्ट नहीं करते। उनकी पोशाक

अधिकतर कुर्ता-धोती ही होती है। मकान खुले होते हैं तथा-वे उन्हें अधिकतर स्वच्छ रखने का प्रयत्न करते हैं। गांवों में आज भी शिक्षा का अभाव है। गांवों में निवास करने वाले अधिकतर व्यक्ति अभी तक अशिक्षित ही हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त तो शायद ही हों। यद्यपि सरकार शिक्षा-प्रसार के लिए काफी प्रयास कर रही है। पर वह अभी तक संतोषजनक नहीं है। कम से कम एक बेसिक स्कूल तो एक गांव में होना ही चाहिए। पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी है। उच्चशिक्षा की व्यवस्था तो गांवों में बिलकुल ही नहीं है। वैसे यह न तो प्रत्येक गांव के लिए आवश्यक है और न सम्भव ही। किसान एवं मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बच्चों को शहर भेजकर उच्च-शिक्षा दिला सकें। यही कारण है कि गांवों में शिक्षा का प्रसार समुचित रूप से नहीं हो पाया है। प्रत्येक गांववासी को अक्षर और मामूली हिसाब का ज्ञान तो होना ही चाहिए, ताकि उसे पग-पग पर इतनी असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इस सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त उसे अपने पेशों की भी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वतन्त्र राष्ट्र के ये पुनीत कर्तव्य होते हैं। उनकी अभी हमारे यहाँ बहुत कम व्यवस्था हो पा रही है।

शहरों की अपेक्षा गांवों की गलियों में अधिक गन्दगी पायी जाती है। कीचड़, कूड़ा-करकट आदि की सफाई की समुचित व्यवस्था गांवों में नहीं है। गांव के पास ही धूरे इत्यादि पड़े रहते हैं। शौच की भी कोई ठीक व्यवस्था नहीं होती है; परिणामस्वरूप गन्दगी फैल जाती है। यह गन्दगी बीमारियाँ फैलाती हैं। उस गन्दगी से अनेक व्यक्तियों की जिन्दगी बरबादी हो जाती है। यही कारण है कि अनेक भयानक बीमारियों का आज गांवों में अधिक प्रकोप है। गांवों में चिकित्सा का प्रवन्ध प्रायः नहीं हो पाया है। इससे कुछ बीमारियों के फैल जाने पर गांव के व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में मर जाते हैं। डॉक्टर आदि की गांवों में कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती। गांव के ही कुछ नीम-हकीम जड़ी-बूटियों से इलाज करने का प्रयास करते हैं। पर वह बहुत कम लाभदायक होता है। सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि गांवों में अस्पताल खोले जायें। परन्तु अभी तक इनकी संख्या कम ही हो पायी है। अच्छे डॉक्टर गांव में रहना पसन्द नहीं करते हैं। उनको वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। धन का प्रलोभन भी उन्हें गांव जाने से रोक्ता है। स्वतन्त्र राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि उसके पैसे से शिक्षित डॉक्टर,

इंजीनियर और अध्यापक गाँवों की सेवा नहीं करना चाहते और वहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ उन्हें अधिक धन और भोग-सामग्री मिलती है। इससे वे भारत छोड़कर विदेश जाना अधिक पसन्द करते हैं। देश जिन डाक्टरों और इंजीनियरों पर इतना धन, सुविधा और शक्ति व्यय करता है, उनमें देश-प्रेम और त्याग की भावना नहीं ला पाता है। जब तक गाँव में चिकित्सा का ठीक प्रबन्ध नहीं होता तब तक गाँव के लोग बिना मौत ही रहेंगे। गाँवों का जीवन सुखी एवं आकर्षक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गाँवों में ठीक चिकित्सा की व्यवस्था हो।

गाँवों में व्यक्तियों की कुछ ऐसी दैनिक आवश्यकताएँ भी होती हैं जो वहाँ पूरी नहीं हो पातीं। जैसे कपड़ा, नमक, मिट्टी का तेल आदि उन्हें इनके लिए शहर आना पड़ता है। इससे उनका समय व धन दोनों ही व्यय होते हैं। शहरों में जाने से गाँव वालों को संसार का कुछ ज्ञान होता है; उन्हें नयी-नयी बातें सीखने का मौका मिलता है। पर इसके साथ ही शहरी वातावरण के कुछ दूषित प्रभाव भी गाँवों में खूब आ गये हैं। गाँव के व्यक्ति प्रायः गरीब होते हैं। विवाहादि के विशेष अवसरों, कृषि एवं छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों के लिए ऋण देने का प्रबन्ध अब सहकारी समितियाँ करती हैं। लेकिन इनसे भी किसान को विशेष लाभ नहीं हुआ है। अब भी साहूकार बहुत अधिक व्याज पर कर्ज देते हैं। आर्थिक दृष्टि से गाँव का जीवन शोषित है। अभी गाँवों में यातायात के साधनों का भी अभाव है। पर्याप्त सड़कों का निर्माण अभी गाँवों में नहीं हो पाया है। इससे आने-जाने तथा अनाज आदि को शहर की मण्डियों तक ले जाने में ग्रामवासियों को अब भी असुविधा ही रहती है। यही कारण है कि उन्हें अपना माल गाँव के बनिये को ही देना पड़ता है। उससे उन्हें माल के दाम बहुत कम मिलते हैं। इसका दूसरा कारण किसानों का अशिक्षित होना भी है। वे हिसाब भी कम जानते हैं। जो कुछ बनिया दे देता है वही स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से अशिक्षा उन्हें हर क्षेत्र में हानि पहुँचाती है। तभी तो कहा गया है—

“शिक्षा की यदि कमी न होती
तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते।”

१२. प्रातःकाल की शोभा

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. ब्राह्ममुहूर्त की छटा
३. सूर्योदय का सौन्दर्य एवं प्रभाव
४. खग-कुल का कलरव
५. प्रातःकाल में नागरिक अंचल का सौन्दर्य
६. उपसंहार

मानव जीवन प्रकृति-प्रेमी है। जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त प्रकृति ही उसकी सहचरी है। प्रकृति के विविध रूप हैं। यदि कहीं मरुस्थल है तो कहीं सुन्दर सरोवर, कहीं पतझड़ वाले सूखे पेड़ खड़े हैं तो कहीं महकयुक्त हरी-भरी वाटिकाएँ लहरा रही हैं। इन सभी का रूप सभी ऋतुओं और कालों में समान नहीं रहता है। जेठ की चिलचिलाती धूप में हरे-भरे वाग भी मुरझा जाते हैं। शाम के धुंधलेपन में सब कुछ धूमिल ही दिखाई देता है। लेकिन वर्षा में सारी प्रकृति हरीभरी हो जाती है और प्रातःकाल चारों ओर लालिमा एवं सुरभि का संचार कर देता है।

रात्रि में संसार प्रगाढ़ निद्रा में मग्न पड़ा रहता है। चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार होता है। लेकिन प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त के समय प्रकाश विकीर्ण होने लगता है। पूर्व दिशा से मानो प्रकाश पटल का दरवाजा खुलता है तथा एक आभा कुछ लालिमा लिये हुए प्रकट होती है। यह लाली प्रातःकाल का प्रथम सन्देश होती है। उपाकाल में यह गहरी लालिमा धीरे-धीरे कुछ हल्कापन धारण करती चलती है तथा हरिऔधजी के शब्दों में प्रकृति-बधू वेप परिवर्तन कर लेती है—

“प्रकृति-बधू ने असित वसन बदला सित पहना,
तन से दिया उतार तारकावलि का गहना।
उसका नव अनुराग नील नभ तल पर छाया,
हुई रागमय दिशा निशा ने बदन छिपाया।”

—वैदेही वनवास

धीरे-धीरे लालिमा समाप्त हो जाती है और सूर्योदय होने लगता है। यह समय-परिवर्तन बड़ा ही मनमोहक होता है। जब नीले आकाश से रवि की

किरणें उतरकर आतीं हैं वे बड़ी ही भाव-विभोर कर देने वाली होती हैं । इसकी कल्पना साहित्यकारों ने विभिन्न रूपों में की है । गुप्तजी ने प्रातःकाल चढ़ते हुए सूर्य का कितना सुन्दर वर्णन किया है । उन्हें सूर्य एक हंस के समान ही प्रतीत होता है—

“सखि नील नभस्सर में उतरा एक हंस अहा तरता-तरता ।
लग जाय न कंटक हाय कहीं पग डाल रहा डरता-डरता ।”

—साकेत, मैथिलीशरण गुप्त

स्वर्णिम रवि-रश्मियाँ बादलों पर पड़कर बड़ी ही शोभायमान होती हैं । बादलों का रंग भी लालिमा लिये तथा अनेक रूप धारण किये हुए एक अनोखी छटा का सृजन करता है । दौड़ते हुए मेघ ऐसे लगते हैं मानो प्रसन्न होकर उमंग के साथ घूम रहे हैं तथा एक दूसरे को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं । वर्षाऋतु का प्रातः तो विशेषतः सुहावना होता है । उस समय चारों ओर हरियाली रहती है । सूर्य की लाल किरणों में खेत स्वर्णिम आभा से चमक उठते हैं ।

ओस की बूंदें वनस्पतियों एवं वृक्षों पर सूर्य की किरणों से झिलमिलाती हुई मोतियों की भाँति चमकती है । वह समय घूमने के लिए बड़ा सुखदायी होता है । चारों ओर पुष्प विकसित होने के कारण सुन्दर गन्ध फैली रहती है । इससे प्रातःकाल की प्राकृतिक छटा में चार चाँद लग जाते हैं । इस समय यदि किसी कमलों वाले सरोवर का अवलोकन किया जाय तो एक नया ही अनुभव होता है । सरोवर मानो अपने विकसित कमल-रूपी अनेक नेत्रों से सूर्य की शोभा निहार रहा है । ऊपर उठे हुए कमल-नालों की बाहुओं को पसार कर पुष्करिणी अरुण का आलिंगन करना चाहती है । गूँजार करते हुए भीरे ही वन्दीजन का कार्य करते हैं । पुष्प मुस्कराते हुए ऐसे लगते हैं मानो वे वन्दी-गृह से अभी मुक्त हुए हैं और वे उसी प्रसन्नता में हँस रहे हैं । भीरे भी जो रात को वन्द हो गये थे, अब स्वच्छन्द वायु में साँस लेते हैं ।

जीवों में सर्वप्रथम पक्षी जगते हैं । प्रातःकाल उनका कलरव चारों ओर फैल जाता है । ऐसा लगता है मानो समस्त पक्षी मानव से कह रहे हों कि तू अभी सो ही रहा है, जागकर देख कितना सुहावना समय है । प्रातःकाल रूपी फोयल की मधुर कू-कू कानों को आनन्द देती है तो कभी मोर, पपीहा की पीउ-पीउ की ध्वनि हृदय को गद्-गद् कर देती है । चिड़ियों की चहचहाहट से

उसकी मधुरता और भी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि यह समस्त खेल-कुल सर्वशक्तिमान ईश्वर का गुणगान करने के लिए ही इतनी जल्दी जाग जाता है। मानव को भी यही सन्देश देना है। प्रातःकाल का मृदु, सुगन्धित एवं मन्यर गति वाला समीर भी भगवान की आराधना में रत रहता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रातःकाल का बढ़ा ही महत्त्व है। प्रातःकालीन वायु में घूमने से बहुत-सी बीमारियाँ स्वयं ही ठीक हो जाती हैं। प्रातःकाल घर से बाहर निकलने पर मालूम होता है कि प्राकृतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त नागरिक अंचल में भी चहल-पहल रहती है। झुंड के झंड लोग चागों ओर घूमते दिखायी देते हैं। खेल-कूदों के प्रेमी इसी समय खेलते हैं। व्यायाम और खेलकूद के लिए प्रातःकाल ही सर्वोत्तम समय है। प्रातःकाल प्रसन्नता का प्रतीक है। वह हमें जागरण का सन्देश देता है।

अतः हम देखते हैं कि प्रातःकाल में क्या प्रकृति, क्या प्राणी, क्या जड़, क्या चेतन—सब में आनन्द की ही लहर दौड़ती रहती है। यही कारण है कि साहित्य में जितना वर्णन प्रकृति के समस्त रूपों में से प्रातःकाल का हुआ है, उतना अन्य किसी का नहीं।

१३. मैंने जब साइकिल चलाना सीखा

रूपरेखा—

१. साइकिल सीखने की आवश्यकता
२. मित्रों की हँसी
३. लज्जा का अनुभव
४. मित्रों की प्रेरणा
५. सीखने का प्रयास
६. प्रारम्भ की मनःस्थिति
७. उल्लास और भय का मिलन
८. विभिन्न प्रकार की असफलताओं का अनुभव
९. गिरने से पैर में मोच आना

जब तक मैं अपने गाँव में पढ़ता रहा तब तक साइकिल सीखने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। छोटा ही गाँव है मेरा। सभी जगह पैदल ही चला जाता था। गाँवों में प्रायः लोग पैदल ही जाते हैं। खेत तथा पास के दूसरे

गाँव भी लोग प्रायः पैदल ही जाते थे । पर जब मैं शहर में पढ़ने के लिए आ गया तो साइकिल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । मैं छात्रावास में रहता था । कॉलेज भी समीप ही था । वहाँ जाने के लिए तो साइकिल की जरूरत नहीं थी । पर अन्य कामों के लिए इसका अभाव खलता था । मित्र-मण्डली के साथ दूर घूमने निकलने अथवा बाजार जाने के लिए मुझे साइकिल सीखना बहुत ही जरूर प्रतीत होने लगा ।

एक दिन मुझे और मेरे बड़े घनिष्ठ मित्रों को एक पुस्तक देखनी थी । अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा के लिए उनका देखना अत्यन्त आवश्यक था । दूसरे दिन के प्रश्नपत्र की तैयारी उसी से करनी थी । वह पुस्तक तीन-चार मील दूर रहने वाले एक मित्र के पास थी । मेरा मित्र चट अपने कमरे में से अपनी तथा अपने साथी की दो साइकिलें निकाल लाया और कहने लगा 'चलो, अभी हो आते हैं ।' मैंने उत्तर दिया 'पर मुझे तो साइकिल चलाना ही नहीं आता ।' बस, अब लगने लगा कहकहा । मित्र-मण्डली ने मेरा मजाक बनाना शुरू किया । कुछ बातों के उत्तर मैंने दिये भी । पर मैं अन्दर ही अन्दर अपनी कमजोरी अनुभव कर रहा था, अतः मेरे उत्तरों में भी उतनी शक्ति नहीं थी । उस समय मैंने साइकिल सीखने का संकल्प कर लिया ।

बस, दूसरे दिन ही मेरी साइकिल की कक्षा लगी । कॉलेज से आने के बाद मेरे उसी मित्र ने अपनी साइकिल निकाली और लगे मुझे सिखाने । हमारे छात्रावास के सामने बहुत बड़ा मैदान था । वहाँ पर सीखने की पूरी सुविधा थी । एक नीम के पेड़ के अतिरिक्त उस मैदान में किसी प्रकार की कोई एकावट नहीं थी । वह पेड़ भी एक किनारे पर था, अतः साइकिल चलाने के लिए काफी बड़ा मैदान खुला था । कहीं भी ऊँची-नीची जमीन नहीं थी । ऐसा लगता था कि छात्रावास के अधिकारियों ने शायद साइकिल सीखने अथवा उसका आनन्द लेने के लिए ही यह मैदान छोड़ रखा था । 'वाँलीवाल' के लिए एक मैदान और था और वह छात्रावास के पीछे की ओर था ।

हाँ, तो साइकिल का पाठ प्रारम्भ हुआ । मुझमें सीखने का अदम्य उत्साह था और मित्र में शिक्षक का पूरा आत्मविश्वास । एक चवूतरे के सहारे से मैं साइकिल की सीट पर बैठ गया । मेरे दोनों हाथ हैण्डिल पर जरा हटाकर रखे और दोनों पाँव पैडल पर । मेरे शिक्षक मित्र ने अपने एक हाथ से 'हैण्डिल' पकड़ा तथा दूसरे से सीट का पीछे का भाग और लगे मेरी साइकिल

को धक्का देने । वे मुझे बराबर आदेश भी दे रहे थे 'सीधे जमकर बैठे रहो । अपने सामने देखो' । - पँडल घुमाते रहो । ब्रेक मत दवाना ।' इसके साथ ही वे मेरी साइकिल को आगे धकेल भी रहे थे ।

मुझ में उल्लास के साथ ही एक भय भी समाया हुआ था कि कहीं गिर न पड़ूँ । अतः उन आदेशों को सुनता हुआ और समझता हुआ भी उसका ठीक-ठीक पालन नहीं कर पा रहा था । मैं सीधे बैठे रहने की पूरी चेष्टा करते रहने पर भी बार-बार अपने मित्र की ओर लुढ़क ही जाता था । उनके निर-मेरा और साइकिल दोनों का धोखा संभालना बहुत कठिन था, अतः मुझे बार-बार अपने पैर धरती पर रखने पड़ते थे । साइकिल गिर पड़ती थी, पर हम लोग चोट खाने से बच जाते थे । पँडल भी एक-दो चक्कर लगाने के बाद या तो रुक जाते थे या मेरे पैर ही उनसे हट जाते थे । कई बार शटके से पैर चलाने के कारण 'चेन' भी उतरी और 'चेन' चढ़ाने के लिए मुझे उतरना पड़ा । मैं सामने देखने का बराबर प्रयत्न करता था, पर इधर-उधर नजर चली ही जाती थी । दो-एक और साधियों ने भी साइकिल सिखाने में मित्र की मदद की । पर वे लोग सिखाने के बजाय मेरी हँसी उड़ाने में अधिक व्यस्त थे ।

आखिर मैं कुछ घोड़ी सीध पाया । मित्र ने हैण्डिल मुझ पर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया । वे पीछे से सीट पकड़े ही साइकिल के साथ भागने रहे । यह स्थिति भी पार हुई । उन्होंने साइकिल को सहारा देना भी छोड़ दिया और उनके साथ-साथ भागना भी । मैं अब स्वतन्त्र रूप से साइकिल चलाने लगा । मेरे मित्र पीछे-पीछे माथ चलते रहे और आवश्यक निर्देशन देने रहे 'मोड़ लो । सीधी नजर रखो । बहुत तेज मत चलाओ । नीम के पेड़ की ओर मत जाओ ।' उनके आदेशों के अनुसार मैं चलाता रहा । मैदान में दो-एक चक्कर लगाने के बाद थोड़ा-थोड़ा आरम्भविश्वास तो जम रहा था, पर हृदय का भय भी पूरा निरुक्त नहीं पाया था । दो पहियों पर लुढ़कते हुए मुझे कुछ महज-सा नहीं लगा । तन और मन पर एक अजीब-सा तनाव लग रहा था । हैण्डिल साधने में मन पर धोखे-मा लगता था । एक गोल चक्कर में साइकिल घूमती रही । गोले की परिधि बढ़ती गयी और साइकिल की गति भी तेज होती गयी । मेरे मित्र बीच-बीच में 'साधान' कड़कर मेरा उल्हास बढ़ाने रहे । पर मुझे यह लग रहा था कि साइकिल अपने आप मुड़ जाती थी । मैं उसे ज़िगर जाने से बचाना चाहता था, उधर ही वह चढ़ती थी । मैं उसको अत्यन्त कठिनाई से रोक पाता

था। एक चक्कर में मेरी साइकिल पेड़ के पास से निकली। मेरे मित्र ने मुझे नीम से बचने की चेतावनी दी। उस चक्कर में तो बच गया। पर दूसरे चक्कर में साइकिल उधर ही बढ़ने लगी। मेरे मित्र ने फिर जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी। मैंने भी साइकिल पर काबू रखने की चेष्टा की। पर साइकिल उधर ही बढ़ती गयी और नीम से टकरा गयी। मैं साइकिल से उछल गया। गिरते समय मैंने अपने आपको काफी सँभाल लिया, पर धरती पर दाहिना पाँव मुड़कर पड़ा और उसमें मोच आ गयी। मैं धूल झाड़कर झूठी हँसी हँसता हुआ पैर से कुछ लँगड़ाता हुआ, उठा। मित्र भागकर मेरे पास आये और पूछने लगे 'जोर से तो नहीं लगी' मैंने शर्म के मारे कह दिया 'नहीं, कोई विशेष बात नहीं है।' हिम्मत करके कमरे में आ गया। दो-एक वार मित्र भी मेरे साथ आ गये। मुझे पैर में बहुत पीड़ा हो रही थी। पैर सूज गया था। कमरे में खटिया पर बैठने के बाद मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगा। मुझे कॉलेज डिस्पेन्सरी में ले जाया गया। मोच ही थी पर सात-आठ दिन तक खटिया सेनी पड़ी।

१४. स्वतन्त्रता-दिवस (पन्द्रह अगस्त)

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. इसको मनाने का कारण
३. मनाने का ढंग
४. स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का महत्त्व
५. स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का उद्देश्य
६. उपसंहार

“खिल उठी कली, नया विकास आ गया।

स्वतन्त्रता दिवस लिये, नया प्रभात आ गया ॥”

भारत में इस नये प्रभात का उदय १५ अगस्त, १९४७ को हुआ। इससे पूर्व भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। दासता की शृंखलाओं से आबद्ध भारतीय अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन पर कठोर नियन्त्रण था; वे पराधीन थे। तुलसीदास के अनुसार—

‘पराधीन सपनेहु सुख नाहीं।’

इस पराधीनता से मुक्त होने के लिए भारतीयों को एक संग्राम करना पड़ा। स्वतन्त्रता संग्राम का आरम्भ झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने १८५७ में ही कर दिया था। इस संग्राम में न मालूम कितने वीर शहीद हुए; न मालूम कितनी नव वधुओं का सुहाग लुट गया; कितने नवजात शिशु तड़पते रह गये। कितनी माताएँ अपने पुत्रों से विलग हो गयीं। भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाषचन्द्र बोस आदि अनेक वीर हँसते-हँसते भारत-माँ की गोद में सो गये। इस सबके परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गयी। लोकमान्य तिलक ने उद्घोषणा कर दी, “स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।” महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा के सिद्धान्तों के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा तथा भारतीयों का स्वप्न साकार हुआ और नेहरूजी की साध पूरी हुई। १५ अगस्त, १९४७ को अर्द्धरात्रि के समय भारतवर्ष की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी गयी। समस्त देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। घरों पर दीपक जलाये गये, भक्तों ने ईश्वर की प्रार्थना की। पराधीनता की प्रगाढ़ निद्रा में सुपुप्त देश में यकायक चेतना का संचार हुआ। उस दिन प्रातः ही तिरंगा झण्डा लेकर प्रभात फेरियाँ होने लगीं तथा चारों ओर—

“विजयी विश्व तिरंगा प्यारा;
झण्डा ऊँचा रहे हमारा।”

की ध्वनि सुनायी देने लगी। वह दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन प्रत्येक भारतवासी ने स्वतन्त्र वातावरण में साँस ली। प्रभात-फेरी में गाने के साथ ‘भारत माता की जय’, ‘महात्मा गांधी की जय’ आदि के नारे भी उच्च स्वर में लगाये जा रहे थे। वह कितनी मोहक और उल्लासमय समय था। शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

भारत में तभी से १५ अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यही स्वतन्त्रता दिवस है। इस दिन प्रायः समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत कार्यालय आदि बन्द रहते हैं। सभी संस्थाएँ, स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी कार्यालयों में यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सारे दिन सुबह से शाम तक बड़े मनोरंजक कार्यक्रम चलते रहते हैं। प्रातःकाल सर्वप्रथम ध्वजारोहण होता है तथा उसके बाद राष्ट्रीय गान की मधुर ध्वनि गायी जाती है। चारों ओर ‘जन-गण-मन अधिनायक जय हे’... या ‘वन्दे मातरम्’ गूँज उठता है। उसके

बाद राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री या महान् व्यक्तियों के शुभ सन्देश सुनाये जाते हैं। इस दिन युवक सामूहिक रूप से “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा……” गाते हुए प्रभात-फेरी लगाते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलियाँ अर्पित की जाती हैं। अन्यान्य राष्ट्रीय नारे लगाये जाते हैं। स्कूल, कॉलिज आदि में खेल-कूद के विभिन्न आयोजन होते हैं। कहीं नाटक आदि का प्रदर्शन होता है तो कहीं कवि-गोष्ठी होती है। इस प्रकार अन्यान्य प्रकार से सभी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं।

स्वतन्त्रता-दिवस प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र के जीवन में एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अवसर होता है। उस दिन सम्पूर्ण राष्ट्र की अपने स्वतन्त्र होने की चेतना नवीन होती है। सब नागरिक स्वतन्त्रता को हमेशा के लिए बनाये रखने की शपथ लेते हैं। वे अपने संकल्प को हर वर्ष इसी प्रकार दृढ़ करते हैं। उस दिन हम अपने स्वतन्त्र जीवन की प्रगति पर विचार करते हैं; उसका लेखा-जोखा लेते हैं। हमें जो कमी प्रतीत होती है उसे हटाने का संकल्प करते हैं। प्रदेश, जाति, धर्म और भाषा के भेदों से ऊपर उठकर हम सब भारतवासी एक अखण्ड राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं; इस भावना को बार-बार दृढ़ करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसलिए यह दिवस प्रत्येक के जीवन में नवीन स्फूर्ति, नया उल्लास और नूतन प्रेरणा देने वाला है।

स्वतन्त्रता दिवस वस्तुतः शहीद दिवस है। शहीदों के त्याग और बलिदान ने ही राष्ट्र को स्वतन्त्र किया है। इससे शहीदों के बलिदान की अमिट कहानी इस दिवस के साथ हमेशा ही लगी रहेगी। शहीदों को श्रद्धांजलि दिये बिना उनके त्याग और बलिदान की गर्वपूर्वक याद किये बिना, उनसे त्याग और बलिदान की प्रेरणा लिए बिना; स्वतन्त्रता दिवस का उत्सव अधूरा ही रहता है।

“शहीदों की चिताओं पर
लगेँगे हर वर्ष मेले
वतन पर मरने वालों का
यही बाकी निशां होगा।”

स्वतन्त्रता दिवस के ये उत्सव ही शहीदों की चिताओं के मेले हैं।

हर दृष्टि से स्वतन्त्रता दिवस राष्ट्रीय जीवन का पुनीत पर्व है। दीपावली, होली आदि सांस्कृतिक एवं धार्मिक त्योहारों से इस त्योहार का किसी प्रकार भी कम महत्त्व नहीं है। पूर्ण उत्साह से इस पर्व को मानना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है।

१५. मसूरी—पहाड़ों की रानी

रूपरेखा—

१. यात्रा का संकल्प
२. देहरादून से बस में यात्रा
३. मसूरी के प्रथम दर्शन
४. मसूरी का मौसम
५. मसूरी के सुन्दर दृश्य
६. मसूरी से देहरादून का दृश्य
७. कामटी प्रपात
८. दूरवर्ती हिमशिखर
९. उपसंहार

दो वर्ष पूर्व मई मास के अन्तिम सप्ताह में मुझे मसूरी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। राजस्थान से मसूरी जाने की कल्पना ही अपने आप में बड़ी मनोमुग्धकारी थी। पहिले तो यह सोचकर मन उल्लसित था कि, जीवन में प्रथम बार उस हिमालय के दर्शन करूँगा जो भारत माता का मुकुट है और जिसके लिए कवि कुलगुरु कालिदास ने 'देवात्मा', 'नगधिराज', तथा 'पृथ्वी के मानदंड' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। दूसरे मसूरी स्वयं भी 'पहाड़ों की रानी' कहलाती है। मसूरी कितना सुन्दर-शौंगी? यह सोचकर आनन्द अपने आप में समा नहीं रहा था। राजस्थान की तपती मूखी वायु को छोड़कर हिमालय की शीतल एवं हरी-भरी चट्टानों पर बैठने के स्वप्नों में खोया हुआ मैं प्रातःकाल देहरादून पहुँचा।

देहरादून से बस के द्वारा मसूरी जाना था। यहाँ से हिमालय की यात्रा प्रारम्भ हो गई। देहरादून से मसूरी तक बहुत सुन्दर चौड़ी एवं सर्पाकार एक सड़क बनी हुई है। सड़क के एक तरफ बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं और दूसरी ओर गह्वर। ज्यों-ज्यों ऊँचे चढ़ते हैं, त्यों-त्यों ये गह्वर गहरे होते जाते हैं। मोटर में बैठे हुए उन गह्वरों की ओर देखकर कभी तो अपने आपको बहुत ऊँचा समझकर एक उल्लास की लहर-सी दौड़ जाती थी और कभी गिरने की आशंका से शरीर सिहर-सा उठता था। पहाड़ के ढाल पर छोटी-छोटी वस्तियाँ हैं जो मोटर से देखने पर खिलौने-सी प्रतीत होती हैं। मोटर की खिड़की से बाहर देखने पर चक्कर से आते थे, अतः बाहर देखना ही प्रायः लोगों ने बन्द

कर दिया था। अन्दर यात्री ही आपस में हँसी-मजाक और गप-शप करते रहे। एक पारसी यात्रियों की पार्टी थी। उसमें कई लड़के-लड़कियाँ और प्रौढ़ व्यक्ति थे। बहुत ही मस्त लोग थे। रास्ते भर मजाक करते गये, कभी अंग्रेजी में, कभी गुजराती में, कभी टूटी-फूटी हिन्दी में और कभी फारसी में। एक नव-विवाहित मारवाड़ी दम्पति भी थे। पहिले तो वे मोटर में चल रही उल्लास वात्ता में भाग लेते रहे, पर जब उन्हें पता चल गया कि मैं और मेरे मित्र भी मारवाड़ी हैं, तो कुछ सकुचा गये, और शेष मार्ग में चुप ही अधिक रहे। मोटर में ही मुझे विभिन्न प्रान्तों के लोगों की विभिन्न आकृतियों और प्रकृति से परिचय होने लगा। मोटर-बस में चलते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो मैं तो आकाश में ऊँचा उड़ रहा हूँ। मुझे इस प्रकार ऊँचे उड़ने का अनुभव 'डोल झूले' में कई बार हुआ था। उससे कई गुना आनन्द का अनुभव इस समय हुआ।

मसूरी के बस के अड्डे पर उतरते ही ऐसा लगा मानो सदेह स्वर्ग में आ गये हैं। हरे-भरे वृक्षों एवं लताओं के वस्त्रों में लिपटी हुई मसूरी मानो अति-थियों की ही प्रतीक्षा में खड़ी हुई थी। शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन के झोंकों से उसने हमारा स्वागत किया। ऊँचे-नीचे सर्पाकार मार्गों, ऊँचे-ऊँचे देवदार, साल और सागौन के वृक्षों से घिरे हुए शिखरों एवं उन शिखरों तथा उनके ढाल पर बने हुए छोटे मकानों वाली मसूरी सचमुच ही बहुत आकर्षक लगी। मैं मंत्र-मुग्ध सा मसूरी के एक किनारे बस के अड्डे पर खड़े हुए उसे देखता ही रहा।

मैं और मेरा साथी काफी ऊँचाई पर बने हुए एक मकान में ठहरे थे। जिस कमरे में हम ठहरे थे उसकी तीन खिड़कियाँ मसूरी और देहरादून की तरफ खुलती हैं। उसमें से देहरादून की तरफ की मसूरी बहुत साफ दीखती है। उसके पीछे की ओर मसूरी की बहुत सुन्दर एवं प्रसिद्ध "कैमल बैंक" रोड है। मकान के अहाते से दूसरी ओर बने हुए 'कैमल बैंक रोड' का आंशिक भाग दीखता है। वह सड़क ऊँट की पीठ की तरह बीच में से उठी हुई तथा दोनों तरफ ढालू है। मसूरी में हरियाली बहुत है। मकान पहाड़ की ढाल और छोटी-छोटी चट्टानों पर बने हुए हैं।

जिस दिन हम पहुँचे, मसूरी का मौसम बहुत सुखद था। वैसे पहाड़ों पर मौसम दिन में कई बार बदलता है। कभी पानी तो कभी धूप। कभी बादल घुमड़ते हैं तो कभी आकाश साफ हो जाता है। सर्दी-गर्मी का फेरा भी एक

दिन में ही हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक ही दिन में बारी-बारी से पट्टनयुग्में नगाधिराज के दरबार में आती हैं। मई मास की धूप भी कुछ बुरी नहीं लग रही थी। मकान के अहाते से एक तरफ केवल ऊँचे-ऊँचे पहाड़ ही दिखाई देते हैं। जहाँ तक नजर पहुँचती है, वहाँ तक केवल नील वर्ण के पहाड़ ही देख रहे थे। इन शिखरों को देखने में मुझे बहुत आनन्द का अनुभव हो रहा था। खुली धूप में इसके शिखरों की नील आभा इन्हें नीलम का सौन्दर्य प्रदान कर देती है। उस दिन लगभग चार बजे अचानक पानी आ गया। दूर के शिखरों पर पड़ती हुई जलधारा ऐसी लगती थी, मानो आकाश के देवता विभिन्न शिखरों पर विराजमान शिवालिंगों का अभिषेक कर रहे हों। पानी से सागी मसूरी तथा उसका आकाश एकदम धूल गया। शिखरों के नीचे हूबते हुए सूर्य की आभा ध्वेन से लाल-पीली होती हुई अन्त में आकाश की अनन्त नीलिमा में विलीन हो गई। सध्या का अनुमरण करता हुआ दिन पता नहीं उन शिखरों में कहाँ खो गया।

एक दिन मैं और मेरे मित्र मसूरी की सड़कों पर घूमते हुए एक पार्क में पहुँच गये। पहाड़ों के किनारों को काटकर बनाये तथा वृक्षों में आच्छादित मार्गों पर उस झुटपुटे में चलते हुए हम अपने आपको किसी अतीत की नगरी के नागरिक अनुभव कर रहे थे। बड़े ढग से बना हुआ अच्छा-खासा सुन्दर पार्क था। वहाँ पर कई शिला-संघियों में नील प्रकाश वाली कोई वस्तु चमक रही थी, मानो किसी ने कुछ छोटे-छोटे टॉच के बल्ब उसमें जला दिये हों। जुगनुओं की चमक का जो सुन्दर दृश्य मैंने वहाँ देखा, वह तो कभी-कभी मेरी आँखों के समक्ष अब भी आ जाता है। पार्क से लौटने में कुछ रात हो गई थी। एक चट्टान के किनारे पर बनी हुई एक सीमेन्ट की कुर्सी पर बैठकर हम थोड़ी देर सामने का दृश्य देने लगे। हमारे ठीक पुरों के नीचे दो हजार फीट गहरा हरियाली से सघन गह्वर था और सामने वृक्षों से घिरे हुए वे शिखर एवं वे हरी-भरी उपत्तिकायें जिन पर मसूरी बसी हुई है। उस गह्वर की गहराई से लेकर बहुत ऊँचे शिखरों तक फैले हुए मकानों के चमकते हुए विद्युत् दीपों से सारी मसूरी ऐसी लग रही थी, मानो नगाधिराज ने दीपावली महोत्सव में अपने सारे महल दीपकों से सजाये हों या सघन हरियाली में चमकते हुए दीप नगाधिराज के महलों में जलते हुए रत्नदीप ही हों। वह इतना मनोरम दृश्य था कि वहाँ से उठकर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी।

रात को जब मैंने अपने पलङ्ग के पाम की खिड़की खोलकर देहरादून की ओर देखा तो विजली के बल्बों की लम्बी कतारों से चमकते हुए सुव्यवस्थित मार्ग वाला देहरादून ऐसा लग रहा था मानो, नगाधिराज ने अपना हेमकन्या के लिए कृष्ण-जन्माष्टमी का हिंडोला सजा दिया हो। वैसे प्रातःकाल भी मसूरी की छत से नीचे चौक का देहरादून लिखा हुआ नगर का मानचित्र सा ही लगता है।

कामटी प्रपात एक दर्शनीय स्थान है। मसूरी से दूसरी तरफ कुछ हजार फीट नीचे उतरना पड़ता है। पहाड़ों से घिरा हुआ एक कई हजार फीट गहरा गह्वर है। उसमें एक तालाब-सा बना हुआ है जिसमें ऊँचे पहाड़ों से एक जलस्रोत आता है। पहाड़ों पर से बहता हुआ जलस्रोत विंशाल श्वेत-सूर्य सा प्रतीत होता है। सामने की ऊँची चट्टान पर बैठकर देखने से यह दृश्य बहुत रमणीय लगता है और तालाब के किनारे पर यह आकाश से उतरती हुई गंगा का दृश्य प्रस्तुत करता है। जयपुर के गलते का दृश्य उसका लघु रूप कहा जा सकता है। यहाँ पर मुझे बचपन में राँची से कुछ दूर पर देखे हुए एक जल प्रपात की याद आ गई। 'कामटी प्रपात' उसके जैसा सुन्दर नहीं लगता। जिस पहाड़ से यह प्रपात गिर रहा है, उसके सामने वाली पहाड़ी पर बैठकर देखने से ऐसा लगता है मानो द्रवित चाँदी की अजल धार बहुत लम्बी परतों में परिणत होकर गिर रही है।

मसूरी में ऊँचे ऊँचे शिखरों को टीवे कहते हैं। राजस्थान में बालू के टीवे होते हैं, और यहाँ पत्थरों के। एक बहुत ऊँचे टीवे के शिखर पर जाने से दूर के हिमश्रृंग दिखाई देते हैं। हम लोग भी वहाँ पहुँचे। प्रातःकाल का आकाश एकदम साफ था। इस टीवे का ऊपर का भाग एक उपतिका-सी है। जैसे मानो यह मसूरी की छत है। मुझे वहाँ पहुँचकर पामीर प्लेटो के विश्व की छत होने का काल्पनिक साक्षात्कार होने लगा। यहाँ दीखने वाले हिमश्रृंग कुछ दूर होने पर भी कभी-कभी बहुत साफ दिखाई देते हैं। प्रातःकालीन सूर्य की आभा में हिमाच्छादित शिखर नगाधिराज का रत्नों से जड़ा हुआ राजमुकुट बन जाता है। उस शिखर से कुछ नीची और दूरी के कारण उस पहाड़ से मिली हुई प्रतीत होने वाली एक शैल-श्रेणी नगाधिराज के वक्षस्थल पर सिर रखे हुए उसके आलिंगन में आवद्ध भेनका बन गई। प्रेम का कितना मूर्तिमान एवं सजीव चित्र था। अब मुझे मसूरी के उस रूप का प्रत्यक्ष हुआ जिसके कारण वह पहाड़ों की रानी कहलाती है। वह नगाधिराज की 'भेनका' है।

१६. समाचार-पत्र

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना—आधुनिक युग में समाचार-पत्रों की आवश्यकता
२. समाचार-पत्र—उनका जन्म और विकास
३. समाचार-पत्रों की व्यवस्था
४. समाचार-पत्रों से लाभ—(क) समाचारों का ज्ञान;
(ख) व्यापार में उत्थिति; (ग) राष्ट्रीय जागृति
५. समाचार-पत्रों से हानियाँ
६. उपसंहार—प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली में समाचार-पत्रों का महत्त्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में होने वाली प्रत्येक घटना को जानने के लिए वह हमेशा उत्सुक रहता है। वह अन्य मनुष्यों की दशा स्वयं जानना चाहता है और अपनी दशा उन्हें बताना चाहता है। विचारों का यह आदान-प्रदान आज जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जिस प्रकार शारीरिक भूख के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक भूख के लिए समाचार-पत्रों के अलावा अन्य कोई इतना सस्ता और सरल साधन नहीं है जो हमें घर बैठे समाज की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दे सके। यही कारण है कि आज का मानव काम में इतना जुटा होने पर भी प्रतिदिन सुबह समाचार-पत्र की प्रतीक्षा अवश्य करता है। आज बिना उसके प्रगतिशील जीवन की कल्पना करना असम्भव है।

समाचार-पत्र के जन्म का श्रेय इटली के वेनिस नगर को है। वहाँ सोलहवीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ। इसके लगभग १०० वर्ष पश्चात् इंग्लैण्ड में समाचार-पत्र का विकास हुआ। वस वहीं से समाचार-पत्र भारत में आये। भारत में अँग्रेजों के आने से पहले का कोई समाचार-पत्र नहीं मिलता है। भारत के सबसे पहले पत्र का नाम 'इण्डियन-गजट' है। इसके बाद ईसाइयों ने 'समाचार दर्पण' नामक पत्र निकाला, फिर राजा राममोहनराय ने 'कौमुदी' और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने 'प्रभात' नामक समाचार-पत्र निकाले। आज मुद्रण-यंत्र की सहायता से देश में समाचार-पत्रों की भरमार है किन्तु भारत, इंग्लैण्ड, अमरीका आदि से इस क्षेत्र में अभी पीछे है। फिर भी सभी भाषाओं में अनेक पत्र निकलते हैं। अँग्रेजी के 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'स्टेट्समैन', 'नेशनल हेरल्ड',

‘इण्डियन एक्सप्रेस’, ‘लीडर’ आदि और हिन्दी के ‘हिन्दुस्तान’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘वाज’, ‘विश्वामित्र’, ‘लोकवाणी’ आदि बहुत लोकप्रिय बन गये हैं।

समाचार-पत्र आधुनिक युग की देन हैं। आज हजारों पत्र-पत्रिकाएँ छपती हैं और दूर-दूर तक पहुँचायी जाती हैं। कुछ पत्र तो दिन में दो बार छपते हैं। समाचार-पत्र का एक बड़ा भारी कार्यालय होता है। उसमें प्रत्येक समय सैकड़ों आदमी काम करते दिखाई देंगे। वहाँ श्रम-विभाजन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का माहिर हो जाता है। छापाई का काम मशीन द्वारा होता है। इस कार्य को लेखक, सम्पादक, मशीनमैन और कम्पोजीटर सभी मिलकर करते हैं।

समाचार-पत्रों से हमें अनेक लाभ हैं। इनमें विश्व के कोने-कोने की प्रत्येक घटना का सहज में पता लगा सकता है। किसी भी देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था को उस देश के समाचार-पत्रों से जाना जा सकता है। इनकी महामत्ता से संसार की वर्तमान समस्याओं को जानने में कोई अमुविधा नहीं होती है। यदि समाचार-पत्र न हों तो भारत के गरीब नागरिक संसार के सम्पर्क में नहीं आ सकते। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यही सबसे अच्छा और सस्ता साधन है जिससे वह संसार के बारे में कुछ जान सके। गरीब से गरीब व्यक्ति भी पुस्तकालय में जाकर आज समाचार-पत्रों का लाभ उठा सकता है और अपने को सम्पर्क में रख सकता है।

सभी देशों की व्यापारिक स्थिति का परिचय भी हमें समाचार-पत्रों में यथावत् मिल जाता है। समाचार-पत्रों से हम अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक ठीक विज्ञापन कर सकते हैं। विज्ञापन के कारण लोग व्यापारी की दुकान से अधिक परिचित हो जाते हैं, तभी उसका नाल अधिक छपता है। समाचार-पत्रों द्वारा यह भी ज्ञात हो जाता है कि कहां पर किस वस्तु का क्या भाव है। कौनसी वस्तु खरीदनी चाहिए और कौनसी बेचनी चाहिए। इन बातों की जानकारी से व्यापारी को अत्यधिक लाभ होता है।

समाचार-पत्र राष्ट्रीय जागृति में भी बहुत योग देते हैं। किसी भी देश की राजनीतिक घटनाएँ उस देश के तथा अन्य देशों के पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। जब किसी देश पर कोई खास विपत्ति आती है तो जनता देश के नेताओं के भाषणों को पढ़ती है और अपनी बात भी प्रकाशित करवाती है। अपनी टीका-टिप्पणियों द्वारा उस समस्या का हल सरकार से करवाती है। समाचार-पत्रों के माध्यम से ही जनता अपने दुःखों को सरकार के सामने रखती

है। इससे सरकार सचेत बनी रहती है। इससे स्पष्ट है कि समाचार-पत्र शासक और शासित के मध्य की अनमोल कड़ी है। संसार भर के देश समाचार-पत्रों की कृपा से ही एक सूत्र में बँधे हैं। जब परतन्त्र देशों के व्यक्ति स्वतन्त्र देशों के व्यक्तियों के रहन-सहन, आचार-विचार, शिक्षा, राजनीति आदि के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में भी राष्ट्रीय जागृति होती है। तभी देश की सभ्यता उन्नति के मार्ग का अनुसरण करती है।

जिस वस्तु से हमें लाभ होता है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानियाँ भी होती हैं। यही बात समाचार-पत्रों के बारे में कही जा सकती है। समाचार पढ़ना भी एक व्यवसाय बन जाता है। व्यर्थ की सूचनाओं से मस्तिष्क भर जाता है। 'मिरांजी उदास क्यों शहर के अंदरों' वाली कहावत चरितार्थ होती है। हम अनुपयोगी चर्चाओं और चिन्ताओं में भी फँस जाते हैं। कुछ समाचार-पत्र दलबन्दी से दूर न रहकर समाज में दलगत द्वेष उत्पन्न करते हैं। झूठे प्रचार से जनता का एक अच्छे दल से मन-मुटाव और झूठे व्यक्तियों के प्रति मोह हो जाता है। कुछ समाचार-पत्र स्वावलम्बी न होकर परावलम्बी होते हैं। परिणाम यह होता है कि वे पूँजीपतियों के संकेतों पर चलते हैं और जन-साधारण को सही बात मालूम नहीं हो पाती है। कभी-कभी समाचार-पत्र कुछ झूठे विज्ञापन छापकर जनता में हलचल पैदा कर देते हैं। समाचार-पत्र किसी विषय का पूर्ण यथार्थ ज्ञान नहीं देते हैं। इससे वास्तविकता पाठकों के सामने नहीं आ पाती। कुछ समाचार-पत्र इतने भद्दे निकलते हैं कि उन्हें पढ़कर उनके सम्पादकों की बुद्धि पर तरस आता है। ऐसे समाचार-पत्र लोगों में अच्छी भावना लेने के स्थान पर उनके चरित्र पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उनमें छपे नग्न-चित्र कमजोर मनुष्यों के हृदय को नोंचने लगते हैं और वे बुरा से बुरा कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे समाचार-पत्रों को सस्ती लोकप्रियता तो मिल जाती है। पैसे भी खूब कमा लेते हैं परन्तु वे देश और समाज के लिए अभिशाप हैं। आजकल झूठे विज्ञापन देकर भोले नागरिकों को किसी वस्तु की ओर आकर्षित करना भी समाचार-पत्रों से एक हानि ही है। इन हानियों का उत्तरदायित्व उनके सम्पादकों पर है। यदि वे पैसे के लोभ में न फँसकर अपने कर्तव्य का ध्यान रखें तो ये बुराइयाँ समाप्त हो सकती हैं।

प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली में समाचार-पत्रों का सर्वाधिक महत्त्व है। समाचार-पत्र वर्तमान काल के इतिहास ही हैं। वे जनता में प्राण फूँकते हैं, उसे

रामचरितमानस से मिलती है। इस प्रकार रामायण का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक कथा शुद्ध आचरण की शिक्षा देते हैं।

रामचरितमानस में तुलसी ने तत्कालीन दीन-हीन समाज का वर्णन किया है। समाज कैसा होना चाहिए, सुसंगठित समाज की व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है यह प्रस्तुत ग्रन्थ में देखने को मिलता है। तुलसी ने समाज-सुधारक होने के नाते वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था के पालन का विधान किया है। वर्ण-व्यवस्था पर आश्रित समाज विश्रुंखल तथा शोकप्रस्त नहीं होता—

वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग।

चलहि सदा पावहि सुखहि, नहि भय शोक न रोग ॥

समाज में मर्यादा का पालन न करने वाले अत्याचारियों का दमन होना परमावश्यक है। समाज के मर्यादित व्यक्तियों को शिक्षा देते हुए तुलसीदास ने लिखा है—

अनुज वधू, भगिनी, सुतनारी।

सुनु सठ ये कन्या सम चारी ॥

इसके अतिरिक्त अछूतोंद्वारा तथा छुआछूत की भावना को दूर कराने का उपदेश वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा दिया गया है।

रामचरितमानस हमें राजनीति की पर्याप्त शिक्षा देता है। तत्कालीन समाज की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से किया है। राजा और प्रजा के सम्बन्धों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। प्रजा पर अत्याचार करने वाले राजा को अपदस्य किया जा सकता है। ऋषियों तथा महर्षियों द्वारा राजा की निरंकुशता पर नियन्त्रण दिखाया गया है। राजा को साम, दाम, दण्ड, भेद आदि की नीतियों में निपुण होने के साथ ही आदर्श एवं सच्चरित्र होना चाहिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा अन्त में नरक का अधिकारी होता है—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

राजा का समदृष्टि होना आवश्यक है। तभी प्रजा सुख एवं शान्ति प्राप्त कर सकती है। भेदभाव की नीति से प्रजा में विषमता आ जायेगी। इस सम्बन्ध में तुलसीदास ने लिखा है—

मुखिया मुख सो चाहिए, खान-पान को एक।

पाल-पीसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥

रामचरितमानस भारत का ही नहीं, अपितु संसार का ही महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रन्थ है। उसमें धार्मिक शिक्षाओं का अन्त नहीं है। राम को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। निर्धन एवं असहाय व्यक्ति भी 'निर्वल के बल राम' कहकर आत्म-सन्तोष प्राप्त करते हैं। तुलसी ने ज्ञान, भक्ति तथा धर्म तीनों का समन्वय किया है। शैव, वैष्णव और शाक्त—तीनों मतों के पारस्परिक विरोध को समाप्त कर समानता की भाव-भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अपने धर्म को सरल बनाने के लिए उन्होंने जनता के समक्ष यही आदर्श प्रस्तुत किया है—

सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी ।

इस प्रकार सब धर्मों के मूल में उन्होंने आचरण की शुद्धता को महत्त्व दिया है।

अन्त में यही कहा जा सकता है कि समस्त हिन्दू ग्रन्थों में रामचरितमानस सर्वोपरि है। हिन्दू जाति, संस्कृति और सभ्यता का जितना उपकार इस कृति ने किया है उतना सम्भवतः अन्य किसी भी साहित्यिक कृति ने नहीं। साहित्य, दर्शन, धर्म, राजनीति, आचरण सभी दृष्टियों से यह पूर्ण है। इसने मृतप्राय भारतीय संस्कृति के लिए संजीवनी का कार्य किया है। आज भी हमारे समाज का दिशा-निर्धारण रामचरितमानस के आधार पर ही होता है। इस प्रकार यदि हम अपनी जाति, समाज, देश का कल्याण चाहते हैं तो हमें रामचरितमानस की महानता तथा आदर्श को ग्रहण करना होगा। रामचरितमानस के समन्वय में वेनी कवि ने कहा है—

वेदमत सोधि, सोधि कै पुरान सर्व,

संत और असंतन को भेद को बतावतौ ।

×

×

×

भारी भव-सागर उतारतौ कवन पार,

जो पै यह रामायन तुलसी न गावतौ ।

१८. मेरा प्रिय कवि (मैथिलीशरण गुप्त)

दृपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. जीवन-वृत्त
३. रचनाएँ
४. काव्यगत विशेषताएँ—(अ) प्राचीन आर्य संस्कृति के पोषक, (ब) राष्ट्र-प्रेम, (स) मानव-हृदय का चित्रण, (द) नारी के प्रति श्रद्धा-भाव आदि
५. भाषा-शैली
६. उपसंहार

आधुनिक काल में अनेक कवि हैं जिनमें से किसी के काव्य में वर्णन वैचित्र्य नहीं है तो किसी के काव्य में सरसता । लेकिन हिन्दी-साहित्य में मैथिलीशरण गुप्त एक ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में वर्णन वैचित्र्य के साथ-साथ सरसता भी है । उनके काव्य में जहाँ एक ओर भावों की सरसता है वहाँ दूसरी ओर भाषा एवं शैलीगत सौन्दर्य भी कम नहीं है । इनके काव्य में प्राचीनता एवं नवीनता का सुन्दर समन्वय भी विद्यमान है । इनका काव्य आधुनिक काल की समस्त प्रवृत्तियों को अपने में समाहित किये हुए है । इसके अतिरिक्त इनके काव्य में प्रायः सभी रसों का यथाविधि प्रयोग मिलता है । उनका 'जयद्रथ-वध' वीरता-पूर्ण शैली का प्रमाण है तथा 'झंकार' आधुनिक छायावादी शैली की समस्त विशेषताओं से ओत-प्रोत है । गुप्तजी आरम्भ से ही भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं राष्ट्र-प्रेम की भावनाओं के पोषक रहे हैं । राष्ट्र-प्रेम की इस प्रबल भावना के कारण ही उन्हें राष्ट्र-कवि का पद प्रदान किया गया था ।

राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सम्वत् १९४३ में झाँसी के चिरगाँव नामक स्थान पर हुआ था । इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था । वे वंशज भक्त होने के साथ-साथ कविता में विशेष रुचि रखते थे । गुप्तजी का बचपन भगवद्-भक्ति एवं कविता के वातावरण में व्यतीत हुआ । वे बचपन से ही कविता करने में रुचि रखने लगे । एक दिन उन्होंने अपने पिता को अपना स्वरचित छन्द दिखाया । इनके पिता ने इनकी रुचि से प्रसन्न होकर इन्हें कवि

होने का आशीर्वाद दिया। गुप्तजी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने वे झाँसी गये परन्तु वहाँ उनका मन नहीं लगा। अपने कवि जीवन में गुप्तजी सर्वप्रथम महावीरप्रसाद द्विवेदी के ही सम्पर्क में आये। इससे इनकी प्रतिभा में पर्याप्त निखार आया। इनकी रचनाएँ सर्वप्रथम कलकत्ते के 'जातीय पत्र' में प्रकाशित हुआ करती थीं। इसके पश्चात् आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इनकी रचनाओं में संशोधन कर उन्हें 'सरस्वती' में प्रकाशित करवाया। गुप्तजी स्वभाव से अति विनम्र थे। राष्ट्र-प्रेम इनके काव्य के साथ ही इनके व्यक्तित्व से भी झलकता था। सन् १९४८ में आगरा विश्वविद्यालय ने तथा सन् १९५८ में प्रयाग विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० लिट्० की उपाधि से सुशोभित किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इन्हें भारत की राज्य-सभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। अन्त में सन् १९६४ में यह महान विभूति हमेशा के लिए संसार से विदा ले गयी।

गुप्तजी की रचनाओं में तात्कालिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करना ही उन्हें अभीष्ट था। उनके काव्य में राष्ट्र-प्रेम, समाज-सुधार के साथ ही वर्तमान युग की परिस्थितियों का भी चित्रण है। उनके काव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की मधुर झंकार है। इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ यद्यपि कुछ अविकसित हैं, परन्तु जैसे-जैसे इनका कवि-व्यक्तित्व विकसित होता गया, वैसे-वैसे ही इनकी रचनाएँ अधिक प्रौढ़ होती गयीं। पंचवटी, यशोधरा, साकेत और द्वापर में हमें उनके कवित्व का चरम उत्कर्ष दिखायी पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ ग्रन्थों के अनूवाद भी किये हैं। अनूदित ग्रन्थ बँगला भाषा के हैं। इनमें मेघनाद-वध, विरहिणी-ब्रजांगना वीरांगना और प्लासी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं।

गुप्तजी ने मुख्य रूप से प्राचीन आर्य संस्कृति को अपने काव्य का विषय बनाया है। अपने काव्य में यथास्थान उन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्शों का चित्र प्रस्तुत किया है। इन रचनाओं में आर्य संस्कृति का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है। 'मंगलघट' में उन्होंने इसी भावना को महत्त्व देते हुए लिखा है—

सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम ।

× × ×

सौ-सौ आदर्शों को लेकर, एक चरित्र बना लें हम ॥

‘साकेत’ के राम भी इस धरा पर इसी आदर्श को लेकर अवतीर्ण हुए हैं—

संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया ।

इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ॥

गुप्तजी के काव्य में राष्ट्रीय भावना ओत-प्रोत है । भारतेन्दु युग से लेकर आधुनिक काल तक की राष्ट्रीय भावना का चरमोत्कर्ष इनके काव्य में मिलता है । उनके इस आदर्श पर गांधीवाद की स्पष्ट छाप अंकित है । सत्याग्रह की भावना उन्हें गांधीजी की ही देन है । ‘साकेत’ में राम के वन-गमन के समय प्रजा मार्ग में लेट जाती है—

जाओ, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ ।

यों कह पथ में लेट गये बहुजन वहाँ ॥

प्रजा को आश्वासन देते हुए राम कहते हैं—

उठो प्रजा जन उठो, तजो यह मोह तुम ।

करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम ॥

प्रजा का यह ‘विनत-विद्रोह’ गांधीजी का असहयोग आन्दोलन ही है ।

मानव हृदय का चित्रण करने में गुप्तजी सिद्धहस्त हैं । मानव हृदय का उन्होंने जैसा स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, वैसा बहुत कम कवि कर पाये हैं । साकेत में ‘कैकेयी’ के हृदय की मर्म वेदना उस समय देखते ही बनती है, जबकि वह भरत के साथ राम को लौटाने के लिए जाती है—

हे राम दुहाई कहेँ और क्या तुझसे ?

कहते आते थे यही सभी नर-देही ।

×

×

×

है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता ।

युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी—

रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।

कैकेयी के इन शब्दों में उसके हृदय की समस्त वेदना उभर आती है ।

नारी के प्रति गुप्तजी की अपार श्रद्धा एवं सहानुभूति है । यशोधरा आदि ग्रन्थों में उन्होंने उपेक्षित नारी-चरित्रों को महत्त्व प्रदान किया है ।

‘यशोधरा’ यशोधरा की नायिका है और उर्मिला ‘साकेत’ की नायिका है। यशोधरा में गुप्तजी ने नारी-जीवन की समस्त भावनाओं को दो पंक्तियों में समाहित कर दिया है—

अवला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।

यशोधरा में गुप्तजी ने नारी के प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखायी है।

गुप्तजी ने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। सरसता एवं मधुरता इनकी भाषा का प्रधान गुण है। जिसमें ब्रजभाषा का-सा माधुर्य आने लगता है। यद्यपि कहीं-कहीं पर शब्द क्लिष्ट हैं; परन्तु उनसे काव्य के प्रवाह एवं अर्थ-प्रतीति में बाधा उत्पन्न नहीं होती।

गुप्तजी की रचनाओं में शैली के अनेक रूप मिलते हैं। प्रारम्भ में गुप्तजी की रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता थी। परन्तु द्विवेदीजी के सम्पर्क से उसमें निखार एवं परिवर्तन होता गया। इनकी शैली की प्रमुख विशेषता भाषानुकूलता एवं भावानुकूलता है। गुप्तजी ने उपदेशात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया है। हिन्दू, गुरुकुल और भारत-भारती इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग दिखायी देता है। साकेत में उर्मिला लक्ष्मण पर व्यंग्य करती हुई कहती है—

उर्मिला बोली “बजी तुम जग गए।”
स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए।

लक्ष्मण उत्तर देते हैं—

मोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुआ,
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ।

इस प्रकार आधुनिक युग के कवियों में गुप्तजी की प्रतिभा अद्वितीय है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उनका काव्य अपना उच्च स्थान रखता है। उन्होंने अपनी साधना से हिन्दी-साहित्य को जो कृति प्रदान की है, उस देन को हिन्दी-साहित्य कभी नहीं भुला सकता। हिन्दी-साहित्य में उनकी गाथा चिर-स्मरणीय रहेगी।

१६. मेले में जब मेरा छोटा भाई खो गया

स्मरेखा—

१. बाल स्वभाव
२. मेले जाना
३. खेल-तमाशों दिखाना
४. घोड़ों की दौड़
५. भीड़ का रेखा
६. राजू का गुम हो जाना
७. उद्विग्नता
८. पुलिस में रिपोर्ट
९. राजू का मिलना

खेल-तमाशों को देखने तथा मेले जाने का जितना चाव छोटे बच्चों को होता है, उतना बड़ों को कहीं रह जाता है? छोटे बच्चे इसमें होने वाले कष्टों को ओर ध्यान ही नहीं देते। भीड़ में कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसकी आशंका तो उनके मन को कभी छूती भी नहीं। 'एक तो छोटी बुद्धि और दूसरे खेल-तमाशों का भारी चाव—इन दोनों के कारण वे सब चिन्ताएँ उन्हें नहीं सताती हैं।' अतः खेल-तमाशों के अवसर पर अपने बड़े भाइयों, बहिनों और चाचा आदि को वे उन्हें ले चलने के लिए किसी न किसी प्रकार से तैयार कर ही लेते हैं। बाल-हठ के सामने झुक्कर एक बार मुझे अपने छोटे भाई को कस्बे की बाहरी सीमा पर लगने वाले एक मेले में ले जाना पड़ा।

उस समय वह छह-सात वर्ष का ही था। यह मेला तीन-चार दिन तक लगता है। पहले दिन सब घर वालों के साथ वह देर भी आया था, पर दूसरे दिन फिर हठ कर बैठा। इसका मुख्य कारण था मेले में अनेक तमाशों को देखने का प्रलोभन। यह साधारण मेला नहीं होता। इसमें हजारों आदमियों की भीड़ होती है। बच्चों के लिए अनेक प्रकार के झूलों और सर्कस आदि के खेलों का प्रबन्ध रहता है। अब तो 'फिल्म शो' का भी प्रबन्ध होने लगा है। फुटबाल और वालीबाल के अच्छे मैच भी होते हैं। नजदीक के एक मैदान में 'घोड़ों की दौड़ और कुछ अन्य खेल भी होते हैं। मेरे छोटे भाई का आग्रह था कि उसको झूलों पर झूलाया जाय, तरह-तरह के पशु-पक्षी एवं सर्कस दिग्गमों

जायें। मुझे उसके प्रति कुछ विशेष स्नेह भी है और वैसे भी मैं बालक की इन इच्छाओं को पूरा करने का समर्थक हूँ।

हम दोनों मेले में पहुँचे। वहाँ पर दो-एक मेरे मित्र मिल गये। झूले झूलकर हम लोगों ने सर्कस आदि देख लिये। मेरा छोटा भाई इन सबको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसकी इच्छा पूरी हो गयी। हम वापस आने वाले थे कि एक मित्र के सुझाव पर हम लोग "घोड़ों की दौड़ देखने चले गये। यह कार्यक्रम भी बहुत ही मनोरंजक होता है। उस दिन उसमें बहुत भीड़ थी। जहाँ ऊँचाई पर बैठने का स्थान था, वहाँ हमें जगह नहीं मिली। हमें खेत में एक तरफ खड़ा ही होना पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने भाई को सामने वाली पंक्ति में बैठा दिया और स्वयं उसके पीछे खड़ा रहा। घोड़ों के कई प्रकार के खेल हो रहे थे। बड़े मनोरंजक थे। मैं उनमें इतना तन्मय हो गया कि मुझे अपने भाई की याद भी भूल गयी। अचानक भीड़ में भगदड़ मच गयी। एक घोड़ा अपने सवार को पटककर ठीक हमारी ही ओर वेतहाशा दौड़ता आ रहा था। दूसरे घुड़सवार उस घोड़े को घेर कर रोकने के लिए उसका पीछा करने लगे। मारे भय के सब लोग इधर-उधर भाग खड़े हुए। उसी भीड़ के रेले में मेरा भाई मुझसे विछुड़ गया। थोड़ी दूर भागकर मैंने भी अपने प्राण बचाये। पर जब घोड़ा हमारे पास से दूर निकल गया तो मुझे अपने भाई की याद आयी। अब भीड़ में उसको ढूँढना मुश्किल हो गया।

मेरे होश गुम हो गये। कहीं भारी भीड़ में वह कुचल न गया हो! घोड़ों से तो किसी को चोट आई नहीं है। मैं इधर-उधर भीड़ में घुस-घुसकर देखने लगा। जोर-जोर से 'राजू' कहकर पुकारने लगा। पर इतने शोर-गुल में मेरी आवाज तो नक्कारखाने में तूती की तरह थी। मेरे दो-एक मित्र फिर मिल गये। अब हम सब उसको भीड़ में बहुत देर तक ढूँढते रहे। भीड़ में घुसना कोई आसान काम नहीं था। बड़े जोरदार धक्के लगते थे। कई कदम तो बिना चले ही हटना पड़ता था। भीड़ में व्यक्ति अघर उठ जाता है। वह जिधर जाना चाहता है, उधर नहीं जा पाता। भीड़ बढ़ती गयी। इस भीड़ में अपने आपको सँभालना ही कठिन था, 'राजू' को क्या ढूँढ सकते थे? हताश होकर ऊँचे प्लेटफार्म पर चढ़ गया और वहाँ से राजू को देखने की चेष्टा करने लगा। पर छोटा-सा राजू इस भीड़ में कहाँ नजर आता?

अन्त में मैं और मेरे एक मित्र अन्य मित्रों को ढूँढते रहने का आदेश देकर

पुलिस चौकी की ओर चले गये। हमने पुलिस चौकी और स्वयंसेवकों के शिविर में 'राजू' के गुम हो जाने की रिपोर्ट कर दी। बेचारे स्वयंसेवक भी उसको इधर-उधर ढूँढ़ने लगे। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर कई बार 'राजू' के रंग-रूप, अवस्था आदि का विवरण देते हुए घोषणा की। मैंने ढूँढ़कर लाने वाले के लिए पाँच रुपये इनाम में देने की भी घोषणा करा दी थी पर भीड़ के कोलाहल में यह घोषणा भी कितने सुन पाये होंगे? जिन्होंने सुना उनको भी राजू को ढूँढ़ने की कहां फुगसत थी? वे अगर अपने को और अपनों को ही संभाल पा रहे थे तो यही बहुत था।

मैं धीरे-धीरे बहुत चिन्ताग्रस्त होता गया। ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, मेरी उद्विग्नता बढ़ती गयी। हृदय आशंका से धड़क रहा था। नेत्रों में आँसू करीब-करीब छलक ही आये थे। पर मैं बराबर इधर-उधर ढूँढ़ना भी जा रहा था। मेरे मित्र पूरा सहयोग दे रहे थे। बीच-बीच में मुझे हिम्मत भी बँधाते थे। पर चिन्ता उनको भी बढ़ती जा रही थी। कहां गया? घर तो अकेला जा नहीं सकता है। घर तो बहुत दूर है। उमने कभी रास्ता भी नहीं देगा है। शायद कोई साथ मिल गया हो। मेले में तो बच्चों को उठाकर ले जाने वाले भी तो आते हैं। हे भगवान, ऐसा न हो! पर घर पहुँचता तो वहाँ से कोई भागकर यहाँ खबर देने ही आ जाता। किसी को घर भेजूँ? या मैं स्वयं ही जाऊँ? अनेक विचार मेरे मन में आँधी की तरह आ रहे थे। बीच-बीच में पुलिस चौकी और स्वयंसेवक शिविर से पता लगा रहा था।

दो-तीन घण्टे तक भटकने के बाद हम लोग पुलिस चौकी और स्वयंसेवक शिविर के बीच के स्थान पर बैठ गये। संध्या नजदीक थी। चिन्ता अत्यधिक बढ़ रही थी। घर पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। घर पर क्या करेंगे? अम्मा और चाचाजी कितना फटकारेंगे? उनको कितनी चिन्ता होगी? सारे घरवाले दौड़कर इधर मेले में ही आ जायेंगे। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में बहुत ही सुस्त बैठा हुआ था कि अचानक दूर से आवाज आयी, 'भैया'। 'राजू' आ रहा था। एक वृद्ध सज्जन उसका हाथ पकड़े पुलिस चौकी की ओर बढ़ रहे थे। मैं तेजी से लपका। मेरे मित्र भी पीछे-पीछे दौड़े। मैंने 'राजू' को गोदी में उठा लिया। 'राजू' कहां चला गया था। उसने उत्तर दिया, 'भैया, मैं तुम्हें ही ढूँढ़ रहा था।' और मेरे गले से लिपट गया। वृद्ध सज्जन से ज्ञात हुआ कि राजू उनको तालाब के किनारे रोता हुआ और घबराया हुआ-सा

मिला। मुझे राजू के मिलने की इतनी ख़ुशी हुई कि विस्तार से बातें जानने की इच्छा ही नहीं रही। संख्या हो चुकी थी। घर पहुँचने में भी दो-तीन घण्टे लगने थे। मैं वृद्ध के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उनके चरणों में झुका और एक पाँच का नोट निकालकर उनको भेंट करने लगा। वृद्ध ने कहा, 'अरे वेटा, यह क्या कर रहे हो? राजू को अपना भाई मिल गया, यह क्या कम इनाम है? मैं तो बहुत चिन्तित था।' वृद्ध ने रुपये नहीं लिये।

हम लोगों ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए वृद्ध से विदा माँगी। उसने स्नेहपूर्वक 'राजू' के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम लोग तेजी से घर की ओर बढ़ने लगे।

२०. दैव-दैव आलसी पुकारा

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. उक्ति की व्याख्या
३. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है
४. आलस्य से हानियाँ
५. आलस्य त्याग से लाभ
६. उपसंहार

कर्म को लेकर संसार के व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ बन गयी हैं—प्रथम कर्मवीर या कर्मण्य, दूसरा कर्मभीरु या अकर्मण्य। कर्मवीर पुरुष वे होते हैं जो संसार एवं समाज से संघर्ष करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का प्रमुख सिद्धान्त यह होता है कि—“कार्यम् वा साध्येयम् देहम् वा सातयेयम्” अर्थात् या तो कार्य में सफलता प्राप्त करूँगा या अपना शरीर ही इसकी सिद्धि में छोड़ दूँगा। ऐसे व्यक्ति 'करो या मरो' वाले सिद्धान्त के मानने वाले होते हैं। कर्मवीर या अकर्मण्य व्यक्ति ठीक इसके विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति काम करने से डरते हैं। परावलम्बी बनकर अपना जीवन-निर्वाह करना चाहते हैं। स्वभावस्वन और आत्म-निर्भरता से वे कोसों दूर भागते हैं। लेकिन हम इस विषय पर सोच भी नहीं सकते कि आखिर ये व्यक्ति अकर्मण्य क्यों हो जाते हैं? आलस्य ने कैसे उनके शरीर-रूपी घर पर अपना अधिकार कर लिया है? आलस्य मानव की प्रगति में बाधक है; जो उसकी समस्त

प्रगतियों पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा देता है। जैसा किसी विद्वान ने कहा भी है—

“आलस्यं हि मनुष्याणाम् शरीरस्यो महान् रिपुः” अर्थात् आलस्य ही मानव का महान शत्रु है।

प्रस्तुत सूक्ति गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस में उद्धृत है। भगवान राम रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। भारत और लंका के बीच पड़ने वाला समुद्र उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता था। उसे कैसे पार किया जाय, यह एक समस्या थी। राम ने समुद्र से मार्ग देने के लिए कई बार प्रार्थना की। परन्तु समुद्र ने इस प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया। इसके उपरान्त लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर राम से प्रार्थना की कि आप शक्ति का प्रयोग कीजिए। उसी समय कहा गया है, “मानव मन का एक अधारा, दैव-दैव आलसी पुकारा।”

वास्तव में यह उक्ति सारगर्भित है। आलसी मनुष्य ही भाग्य अथवा दैव का सहारा लेता है। वे स्वयं कोई कर्म करना नहीं चाहते और काय सम्पन्न न होने पर भगवान को दोषी ठहराते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन दूसरों पर आश्रित रहता है, उनका भविष्य बालू की दीवार के समान होता है जो पर-स्थितियों के धक्के मात्र से अपना अस्तित्व खो बैठता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन समाज में निन्दनीय होता है। आलसी व्यक्ति भी दूसरे व्यक्तियों की भाँति उन्नति करना चाहता है परन्तु आलस्य उसकी शक्ति और आत्म-विश्वास को नष्ट कर देता है, उसे उन्नति करने की अपेक्षा अवनति की ओर धकेल देता है। अपनी इन असफलताओं के लिए वह ईश्वर, भाग्य, दैव आदि पर दोषारोपण करता रहता है। परन्तु जो व्यक्ति अपने कर्म या शक्ति में विश्वास करते हैं, विजयश्री स्वयं आकर उनके चरण चूमती है।

इस प्रकार आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। वह मानव को किसी भी स्थिति का नहीं छोड़ता। यद्यपि मानव शरीर के बहुत-से शत्रु हैं जैसे—काम, श्रेय, अहंकार, मोह, लोभ आदि, परन्तु आलस्य तो इनमें सर्वोपरि है। आलस्य मनुष्य की समस्त चेतना को कुंठित कर देता है। उसकी बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। परिणाम यह होता है कि उसका जीवन निराशामय हो जाता है। आलस्य का अहंकार उसकी समस्त आशाओं को अपने में विलीन

कर लेता है। अन्त में वह पराश्रित जीवन व्यतीत करता है। पराश्रित एव परार्थीन व्याक्त को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसा कि तुलसीदास ने कहा है—“पराधीन सपनेहु सुख नाही।” आलस्य मनुष्य को उन्नत कर्म से विचलित कर उसे अन्धकार के गत में गिरा देता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं होता।

आलस्य से मानव जीवन में अनेक हानियाँ हैं। आलस्य मानव को निकम्मा बना देता है। वह कभी भी जीवन में सफल नहीं होता। आलसी विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता, वह पढ़ने से भयभीत रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए आलस्य विषय के समान है। उसके आलस्य करने पर सारा परिवार भूखों मरने लगेगा और उनका जीवन-निर्वाह कठिन हो जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति किसी प्रकार का उद्यम नहीं कर सकता। न वह नौकरी कर सकता है, न वह व्यापार ही कर सकता है। आलस्य उसके आचार-विचारों का परिवर्तित कर उसकी भावनाओं का कलुषित कर देता है। उसकी दृष्टि दूसरे के गुणों की अपेक्षा अवगुणों पर अधिक लगी रहती है। स्वयं तो कुछ प्रगति नहीं कर सकता; परन्तु दूसरों की आलोचना करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। वह सदैव अपनी स्वार्थसिद्धि में रत रहता है। झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों की वस्तु पर दृष्टि रखना आदि कार्यों में वह उद्यत रहता है। आलसी व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा कायर व्यक्ति होता है; जो आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे हटता है। आलस्य उन्नती प्रगति एवं उन्नति को रोक देता है। उसमें आत्मनिर्भरता की शक्ति नहीं रहती। आलसी व्यक्ति को उत्थान के स्थान पर पतन, उन्नति के स्थान पर अवनति और यश के स्थान पर अपयश ही प्राप्त होता है। आलसी व्यक्ति पर आक्षेप करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है—

सिर धुन धुन पठताहि

कालहि, कर्महि, ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाहि ।

आलस्य त्यागने पर मनुष्य निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। चाहे वह उद्देश्य धनार्जन करने का हो अथवा विद्याध्ययन करने का। उद्यमशील एवं कर्मण्य व्यक्ति की सफलताएँ स्वयं चरण चूमने लगती हैं। संसार की सम्पत्ति, वैभव, यश सब कुछ उसे सहज प्राप्त हो जाता है। विषम से विषम परिस्थितियाँ भी उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकतीं।

पुरुषार्थी व्यक्ति ही अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है—

“दैवं तिहत्य करु पौरुषमात्मशक्त्या,
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ॥”

अर्थात् “दैव को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं हो तब सोचो कि यहाँ क्या दोष है।” मनुष्य स्वयं ही अपने भविष्य का नियामक होता है। यदि वह चाहे तो अपने श्रम से भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए हैं, वे अपने उद्यम तथा साधना द्वारा ही महान बन सके हैं। जिन व्यक्तियों में धैर्य, साहस और कर्मण्यता का अभाव होता है वे ही दैव-दैव पुकारते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र के महान शत्रु होते हैं।

संसार में कर्म को प्रधान माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस सम्बन्ध में लिखा है—“कर्म प्रधान विस्व करि राखा”। गीता में भी भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया है। कर्म करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है; कर्म के अभाव में वह अपना, समाज का और देश का कल्याण नहीं कर सकता है। शालसी और अकर्मण्य व्यक्ति का जीवन नीरस होता है। उद्यमी व्यक्ति ही स्वावलम्बी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ही स्वयं का, समाज का और राष्ट्र का भला कर सकता है; ऐसा व्यक्ति ही देश का सच्चा सेवक होता है। अतः व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी में सबका कल्याण निहित है।

२१. श्रमदान

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना—श्रमदान का अर्थ
२. विविध दानों में श्रमदानों का स्थान
३. श्रमदान का महत्त्व
४. श्रमदान से लाभ
५. हमारे राष्ट्र में श्रमदान का रूप
६. उपसंहार.

श्रमदान शब्द ‘श्रम’ और ‘दान’ दो शब्दों से मिलकर बना है। श्रम का अर्थ है परिश्रम और दान का अर्थ है देना। इस प्रकार श्रमदान का अर्थ है

‘परिश्रम देना’ । जिस प्रकार दान में हम किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को भोजन, वस्त्रादि देते हैं, उसी प्रकार श्रमदान में श्रम से प्राप्त लाभांश किसी व्यक्ति अथवा समाज को दिया जाता है । परन्तु श्रमदान का यह अर्थ संकीर्ण है । विस्तृत अर्थ में यह शब्द एकदम नया है । इस शब्द का प्रचलन आचार्य विनोबा भावे के भूदान के साथ हुआ है । जिसका मुख्य आधार ‘दान संविभागः’ है अर्थात् जिनके पास अधिक धन, या श्रम है वे अभावग्रस्त लोगों को अपने पास से कुछ धन या श्रम दें । इस प्रकार के दान एवं समान विभाग में कर्तव्य एवं कल्याण की भावना निहित है । ऐसे दान में दान लेने वाले के प्रति तुच्छता की भावना तथा दान देने वाले के प्रति बड़प्पन की भावना नहीं रहती । न दान देने और लेने वालों के मन में ऐसी भावना जागती है ।

दान के अनेक रूप हैं । उदाहरण के लिए सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, भोजन-दान, वस्त्रदान, हलदान, बेलदान, कूपदान, जीवनदान, विद्यादान, भूदान, श्रमदान आदि । परन्तु इन सभी दानों में श्रमदान का महत्त्वपूर्ण स्थान है । अन्य दान जहाँ व्यक्ति को सुलभ न होकर दुर्लभ है, वहाँ श्रमदान जन-साधारण को सुलभ है । इसके लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती । भोजन-दान वही कर सकता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो । परन्तु श्रमदान में श्रमदाता को कोई वस्तु देनी नहीं पड़ती, वरन् वह शरीर की शक्ति का ही दान करता है । जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता । इस प्रकार श्रमदान सभी दानों में श्रेष्ठ होता है ।

श्रमदान का महत्त्व सभी दानों से अधिक है । क्योंकि श्रमदान मनुष्य तथा देश की उन्नति का मूल कारण है । जिस कार्य को एक व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता, उसे श्रमदान द्वारा आसानी से किया जा सकता है । जिन योजनाओं के पूरा करने के लिए लाखों की सम्पत्ति चाहिए और जिनके लिए सरकार या धनवानों का मुँह ताकना पड़ता है, उनमें से बहुत-से कार्य श्रमदान और पारस्परिक सहयोग से सहज हो गये हैं । यातायात के लिए मार्ग या सड़क का निर्माण करना, सिंचाई के साधनों का निर्माण करना, बाँध बनाना, जन-कल्याण का कार्य करना, भवन निर्माण करना, आदि कार्य श्रमदान द्वारा आसानी से किये जा सकते हैं । श्रमदान द्वारा व्यक्ति ऊँच-नीच की भावना से ऊपर उठते हैं । उनमें समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व की भावना उत्पन्न होती है । श्रमदान उन्हें एकता की भावना प्रदान करता है । यह भावना उन्हें

किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देती। श्रम से निर्माण कार्य शीघ्र ही सम्भव हो जाता है। देश की अनेक समस्याओं को श्रमदान द्वारा हल किया जा सकता है। श्रमदान के अभाव में उत्पादन का कार्य असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। यही कारण है कि हम अन्न तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं।

श्रमदान से अनेक लाभ हैं। इसमें हमारे देश और समाज को पर्याप्त लाभ है। हमारी राष्ट्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए श्रमदान का सहयोग आवश्यक है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। श्रमदान द्वारा बड़े से बड़े कार्य जो समाज के लिए लाभदायक हैं, सरल बन जाते हैं। इससे लोगों की शारीरिक शक्ति बढ़ती है। श्रम से बीमारियाँ दूर होती हैं और देश के लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होते हैं। श्रमदान लोगों को कर्मवीर बनाता है। उन्हें सच्चाई, भलाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। श्रमदान से विश्व-बन्धुत्व और समानता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। व्यक्तियों में आत्म-विश्वास तथा स्वावलम्बन की भावना पैदा होती है। इस प्रकार श्रमदान से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। श्रमदान व्यक्तियों को उदारता की शिक्षा देता है जिससे उनके मन में संतोष और आनन्द की भावना पैदा होती है। श्रमदान व्यक्तियों की संकुचित भावना एवं स्वार्थपरता को दूर करता है। इस प्रकार देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति श्रमदान द्वारा ही सुधारी जा सकती है। श्रमदान नवीन युग की पुकार है, नवीन युग का ध्येय है, नवीन आर्थिक एवं सामाजिक क्रान्ति है।

श्रमदान भारत के लिए कोई नयी वस्तु नहीं है। यह भावना हमारे देश में बहुत पहले ही विद्यमान थी। हमारी परतन्त्रता एवं गरीबी का एकमात्र कारण श्रमदान का अभाव था। सर्वप्रथम गांधीजी ने इस भावना का श्रीगणेश किया। ग्रामोद्योग एवं खादी के प्रचार से उन्होंने लोगों में श्रमदान की भावना को पैदा किया। इसके बाद विनोबा भावे ने इस विचारधारा को सक्रिय रूप दे दिया। इससे धन और श्रम दोनों की ही वृद्धि होती है। परन्तु आजकल भारत में श्रमदान के प्रति फिर उपेक्षा भाव दिखायी देता है। कुछ सरकारी अधिकारी अपनी स्वार्थपरता के कारण देशवासियों को धोखा दे रहे हैं। जब तक ये व्यक्ति अपनी स्वार्थ की संकुचित सीमा को दूर नहीं करेंगे तब तक

देश और देशवासियों का कल्याण सम्भव नहीं है। उन्हें जनता में श्रम के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए ताकि जनता का कल्याण हो सके। परन्तु भारत में कुछ स्थानों पर श्रमदान का कार्य बड़ी ईमानदारी और गम्भीरता से हुआ है और कहीं-कहीं हो रहा है।

इस प्रकार देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति श्रमदान में तन, मन और धन से सहयोग दे। इससे देश की प्रत्येक योजना सफल होगी। देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया, ममता, सत्यता और परोपकार की भावना उत्पन्न होगी जिससे कि देश में भ्रातृत्व की भावना का प्रसार होगा। देश का कल्याण होगा और करोड़ों व्यक्तियों का भला होगा। देश की कठिनाइयाँ हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो जायेंगी। फिर एक बार इस धरा पर मानव सुख और समृद्धि से पूर्ण होकर स्वच्छन्द विहार कर सकेगा।

२२. जब मेरी बहन की सहेली के विवाह में विधन उपस्थित हुआ

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना
२. सजावट
३. दुल्हन की सजावट
४. पुरानी घटना की स्मृति
५. बारात का आगमन
६. भट्टी से आग लगना
७. दुल्हन का झुलस जाना
८. सहेली से विवाह
९. दुल्हन का ठीक हो जाना
१०. अपने मन की भावना का स्पष्ट करना

विवाह मानव-जीवन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्कार है। हिन्दुओं में इसकी गणना षोडश संस्कारों में है। वह प्रमुख चार संस्कारों में से एक माना गया है। सभ्य एवं अर्द्ध-सभ्य सभी जातियों में विवाह बहुत आनन्द और उत्साह से मनाया जाता है। एक-दूसरे के अनुरूप वर-वधू होने, ठीक जोड़ी

होने पर तो यह सचमुच ही बहुत आनन्द का विषय है। आजकल कुछ युवक और युवतियों में विवाह न करने की भावना प्रबल हो रही है। उसका प्रमुख कारण जीवन की जिम्मेदारियों से घबड़ाकर वच निकलना भर है। विभिन्न जातियों में विवाह की प्रथाएँ भिन्न-भिन्न हैं और उस अवसर पर आनन्द और उत्सव मनाने का ढंग भी अलग-अलग है। उस उत्सव में विघ्न भी अत्यन्त दुःखद होता है। पर अप्रत्यागित रूप से अचानक उस अवसर का आ जाना उतना ही, वल्कि उमसे भी कहीं अधिक आनन्ददायक होता है। मुझे दोनों का एक साथ ही अनुभव हुआ।

मेरे घर के ठीक सामने सरला रहती है। उसकी शादी थी। सरला को मैं जीजी कहती हूँ। वह मेरी बड़ी बहन की सहेली है। दोनों समवयस्क हैं, वह मुझसे दो वर्ष बड़ी हैं। इन दोनों घरों के बीच में एक छोटा-सा खुला मैदान है। शादी के अवसर पर इसमें पण्डाल लगा लिया जाता है और दोनों घरों के दरवाजे सजा दिये जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। पण्डाल और दरवाजे बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाये गये थे। दरवाजों की सजावट से यह मालूम करना कठिन था कि शादी कौन से घर में है। उस दिन 'ढुकाव' था। सायंकाल दरवाजे पर बारात के स्वागत का आयोजन था। बिजली और लाइटस्पीकर का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया था। वैसे तो पिछले दो-एक दिन से मैं और मेरी बहन प्रायः दिन भर सरला के यहाँ ही रहती थीं। पर उस दिन तो विशेष अवसर था। हम दोनों उस दिन सुबह से वहीं थीं। दिन भर सरला को सजाने के तरह-तरह के उपकरण इकट्ठे करती रहीं। उसको सजाने एवं चरमाला के लिए ले जाने के लिए पूरा कार्यक्रम हमने ही तैयार किया था। सरला केवल मेरी बहन की सहेली नहीं थी, वह हमारे कुटुम्ब की भी थी। कुछ पीढ़ियों का अन्तर अवश्य था। अतः इन सारे कार्यों का उत्तरदायित्व हम पर ही था। एक दिन जीजी ने रमेश के मकान में उसकी दुल्हन को सजाने की बात कही थी। शायद जीजी आज वहीं आनन्द ले रही थीं।

उस दिन हम दोनों का मन बहुत उल्लसित था। मैं सोच रही थी कि सरला कितनी उल्लसित होगी। रमेश जैसा बर भी तो सरला को मिल रहा है। बारात का दरवाजे पर पहुँचने का समय नजदीक आ रहा था। मैंने अपने कपड़े बदल लिए। मैं सलवार-कुर्ता पहनकर जल्दी से तैयार हो गयी, पर जीजी ने सजाने में बहुत देर लगायी। वह लाल रेशमी साड़ी और उसी रंग का ब्लाउज

पहन कर निकलीं। लाल चूड़ियों के साथ आज जीजी भी गजब की सुन्दर लग रही थीं। जब वह सहेलियों में आयी तो एक कह ही बैठी 'मंजु भी आज दुल्हन बन आयी है।' आज ही किसी से इसकी भी.....। जीजी ने कुछ झेंपकर और आँखें दिखाते हुए अपने हाथ से उसका मुँह बन्द कर दिया। जीजी का क्रोध क्षणिक था। वह तो अन्दर से बहुत प्रसन्न थी। रह-रह कर उल्लास की लहरों में वह डूबती और तैरती ही अधिक प्रतीत हो रही थी।

अचानक मैं स्वप्न में डूबी हुई-सी हो गयी। पाँच वर्ष पूर्व की अपने घर की चुलबुलाहट के कुछ स्पष्ट दृश्य मेरी आँखों के सामने नाचने लगे। कभी 'रमेश' का और कभी 'जीजी' का चित्र मेरी आँखों के सामने घूमने लगा। मैं उनमें खोयी-खोयी सी हो गयी।

रमेश बचपन से हमारे शहर में अपनी ननसाल में ही रहे थे। यहाँ से दो वर्ष पूर्व ही गये हैं। वे हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। इससे वे अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे और हम लोग भी उनके घर जाते थे। बचपन से जीजी और रमेश बहुत साथ-साथ रहे। रमेश जीजी की पढ़ाई में बहुत सहायता किया करते थे। इसमें वे दोनों और भी सन्निकट रहे। रमेश का स्वभाव बहुत मधुर है। वे हँसमुख और मृदुभाषी हैं। कुछ न कुछ मजाक निरन्तर करते ही रहते हैं। मुझे ऐसा स्पष्ट लगता था कि रमेश और जीजी में पारस्परिक एक आकर्षण है। पर शील, संयम एवं मर्यादा के नियन्त्रण ने यह बात कभी प्रकट नहीं होने दी। यह नियन्त्रण बाहरी नहीं था। उन दोनों पर अपना ही आन्तरिक नियन्त्रण था। रमेश जीजी को हमेशा 'मंजु' कहते थे और जीजी उन्हें 'रमेश'। वे परस्पर में इसके अतिरिक्त किसी अन्य सम्बोधन का प्रयोग नहीं करते थे। कई बार 'रमेश' कहते हुए जीजी को टोका भी गया, पर उसने 'रमेश' ही तो है, कहकर टाल दिया। 'रमेश' को भी यही सम्बोधन अच्छा लगता था।

रमेश के लिए प्रायः चाय और उसके साथ का नाश्ता जीजी ही बनाती थीं। रमेश उस नाश्ते के बारे में कुछ न कुछ अवश्य कह देते थे। ज्यादातर तो मजाक बनाते थे, पर कभी-कभी प्रशंसा भी बहुत करते थे। एक दिन कहने लगे 'मंजु' तुम बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हो। जहाँ जाओगी, वहाँ यह काम तो बहुत... ..। बीच में ही जीजी बोल उठी पर 'रमेश तुम' तो उसका एक ही बनाओगे'। मैं कुछ दूर बैठी थी। थोड़ी ही बात सुन पायी थी।

मेरे मुँह से निकल गया 'बस, जीजी तुम नाश्ता बनाओ और ये मजाक बनायें।' रमेश और जीजी की आँखें एक क्षण के लिए एक-दूसरे से मिलकर रह गयीं। जीजी 'चुप' कहकर वहाँ से चली गयी। जीजी का लज्जामय चेहरा देखकर मैं भी कुछ झेंप गयी और वहाँ से उठकर भाग गयी। रमेश भी उठकर चले गये। उस दिन के बाद जीजी और रमेश परस्पर मुस्कराते तो थे, पर खुलकर बात कम करते थे। जरा सम्बोधन भी कम करने लगे। यह सारी घटना चित्रपट के समान मेरी आँखों के सामने उस समय घूम गयी।

इतने में ही वारात के आने का समय हो गया। रेडियो पर अनेक सुन्दर गीत बजने लगे। 'बहारो फूल बरसाओ मेरा महवूब आया है' के सुनते ही दूसरे विचार-तरंग शुरू हो गये। मुझे ज्ञात था कि जीजी और रमेश दोनों को ही यह गीत अत्यन्त प्रिय रहा है। जीजी कुछ देर के लिए इस गीत में तन्मय हो गयीं। रमेश क्रीम-कलर के सूट में खूब फव रहा था। जीजी ने कहा, "देख, रमेश कैसा अच्छा लग रहा है!" यह रंग जीजी को पसन्द है और यह बात रमेश को मालूम थी। मेरे मन में अचानक विचार चमक गया 'रमेश को लाल साड़ी बहुत पसन्द थी।' क्या दोनों ने यही सोचकर ये रंग आज पसन्द किये हैं।

वारात घर के सामने की सड़क पर ठहर गयी। वहाँ पर अगवानी की रस्म होने लगी। इधर सरला को बरमाला के लिए तैयार करना था। सरला उधर जरा पाखाने की ओर गयी। पाखाने का रास्ता चौक में से था। वहाँ पर मिठाई की भट्टी जल रही थी। जब सरला अपनी एक-दो सहेलियों के साथ भट्टी के पास से निकल रही थी, उमी समय हलवाई ने भट्टी पर से घी की कढ़ाई उतारी। घी छलककर भट्टी में गिरा और एक बहुत ऊँची लपट निकली। विधि का विधान सरला उस ज्वाला की लपेट में आ गयी। उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली। भागकर बुझाने की बहुत चेष्टा की गयी। पर सरला को जलने से बचाया नहीं जा सका। उसका चेहरा, हाथ-पैर आदि बहुत ज्यादा जल गये। रंग में भंग हो गया। सरला को शीघ्र अस्पताल पहुँचाया गया।

सारा घर विपादमग्न हो गया। बाजे-गाजे सब बन्द हो गये। वारात के कुछ उत्साही व्यक्ति भी उपचार के लिए दौड़-धूप करने लगे। अत्यन्त चिन्तित अवस्था में बचे हुए लोग पाण्डाल में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गये। सब 'किंकर्तव्यविमूढ़' थे।

सरला इस वेदना से बेहोश हो गयी थी। बहुत देर उपचार करने के बाद

अर्द्ध-रात्रि के बाद सरला को कुछ होश आया। वह बहुत कठिनाई से कुछ बोल पा रही थी। उसने अस्पष्ट संकेत किया 'मंजु की शादी कर दो।' थोड़े नेत्र खोलकर उसने रमेश और मंजु की ओर अनुनय, व्यथा, असमर्थता एवं क्षमायाचना भरी दृष्टि से एक क्षण के लिए देखा। व्यथा के कारण उसकी आंखें अधिक देर खुली नहीं रह सकीं।

दूसरे दिन रमेश से मंजु जीजी की शादी हो गयी। हमारे घर में आनन्द और चिन्ता का विचित्र वातावरण रहा। उस समय रमेश और जीजी के मन की क्या अवस्था थी, यह भी शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता।

सरला जीजी ठीक हो गयी। चेहरा तो बहुत विकृत हो गया है। सरला जीजी ने वाद में मुझे एक दिन बताया कि वह रमेश की सौन्दर्य-भावना से परिचित थी। वह अपनी असुन्दरता से रमेश के जीवन में निराशा का संचार नहीं करना चाहती थी। मंजु और रमेश में पहले कभी प्रेम भी रहा था। उनके हृदय के किसी कोने में किशोर जीवन के साहचर्य को चिर रूप देने की आकांक्षा भी छिपी हुई थी। वह भी पूरी हुई। यह जानकर सरला जीजी को और भी खुशी हुई। त्यागमूर्ति सरला को देखकर आज भी मेरा हृदय गर्व से फूल जाता है।

२३. चन्द्रलोक की यात्रा

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना : ज्ञान-पिपासा
२. चन्द्रलोक पर पहुँचने की पुरातन इच्छा
३. अमरीका का पहुँचना
४. अपोलो-११ और अपोलो-१२ के विजय-दिवस
५. यात्रा की कठिनाइयाँ
६. सभी विज्ञानों का सम्मिलित प्रयास
७. यान और यात्रा का वर्णन
८. यात्रा के लाभ
९. उसके महत्त्व पर विचार

अँधेरी रात में नीला आकाश असंख्य ग्रहों और नक्षत्रों से भरा हुआ बहुत ही सुन्दर, विचित्र एवं रहस्यपूर्ण प्रतीत होता है। नक्षत्रों की असंख्यता

तथा अनेक रंगों की चमक मानव-मन को मुग्ध कर लेती हैं। व्यक्ति में सहज ही यह जिज्ञासा भी जागती है कि वे ग्रह-नक्षत्र निकट से कैसे प्रतीत होते हैं? उनका तल कैसा है? उनमें हमारी पृथ्वी की तरह जीव-जन्तु, वनस्पति एवं मानव रहते हैं क्या? अगर रहते हैं तो हमसे कितने मिलते-जुलते अथवा भिन्न हैं? आदिकाल से आश्चर्य, मुग्धता और जिज्ञासा की यह कथा चल रही है। पर दूरी, वहाँ तक पहुँचने में मानव के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा रही है।

चन्द्रमा ही पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक का ग्रह है। अतः सबसे पहले चन्द्रमा में पहुँचने और वहाँ की स्थिति को जानने की आकांक्षा स्वाभाविक ही थी। यह आकांक्षा युगों से नहीं, शताब्दियों से, हजारों वर्षों से मानव में रही है। रामायण, महाभारत, पुराण आदि में चन्द्रलोक की कल्पना है। राजाओं और ऋषियों के वहाँ जाने का वर्णन भी है। पर वह सब तो अब इतिहास नहीं, कल्पना या मिथ (Myth) का अंश बन गया है। अतः युगों से मानव इस यात्रा को केवल कल्पना एवं काव्य की वस्तु ही मानता रहा। पर अभी कुछ दिन पूर्व मानव का युगों पुराना यह स्वप्न साकार हो गया है।

रूस के जियोलोकोवस्की इस युग के प्रथम वैज्ञानिक हैं जो चन्द्रयात्रा के वास्तविक स्वप्नदृष्टा माने जा सकते हैं। उन्हीं के सिद्धान्तों और प्रयोगों के आधार पर चन्द्रयान की मोटी रूपरेखा तैयार की गई। चन्द्रयान के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया ढूँढ़ निकालने में रूस के वैज्ञानिकों की देन कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। ४ अक्टूबर, १९५७ को सोवियत वैज्ञानिकों ने ही संसार का प्रथम उपग्रह पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया। राकेट की कल्पना भी प्रथम बार इसी वैज्ञानिक द्वारा हुई। पृथ्वी के गुह्त्वाकर्षण से बाहर निकलने की समस्या का समाधान रूस ही सबसे पहले दे सका। ३ नवम्बर, १९५७ को रूस ही प्रथम बार अन्तरिक्ष में जीवित प्राणी भेज सका जिससे मानव अन्तरिक्ष यात्रा पर पढ़ सकने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सका। उसी वर्ष सोवियत मेजर घेर्मोनास्तोव ने २४ घण्टे तक लगातार पृथ्वी की परिक्रमा की। रूस का ल्यूना चन्द्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। चन्द्रतल पर मानव उतार देने की पूर्व-पीठिका रूस ने तैयार की, पर इसमें अब तक सफलता अमेरिका को ही मिल सकी।

अमरीका ने चन्द्र-तल पर दो बार मानव को उतारकर इस स्वप्न को जागरण एवं कल्पना को तथ्य में बदल दिया है। चन्द्रमा पर मानव-चरणों का

पड़ जाना विज्ञान की महान सफलता है; मानव बुद्धि की अभूतपूर्व विजय है। यह हजारों वैज्ञानिकों एवं कार्यकर्ताओं के वर्षों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिक चिन्तन एवं यान्त्रिक तथा प्राविधिक कुशलता का परिणाम है। इसमें अरबों की घनराशि एवं आशातीत शक्ति का व्यय हुआ है। मानव के चरणों को चन्द्रमा तक पहुँचाने के लिए अनेक त्यागी एवं तपस्वी वैज्ञानिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस यज्ञ की पूर्ति के लिए यह सब अपेक्षित था। अभी यह यज्ञ चालू है। अभी तो इसका प्रथम चरण ही पूरा हुआ है। पता नहीं यह यज्ञ कब तक चलता रहेगा। अभी तक इस यज्ञ से प्राप्त होने वाले फलों की कल्पना भी पूरी स्पष्ट नहीं है। इस पर मानव की महान आशाएँ अवलम्बित हैं।

२१ जुलाई, १९६९ वह प्रथम दिन था, जब अमरीका के आर्मस्ट्रॉंग और एलड्रिन नामक दो साहसी युवकों ने चन्द्रमा के तल पर अपने पाँव रखे थे। यह मानव की आकाश पर अभूतपूर्व विजय का स्वर्णिम दिन था। ये दोनों यात्री प्रायः एक दिन चन्द्र-तल पर रहे। वहाँ पर उन्होंने चन्द्रमा के अनेक चित्र लिये। उन्होंने वहाँ से यन्त्रों द्वारा अनेक चित्र तथा सन्देश पृथ्वी-तल पर भेजे। जिन लोगों ने टेलीविजन की सहायता से उन दो साहसिकों को चन्द्र-तल पर चहलकदमी करते हुए देखा और उनके द्वारा भेजे गये सन्देश प्राप्त किये, वे उस समय आनन्द से उछल पड़े। चन्द्र-तल से चट्टानों के कुछ भाग वैज्ञानिक परीक्षण के लिए लेकर वे यात्री सकुशल पृथ्वी पर वापस आ गये। यह अपोलो-११ की यात्रा थी।

१९ नवम्बर, १९६९ मानव के ज्ञान-इतिहास का दूसरा दिन था, जब चार्ल्स कोनार्ड और एनल वीन नामक दो और व्यक्ति चन्द्र-तल पर उतरे। वे चार घण्टे तक पाउडर के समान चन्द्र-तल पर चहलकदमी करते रहे। उन्होंने अपने राष्ट्र की ध्वजा वहाँ फहरा दी। वहाँ पर उन्होंने अध्ययन के लिए कई यन्त्र स्थापित कर दिये। इस प्रकार अपोलो-१२ के द्वारा अन्तरिक्षयात्रा का एक महत्त्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया। पहले की तरह इन यात्रियों ने भी वहाँ से पत्थर एकत्र किये। इनका कहना है कि जिस स्थान पर ये लोग उतरे थे, उस स्थान का काला पाउडर पहले यात्रियों के द्वारा देखे गये काले पाउडर की अपेक्षा भारी है।

चन्द्रमा के तल पर उतरकर निरीक्षण करने के लिए इन दो यात्रियों के अतिरिक्त दोनों यानों में एक-एक व्यक्ति और थे। चन्द्र-तल के इन यात्रियों को पृथ्वी-तल पर पुनः वापस लाने के लिए एक यान की व्यवस्था थी। यान का वह भाग चन्द्रमा के चारों ओर चक्कर काटता रहा। यान के इसी भाग में वह तीसरा व्यक्ति था। अगर इन यानों से चन्द्र-तल के यात्रियों का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय तो उन यात्रियों का पृथ्वी तल पर वापस लौटना ही असम्भव है। अतः यान के भाग को सँभाले रखने तथा चन्द्रमा के चारों ओर चक्कर काटते रहने का इस तीसरे यात्री का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण था।

चन्द्रलोक की यात्रा के लिए निर्मित यान अनेक यन्त्रों का मिश्रित रूप है। यह यात्रा भी बहुविध एवं जटिल क्रियाओं का विचित्र योग है। चन्द्रलोक तक मानव अथवा किसी भी प्राणी को पहुँचा देने की कल्पना के साथ ही वैज्ञानिकों के समक्ष अनेक प्रकार की जटिल समस्याएँ खड़ी हो गयीं। इनका समाधान विज्ञान की किसी एक शाखा के पास नहीं हो सकता था। यह तो समस्त विज्ञानों के द्वारा सुलझायी जाने वाली गुत्थी थी। उसमें भौतिकी, रसायनशास्त्र, अन्तरिक्ष-विज्ञान, जीव-विज्ञान आदि सभी शाखाओं का समुचित एवं उत्कृष्ट कोटि का प्रयोग आवश्यक था। अनेक वैज्ञानिकों को पूर्ण सहयोग के साथ अनेक वर्ष कार्य करना पड़ा है। सभी सम्भाव्य असुविधाओं और आपत्तियों का पहले से निराकरण सोचकर तथा उनके लिए उपाय निकालकर चलना पड़ा है, तब कहीं इस कार्य में सफलता मिली है।

चन्द्रयात्रा के लिए निर्मित यान कई यन्त्रों का मिश्रित रूप है। यह कई खण्डों का छिली हुई पेंसिल के आकार का होता है जिसकी नोंक ऊपर की रहती है। प्रथम तीन खण्डों के ऊपर चन्द्रकक्ष तथा सबसे ऊपर कमानकक्ष रहते हैं। पहले तीन खण्ड गति के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। चन्द्रकक्ष ही चन्द्रमा के घरातल पर पहुँचता है। प्रारम्भ में कमान कक्ष सबसे ऊपर रहता है। पर बाद में उलटकर यह चन्द्रकक्ष के पीछे जुड़ जाता है। इस प्रकार मूल यात्रा में चन्द्रकक्ष ही सबसे आगे रहता है। चन्द्रमा पर उतरने वाले यात्री इसमें और पहरेदारी करने वाला यात्री कमानकक्ष में रहते हैं। चन्द्र-तल पर भ्रमण करने के बाद चन्द्रकक्ष पुनः आकर कमान-कक्ष से मिल जाता है। इस यान की गतिविधि पर इसमें रहने वाले इन तीन यात्रियों के साथ ही भूमि पर रहने वाले वैज्ञानिक भी नियन्त्रण करते रहे थे।

सह बहुत जटिल थाया थी। यात्रा के विभिन्न भागों में यान की गति भी निरन्तर-निरन्तर रही। कुछ देर तक अक्टोबो-११ एक सैक्रेट में २५,५०० मील चलता। अन्य आकाश में इसकी गति धीमी भी पड़ी। पृथ्वी के दो-एक चक्कर लगाने के बाद इन गतिधर्मों ने इस यान को चन्द्रमा की ओर अग्रसर किया। अक्टोबो-११ ने २ प्रयोग और ४४ मिनिट के बाद पृथ्वी का चक्र छोड़ दिया और चन्द्रमा की ओर बढ़ा। उसे ७३ घण्टों में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचता था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निरन्तर चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। इन तीनों के गुरुत्वाकर्षण का सम्बन्ध-यान को न्यून गुरुत्वाकर्षण का रहा। उनमें से निरन्तर चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पहुँच आना कोई कम आश्चर्य की बात नहीं थी। यहाँ पर चन्द्रमा ही उन्हीं का भी गुरुत्व था। पर इन गतिधर्मों ने जो कार्य किये बहुत ही कुशलता से किये। उन्होंने इस यान में आकाश में कम महत्व प्राप्त हो यात्रा को सिरा सहज भाव में यहाँ तक पृथ्वी पर सौकरकार में आना हमला है। इन तीनों ने धीरे-धीरे किया, आराम किया और यहाँ तक कि उन यान में सोये भी।

अक्टोबो-११ और १२ की आकाशयुद्ध सफलता से प्रोत्साहित होकर अक्टोबो-१२ अर्थात् १९५० की अक्टोबो-१३ कोड़ा। यह यान चन्द्रमा पर नहीं पहुँच पाया। बीच में ही विद्युत् के एक प्रमुख सैक्रेट में खाम खरमा बन्द कर दिया था। हमारे तीन ईंधन टैरिन्की में से दो खराम हो गयीं। ऐसी अवस्था में चन्द्रमा पर उतरने की योजना स्थगित कर देनी पड़ी। उस समय तो इन चन्द्र गतिधर्मों को सफल पृथ्वी पर आगत में आने को समझना सबसे अधिक प्रमुख हो गया। वैज्ञानिकों ने इस कार्य में अपनी पूरी जटिलता थी और अन्य में उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। यानी सफल पृथ्वी पर सौट आये। यह यात्रा चन्द्रमा पर पहुँचने की दृष्टि में असफल रही, पर इनकी अन्य महत्व उपलब्धियाँ हैं। विज्ञान में इन यानों से बहुत कुछ प्राप्त किया है। नीत के आक्रमण का सामना करने हुए अक्टोबो-१३ का सफल पृथ्वी पर सौट आना विज्ञान की बहुत बड़ी सफलता है। इस प्रयोग ने अमरीका के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के गतियों का अधिक ज्ञान करा दिया है और उनके प्रति ये पहले से अधिक सजग हो गये हैं। यह विज्ञान के क्षेत्र की कुछ कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है।

वैज्ञानिकों के अनुसार चन्द्रमा तक पहुँचने के बहुत महत्त्वपूर्ण प्रयोजन हैं। इसके फल भी उतने ही महत्त्वपूर्ण होंगे। मानव को चन्द्रमा के झरोखे से उस विश्व को देखने का अवसर मिलेगा जिसको उसने आज तक कभी नहीं देखा है। चन्द्रमा की मिट्टी और चट्टानों में कई बहुमूल्य एवं नयी धातुओं के मिलने की सम्भावना है। इससे रसायनशास्त्री ११० धातुओं के अतिरिक्त किसी नयी धातु का निर्माण कर सकेंगे, ऐसी उनको आशा है। पृथ्वी पर शक्ति उत्पादक पदार्थों (जैसे कोयला आदि की) जो कमी होती जा रही है, उस अभाव की पूर्ति भी चन्द्रमा से हो सकेगी। अन्तर्िक्ष के अन्य ग्रहों तक जाने अथवा उनका अधिक निकट से अध्ययन करने के लिए चन्द्रमा को एक स्टेशन के रूप में काम में लिया जा सकेगा। ऐसे अनेक फलों की प्राप्ति की सम्भावना वैज्ञानिकों की है। आकाश (Space) की भौतिकी का नया युग तो प्रारम्भ हो ही जायेगा।

मानव ने चन्द्रलोक की यात्रा से नया वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ पुराने स्यालों और अन्धविश्वासों से मुक्ति भी प्राप्त की है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का उसका अहंभाव भी पहले की अपेक्षा पुष्ट हुआ है। अपोलो-१३ से इस अहंभाव के एक अंश को गहरी टेम लगी है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक में अत्म विश्वास की पुष्टि भी हुई है। कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई है और आगे भी होगी। पर बहुत गहराई से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि यह कितना महँगा सौदा है। इसका कुछ आभास तो वैज्ञानिकों को अपोलो-१३ की असफलता से हो गया है। अरबों और खरबों को सम्पत्ति और शक्ति को व्यय करके मानव यह कार्य कर रहा है। अमरीका और रूस जैसे देशों के पास इतना धन है कि वे इन कार्यों में लगा रहे हैं। पर शेष विश्व के कितने ही ऐसे देश हैं जिनमें मानव अभावग्रस्त हैं। यह धन तथा युद्धों पर व्यय होने वाला धन पीड़ित मानवता को कुछ आराम देने के लिए भी तो व्यय किया जा सकता है। मानवता की यही माँग है। अमरीका और रूस का धन पृथ्वी के सम्पूर्ण मानवों का धन है, सम्पूर्ण पृथ्वी का धन है। उसका अपनी ज्ञान-पिपासा की शान्ति के लिए प्रयोग न्यायानुकूल नहीं। चन्द्रमा से चीजें कितनी मिलेंगी, उन पर कितना व्यय होगा, उनसे सम्पूर्ण विश्व की क्या समृद्धि बढ़ेगी, ये सब प्रश्न विवादास्पद हैं। उनके लाने में इतना व्यय होगा कि उनको वहन करने में पृथ्वी की मानवता स्वयं कराह उठेगी। थोड़े ज्ञान की प्राप्ति का महत्त्व केवल अहंकार की पुष्टि-मात्र होती है।

२४. मेले का वर्णन (कैला देवी का मेला)

रूपरेखा—

१. प्रस्तावना—मेले की तैयारी
२. मार्ग के प्राकृतिक दृश्य एवं कठिनाइयाँ
३. कालीसिल-स्नान एवं देवी-पूजा
४. देवीजी के मेले का दृश्य
५. वापस लौटने पर रात्रिकालीन यात्रा का वर्णन
६. उपसंहार

यों तो प्रत्येक देश, प्रान्त एवं क्षेत्र में अनेक मेले, हाट आदि लगते हैं। परन्तु कुछ मेले ऐसे होते हैं जिनका सामाजिक एवं धार्मिक महत्त्व अधिक होता है। ऐसे मेलों में कैलादेवी का मेला अधिक महत्त्वपूर्ण है। राजस्थान के पूर्वी भाग में इस मेले की अधिक मान्यता है। प्रत्येक परिवार को चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, आवश्यक रूप से इस मेले में सम्मिलित होना पड़ता है। प्रत्येक नव शिशु के जन्म पर और परिवार में नव-विवाह के अवसर पर देवी माता की भेंट देने जाना पड़ता है। इस दृष्टि से इस मेले की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है।

प्रतिवर्ष चैत्र सुदी अष्टमी को यह मेला लगता है। चूँकि हमारे परिवार में भी एक नव विवाह हुआ था, इसलिए देवीजी की भेंट देने जाना स्वाभाविक था। पिताजी के आदेशानुसार मेले जाने का और भी निश्चय हो गया। सप्तमी को दिन भर मेले की तैयारियों का कार्यक्रम चलता रहा। पिताजी पड़ोस में जाकर कैला माली की बेलगाड़ी मेले जाने के लिए तैयार कर आये। इधर माताजी ने भी अपनी आधी योजना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दो दिन के लिए पर्याप्त भोजन तैयार कर लिया। सायंकाल ७ बजे सामान एकत्रित कर लिया। खाने-पीने की वस्तुओं को टिन के एक पीपे में बन्द कर दिया, ताकि सुविधापूर्वक रखा जा सके। विस्तरों की भी एक गाँठ बाँध दी गयी। सामान एकत्रित करने के पश्चात् सभी लोग सो गये। रात्रि के लगभग चार बजे सभी लोग जाग गये। पिताजी ने गाड़ी वाले को भी आवाज देकर जगा दिया ताकि वह शीघ्र ही अपनी गाड़ी तैयार कर ले। इधर माताजी ने भी पड़ोस की दो-चार स्त्रियों को बुलाकर देवीजी के गीत गाना प्रारम्भ कर

दिया। गाँव के और भी पाँच-छह परिवार हमारे साथ देवीजी को भेंट देने जा रहे थे। वे भी हमारे साथ ही तैयार हो गये। गाड़ी वाला गाड़ी लेकर घर के सामने आ गया। सबसे पहले सामान को भली प्रकार से रखा गया। उसके पश्चात् घर की समस्त स्त्रियाँ नववधू सहित गाड़ी में चढ़ गयीं। घर में सबसे छोटे होने के नाते हम भी गाड़ी पर ही सवार हो गये। भाई साहब, पिताजी, चाचाजी व अन्य व्यक्तियों ने पैदल आना स्वीकार किया। ताऊजी को रखवाली के लिए घर पर ही छोड़ दिया गया।

‘कैला मैया की जँ’ कहकर हमने यात्रा प्रारम्भ कर दी। हमारे साथ अन्य गाड़ियाँ भी चल दीं। हमारी गाड़ी सबके बीच में चल रही थी। प्रारम्भ में तो गाड़ियाँ धीरे-धीरे चल रही थीं, परन्तु गाँव के निकलते ही गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि हो गयी। मार्ग में भीड़ तो थी ही, साथ में धूल भी उड़ रही थी। आसपास के गाँवों के सैकड़ों व्यक्ति पैदल चल रहे थे। आगे मार्ग में कुछ अन्य बैलगाड़ियाँ भी जा रही थीं। मैंने गाड़ी को दौड़ाने के कारण हारी (बैलगाड़ी वाला) को आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने बैलों में पँनियाँ (चाबुक) मारकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हमारी गाड़ी को दौड़ती हुई देखकर अन्य गाड़ियाँ भी उसी रफ्तार से भागने लगीं। सभी व्यक्ति ‘कैला मैया की जँ’ की ध्वनि करते हुए अपने-अपने गाड़ी वाले को प्रोत्साहित करने लगे। परन्तु गाड़ी वाले मार्ग की बाधाओं से भलीभाँति परिचित थे। इसलिए वे व्यक्तियों के प्रोत्साहन का अंशतः पालन करने में समर्थ थे। फिर भी कुछ गाड़ी वाले इसका विधिवत पालन कर रहे थे। हमारा गाड़ी वाला मार्ग की समस्त बाधाओं से भलीभाँति परिचित था। इसलिए उसने हमारे साथ आने वाले अन्य गाड़ी वालों को भी रास्ते की आपत्तियों से परिचित कर दिया। रास्ते में मिट्टी तो थी ही, पत्थर भी अधिक मात्रा में थे जिससे बैलों के पैर एवं गाड़ी के टूटने का भी भय बना रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ियाँ भागने लगीं। दुर्भाग्यवश एक गाड़ी में कुछ खराबी आ गयी। जिसके कारण गाड़ी पलटते-पलटते बची। हम लोग उस गाड़ी की ओर देख रहे थे। इसीलिए आवाज देकर अन्य गाड़ी वालों को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। गाड़ी वाले अपनी-अपनी गाड़ी छोड़कर उस गाड़ी के पास आ गये जिसमें कि नुकसान हुआ था। उन्होंने गाड़ी का भलीभाँति निरीक्षण किया। इसके पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गाड़ी के पहिये की धुर खराब हो गयी

है। जिसके ठीक किये बिना गाड़ी अधिक दूर नहीं चल सकती थी। थोड़ी ही दूर पर नावली गाँव था; वहाँ कुछ लुहार रहते थे। इस तरह जैसे-तैसे गाड़ी को गाँव के नजदीक तक ले आये। लुहार ने एक दूसरी धर गाड़ी में लगा दी। अब गाड़ी पहले की भाँति ही चलने लगी। गाँव से निकलकर हम देवीजी की सीमा में घुस गये। देवीजी का मन्दिर चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। पानी के कारण सदैव हरियाली बनी रहती थी। देवीजी के मन्दिर के चारों ओर खस के वृक्ष थे जिनसे उत्पन्न सुगन्ध देवीजी के मन्दिर और उसके आस-पास के वातावरण को सुगन्धित करती रहती थी। अन्त में लगभग दस बजे हम देवीजी के मेले में पहुँच गये।

सबसे पहले हमने धर्मशाला में अपना सामान जमाया और उसके पश्चात् कालीसिल (तालाब विशेष) में स्नान करने चल पड़े। कालीसिल कहने को काली थी, परन्तु उसका जल अत्यन्त स्वच्छ था। मैं तो तैरना जानता था इसलिए बिना किसी की आज्ञा लिये उसमें कूद पड़ा। मेरे साथ लगभग सौ या दो सौ व्यक्ति तैर रहे थे और हजारों की संख्या में बैठकर स्नान कर रहे थे। स्नान करने के पश्चात् देवी पूजन को गये। पास में ही एक दूकान पर जूते उतारे तथा वहाँ से दीपक, प्रसाद और अन्य पूजा की वस्तुएँ खरीदी। पूजा करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वैसे तो काफी संख्या में पुलिस का प्रबन्ध था, फिर भी धक्का-मुक्की करने वालों की कमी नहीं थी। अन्त में जैसे-तैसे हम मन्दिर के अन्दर प्रवेश कर गये। देवीजी की मूर्ति फूलों, बतारों एवं श्रीफलों से लगभग ढकी हुई थी। मन्दिर में सुगन्धित वस्तियाँ जल रही थीं। दर्शकों की जय-जयकार एवं मन्दिर की घण्टा-ध्वनि भक्तों की धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित कर रही थी। हमने भी देवीजी की पूजा प्रारम्भ कर दी। पूजा समाप्त करने के पश्चात् हमने मन्दिर की परिक्रमा की, फिर मन्दिर के भीतर स्त्रियों का नृत्य देखा। स्त्रियाँ बड़ी तन्मयता से नृत्य कर रही थीं। प्रत्येक स्त्री को यहाँ अनिवार्य रूप से नृत्य करना पड़ता था। कुछ देर पश्चात् पुलिस का एक दल वहाँ आया और उसने मन्दिर के भीतर के समस्त व्यक्तियों को हटा दिया। हम भी उस भीड़ के साथ ही नीचे आ गये।

इस समय दिन के ठीक बारह बजे थे। भोजन का समय होते हुए भी मेले के दृश्य ने भूख को दूर कर रखा था। कुछ देर पश्चात् हम धर्मशाला में पहुँच गये। तब तक परिवार के समस्त व्यक्ति वहाँ एकत्रित हो चुके थे।

भोजन करने की सारी व्यवस्था हो गयी थी। परन्तु मेरे अचानक गुम हो जाने की चिन्ता सभी को बनी हुई थी। मेरे आने पर भोजन करना प्रारम्भ हुआ। माताजी के अतिरिक्त सभी लोगों ने खाना खाया। इसके पश्चात् तुरन्त ही मेला देखने का कार्यक्रम बन गया। पिताजी के आदेशानुसार भाई साहब के साथ हमने मेला देखना आरम्भ किया। दुकानों पंक्तियों में सजी हुई थीं। किसी दूकान पर ग्रामोफोन बज रहा था तो किसी पर रंग-विरंगे चित्र टंग रहे थे। मिठाई और फलों की दूकानों पर भीड़ लगी हुई थी। इस प्रकार दुकानों को देखते-देखते हम एक ऐसे स्थान पर पहुँच गये, जहाँ एक बड़ी भीड़ में लोग 'लांगुरिया' गाते हुए नाच रहे थे। इस स्थान के ठीक ऊपर स्त्रियाँ भी नृत्य कर रही थीं। दोनों दलों में परस्पर होड़ मच रही थी। दोनों एक-दूसरे के उत्तर गीतों के माध्यम से दे रहे थे। स्त्रियाँ देवीजी के समर्थन में गा रही थीं और व्यक्ति लांगुरिया के समर्थन में। इस प्रकार यह क्रम लगभग एक घण्टे तक चलता रहा। हम दोनों इस कार्यक्रम को रुचि के साथ देख रहे थे कि पुलिस ने आकर फिर इस भीड़ को तितर-बितर कर दिया। हम फिर आगे बढ़े और देखा कि पास ही एक लकड़ी के रहट में कुछ बच्चे झूल रहे थे। मेरा मन झूलने के लिए मचल उठा। भाई साहब के छोड़ जाने की घमकी पर भी मैं झूलने के लिए लालायित हो उठा। आखिर भाई साहब ने आज्ञा दे दी। पाँच पैसे में उसने यह भी इच्छा पूरी कर दी। आगे चलकर देखा तो कुछ आर्य-समाज के प्रचारक बलि-निषेध का उपदेश दे रहे थे। एक स्थान पर जादूगर अपना जादू दिखा रहा था। आगे कुछ ही दूर पर विभिन्न जातियों की पंचायतें हो रही थीं। एक ओर सकंस हो रहा था। हमारा भी मन हाथियों, शेरों और विभिन्न जानवरों के खेल को देखने के लिए मचल उठा परन्तु समयाभाव के कारण मन पर काबू करना पड़ा। इसके पश्चात् हम महाराजा भरतपुर की सवारी देखने के लिए चल पड़े। एक विशाल तम्बू के नीचे महाराज मसनद के सहारे लेटे हुए थे। आगे काफी बड़े मंदान में स्त्रियाँ सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर नाच रही थीं। महाराज प्रसन्न होकर उन्हें रुपये दे रहे थे। नृत्य के पश्चात् नट एवं भाट राजा की प्रशंसा करने पर उतर पड़े। भावावेश में राजा ने उन्हें पाँच-पाँच रुपये पुरस्कार के रूप में दिये। अन्त में 'कैला मैया की जै' के साथ राजा ने अपनी सभा विसर्जित कर दी।

इस प्रकार मेले में घूमते-घूमते पाँच बज चुके थे। हम लौटकर घमंशाला

आये। हम लोग काफी थक चुके थे इसलिए थोड़ा विश्राम भी किया। इसके पश्चात् देवीजी पर दीपक चढ़ाने का समय हो गया। सभी लोग दीपक चढ़ाने और देवीजी से सानन्द घर पहुँचने की विदा लेने गये। मन्दिर से आकर सभी लोग सो गये। रात्रि के लगभग तीन बजे घर जाने की तैयारी शुरू हो गयी। चलने वाली अन्य गाड़ियाँ भी तैयार हो गयीं। 'कैला मैया की जय' के साथ बैलगाड़ियाँ चल पड़ीं। मार्ग 'जय देवी' की ध्वनि गूँजने लगा। देवीजी के पर्वतों का दृश्य हम से छूटता गया। ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी। चन्द्रमा की रोशनी मार्ग दिखाने के लिए पर्याप्त थी। रात्रि में प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुहावना लग रहा था। गाड़ियों के साथ-साथ पैदल यात्रियों की कतार भी प्राकृतिक शोभा को बढ़ा रही थी।

इस प्रकार यह दृश्य देखते-देखते हमारा गाँव नजदीक आ गया। सभी गाड़ियाँ अपने-अपने घरों की ओर एक-एक करके मुड़ने लगीं। अन्त में हमारा भी घर आया। हम सब लोग उतरने और सामान को खोलने लगे। सामान उतारकर गाड़ी वाले को विदा किया। इस तरह सानन्द हम अपने घर आ पहुँचे।

२५. सहकारी खेती

रूपरेखा—

१. भूमिका

२. सहकारी खेती की परिभाषा एवं स्वरूप—युग की आवश्यकता

३. भारत में सहकारी खेती का विकास एवं महत्त्व

४. सहकारी खेती से लाभ—(अ) भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होने पर रोक (ब) उत्पादन में वृद्धि (स) एकता एवं प्रेम की भावना का प्रसार (द) पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त

५. उपसंहार

भारत कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही अपना जीवन-निर्वाह करती है। कृषि के विकास के लिए यहाँ अनेक योजनाएँ बन रही हैं। इन योजनाओं से भूमि-सुधार एवं अधिक अन्न उत्पादन के साधनों का विकास हो रहा है। परन्तु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद भी हमारे देश में खाद्य समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रतिवर्ष भारत के किसी न किसी भाग में

अन्न की कमी बनी रहती है। कृषि-प्रधान देश होते हुए भी हमें अन्न के लिए विदेशों का मुँह ताकना पड़ता है। खाद्य समस्या के रहते हुए देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। यदि हम इसके उपयुक्त कारणों पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे देश की प्रति एकड़ का उपज अन्य देशों की प्रति एकड़ की उपज से कम है। अमरीका, रूस, चीन और जापान आदि उन्नतशील देशों की उपज हमारे देश से कहीं अधिक है। किमानों को साल भर परिश्रम करने के पश्चात् भी पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता है।

सहकारी खेती से तात्पर्य खेती करने की उस प्रणाली से है जिसमें किसी गाँव या गहर की भूमि को एक इकाई मानकर उस पर खेती करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में खेती—समस्त खेती—संयुक्त रूप से की जाती है। गाँव के व्यक्ति अपने और पराये का भेद भूलकर सहयोग एवं सद्भावना से खेती करते हैं। ममस्त कृषि योग्य भूमि का सदुपयोग किया जाता है। भूमि के संयुक्त प्रयोग में यह आवश्यक भी नहीं है कि उनका स्वामित्व भी संयुक्त ही हो। इस प्रकार की प्रणाली में भूमि का स्वामित्व संयुक्त और पूयक-पूयक दोनों प्रकार में हो सकता है। परन्तु भूमि पर कृषि कार्य करने का रूप संयुक्त ही होगा। वहाँ समस्त भूमि को एक ही इकाई स्वीकार किया जायगा। सभी सहकारी खेती का अर्थ सायक हो सकता है। सहकारी खेती के चार स्वरूप हैं, जो इस प्रकार हैं—

- (i) सहकारी उच्चतर खेती समिति, (ii) सहकारी संयुक्त खेती समिति, (iii) सहकारी काश्तकार खेती समिति, (iv) सहकारी सामूहिक खेती समिति।

सहकारी खेती की योजना भारत के लिए एकदम नयी है। सबसे पहले १९४४ में भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। १९४६ में भारत का एक मिष्टमण्डल फिलिस्तीन भेजा गया। इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने सहकारी खेती की योजना बनायी। सन् १९५६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती के सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसार यह तय हुआ कि सहकारी खेती के लिए भूमि को एकत्रित किया जायगा, परन्तु उस पर कृषकों का स्वामित्व ज्यों का त्यों रहेगा। समस्त भूमि पर कृषक सामूहिक रूप से खेती करेंगे तथा खर्चा निकालकर शुद्ध उपज में से अपनी-अपनी भूमि के अनुपात के आधार पर हिस्सा बाँट लेंगे। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषकों को उनके धन के अनुसार उपज का हिस्सा दिया जायगा। इस योजना के अनुसार निम्न सहकारी खेती में स्वेच्छा से शामिल हो सकता है। सामूहिक खेती की इस योजना से देश और कृषक दोनों का पर्याप्त लाभ होगा। कृषक सरकार को पर्याप्त धन पैदा करके देंगे और सरकार उन्हें आवश्यकतानुसार अनुदान, ऋण एवं यान्त्रिक सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रकार सारे देश में सहकारी खेती

इतनी अधिक लोकप्रिय हो गयी है कि सन् १९५६ की अपेक्षा सहकारी समितियों की संख्या कई गुनी हो गयी है ।

सहकारी खेती से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे भूमि के विभाजन पर रोक लग गयी । पहले जो भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, उसे सहकारी खेती ने मिलाकर एक कर दिया । भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर खेती करना महंगा पड़ता था तथा उत्पादन भी अपेक्षाकृत कम होता था । सहकारी खेती ने अपने आन्दोलन से भूमि सम्बन्धी समस्याएँ को दूर कर दिया ।

हमारे देश में सहकारी खेती का मुख्य लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि करना था । उत्पादन का प्रश्न सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था । देश की बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस प्रश्न को अधिक गम्भीर बना दिया था । जिसका हल—एकमात्र समाधान—उत्पादन में वृद्धि करना था । उत्पादन में वृद्धि करने का केवल एक ही उपाय हो सकता था कि कृषि के नवीन तरीकों एवं ढंगों को अपनाया जाय । ताकि देश में उत्पादन की क्षमता में निरन्तर वृद्धि हो ।

सहकारी खेती कृषकों में प्रेम एवं सहयोगपूर्वक कार्य करने की भावना को प्रेरित करती है । लोगों के संकुचित दृष्टिकोण को हटाकर उनमें उदार भावना पैदा करती है । गाँवों में व्याप्त दलबन्दी एवं मुकदमेवाजी को समाप्त कर उनके प्रेम एवं एकता की भावना का अनुभव कराती है । यह भावना उनमें साथ-साथ कार्य करने तथा जीने की भावना को प्रोत्साहन देती है । कृषकों की यह भावना ही राष्ट्रीयता एवं विश्व-वन्धुत्व की भावना की नींव डालती है ।

आज विश्व में सहकारिता का आन्दोलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है । प्रेम, सहयोग एवं एकता के साथ ही उससे पूँजी और शक्ति का संचय होता है । धीरे-धीरे यह पूँजी पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती है । जिससे किसानों का बड़े से बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है । सहकारिता से प्राप्त लाभ का अंश समान अनुपात में वितरित होता है । जिसके फलस्वरूप पूँजीवादी व्यवस्था का पतन होता है । किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का यह महत्त्वपूर्ण साधन है ।

यद्यपि हमारे समक्ष अनेक समस्याएँ हैं । फिर भी देश की विशालता एवं जनसंख्या के प्रसार को देखते हुए यह आवश्यक है कि देश में सहकारी खेती का और भी विकास किया जाय । अभी हमारे देश में सहकारी खेती की प्रारम्भिक अवस्था है । इसके प्रसार एवं प्रचार के लिए प्रयत्न, सहयोग और परिश्रम की आवश्यकता है । देश की बढ़ती हुई खाद्य-समस्या के निदान के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है । देश की आर्थिक उन्नति सहकारी खेती के विकास पर ही निर्भर है । अन्त में हम गाँधीजी के स्वर मिलाकर कह सकते हैं कि “हमें खेतों से तब तक पूरा लाभ नहीं हो सकता, जब तक कि हम सहकारी खेती को न अपना लें ।” अतः सहकारी खेती का भविष्य उज्ज्वल है, यह निर्विवाद है ।

परिच्छेद ३—निबन्धों की विस्तृत रूपरेखाएँ

१. साहित्य और समाज

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) साहित्य क्या है ?
- (३) समाज क्या है ?
- (४) साहित्य पर समाज का प्रभाव ।
- (५) समाज पर साहित्य का प्रभाव ।
- (६) साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध ।
- (७) साहित्य के द्वारा समाज की प्रगति—(क) मानव हृदय का विकास, (ख) नैतिक स्तर का विकास, (ग) मानव को सहृदयता का पाठ पढ़ाना, (घ) समाज में एकता स्थापित करना ।
- (८) उपसंहार ।

२. विज्ञान के चमत्कार

- (१) प्रस्तावना—आधुनिक युग विज्ञान का युग ।
- (२) विज्ञान के चमत्कार ।
 - (क) यातायात सम्बन्धी चमत्कार—रेल, मोटर, हवाई जहाज, पानी के जहाज, हेलीकॉप्टर आदि ।
 - (ख) समाचार सम्बन्धी चमत्कार—तार, टेलीफोन, बेतार का तार ।
 - (ग) मनोरंजन सम्बन्धी चमत्कार—ग्रामोफोन, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन आदि ।
 - (घ) चिकित्सा सम्बन्धी चमत्कार—एक्स-रे, शल्य-चिकित्सा ।
 - (ङ) नर-संहार सम्बन्धी चमत्कार—बन्दूक, तोप, अणुबम, हाइड्रोजन बम आदि ।
- (३) विज्ञान का भविष्य ।
- (४) उपसंहार ।

३. देश-प्रेम

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) देश-प्रेम की स्वाभाविकता ।
- (३) देश-प्रेम की भावना द्वारा देश की उन्नति ।
- (४) देश-सेवा के क्षेत्र—(क) राजनीति, (ख) सामाजिक विकास या समाज सुधार, (ग) कला की उन्नति द्वारा, (घ) सम्पत्ति दान द्वारा देश-सेवा ।

- (५) देश के प्रति हमारा कर्तव्य ।
- (६) देश-प्रेमी व्यक्तियों के उदाहरण ।
- (७) उपसंहार ।

४. विद्यार्थी जीवन और अनुशासन

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) विद्यार्थी जीवन की महत्ता ।
- (३) अनुशासन का अर्थ एवं महत्त्व ।
- (४) विद्यार्थी का कर्तव्य ।
- (५) विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता ।
- (६) विद्यार्थी जीवन का आदर्श ।
- (७) उपसंहार ।

५. मेरा प्रिय नेता

(पं० जवाहरलाल नेहरू)

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) नेहरूजी का जन्म एवं जीवन-परिचय ।
- (३) नेहरूजी का कृतित्व ।
- (४) नेहरूजी की देन—(अ) स्वतन्त्रता से पूर्व—(१) साहित्य, (२) संगठन की भावना, (३) आत्म-गौरव की भावना ।
(ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्—(१) एकता, (२) धर्म-निरपेक्षता की भावना, (३) समाज का सर्वांगीण विकास, (४) समाजवादी दृष्टिकोण, (५) देश का योजनावद्ध विकास ।
- (५) उपसंहार ।

६. आधुनिक भारत की प्रमुख समस्याएँ

- (१) प्रस्तावना—स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ भारत में विभिन्न समस्याओं का प्रादुर्भाव तथा सरकारी प्रयत्न द्वारा उनका यथासम्भव निराकरण ।
- (२) काश्मीर समस्या ।
- (३) राष्ट्रभाषा की समस्या ।
- (४) ग्रामीण समस्या ।
- (५) खाद समस्या ।
- (६) बेकारी की समस्या ।
- (७) देश रक्षा की समस्या ।

- (८) अन्य गौण समस्याएँ—छुआछूत, महंगाई एवं भ्रष्टाचार की समस्याएँ ।
- (९) उपर्युक्त समस्याओं का निराकरण—भारतवासियों में त्याग एवं बलिदान की भावना का प्रसार होने पर ही इसका निराकरण सम्भव है ।
- (१०) उपसंहार ।

७. पुस्तकालय का महत्त्व

- (१) प्रस्तावना—ज्ञानार्जन की आवश्यकता और महत्त्व, मानसिक स्वास्थ्य का साधन ।
- (२) ज्ञानार्जन के अनेक साधन :
पाठशाला, प्रदर्शन, भाषण, यात्रा, चिड़ियाघर, पुस्तकालय ।
- (३) पुस्तकालय का महत्त्व ।
- (४) पुस्तकालय के प्रकार :
स्कूल और कालेज के पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, निजी पुस्तकालय ।
- (५) पुस्तकालयों के लाभ :
ज्ञान-प्राप्ति, सुखी का विकास, मनोरंजन, सामयिक समस्याओं से परिचय, लोगों से मिलना ।
- (६) उपसंहार ।

८. दीपावली का उत्सव

- (१) प्रस्तावना—जीवन में उत्सव का महत्त्व, भारतीय जीवन के उत्सव ।
- (२) हिन्दू-जीवन के मुख्य उत्सव : रक्षाबन्धन- दशहरा, दीपावली और होली ।
- (३) दीपावली का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व, राम के राज्यारोहण की कथा, गोवर्द्धन पूजा, लक्ष्मी पूजन, नयी फसल का आगमन ।
- (४) दीपावली मनाने का ढंग, घनतेरस, छोटी दीवाली, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा और भैंसा दूज ।
- (५) वच्चों का उत्साह, पटाखे आदि का प्रयोग, मिठाई की प्रचुरता ।
- (६) समृद्धि का आह्वान ।
- (७) उपसंहार ।

९. नारी शिक्षा का स्वरूप

- (१) प्रस्तावना ।
- (२) समाज और परिवार में नारी का स्थान ।
- (३) उसके अनुरूप शिक्षा ।

- (४) मातृत्व के लिए शिक्षा ।
- (५) पत्नी के कर्तव्यों के लिए शिक्षा ।
- (६) घर की व्यवस्था की शिक्षा ।
- (७) समाज-सेवा के लिए शिक्षा ।
- (८) धनोपार्जन की शिक्षा ।
- (९) ललित-कलाओं का ज्ञान ।
- (१०) उपसंहार ।

१०. महाराणा प्रताप

- (१) प्रस्तावना—वीर भूमि राजस्थान, मेवाड़ का महत्त्व ।
- (२) महाराणा का व्यक्तित्व और राजस्थान ।
- (३) महादाणा के पिता, उनका जन्म और वाल्यकाल ।
- (४) महाराणा का राज्यारोहण ।
- (५) स्वतन्त्रता की आकांक्षा और महाराणा की प्रतिज्ञाएँ ।
- (६) अकबर से विरोध तथा उसका कारण ।
- (७) मानसिंह का आगमन ।
- (८) हल्दीघाटी की लड़ाई ।
- (९) महाराणा के अन्तिम दिन ।
- (१०) महाराणा की पुण्य-स्मृति ।

११. घर और शिक्षा

- (१) प्रस्तावना—मानव-जीवन में शिक्षा का महत्त्व, चरित्र-निर्माण, जीवन-निर्वाह के योग्य बनाना ।
- (२) शिक्षा के उपाय :
विद्यालय, घर, सिनेमा, रेडियो, प्रदर्शनी, चिड़ियाघर आदि ।
- (३) घर और विद्यालय में अन्तर :
वातावरण और नियमों का अन्तर, अनुशासन के दो भिन्न स्वरूप, एक-दूसरे के पूरक ।
- (४) घर का बच्चों के विकास में योग, नियम सिखाना, दैनिक-जीवन की शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्धता, सफाई और शिष्टाचार की शिक्षा, पारिवारिक परम्परा की शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा ।
- (५) घर के शिक्षक :
माता, पिता, भाई-बहन और अन्य सम्बन्धी, वीकर-चाकर आदि ।
- (६) उपसंहार ।

१२. भूदान यज्ञ

- (१) प्रस्तावना—दान का महत्त्व, दान धर्म का स्वरूप, दान की प्राचीनता ।
- (२) दान के अनेक रूप ।
- (३) भूदान का प्राचीन रूप ।
- (४) भूदान का वर्तमान स्वरूप, गाँधी के विचार, विनोबा भावे के विचार, विनोबा भावे का आन्दोलन, भूदान यज्ञ क्या है ?
- (५) भारत में भूदान का संक्षिप्त विवरण ।
- (६) आर्थिक प्रगति और भूदान ।
- (७) समाज और भूदान ।
- (८) सहयोग और सहकारिता की भावना ।
- (९) उपसंहार ।

अभ्यासमाला १४

१. निम्नलिखित में से किसी एक पर निबन्ध लिखिये :
 - (१) ग्रामोद्योग (२) स्त्रीशिक्षा (३) सत्संग
 - (४) हड़ताल (५) कोई प्रसिद्ध कहानीकार

(१९६१)
२. निम्नलिखित में से किसी एक पर निबन्ध लिखिये :
 - (१) विद्यालय का वार्षिकोत्सव (२) अपने जीवन का लक्ष्य
 - (३) बेकारी की समस्या (४) साहित्य का दायित्व

(१९६२)
३. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सुन्दर निबन्ध लिखिये :
 - (१) विद्यालयों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा (२) श्रम का महत्त्व
 - (३) मनोरंजन के आधुनिक साधन (४) मेरा एक स्वप्न
 - (५) यदि मैं सीमान्त का एक सिपाही होता

(१९६४)
४. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सुन्दर निबन्ध लिखिये :
 - (१) जवाहरलाल नेहरू (४) पाठशाला का वार्षिकोत्सव
 - (२) वन महोत्सव (५) समाचार-पत्र और उनकी उपयोगिता
 - (३) अपने नगर में किसी महापुरुष का आगमन

(१९६५)
५. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर सुन्दर निबन्ध लिखिये :
 - (१) श्रीमद्भागवत का सदुपयोग (२) विनोबा संत तथा समाज-सुधारक
 - (३) भारत में अकाल एवं उसका निराकरण
 - (४) विद्यार्थी जीवन और अनुशासन
 - (५) ५० वर्ष पश्चात् के भारत की कल्पना
६. निम्न में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए जो तीन पृष्ठ से कम न हो :
 - (१) रेल द्वारा यात्रा (२) वर्तमान समय में विद्यार्थियों के कर्तव्य
 - (३) दीपावली का पर्व (४) समाचार पत्रों की उपयोगिता
 - (५) आपके विद्यालय का स्वतन्त्रता दिवस समारोह

(१९६६)

७. निम्न विषयों में से किसी एक पर लगभग तीन पृष्ठ का निबन्ध लिखिये :
- (१) मेरा स्वप्न जो अधूरा रह गया
 - (२) मेरा प्रिय खेल
 - (३) परीक्षा भवन में जब पेन की स्थाही समाप्त हो गयी
 - (४) जब मेले में मेरा छोटा भाई खो गया
८. नीचे लिखे निबन्धों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिये, जो आपकी उत्तर-पुस्तिका के तीन पृष्ठों से कम न हो :
- (१) मनोरंजन के आधुनिक साधन
 - (२) देशाटन से लाभ
 - (३) प्रधानाध्यापक से मेरा पहला साक्षात्कार
 - (४) मेरा प्रिय लेखक
 - (५) किसी ग्रामीण मेले का वर्णन
९. नीचे लिखे विषयों में से किसी एक पर रोचक निबन्ध लिखिये, जो चार पृष्ठ के लगभग हो। निबन्ध में रटी-रटाई सामग्री के बदले आपके अपने अनुभवों, विचारों और कल्पनाओं को ही अधिक महत्त्व दिया जायेगा :
- (१) मेरा परिवार
 - (२) किसी चुनाव का एक रोचक दृश्य
 - (३) कच्चे रास्ते पर बस-यात्रा का एक कटु अनुभव
 - (४) मेरे जीवन की एक त्रिर-स्मरणीय घटना
 - (५) परीक्षा के दिन जब मेरी अलमारी की चाबी खो गयी।
१०. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिए :
- (१) मेरा वह विचित्र पड़ोसी
 - (२) जब विद्यालय में मेरी साइकिल खो गयी
 - (३) 'मेरे देश की धरती सोना उगले'
 - (४) जब मैं राशन खरीदने गया।
- (१९६८)
११. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखिये :
- (१) जब मैंने प्रथम बार विद्यालय रंगमंच पर अभिनय किया
 - (२) इस देश में गंगा बहती है
 - (३) यों संकट से जान बचायी
 - (४) सर्दी के दिनों में जब हमने नदी पार की
- (१९६९)
१२. निम्न विषयों में से किसी एक पर लगभग ढाई पृष्ठ का निबन्ध लिखिये :
- (१) यदि मैं प्रधानाध्यापक होता
 - (२) मेरी प्रथम रेल-यात्रा
 - (३) वह घटना जो जीवन भर याद रहेगी
 - (४) यात्रा करते समय जब बस (मोटर) खराब हो गयी
१३. निम्न में से किसी एक पर लगभग ४०० शब्दों का निबन्ध लिखिये :
- (१) यदि महात्मा गाँधी भारत में लौट आये
 - (२) एक अकालग्रस्त गाय की आत्मकथा
 - (३) मेरा साइकिल सीखने का प्रथम दिन
 - (४) जब मेरा छोटा भाई मेले में खो गया
- (१९६९)

